Human Liberty Network

JVI JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL

Freedom, Justice & Restoration through Partnership

मानव-व्यापार कानूनी निर्देश टूलकिट

बंधुआ मजदूरी और अवैध यौन व्यापार से लड़ने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

गैर सरकारी संगठनों और उनके अधिवक्ताओं के लिए एक पुस्तिका

विषय-सुची

आभार........4

संक्षिप्त नाम 5

अध्याय I. परिचय 7

A. टूलकिट के बारे में 8

B. बंधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ("SOP")(विवरण-रहित)......10

C. यौन व्यापर हस्तक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ("SOP")(विवरण-रहित)..........23

अध्याय II. भारत में मानव व्यापार का विवरण एवं सन्दर्भ 36

A. वर्त्तमान में दासप्रथा की परिभाषा एवं इसके कारक 37

B. पूर्वाग्रहों का स्पष्टीकरण 48

C. आंकड़े 51

D. भारत में मानव-व्यापार 54

E. भारत में बंधुआ मजदूरी 55

F. भारत में यौन-व्यापार 55

G. बिहार में मानव-व्यापार 56

A. बंधुआ मजदूरी 57

B. यौन-व्यापार 58

H. उत्तर प्रदेश में मानव-व्यापार 59

A. बंधुआ मजदूरी 59

B. यौन-व्यापार 61

अध्याय III. मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) 63

A. मकसद और उद्देश्य 64

B. संरचना 64

C. बंधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के लिए एस.ओ.पी. 65

1. बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया 65

2. बंधुआ मजदूरी के अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएं 107

3. बंधुआ मजदूरी से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाए....................138

D. यौन व्यापार हस्तक्षेप के लिए एस.ओ.पी. 160

1. यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया 160

2. यौन व्यापार के अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएँ 189

3. यौन व्यापार से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएँ 226

अध्याय IV. कानूनी संरचना 245

A. मानव व्यापार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं मान्यताएं 246

B. क्षेत्रीय नियम एवं करार 248

C. राष्ट्रीय अधिनियम एवं कानून....................248

D.दंडनीय अपराधों की संक्षिप्त तालिका 270

अध्याय V. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक फैसले....................279

अध्याय VI. मानव व्यापर के विरुद्ध सफलता की कहानियाँ 291

आभार

हम उन व्यक्तियों और संगठनों के योगदान के लिए आभारी हैं और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होने यह मानव व्यापार कानूनी संदर्भ टूलकिट को संभव बनाया है। सबसे पहले, हम फ्रीडम फंड एवं जिनेवा ग्लोबल को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होने मानव व्यापार से लड़ने में उनके अनुभव और विशेषज्ञता को हमारे साथ साझा किया और साथ ही में ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के सदस्य संस्थान- प्रयास बाल सहायता केंद्र, आंगन ट्रस्ट, तटवासी समाज न्यास, अदिति, भूसरा महिला विकास समिति, आइ. डी.एफ., सेंटर डाइरेक्ट, डंकन अस्पताल, आइडिया, निर्देश, फकिराना सिस्टर्स सोसायटी, महिला विकास केंद्र, गुड़िया संस्थान, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान, प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान और सामाजिक उन्नति के लिए ग्रामीण संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दूसरा, हम अंतरराष्ट्रीय जस्टीस मिशन के हमारे दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होने उदारता से हमारे साथ भारत में मानव व्यापार से लड़ने के बारे में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा किया। तीसरा, हम जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल के नि:स्वार्थ पैनल और अन्य नि:स्वार्थ पहल (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ट्रस्ट कानून कार्यक्रम और लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेस) पर स्वयंसेवक अभिवक्ताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होने इस टूलकिट के विभिन्न विषयों पर कानूनी अनुसंधान किया है। चौथा, भारत में मानव व्यापार से लड़ रहे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर लोक सेवक, पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता, अभियोजन-पक्ष, न्यायपालिका के सदस्य और अन्य सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमने इन लोक सेवकों से बहुत कुछ सीखा है और यह मानक संचालन प्रक्रिया उस सीख को प्रतिबिंबित करता है। अंत में, हम फ्रीडम फंड और जिनेवा ग्लोबल को आर्थिक सहायता के लिए और इस पुस्तिका के शुरुआती ड्राफ्ट पर अपने वित्तीय समर्थन और प्रासंगिक टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका भारत में मानव व्यापार से लड़ने के लिए उन सभी अधिवक्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए एक अनुकूल और व्यावहारिक संसाधन के रूप में काम करेगा।

जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल

संक्षिप्त नाम (ABBREVIATIONS)

ए.सी.पी. (ACP) - सहायक पुलिस आयुक्त

एडिशनल सी.पी. (Addl. CP) - अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

ऐ.एच.टी.यू. (AHTU) - मानव व्यापार विरोधी इकाईयां

सी.बी.आई. (CBI) - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

बी.एल.ए. (BLA) - बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976

सी.ई.डी.ए.डब्लु.(CEDAW) - महिलाओं पर सभी प्रकार के भेदभावों के खात्मे के लिए सम्मलेन

सी.आर.सी. (CRC) - नाबलिकों के अधिकारों के लिए सम्मलेन

सी.आर.पी.सी. (CrPC) - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

सी.एस.ई. (CSE) - व्यापारिक यौन शोषण

सी.एस.एस. (CSS) - केंद्रीकृत प्रायोजित योजना (23.06.2017 तक संशोधित)

सी.एल.टी.एस. (CLTS) - बाल मजदूरी व्यापार प्रणाली

सी.डब्लू.सी. (CWC) - बाल कल्याण समितियां

सी.एम. (CM) - मुख्य मंत्री

डी.बी.एल.आर.एफ. (DBLRF) - बंधुआ मजदूरी हेतु जिला राहत कोष

डी.एम. (DM) – जिलाधिकारी

डी.एस.पी. (DSP) - आरक्षी उपाधीक्षक

जी.ओ.बी. (GoB) - बिहार सरकार

जी.ओ.आई. (GoI) - भारत सरकार

आई.सी.सी.पी.आर.(ICCPR) – नागरिक एवं राजनितिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संविदा

आई.सी.ई.एस.सी.आर. (ICESCR) – वाणिज्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संविदा

आई.पी.सी. (IPC) - भारतीय दंड संहिता, 1860

आई.सी.जे. (ICJ) - अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

आई.ओ. (IO) - जांच अधिकारी

आई.टी.पी.ऐ. (ITPA) - अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

जे.जे.ऐ. (JJA) - किशोर न्याय (नाबलिकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

मनरेगा (MGNREGA) - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

एम.ओ.एल.ई. (MoLE) - मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय

एन.जी.ओ. (NGO) - गैर-सरकारी संगठन

एन.एच.आर.सी. (NHRC) - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

पोक्सो (POCSO) - यौन अपराधों से नाबलिकों की सुरक्षा अधिनियम

पी.डी.एस. (PDS) - सार्वजनिक वितरण प्रणाली

आर.डी.ओ (RDO) - राजस्व संभागीय अधिकारी

एस.सी. (SC) - अनुसूचित जाति

एस.सी.एस.टी.पी.ओ.ऐ. (SCSTPOA) - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

एस.डी.एम. (SDM) - अनुमंडल पदाधिकारी

एस.पी.ओ. (SPO) - विशेष पुलिस अधिकारी

एस.एच.आर.सी (SHRC) - राज्य मानवाधिकार आयोग

एस.टी. (ST) - अनुसूचित जनजाति

एस.ओ.पी. (SOP) - मानक संचालन प्रक्रियाएं

यू.एन. (UN) - संयुक्त राष्ट्र

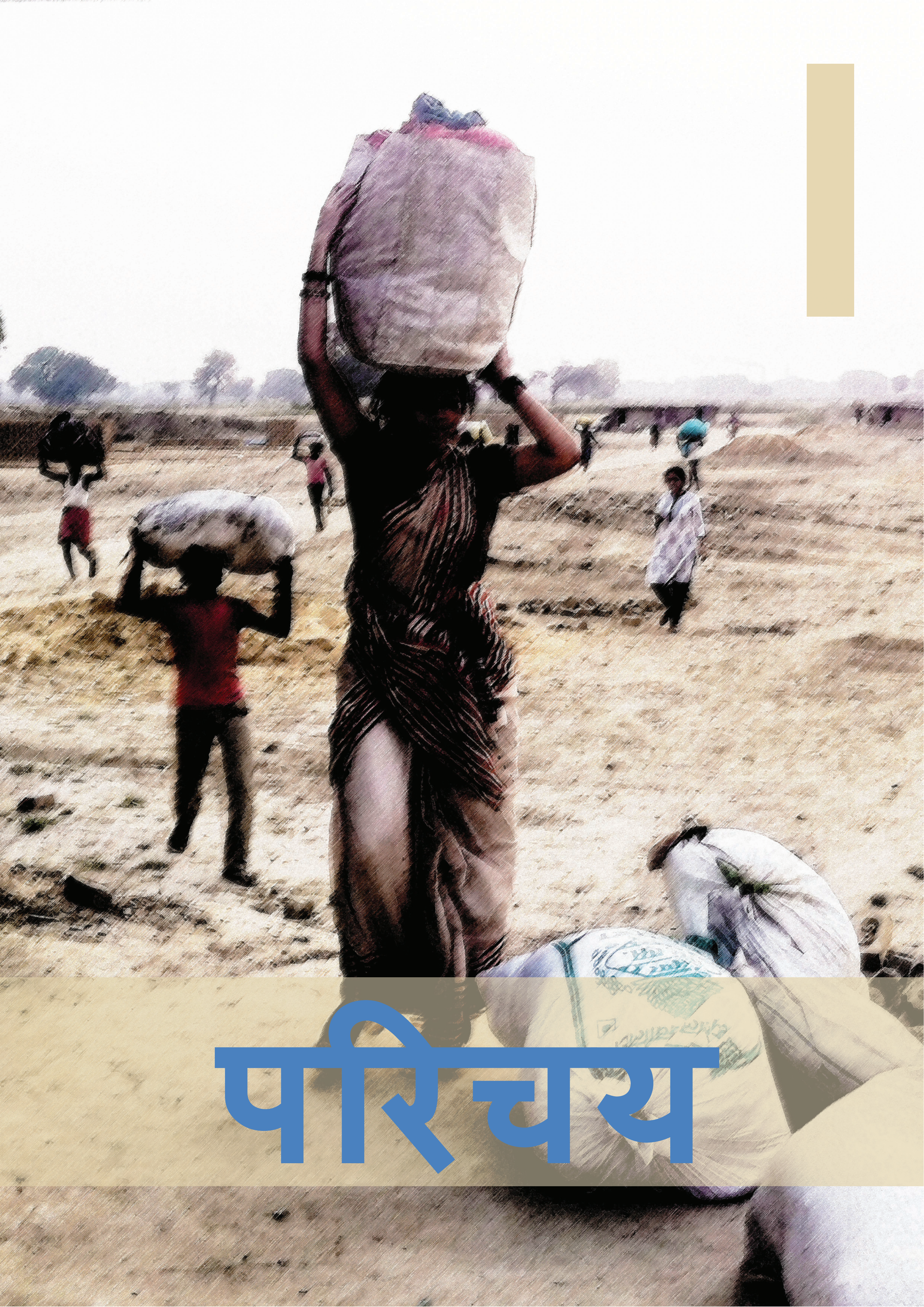

परिचय

A. टूलकिट के बारे में

मानव व्यापार आधुनिक दासता का एक प्रकार है और यह अनुमान लगाया गया है की विश्व में 4 करोड़ 58 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग भारत में रहने वाले हैं और आधुनिक दासता का शिकार हैं[1]। इस टूलकिट को उत्तर प्रदेश और बिहार के फ्रीडम फंड[2] के गैर सरकारी संगठनों के साथी और उनके वकीलों के लिए एक व्यापक गाइडलाइन के रूप में विकसित किया गया है जो सक्रिय रूप से मानव व्यापार के खिलाफ लड़ाई में भागीदार हैं। ये व्यावहारिक पुस्तिका स्थानीय संस्थाएं जो मानव व्यापार के खिलाफ कार्य कर रही हैं, चाइल्डलाइन कार्यक्रम कार्यान्वयन और गैर सरकारी संगठाने जो भारत में न्याय और उत्तर्जीवीयों (सरवाईवर्स) की मुक्ति के लिए कानूनी सलाह प्रदान करने का काम कर रहे हैं और अन्य सीमावर्ती संगठनों के लिए उपयोगी हो सकता है।

फ्रीडम फंड एक निजी परोपकारी पहल है जिसका उद्देश्य है ज्ञान और पूंजी को उन देशों और क्षेत्रों में लाया जाए जहां दासप्रथा सबसे ज़्यादा केंद्रित है और जहाँ इससे निपटने की जरूरत है। भारत में फ्रीडम फंड के सहयोगियों की सहायता का प्रबंधन जिनेवा ग्लोबल करता है, जो एक प्रमुख परामर्श संस्था है एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास, वैश्विक स्वास्थ और गरीबी समाधान में विशेषज्ञ है[3]। हालांकि यह टूलकिट सार्वजनिक कानूनी प्रक्रियाओं, अभियोजन पक्ष और भारत के कानून के तहत पुनर्वास पर केंद्रित है परन्तु इसके आलावा फ्रीडम फंड की सहयोगी संस्थाएं मानव व्यापार से लड़ने के लिए अन्य महत्वपूर्ण रणनीतियों का भी उपयोग करते हैं।

अध्याय 2 मानव व्यापार की समीक्षा, आधुनिक दासप्रथा से संबंधित महत्वपूर्ण पूर्वाग्रहों, कारकों एवं चयनित आंकड़ों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा इसमें भारत में मानव व्यापार के संदर्भ में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए एक समीक्षा प्रदान किया गया है।

अध्याय 3 मानव व्यापार हस्तक्षेप हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ ("SOP") को उल्लेखित करता है। यह SOP उन चरणों की सूची प्रदान करता हैं जिन्हें गैर-सरकारी संगठन और

---

[1] देखें उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय दासता सूचकांक, 2016 : <http://www.globalslaveryindex.org/findings/>

[2] फ्रीडम फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें www.freedomfund.org

[3] जिनेवा ग्लोबल के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें: <http://www.genevaglobal.com/>

अधिवक्ता द्वारा भारत में दो मुख्य मानव व्यापार के सामान्य रूप - बंधुआ मजदूर और व्यापारिक यौन शोषण (यौन व्यापार)[4] से लड़ने में अपनाए जा सकते हैं।

हर चरण के साथ एक टिप्पणी खंड है ज़ो चरण को विस्तारित करता है। इसके अलावा "नोट करने हेतु संकेत" खंड हैं जो हर चरण को क्रियान्वित करने से पहले जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरते हैं उन पर प्रकाश डालता है।

अंत में, "अधिक जानें और कार्रवाई करें" अनुभाग शामिल है जो की पाठक को संबंधित वर्गों जैसे अध्याय 4 (कानूनी संरचना), अध्याय 5 (न्यायालयों के ऐतिहासिक फैसले), अध्याय 6 (मानव व्यापार के विरुद्ध सफलता की कहानियां) और परिशिष्ट पर ले जाता हैं जहां गैर-सरकारी संगठन और अधिवक्ता व्यावहारिक और कानूनी जानकारी पा सकते हैं।

चूंकि यह SOP इस पुस्तिका का केंद्र हैं, अध्याय II में त्वरित इस्तेमाल हेतु, SOP का विवरण और अतिरिक्त जानकारी रहित प्रारूप दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि SOP को सबसे अधिक होने वाले उपाए की संभावना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए यह उपायें जरूरी क्रमिक रूप से नहीं हो सकते हैं। कुछ उपायें एक साथ या एक अलग क्रम में हो सकते हैं।

---

[4] इस पुस्तिका में हम तकनीकी शब्द "व्यापारिक यौन शोषण के लिए व्यापार के" के संदर्भ में इस शब्द "यौन व्यापार" का उपयोग कर रहे हैं क्यूंकी हमारे अनुभव से, यह शब्द आमतौर पर गैर सरकारी संगठनों और अधिवक्ता के बीच संक्षिप्तता के लिए प्रयोग किया जाता है

B. बंधुआ मजदूरी हस्ताक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ("SOPs") (विवरण के बिना)

बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध हस्तक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ("SOPs") इस प्रकार हैं। SOPs तीन प्रतिभागों में विभाजित किया गया है:

1. पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया;

2. अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रिया; तथा

3. मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियायें।

विस्तृत विवरण और इन मानक संचालन प्रक्रियाओं ("SOPs") से संबंधित अन्य संसाधनों के लिए कृपया अध्याय 3 देखें।

1. बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के मुक्ति के लिए प्रक्रिया:-

बंधुआ मजदूर पीड़ितों के मुक्ति के लिए 10 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:-

चरण 1.1 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की पहचान

चरण 1.2 बंधुआ मजदूरी शिकायत की प्रस्तुति

चरण 1.3 बंधुआ मजदूरी मुक्ति योजना की तैयारी

चरण 1.4 बंधुआ मजदूरी मुक्ति की शुरुआत

चरण 1.5 बंधुआ मजदूरी मुक्ति-स्थल को सुरक्षित करना

चरण 1.6 आरोपियों को बंधुआ मजदूरी पीड़ितों से अलग करना

चरण 1.7 बंधुआ मजदूरी से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण

चरण 1.8 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग

चरण 1.9 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना

चरण 1.10 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना

चरण 1.1 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की पहचान	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ के रूप में मजदूरी कराये जाने से सम्बंधित तथ्यों को सत्यापित और इकठ्ठा करना चाहिए।	अधिवक्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि जिन तथ्यों को इकट्ठा किया गया है वो बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 और अन्य सुसंगत कानूनों से सम्बंधित तत्वों का समर्थन करते हैं या नहीं।

चरण 1.2 बंधुआ मजदूरी शिकायत की प्रस्तुति	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एकत्रित तथ्यों का उपयोग करके बंधुआ मजदूरी अपराध सम्बंधित शिकायतपत्र जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूरी अपराध सम्बंधित शिकायतपत्र की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की यह बंधुआ मजदूर बचाव कार्य (रेस्क्यू) की शुरुआत के लिए एक प्रेरक कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रही है या नहीं एवं अधिवक्ता को जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी को शिकायतपत्र प्रस्तुत करने में एनजीओ की सहायता भी करनी चाहिए।

चरण 1.3 बंधुआ मजदूरी मुक्ति योजना की तैयारी	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एक बंधुआ मजदूरी मुक्ति योजना की तैयारी करनी चाहिए।	अधिवक्ता को कानूनी प्रावधानों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित पूर्वाग्रहों पर गैर सरकारी संगठन को सलाह देते हुए बंधुआ मजदूर बचाव योजना की तैयारी में सहायता करनी चाहिए।

चरण 1.4 बंधुआ मजदूरी मुक्ति की शुरुआत	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूर की मुक्ति योजना से सम्बंधित सभी हितधारकों के साथ मुक्ति योजना आरंभ करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर मुक्ति योजना में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सम्बंधित कानून के अनुसार किया जा रहा है।
चरण 1.5 बंधुआ मजदूरी मुक्ति-स्थल को सुरक्षित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को पुलिस की सहायता करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की बचाव-स्थल सुरक्षित की गयी है और कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य खोया या छुटा नही है।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और पुलिस को (यदि आवश्यक हो) बचाव-स्थल को सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए ।
चरण 1.6 आरोपियों को बंधुआ मजदूरी पीड़ितों से अलग करना (बचाव वाले दिन)	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अपराधियों से बंधुआ मज़दूरी के पीड़ितों को अलग करने और उन्हें बचाव-स्थल पर एक खुले क्षेत्र में ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो पुलिस को इस प्रक्रिया में सलाह प्रदान करनी चाहिए। एक निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को बंधुआ मजदूरों से अलग करना चाहिए।
चरण 1.7 बंधुआ मजदूरी से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण (बचाव वाले दिन)	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ मजदूरी की मौजूदगी से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य को इकट्ठा करे।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के विषय में सबूतों को कानूनी रूप में संग्रह करने की प्रक्रिया के बारे में सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस

	पंचनामा/ जब्ती ज्ञापन में सभी उपलब्ध साक्ष्य को शामिल करे।
चरण 1.8 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग (बचाव वाले दिन)	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी के तत्वों की मौजूदगी को निर्धारित करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले प्रारंभिक सवालों पर सलाह देना चाहिए और पीड़ितों को उनके बयान की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से पहले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
चरण 1.9 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना (बचाव वाले दिन)	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरों को अपना सामान इकट्ठा करने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूरों को अपराधियों के उत्पीड़न एवं खतरों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस थाना में एक आवेदन दाखिल करना चाहिए।
चरण 1.10 बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना (1 से 3 दिन)	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एस.डी.एम. या उनके अधीनस्थ नामित अधिकारी को एक आवेदन देते हुए बंधुआ मजदूर के पक्ष में मुक्ति आदेश एवं मुक्ति प्रमाण पत्र को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करना चाहिए।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के साथ एस.डी.एम के कार्यालय जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूर के पक्ष में मुक्ति आदेश एवं मुक्ति प्रमाण पत्र कानूनी रूप से तुरंत सभी बंधुआ मजदूरों को जारी हुआ है।

2. <u>बंधुआ मजदूरी के अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएं:-</u>

बंधुआ मजदूरी के अपराधियों के अभियोग के लिए 15 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 2.1 बंधुआ मजदूरी अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला
चरण 2.2 सभी नामित अपराधियों की गिरफ्तारी
चरण 2.3 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला
चरण 2.4 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध
चरण 2.5 जांच के दौरान बयान दर्ज करना
चरण 2.6 बंधुआ मजदूरी स्थल की बंदी/ सील
चरण 2.7 न्यूनतम मजदूरी की वसूली
चरण 2.8 बंधुआ मजदूरी मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला
चरण 2.9 संक्षिप्त-ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना
चरण 2.10 बंधुआ मजदूरी आरोपों का निर्धारण
चरण 2.11 बंधुआ मजदूरी मुकदमें की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना
चरण 2.12 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना
चरण 2.13 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में निर्णायक-बहस करना
चरण 2.14 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति
चरण 2.15 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील की फाइलिंग

चरण 2.1 बंधुआ मजदूरी अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी अपराध की जानकारी उस पुलिस स्टेशन में दाखिल करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों का बचाव-कार्य किया गया।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दाखिल की गयी जानकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है और सूचीबद्ध सभी प्रासंगिक अपराधों जैसे बी.एल.ए., आई.पी.सी., अनुसूचित जाति/जनजाति पी.ओ.ए.ए. (यदि लागू हो) और किसी भी अन्य कानून के तहत दायर की गयी है।

चरण 2.2 सभी नामित अपराधियों की गिरफ्तारी	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को तुरंत पुलिस की मदद उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में करनी चाहिए जिन पर बंधुआ मजदूरी अपराधों का आरोप लगाया गया है।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. के संगत प्रावधानों के तहत आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
चरण 2.3 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को औपचारिक रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को अपने अधिवक्ता से परिचय कराना चाहिए ताकि एक वकील-मुवक्किल संबंध की स्थापना हो।	अधिवक्ता को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों की सहमति प्राप्त करके उनके कानूनी वकील के रूप में एक वकालतनामा दाखिल करना चाहिए और अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए अदालत के समक्ष सी.आर.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में आवेदन दायर करना चाहिए।
चरण 2.4 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के मामले में अधिवक्ता को जानकारी और सलाह देकर अपराधी की जमानत का विरोध करने में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अपराधियों की ज़मानत से सम्बंधित सभी सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए एवं बहस/लिखित-आवेदन द्वारा अपराधियों की जमानत का विरोध करना चाहिए और जमानत मिलने की स्थिति में कड़ी से कड़ी शर्तें लगाने की अदालत से गुज़ारिश करनी चाहिए।

चरण 2.5 जांच के दौरान बयान दर्ज करना	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 और 164 के तहत अपना बयान देते वक़्त सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।	अधिवक्ता को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को धारा 161 और 164 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान की रिकॉर्डिंग अपनी निगरानी में करवानी चाहिए और उनको सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की बयान की रेकॉर्डिंग कानून के अंतर्गत हो रही है।
चरण 2.6 बंधुआ मजदूरी स्थल की बंदी/ सील	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अपने अधिवक्ता को बचाव-स्थल (जिसमें बंधुआ मज़दूरी चल रही थी) को बंद या सील करवाने की याचिका दायर कराने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को जिलाधिकारी और मजदूरी विभाग के समक्ष बचाव-स्थल (जिसमें बंधुआ मज़दूरी चल रही थी) को बंद / सील करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।
चरण 2.7 न्यूनतम मजदूरी की वसूली	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों और अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए ताकि मजदूरी विभाग में एक आवेदन पत्र डालकर न्यूनतम मजदूरी की वसूली हो।	अधिवक्ता को मजदूरी विभाग के समक्ष बंधुआ मजदूरों की ओर से न्यूनतम मजदूरी की वसूली के लिए एक आवेदन फाइल करना चाहिए।
चरण 2.8 बंधुआ मजदूरी मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अविलम्ब आरोप पत्र दाखिल	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप पत्र निर्धारित अवधि के

करने के संबंध में पुलिस की हर संभव सहायता करनी चाहिए।	भीतर पुलिस द्वारा दायर की गयी है और सभी लागू अपराध एवं सुसंगत धाराएं उसमें शामिल हैं।
चरण 2.9 संक्षिप्त-ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मुकदमों की सुनवाई उसी अदालत के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं।
चरण 2.10 बंधुआ मजदूरी आरोपों का निर्धारण	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।	अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप समय पर तय हो और तथ्यों द्वारा समर्थित सभी लागू अपराध आरोपों में शामिल हों।
चरण 2.11 बंधुआ मजदूरी मुकदमें की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अदालती कार्यवाही के दौरान जब भी बुलाया जाये, बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की अदालत के समक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अभियोजन-पक्ष के साथ सुनवाई के प्रारंभ होने से पहले मिलना चाहिए जिससे की मामले की रणनीति विकसित हो पाए और अधिवक्ता को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहिए।
चरण 2.12 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना	

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी मुक़दमे के अभियोजन-पक्ष के सभी गवाहों को सच्चाई और हिम्मत से गवाही देने की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अभियोजन-पक्ष द्वारा मुख्य-परीक्षा और बचाव पक्ष के वकील द्वारा क्रॉस-परीक्षा के लिए गवाहों को तैयार करने में अभियोजन-पक्ष की सहायता करनी चाहिए।
चरण 2.13 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में निर्णायक-बहस करना	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक़दमे के अंत में निर्णायक-बहस की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अदालत के समक्ष निर्णायक-बहस प्रस्तुत करना चाहिए (अगर अदालत द्वारा अनुमति हो) और अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने के समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहिए।
चरण 2.14 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अंतिम-निर्णय की प्राप्ति	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को न्यायालय से अंतिम-निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम-निर्णय की प्रमाणित प्रतियां के लिए आवेदन पत्र बनाना चाहिए।
चरण 2.15 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील की फाइलिंग	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अदालत के प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अपील की तैयारी करने में, यदि आवश्यक हो, अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रतिकूल निर्णय पर, यदि आवश्यक हो, अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करना चाहिए।

3. <u>बंधुआ मजदूरी से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएं:-</u>

बंधुआ मजदूरी से बचाए गए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना हेतु 9 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 3.1 चिकित्सा-देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना
चरण 3.2 ज़रूरी एवं मुलभुत सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाए
चरण 3.3 मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता राशी प्रदान की जाए
चरण 3.4 बी.एल.ए. फंड और पुनर्वास फंड मुक्त बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराये जायें
चरण 3.5 बुनियादी सरकारी सुविधाएं और पहचानपत्र हासिल किए जाए
चरण 3.6 मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनके गृह-स्थान पर सुरक्षित भेजना
चरण 3.7 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता
चरण 3.8 स्थानीय बीएलए सतर्कता समिति की हर संभव मदद प्राप्त करना
चरण 3.9 मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

चरण 3.1 चिकित्सा-देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मज़दूरों को चिकित्सा-जाँच एवं आवश्यक चिकित्सा-देखभाल प्राप्त करवाई जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की मुक्त बंधुआ मज़दूरों को चिकित्सा-देखभाल प्रदान किया जाए जो की तत्काल और गोपनीय हो और विमुक्त मजदूरों के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए दी जा रही हो।
चरण 3.2 ज़रूरी एवं मुलभुत सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल बुनियादी, अल्पकालिक एवं अनिवार्य सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय और परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।	

चरण 3.3 मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता राशी प्रदान की जाए	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मजदूर को उनका निर्वाहन वित्तीय राहत (भत्ता) उनके मुक्ति प्रमाण-पत्र के साथ ही मिले अथवा विमुक्ति-तिथि से 7 दिनों के अन्दर मिले।	अधिवक्ता को एस.डी.एम. को उन कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना चाहिए जिनके तहत बंधुआ मजदूर को उनके मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ ही निर्वाहन वित्तीय राहत (भत्ता) उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
चरण 3.4 बी.एल.ए. फंड और पुनर्वास फंड मुक्त बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराये जायें	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों की ओर से बीएलए फण्ड की राशी और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध अन्य पुनर्वास कोष जिनमे राशी एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं के लिए एक अवदान-पत्र दाखिल करना चाहिए।	अधिवक्ता को मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए बीएलए फण्ड की राशी और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध अन्य पुनर्वास कोष जिनमे राशी एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं को प्राप्त करने के लिए सहायात और सलाह देनी चाहिए।
चरण 3.5 बुनियादी सरकारी सुविधाएं और पहचानपत्र हासिल किए जाए	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूर को उनकी बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज जैसे की राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। गैर-सरकारी संगठन को सरकारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श और अन्य सुविधायों को मुक्त बंधुआ मजदूरों तक पहुचाने में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनकी बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज जैसे की राशन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त कराने से सम्बंधित सलाह एवं सहायता देनी चाहिए। अधिवक्ता को गैर-सरकारी संस्थानो और मुक्त बंधुआ मजदूरों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की यदि बुनियादी सरकारी

	सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं तो उपयुक्त सरकारी मंच पर इसकी शिकायत दर्ज की जाये।
चरण 3.6 मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनके गृह-स्थान पर सुरक्षित भेजना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार/ पैतृक स्थान या वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर पहुचने में सहायता करनी चाहिए और नाबालिग मुक्त बंधुआ मज़दूरों के मामले में यह सुनिश्चित करना चाहिए की सी. डब्ल्यू. सी. के निर्देशानुसार गृह-स्थान का सत्यापन कर रिपोर्ट सौप दी गयी है।	अधिवक्ता द्वारा गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि पुनर्वास प्रक्रिया क़ानूनी रूप से पूरी की जा रही है या नहीं।
चरण 3.7 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मज़दूरी से मुक्त लोगों की सहायता उनको निजी क्षेत्र (एनजीओ और व्यापर-क्षेत्र) के साधन और अन्य सुविधायों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, भूमि-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श आदि उपलब्ध कराकर करनी चाहिए।	
चरण 3.8 स्थानीय बीएलए सतर्कता समिति की हर संभव मदद प्राप्त करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मजदूर के गृह-जिला में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता समिति गठित हो एवं इन समितिओं की मदद से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर सतर्कता समिति का गठन न होने की स्थिति में जिला प्रशासन के समक्ष याचिका दायर करने में गैर सरकारी संगठन की सहायता करनी चाहिए।

की मुक्त मज़दूरों के पुनर्वास और सुरक्षा से सम्बंधित कार्य सुचारू रूप से चलते रहे।	
चरण 3.9 मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता और निरंतर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए बचाव से कम से कम 24 महीने तक मुक्त बंधुआ मजदूर के साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए।	

C. यौन व्यापार हस्तक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (“SOP”) (कमेंटरी के बिना)

यौन व्यापार के विरुद्ध हस्तक्षेप के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (“SOP”) इस प्रकार हैं:-

यह मानक संचालन प्रक्रिया (“SOP”) तीन प्रतिभागों में विभाजित हैं:

(1) यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया;

(2) यौन व्यापार अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएँ; और

(3) यौन व्यापार से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएँ।

विस्तृत कमेंट्री और इन मानक संचालन प्रक्रिया (“SOPs”) से संबंधित अन्य संसाधनों के लिए कृपया अध्याय 3 देखें।

1. <u>यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया</u>

यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव में शामिल 10 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:-

चरण 1.1	यौन व्यापार पीड़ितों की पहचान
चरण 1.2	यौन व्यापार शिकायत की प्रस्तुति
चरण 1.3	यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-योजना की तैयारी
चरण 1.4	पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक का आयोजन
चरण 1.5	यौन व्यापार बचाव-कार्य की शुरुआत
चरण 1.6	यौन व्यापार बचाव-स्थल को सुरक्षित करना
चरण 1.7	आरोपियों को यौन व्यापार पीड़ितों से अलग करना
चरण 1.8	यौन व्यापार अपराध से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण
चरण 1.9	यौन व्यापार पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग
चरण 1.10	मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों का संरक्षण सुनिश्चित करना

चरण 1.1 यौन व्यापार पीड़ितों की पहचान	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार की मौजूदगी के समर्थन में तथ्यों को सत्यापित और इकठ्ठा करना चाहिए।	अधिवक्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि क्या जिन तथ्यों को इकट्ठा किया गया है वो अनैतिक व्यापार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अन्य सुसंगत कानूनों से सम्बंधित तत्वों का समर्थन करते हैं या नहीं।
चरण 1.2 यौन व्यापार शिकायत की प्रस्तुति	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एकत्र तथ्यों का उपयोग करके यौन व्यापार अपराध की शिकायत पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी को करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यौन व्यापार अपराध की शिकायत की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना करना चाहिए की यह यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक प्रेरक कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रही है या नहीं एवं अधिवक्ता को पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करने में एनजीओ की सहायता भी करनी चाहिए।
चरण 1.3 यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-योजना की तैयारी	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके एक व्यापक यौन व्यापार बचाव योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें बचाव-स्थल का विस्तृत नक़्शा शामिल होना चाहिए।	अधिवक्ता को बचाव योजना तैयार करने में गैर सरकारी संगठन को सहायता और सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना है कि डेकोय-ग्राहक और आईटीपीए के तहत पंच-गवाह आवश्यक संख्या में उपलब्ध और उपस्थिति हैं।
चरण 1.4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक का आयोजन	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
एनजीओ को एक बचाव-पूर्व बैठक का	अधिवक्ता को बचाव-पूर्व बैठक के दौरान

संचालन करना चाहिए जहाँ बचाव योजना में भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार टीम के सदस्यों को आवंटित करना चाहिए।	गैर सरकारी संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों को कानूनी प्रावधानों और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करना चाहिए।
चरण 1.5 यौन व्यापार बचाव-कार्य की शुरुआत	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों की मुक्ति के लिए बचाव-कार्य अन्य हितधारकों के साथ मिलकर आरंभ करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-कार्य में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून के अनुसार किया जा रहा है।
चरण 1.6 यौन व्यापार बचाव-स्थल को सुरक्षित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए की बचाव-स्थल और पीड़ित सुरक्षित हैं।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और पुलिस को (यदि आवश्यक हो) बचाव-स्थल को सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए।
चरण 1.7 आरोपियों को यौन व्यापार पीड़ितों से अलग करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अपराधियों से यौन व्यापार पीड़ितों को अलग करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिस्चित करनी चाहिए।	अधिवक्ता को एक निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों से यौन व्यापार पीड़ितों को अलग के लिए पुलिस को सलाह देनी चाहिए।
चरण 1.8 यौन व्यापार अपराध से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस यौन व्यापार के अस्तित्व से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य इकट्ठा करे।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार के विषय में सबूतों को कानूनी रूप में संग्रह करने की सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्य को जब्त

	करे।
चरण 1.9 यौन व्यापार पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को उनके बयान की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से पहले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
चरण 1.10 मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों का संरक्षण सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को मुक्त व्यक्तियों के साथ मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी के लिए जाना चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस को सलाह देनी चाहिए।

2. <u>यौन व्यापार अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएं:-</u>

यौन व्यापार के अपराधियों के अभियोग के लिए 16 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 2.1 यौन व्यापार अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला
चरण 2.2 पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी
चरण 2.3 अभियुक्त यौन व्यापार अपराधियों की गिरफ्तारी
चरण 2.4 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला
चरण 2.5 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध
चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना
चरण 2.7 अपराधियों को निकालना और वैश्यालय को बंद/सील करवाना
चरण 2.8 यौन व्यापार पीड़ित की तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन
चरण 2.9 यौन व्यापार मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला
चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना
चरण 2.11 यौन व्यापार के आरोपों का निर्धारण
चरण 2.12 यौन व्यापार मुक़दमे की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना
चरण 2.13 यौन व्यापार मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना
चरण 2.14 यौन व्यापार का अपराध साबित करने के लिए निर्णायक-बहस करना
चरण 2.15 यौन व्यापार मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति
चरण 2.16 यौन व्यापर मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील आदि की फाइलिंग

चरण 2.1 यौन व्यापार अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार अपराध की एफ.आई.आर. उस पुलिस स्टेशन में दाखिल करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में यौन व्यापार की घटना घटी है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफ.आई.आर. सूचीबद्ध सभी प्रासंगिक अपराधों जैसे आई.टी.पी.ए., आई.पी.सी. और किसी भी अन्य कानून के तहत दायर की गयी है।
चरण 2.2 पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता

गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बचाए गये वयस्कों को मजिस्ट्रेट के समक्ष जबकि बचाय गये नाबालिगों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाए।	अधिवक्ता को अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए की संयौन होने पर पीड़ितों को नाबालिग मानना चाहिए।
चरण 2.3 अभियुक्त यौन व्यापार अपराधियों की गिरफ्तारी	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को तुरंत पुलिस की मदद उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में करनी चाहिए जिन पर यौन व्यापार अपराधों का आरोप है।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. के संगत प्रावधानों के तहत आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
चरण 2.4 अभियोजन-पक्ष की सहयता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए यौन व्यापार पीड़ित अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करें और अधिवक्ता से मुलाकात के समय महिला सलाहकार या महिला कानूनी संरक्षक पीड़ित के साथ मौजूद हों।	अधिवक्ता को यौन व्यापार के पीड़ित की सहमति प्राप्त कर उनके कानूनी वकील के रूप में एक वकालतनामा दाखिल करना चाहिए और अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए दफ़ा 301(2) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत एक आवेदन दायर करनी चाहिए।
चरण 2.5 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता को आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को तुरंत और सक्रिय होकर	अधिवक्ता को अपराधियों की ज़मानत से सम्बंधित सभी सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए एवं बहस/लिखित-आवेदन द्वारा अपराधियों की जमानत का विरोध करना

पहुचाना चाहिए।	चाहिए और जमानत मिलने की स्थिति में कड़ी से कड़ी शर्तें लगाने की अदालत से गुज़ारिश करनी चाहिए।
चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ितों के बयान दर्ज होते समय उनकी सहायता करनी चाहिए और पीड़ितों को बेहतर से बेहतर काउंसलिंग प्रदान कर सहयोग देना चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस को धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग में सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की पीड़ितों के बयान मॅजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत रेकॉर्ड किया गया है।
चरण 2.7 अपराधियों को निकालना और वैश्यालय को बंद/सील करवाना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता को वैश्यालय को बंद/सील या खाली करवाने की याचिका दायर करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मजिस्ट्रेट को वैश्यालय बंद/सील करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।
चरण 2.8 यौन व्यापार पीड़ित की तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को धारा 357 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए आवेदन करने में अधिवक्ता की सहयता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अदालत के समक्ष पीड़ितों की ओर से धारा 357 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए।
चरण 2.9 यौन व्यापार मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को आरोप पत्र दाखिले के सम्बन्ध में अधिवक्ता के साथ	अधिवक्ता को पुलिस और अभियोक्ता के साथ काम करके यह सुनिश्चित करना

निरंतर पड़ताल करते रहना चाहिए।	चाहिए कि आरोप निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा दायर की गयी है।
चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
	आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक़दमे की सुनवाई उचित अदालत के समक्ष हो रही है।
चरण 2.11 यौन व्यापार के आरोपों का निर्धारण	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की अदालत द्वारा अपराधियों पर आरोप तुरंत तय किए जाए।	अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप समय पर तय हो और सभी लागू अपराध आरोपों में शामिल हों।
चरण 2.12 यौन व्यापार मुक़दमे की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
एक बार ट्रायल शुरू होने पर, गैर सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि को सभी आवश्यक सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होना चाहिए।	अधिवक्ता को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहिए।
चरण 2.13 यौन व्यापार मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
परीक्षण शुरू होने पर गैर सरकारी संगठन को गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मुख्य परीक्षा और क्रॉस परीक्षा के लिए गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी करने में अभियोजन-पक्ष की

	सहायता करनी चाहिए।
चरण 2.14 यौन व्यापार का अपराध साबित करने के लिए निर्णायक-बहस करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को परीक्षण के अंत में निर्णायक बहस की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को लिखित/मौखिक निर्णायक बहस अभियोजन-पक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए (या सीधे अदालत में यदि अभियोजन-पक्ष सहयोग ना करे)। अधिवक्ता को अगर अदालत द्वारा अनुमति हो तो अंतिम मौखिक बहस भी करनी चाहिए।
चरण 2.15 यौन व्यापार मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अदालत से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां के लिए आवेदन पत्र बनाना चाहिए।
चरण 2.16 यौन व्यापर मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील आदि की फाइलिंग	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता को अपील की तैयारी करने में (यदि आवश्यक हो) सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रतिकूल निर्णय पर (यदि आवश्यक हो) अपील दायर करना चाहिए।

3. <u>यौन व्यापार से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएं:-</u>

यौन व्यापार से बचाए गए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना हेतु 9 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 3.1 चिकित्सा देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना
चरण 3.2 यौन व्यापार पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना
चरण 3.3 परामर्श सेवाओं सुविधा सुनिश्चित करना
चरण 3.4 घर सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति
चरण 3.5 यौन व्यापार पीड़ितों के लिए सभी मुआवजों को उपलब्ध करने में सहायता देना
चरण 3.6 यौन व्यापार पीड़ितों को वापिस उनके गृह-स्थान पहुचना अथवा पुनर्वास करना
चरण 3.7 यौन व्यापार पीड़ितों को बुनियादी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करना
चरण 3.8 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता
चरण 3.9 यौन व्यापार पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

चरण 3.1 चिकित्सा देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन व्यापार पीड़ितों को चिकित्सा-जाँच एवं आवश्यक चिकित्सा-देखभाल प्राप्त करवाई जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों को चिकित्सा-देखभाल प्रदान किया जाए जो की तत्काल और गोपनीय हो और विमुक्त यौन व्यापार पीड़ितों के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए दी जा रही हो।
चरण 3.2 यौन व्यापार पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर-सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त किए गये यौन व्यापार पीड़ितों को सुरक्षित रूप से एक आश्रय घर में रखा गया है।	अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों से पहले, पीडितों और गैर सरकारी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह और सहायता देनी चाहिए कि मुक्त किए गये यौन व्यापार पीड़ित सुरक्षित रूप से एक आश्रय घर को सौपें जा रहे हैं।

चरण 3.3 परामर्श सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को घाव भरने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य महिला सलाहकार यौन व्यापार के पीड़ितों को प्रदान करना चाहिए।	अधिवक्ता को परामर्श और अन्य उपलब्ध देख-रेख की सेवाओं के बारे में यौन व्यापार पीड़ितों और गैर सरकारी संगठन को सलाह देनी चाहिए।
चरण 3.4 घर सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को परिवार और यौन व्यापार के पीड़ितों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में विवरण की पुष्टि करने के बाद घर सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सीडब्ल्यूसी / मजिस्ट्रेट से घर सत्यापन रिपोर्ट के आदेश का अनुरोध करना चाहिए और सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति से पहले संरक्षण में रह रहे यौन व्यापर पीड़ितों को किसी भी व्यक्ति को सौपे जाने का विरोध करना चाहिए।
चरण 3.5 यौन व्यापार पीड़ितों के लिए सभी मुआवजों को उपलब्ध कराने में सहायता देना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संस्थानो को मुआवजा आवेदन पत्र दाखिल करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए और पीड़ितों के साथ हर उचित मंचों के समक्ष पेश होने के समय मौजूद रहना चाहिए।	अधिवक्ता को यौन व्यापर से मुक्त पीड़ितों की ओर से मुआवजे का आवेदन उचित मंच के सामने दायर करना चाहिए।
चरण 3.6 यौन व्यापार पीड़ितों को वापिस उनके गृह-स्थान पहुचना अथवा पुनर्वास करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार / पैतृक स्थान या वैकल्पिक सुरक्षित	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा पीड़ितों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार / पैतृक स्थान या

स्थान पर पहुचाने या फिर पुनर्वास में सहायता करनी चाहिए।	वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर पहुचाने या फिर पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु सलाह देनी चाहिए ।
चरण 3.7 यौन व्यापार पीड़ितों को बुनियादी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन को सरकारी सुविधाएं जिसमे CSS योजना 2016 के अंतर्गत वैश्यालय से छुड़ाई गयी महिलाओं को Rs. 3,00,000/- की धनराशी के अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श, और अन्य संबंधित पुनर्वास योजनाओं को यौन व्यापार के पीड़ितों तक पहुचाने में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को गैर-सरकारी संस्थानो और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की यदि बुनियादी सरकारी सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं तो उपयुक्त सरकारी मंच पर इसकी शिकायत दर्ज की जाये।
चरण 3.8 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार से मुक्त पीड़ितों की सहायता उनको निजी क्षेत्र (एनजीओ और व्यापर-क्षेत्र) के साधन और अन्य सुविधायों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, भूमि-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श आदि उपलब्ध कराकर करनी चाहिए।	
चरण 3.9 यौन व्यापार पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**

गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये यौन व्यापार के पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता और निरंतर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए बचाव से कम से कम 24 महीने तक मुक्त बंधुआ मजदूर के साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को समुदाय में रहने के अधिकारों के बारे में सलाह प्रदान करने के लिए सुलभ रहना चाहिए।

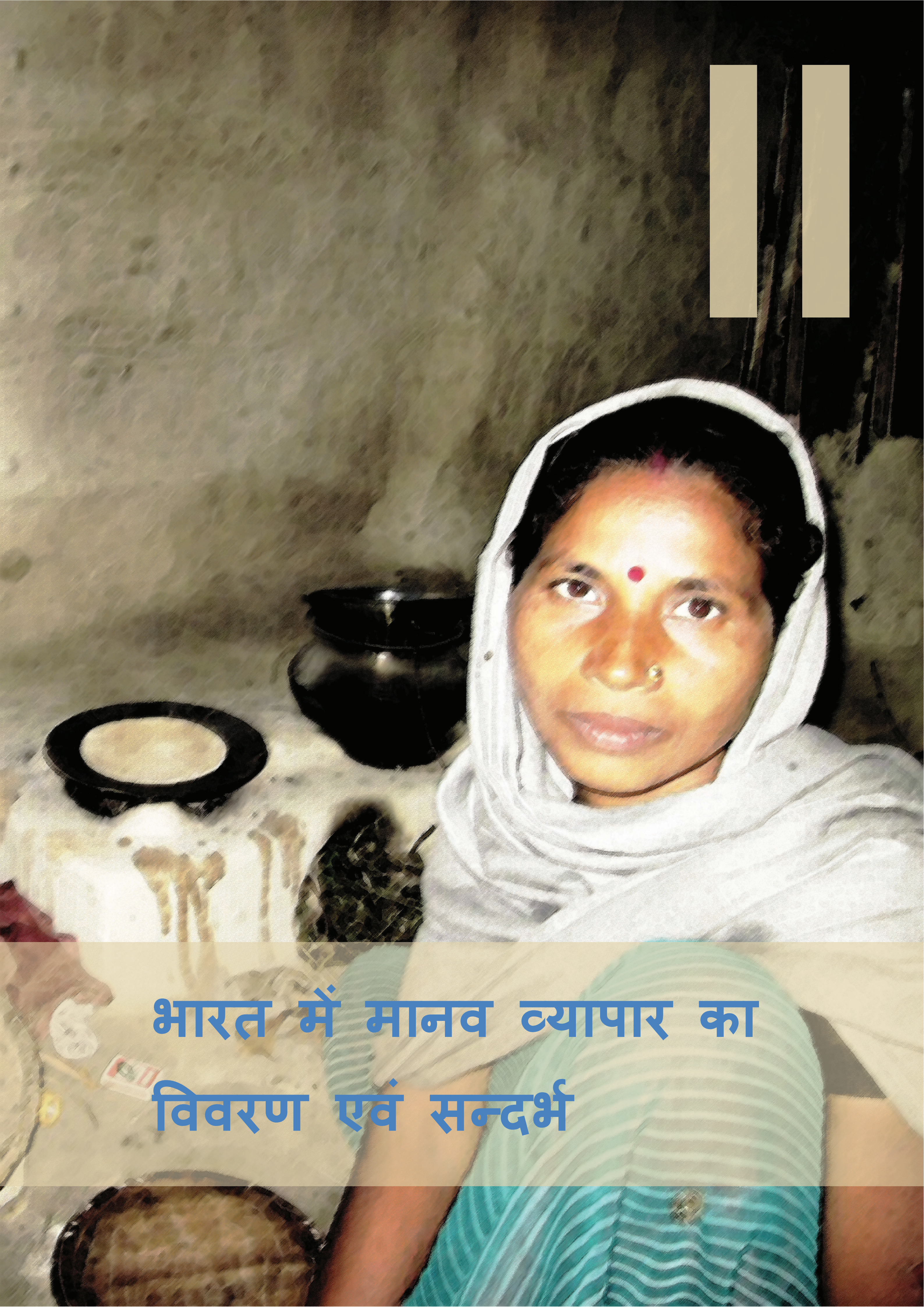

II

भारत में मानव व्यापार का विवरण एवं सन्दर्भ

A. वर्तमान में दासप्रथा की परिभाषा एवं इसके कारक

ऐतिहासिक दृष्टि से दासप्रथा को प्रायः कानूनी स्वीकृति दी जाती रही है। यद्यपि अब दासप्रथा एवं इसका व्यापार प्रतिबन्धित है तथा इसे वैश्विक स्तर पर गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, परन्तु यह अपने आधुनिक रूप में जारी है। वर्तमान में 4.58 करोड से अधिक लोग[5] 15 करोड डालर प्रतिवर्ष के इस उद्योग में फंसे हुए है। [6]

वर्तमान में में दासत्व के प्रकार:-

दासता उन्मूलन से पूर्व इसका अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की खरीद-फरोख्त योग्य वस्तु के रूप में अपने कब्जे में रखना था। जबकि वर्तमान में यह घरेलू नौकर[7], बंधुआ मजदूर अथवा कर्ज बंधुआ, बेगारी, जबरदस्तीकराया गया मजदूरी (भू-स्वामी के खेतो पर कार्य), बाल गुलामी, वैवाहिक एवं यौन गुलामी के रूप में देखी जा सकती है।[8]

मानव व्यापार को प्रायः वर्तमान में गुलामी के रूप में लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह विभाग की 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' (टी.आई.पी. रिपोर्ट, 2015) में व्यक्तियों का व्यापार, मानव व्यापार एवं आधुनिक दासता को इन शब्दो के रूप प्रयुक्त किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मजदूरी अथवा आर्थिक लाभ हेतु, यौन कार्यो हेतु, बल प्रयोग, घोखाधडी अथवा यातना देकर भर्ती करना, संलिप्त करना या अन्य स्थानों पर भेजना आदि निहित है।[9] इस प्रकार मानव व्यापार में केवल व्यक्तियों को अन्य जगहों पर भेजना ही नहीं अपितु उन्हें दासता की ओर धकेलना है।[10]

---

[5] **प्रसार, ग्लोबल गुलामी सूचकांक** *2016*. <http://www.globalslaveryindex.org/findings/>

[6] **पटिंग जस्टीस फर्स्ट: लीगल स्ट्रॅटजीस टू कॉबॅट ट्रॅफिकिंग**: <http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/ceedfd4f-0573-4caa-85ce-d5c222570078/file>

[7] **गुलामी के प्रकार, गुलामी अब समाप्त करें उपलब्ध:**: <http://endslaverynow.org/learn/slavery-today/forms-of-slavery>

[8] **मॉडर्न स्लेवरी, बी. बी. सी. एतिक्स**: <http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/modern_1.shtml>

[9] **वॉट इस ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स, मानव व्यापार रिपोर्ट** 2015, **पाई प.** 7: <http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf>

[10] **वॉट इस मॉडर्न स्लेवरीः कार्यालय व्यापार को और मुकाबला करने के लिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय, कार्रवाई में कूटनीति के लिए** <http://www.state.gov/j/tip/what/#>

मानव व्यापार की अंतराष्ट्रीय परिभाषा

वित्तीय सन्दर्भ में अंतराष्ट्रीय स्तर पर मानव व्यापार हथियार व्यापार तथा नशीलें पदार्थो की व्यापार के बाद तीसरा सबसे बडा संगठित अपराध है।[11] **व्यापक रूप से प्रचलित पलेर्मो प्रोटोकाल (व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं एवं नाबलिकों की व्यापार रोकने, दबाने एवं दण्डित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रोटोकाल) द्वारा व्यक्तियों की व्यापार की परिभाषा निम्न प्रकार है:-**

''शोषण के प्रयोजन से धमकाकर, बल प्रयोग अथवा अन्य तरीको से यातना के द्वारा अपहरण, धोखधडी, अधिकारों का दुरूप्रयोग कर अथवा किसी की लाचारी की स्थिति का लाभ उठाकर उस व्यक्ति की भर्ती, निर्वासन, हस्तान्तरण अथवा किसी व्यक्ति को प्राप्त कर उसके एवज में भुगतान अथवा अन्य लाभ ले देकर शोषण हेतु किसी अन्य के नियन्त्रण में सौंपना है। शोषण में न्यूनतम रूप से किसी से वेश्यावृति अथवा अन्य प्रकार से यौन शोषण, जबरदस्ती सेवाएं लेना, दास के रूप में कार्य लेना अथवा शारीरिक अंग निकालना सम्मिलित होगा।'' [12]

उक्त परिभाषा के अनुसार मानव व्यापार तीन तत्वों में विभाजित है:-

1) क्रिया (क्या किया):- भर्ती, स्थानान्तरण, दूसरे के हवाले करना, पनाह देना अथवा व्यक्ति को ग्रहण करना या;

2) तरीका (कैसे किया):- धमकाकर, बल प्रयोग कर अथवा अन्य प्रकार से विवश कर धोखे से, कपट से, अधिकारों का दुरूप्रयोग कर अथवा मजबूरी का फायदा उठाकर, उसके एवज में भुगतान लेकर अथवा देकर किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के हवाले करना या;

3) उद्देश्य (क्यो किया):- शोषण के उद्देश्य से वेश्यावृत्ति हेतु अथवा अन्य प्रकार से यौन शोषण, जबरदस्ती मजदूरी अथवा सेवा करवाना, गुलामी अथवा गुलाम की भांति उपयोग, दासता अथवा अंग निकालना सम्मिलित होगा।

---

[11] मल्होत्रा द.ट्रॅफिकिंग ऑफ विमन आंड चिल्ड्रेन: आ कल्चर ऑफ साइलेन्स, ईस्टर्न बुक कंपनी, 2005.

[12] अनुच्छेद 3 (क), प्रोटोकॉल अवैध व्यापार विशेष रूप से महिलाओं और नाबलिकों का को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए। <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx>

उक्त तीन तत्वों को चित्रात्मक रूप से नीचे दर्शाया गया है[13]:-

कार्य	साधन	उद्देश्य
• भर्ती	• धमकी अथवा बल प्रयोग	• शोषण जिसमे सम्मलित है:-
• स्थानान्तरण	• विवश करना	• यौन व्यापर
• दूसरे को सौपना	• अपहरण	• यौन शोषण
• व्यक्ति को ग्रहण करना	• धोखाधडी	• बेगारी
	• छल-कपट	• गुलामी अथवा गुलाम की भांति कार्य लेना
	• शक्ति का दुरूप्रयोग अथवा विवश करना	• अंग निकलना
		• अन्य प्रकार से शोषण

[13] एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रॅफिकिंग, वॉट इस ह्यूमन ट्रॅफिकिंग? <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menusid

मानव व्यापार

वैश्विक स्तर पर मान्य मानव व्यापार के प्रकार:-

ड्रग्स एवं क्राइम ग्लोबल ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट-2014 के संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के अनुसार बंधुआ मजदूरी एवं यौन शोषण मानव व्यापार के 2 सबसे सामान्य प्रकार हैं[14]। इण्टर पोल द्वारा मानव व्यापार के उक्त दोनों मुख्य रूपों को मानते हुए इसमें मानव टिश्यू, सेल तथा अंगों का व्यापार भी सम्मिलित किया गया है[15]।

मानव व्यापार में भिन्नता है जो इस पर निर्भर करता है कि कहां किस प्रकार मानव व्यापार व्याप्त है। मोटे तौर पर वैश्विक स्तर पर मुख्यतः निम्न प्रकार के मानव व्यापार के रूप पाये जाते है:-

यौन व्यापार/व्यावसायिक यौन शोषण:- जब कोई वयस्क को डराकर, छल कपट अथवा धोखाधडी से व्यावसायिक यौन कार्य जैसे वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती धकेला गया है।[16]

बाल यौनाचार/व्यावसायिक यौन शोषण:- जब कोई नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति) व्यावसायिक यौन कार्य के लिए विवश किया जाता है।[17]

जबर मजदूरी और बंधुआ मजदूरी:- जब मबदूर अथवा शोषित मजदूरी पीडित को मनोरजन उद्योग, घरेलू कार्य, कालीन उद्योग, आभूषण उद्योग, ऊंट सवारी/दौड़, ईट-भट्टा उद्योग, कृषि आदि कार्यो में जबरन लगाया जाता है।[18]

बंधुआ मजदूरी ऋणग्रस्तता का नतीजा है जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का शोषण होता है, इसकी शुरूआत ऋण लेते समय ऋण के बदले ऋणी द्वारा ऋणदाता को अपनी सेवाएं देने की सहमति के साथ होती है। भारत में कई बार ऊंची ब्याजदर पर थोडा सा ऋण लेने के बदले पीढियों द्वारा बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य किया जाता रहा है।[19]

---

[14] **ग्लोबल ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट** 2014, UNDOC.<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf>

[15] ***टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रॅफिकिंग, क्राइम एरीयाज़ – ट्रॅफिकिंग इन ह्यूमन बीयिंग्स, इंटररपोल***t: < http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Types-of-human-trafficking>

[16] **टी. आइ. पी. रिपोर्ट** 2014, **प** 29: <http://www.state.gov/documents/organization/226844.pdf>

[17] ibid

[18] **सूप्रा नोट** 6

[19] ***नो युवर राइट्स,* बॉडेड लेबर**, 2010, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, **पेज** 1: <http://nhrc.nic.in/Documents/Publications/KYR%20Bonded%20Labour%20English.pdf>

भिक्षावृत्ति:- मानव व्यापार गिरोहों द्वारा महिलाओं और नाबलिकों को अपहृत कर विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति में लगा दिया जाता है। अपंग नाबलिकों को अधिक भीख मिलने के कारण गिरोहों द्वारा नाबलिकों के अंग-भंग कर दिये जाते है ताकि उनकी भीख एकत्र करने की क्षमता बढ जायें[20]।

अंग प्रत्यारोपण:- तस्कर प्रायः अपने फायदे के लिए अंगो की व्यापार हेतु व्यक्तियों का उपयोग करते है। कुछ मामलों में पीडित की जानकारी के बिना अंग निकाल दिये जाते है जबकि कुछ मामलों में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंग निकालने हेतु राजी होते है[21]।

मानव व्यापार के कारक:- व्यापार कई कारणों से होती है जो प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होते है तथापि दो कारण विभिन्न क्षेत्रों, स्वरूपों और प्रकरणों में आमतौर पर पाये जाते है। [22]

- दबाव वाले कारक जो पीडित को आधुनिक गुलामी की ओर प्रवृत करते है: संभावित पीडित को गुलामी की स्थिति में धकेलने अथवा बेहतर जीवन की तलाश में अन्य क्षेत्र, राज्य अथवा देश के लिए पलायन के कारण है:
    - गरीबी
    - उत्पीडन
    - मानव अधिकारों का उल्लंधन
    - सामाजिक-आर्थिक अवसरों का अभाव
    - संघर्ष एवं अस्थिरता का खतरा
    - धार्मिक या जातीय उत्पीडन अथवा भेदभाव
    - प्राकृतिक आपदाएं

उक्त कारक संभावित पीडितों को गुलामी की स्थिति में धकेलने अथवा जोखिम भरी स्थिति में पलायन करने अथवा तस्करों के हाथों पहुंचने के लिए प्रेरित करते है। अस्थिर परिस्थितियों के कारण आबादी का विस्थापन होने से भी इनका शोषण एवं दुरूप्रयोग की

---

[20] सूप्रा नोट 6 अट प. 10

[21] सूप्रा नोट 6 अट प. 10

[22] टूल 9.2 – अड्रेसिंग दी रूट कॉज़्स ऑफ ट्रॅफिकिंग, टूलकिट टू कॉबॅट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स अट प. 454: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_9-2.pdf>

संवेदनशीलता बढती है। ऐसी स्थिति में खास तौर पर बेसहारा और नाबलिकों को निशाना बनाया जाता है।

लोगो को पलायन हेतु आकर्षित करने वाले कारक लोगो के समूह ऐसे स्थानों पर जाने हेतु प्रेरित होते है जहां बेहतर स्थितियां हो किन्तु इस प्रक्रिया में तस्करों की चपेट में आने का अधिक जोखिम रहता है।

प्रायः बिचौलिये ऐसे प्रवासियों एवं संभावित नियोक्ता के मध्य सेतु का काम करते है। अज्ञानता के कारण रोजगार पाने हेतु मजदूरों की बिचौलिये अथवा दलालों पर निर्भरता बढ जाती है। जिससे मानव व्यापार की ओर धकेले जाने की संभावना रहती है। ऐसे नियोक्ता द्वारा झूठे वादे अथवा सीधे अवैध व्यापार में धकेलने की संभावना बढ जाती है। [23]

टी.आई.पी. रिपोर्ट 2015 दर्शाती है कि किसी व्यक्ति की अवैध व्यापार के प्रति संवदेनशीलता निम्न में प्रत्येक के कारण बढ जाती है: [24]

- ऋण हेराफेरी: व्यक्ति जब रोजगार मिलने पर ऋण चुकता करने के भरोसे भारी कर्ज लेता है तो वह मानव व्यापार की चपेट में आने के लिए संवेदनशील होता है। जब वह रोजगार प्रारम्भ करता है तो बढी ब्याज दरे, किशत भुगतान की न्यूनतम शर्ते तथा रोजगार की शर्तों के कारण किशत समय पर चुकाना असम्मव हो जाता है।
- अनुबंध धोखाधड़ी या अदला-बदली: रोजगार की शर्तो में मनमाने ढंग से बदलाव अथवा रोजगार शर्तो का अनुपालन ठीक प्रकार से न होने के कारण कामगार जबरन मजदूरी के लिये बाध्य हो जाते है।
- दस्तावेजो को जब्त करना तथा कानूनी प्रक्रिया का दुरूप्रयोगः तस्कर प्रायः कामगार के पहचान पत्रों को कब्जे में लेकर उसका शोषण एवं दुरूप्रयोग कर उसे उसी स्थान पर काम करने को बाध्य करते है।

---

[23]लेबर रेक्रूटमेंट इन ग्लोबल मार्केट्स, इंट्रोडक्षन अट प. 15, 2015 टी.आइ.पी. रिपोर्ट.: <http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf>
[24] Ibid पेज 15-16

4Ps तथा आधुनिक गुलामी से निपटने की रणनीति

मानव व्यापार के प्रति संयुक्त राष्ट्र संध द्वारा पलेर्मो प्रोटोकाल में चौमुखी प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

- **रोकथाम**
- **सुरक्षा**
- **अभियोजन**
- **साझेदारी**[25]

4P मानव व्यापार को रोकने का एक रणनीतिक खाका है। इस चतुर्मुखी रणनीति का प्रत्येक उपाय मांग और पूर्ति के प्रकरणों का समाधान प्रस्तुत करता है[26]:-

- **रोकथाम:-**
  - **मानव व्यापार की रोकथाम हेतु कानून अपनाना या सुधार करना।**
  - **राष्ट्रीय बाल संरक्षण व्यवस्था विकसित करना और रोक थाम उपायों को विकसित करने में नाबलिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।**
  - **मानव व्यापार से संबंधित नीतियों में सामजस्य स्थापित करना (पलायन, अपराधों की रोकथाम, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गैर भेदभाव, आर्थिक विकास, मानव अधिकार संरक्षण, बाल संरक्षण, लिंग समानता उनमे से हैं)**
  - **मानव व्यापार से संबंधित कमजोरियों के मूल कारणों के निवारण के उपाय खोजना अथवा सुदृढता प्रदान करना।**
  - **रोकथाम के कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का आवश्यकता आधारित प्रभाव मूल्यांकन कराना।**

---

[25] **4 "Ps"**: प्रिवेंसन, प्रोटेक्शन, **प्रॉसिक्यूशन**, **पार्ट्नरशिप्स**, **ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स**, यू.**स. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट** – **डिप्लोमसी इन** एक्शन : < http://www.state.gov/j/tip/4p/#>

[26] दी **फ्रेम्वर्क फॉर** एक्शन , UNDOC **इंटरनॅशनल फ्रेम्वर्क फॉर** एक्शन टू **इंप्लिमेंट** दी **ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल**, **युनाइटेड नेशन्स**, **न्यू यॉर्क** 2009, **फाउंड ओं** पेज. 10-13.:<https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf>

- सुरक्षा:-
  - पीडितों की पहचान प्रक्रिया स्थापित करना अथवा उसमें सुधार करना।
  - पीडितों की सुरक्षा एवं सहायता हेतु वैधानिक उपाय अपनाना अथवा उनमें सुधार करना।
  - अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन पीडितों की सुरक्षा एवं सहायता के उपाय विकसित करना।
  - यदि व्यापार पीडित की इच्छा हो तो उसकी वापस हेतु उपयुक्त जोखिम का आकलन कर उपाय अपनाना।
- अभियोजित करना:-
  - पलेर्मो प्रोटोकल से जोडते हुए विस्तृत राष्ट्रीय खाका बनाना, सुद्दढ करना एवं उसे लागू करना जिसमें निम्न बिन्दु सम्मिलित हो:-
  - मानव व्यापार को आपराधिक कृत्य के रूप में लिया जाय।
  - मानव व्यापार से संबंधित अन्य अपराधों जैसे कि भ्रष्ट्राचार, धन का अवैध अंतरण, न्याय में बाधा डालना तथा संगठित आपराधिक गिरोहों के साथ भागीदारी को अपराध घोषित करना।
  - व्यापार का माल जब्त करते हुए उसकी गम्भीरता के अनुसार उपयुक्त जुर्माना एवं प्रतिबन्ध लगाना।
  - अभियोजन के दौरान एवं उसके पश्चात् पीडितों एवं गवाह के सुरक्षा के अधिकार सहित पीडितों के अधिकार सुनिश्चित करना एवं न्याय प्रवर्तन, समाज कल्याण तथा सिविल सोसाइटी के मध्य प्रभावी तालमेल विकसित करना।
  - पीडितों के गवाही पर निर्भरता के बगैर स्वतः सक्रियता आधारित जांच तकनीक विकसित करना और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पीडित व्यक्तियों खासकर नाबलिकों को दुबारा शिकार बनने से बचाने के लिए न्यायिक प्राविधानों का क्रियान्वयन करना।
  - मानव व्यापार विरोधी राष्ट्रीय विधान को लागू करना।
  - विशिष्ट संस्थाओं यथा विशिष्ट पुलिस इकाइयां, न्यायिक ढांचे स्थापित करना।

- साझेदारी:-
  - राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग
  - मानव व्यापार संबंधी अन्य नीतियों के सामज्जस्य के साथ साक्ष्य आधारित नीतियां बनाना एवं क्रियान्वित करना।
  - विभिन्न हित धारको जैसे सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन, पीडित सहायता संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, बाल संरक्षण संस्थाएं, मजदूर संगठन, मजदूर एवं नियोक्ता संगठनों एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर एक बहुआयामी व्यवस्था स्थापित करना।
  - राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्य योजनाओं की प्रगति एवं प्रभाव आकलन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
  - अन्तराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग
  - अन्तराष्ट्रीय समझौतो को बढावा देने के साथ अन्तराष्ट्रीय सहयोग हेतु कानूनी आधार सृजित करना।
  - प्रत्यार्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता, सजायाफ्ता व्यक्तियों का हस्तान्तरण, संयुक्त जांच, एवं व्यापार से प्राप्त आमद की जब्ती हेतु अन्तराष्ट्रीय सहयोग हेतु राष्ट्रीय क्षमता विकसित एवं सुद्दढ करना।
  - मानव व्यापार पीडितों की पहचान, वापसी, जोखिम आकलन और पुनर्स्थापन, खासकर नाबलिकों के हितों को सर्वोच्च ध्यान में रखना और गन्तव्य, पारगमन और मूल देशों के मध्य सहयोग हेतु राष्ट्रीय क्षमता विकसित एवं सुद्दढ करना।
  - संचार प्रक्रिया, सूचना और आंकडों का आदान-प्रदान व्यवस्था स्थापित करना।
  - अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त नीतिगत सिफारिशों एवं तकनीकी सहायता में सामजस्य स्थापित करना।
  - लागत प्रभावी मजदूरी विभाजन सुनिश्चित करना।
  - समान रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु अन्तराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के बीच संयुक्त कार्यक्रम एवं सहयोग विकसित करना।

4 P रणनीति को मानव व्यापार से निपटने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

भारत में वर्तमान समय में दासता

वैश्विक दासता संकेतक 2016 द्वारा भारत में 1.80 करोड मानव व्यापार पीडित होने का अनुमान लगाया गया है जो कुल आबादी का लगभग 1.14 प्रतिशत है। [27] **भारत मानव व्यापार का स्रोत, गन्तव्य एवं पारगमन देश है जिसमें 90 प्रतिशत आन्तरिक है।** [28] **टी.आई.पी. रिपोर्ट के अनुसार भारत में मानव व्यापार के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है:-**

- **जबरन मजदूरी - इसमें कर्ज दासता सम्मिलित है जिसके कारण पुरूष, महिलाओं एवं नाबलिकों को ईट भट्टों, चावल मिल, कृषि एवं कशीदाकारी जैसे उद्योगों में कार्य करने हेतु बाध्य किया जाता है। निर्माण, इस्पात, कपडा, जमीन के अन्दर बिछाये जाने वाले केबल हेतु तार निर्माण, बिस्कुट कारखानों, भण्डारण, पुष्प व्यवसाय, मत्स्य फार्म, नाव निर्माण आदि उद्योगों में वृद्धि होने से जबरिया मजदूरों की मांग बढी है। नाबलिकों को प्रायः कृषि मजदूरी, कारखाना श्रमिक, भीख मांगने और घरेलू नौकर बनने हेतु बाध्य किया जाता है।**

- **यौन व्यापार/व्यावसायिक यौन शोषण - यह अनुमान किया गया है कि व्यावसायिक यौन कार्यो हेतु लाखों महिलाओं और नाबलिकों को शोषण किया जाता है। धार्मिक तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों तथा अन्य कई जगहों पर नाबलिकों का यौन शोषण किया जाता है।**

भारत में बंधुआ मजदूरी के दो कारक है अनुबंध एवं जबरन परिस्थितियां[29]:-

मानव व्यापारी पीड़ित व्यक्ति को कई प्रकार से ठगते है। पीड़ित व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी हेतु मजबूर करने के लिए सामाजिक बहिष्कार (जाति, धर्म अथवा नस्ल के आधार पर) अशिक्षा, सूचनाओं तक पहुंच न होना, नियोक्ता का स्थानीय बाजार पर एकाधिकार तथा समाज में प्रतिष्ठितों का वर्चस्व के द्वारा फंसाया जाता है। यह कारक मानव व्यापारी को कर्जदाता एवं ऋणी के मुलभुत आर्थिक लेनदेन को सामाजिक नियंत्रण एवं पराधीनता में बदलने में मदद करता है।[30]

सौदेबाज, धमकियों, गालियों और अच्छे भविष्य के झूठे आवश्वासनों द्वारा पीडितों को व्यावसायिक यौन शोषण हेतु बाध्य करते है। तस्कर पीडितों की भर्ती हेतु अपनाये जाने वाले

---

[27] **वैश्विक गुलामी सूचकांक** 2016, **भारत**: <http://www.globalslaveryindex.org/country/india/>

[28] ibid

[29] **बंधुआ मजदूर, इंफ्रा के बारे में चर्चा देखें।**

[30] **प्रेमचंदर, स.; प्रमीला., व; चिदंबरनाथन, म., प्रेवेन्षन आंड एलिमिनेशन ऑफ बॉडेड लेबर: थे पोटेन्षियल आंड लिमिट्स ऑफ मिकरोफ़िनँसे-लेड अप्रोचस; आइलो**, 2014.<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_334875.pdf>

तरीकों में छल-कपट एवं झूठे वादे (विवाह, अच्छी नौकरी, अच्छे भविष्य के) सामान देकर ललचाना (जिसमें अवैध व्यापारी अपनी सम्पन्नता दर्शाता है तथा पीडित के परिवार वर्ग किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देता है) बलपूर्वक अथवा यातना देकर, धमकी, गाली या झूठे आश्वासन देना (लक्षित पीडित को यह जानकर कि उसके द्वारा दिये गये वैकल्पिक कार्य, सेवा अथवा रोजगार के अलावा पीडित के पास भविष्य के लिए कोई अन्य चारा नहीं है) तथा कर्ज बंधुआ बनाना (पीडित को अग्रिम ऋण देकर ऋणी को जाल में फंसाया जाता है तथा ऋण भुगतान किये जाने पर उसे और उसके परिवार को बंधुआ मजदूरी की ओर धकेल दिया जाता है) शामिल है। [31]सम्भावित पीड़ित विशेषकर महिलाओं को फंसाने का आम तरीका है यह है कि उन्हे प्रेमजाल में फंसाकर, उनका विश्वास जीतकर इस सम्बन्ध का फायदा उठाते हुए धोखे से उन्हें यौन शोषण के कार्य में धकेल दिया जाता है। [32]

---

[31] **सूप्रा नोट** 6 **अट प्प** 18 – 20

[32] **ग्लोबल रिपोर्ट ओं ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स ग्लोबल रिपोर्ट ओं ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स**, **उनोदक**, 2014: *<http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf>*

B. पूर्वाग्रहों का स्पष्टीकरण

अनेकों तकनीकी शब्दावली प्रयुक्त होने के कारण मानव व्यापार को समझने के लिए कुछ पूर्वाग्रहों को स्पष्ट करना/फर्क समझना आवश्यक है।

अवैध यौन व्यापर और यौन सम्बंधित कार्य

जो महिलाए अवैध यौन व्यापर तथा जो स्वेच्छा से यह कार्य करती है उनमें अन्तर किया जाना चाहिए।

अवैध यौन व्यापर

टी.आई.पी. रिपोर्ट-2015 [33] के अनुसार यौन व्यापार पीडित की निम्न विशेषताएं है।

- **ऐसा वयस्क जो कर्ज बंधुआ होने के कारण व्यावसायिक रूप से सेक्स कार्य जैसे वेश्यावृत्ति में आया हो (जहां किसी व्यक्ति को ऋण भुगतान - जो उसे लाने-लेजाने, नियुक्त करने उसकी अभद्र बिक्री करने आदि पर हुये व्यय की वापसी के पश्चात् शोषक द्वारा मुक्त करने की बात की जाती है)**
- **बल प्रयोग, बल प्रयोग की धमकी, धोखाधडी, जबरदस्ती अथवा इनका संयुक्त प्रयोग किया हो और**
- **जिसे भर्ती करने, लाने-लेजाने, फुसलाने वाले व्यक्ति जिसे तस्कर नाम से जाना जाता है द्वारा पीडित को व्यावसायिक यौन कार्यो में प्रवृत किया गया हो।**
- **उपरोक्त परिस्थितियों में संबंधित व्यक्ति द्वारा वैश्यावृति हेतु दी गई सहमति मान्य नहीं होती है।**

इसी प्रकार जब किसी नाबालिकको व्यावसायिक सेक्स कार्य में लाया जाता है तो उसे बाल सेक्स व्यापार के रूप में जाना जाता है।

यौन सम्बंधित कार्य

धन अथवा सामग्री रूप में आय हेतु यौन सेवाओं की व्यवस्था करना यौन सम्बंधित कार्य कहलाता हैं।[34] यौन के अवैध व्यापार यौन सम्बंधित कार्य में परिणत होता है किन्तु यौन

---

[33] दी **फेस ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, वॉट इस ट्रॅफिकिंग इन पर्सन्स**, 2015 **टिप रिपोर्ट, फाउंड ओं प.** 7. <http://www.state.gov/documents/organization/243557.pdf>

[34] **ओवर्स सी.**, 2002, **सेक्स वर्कर्स: पार्ट ऑफ** दी **सल्यूशन – आन अनॅलिसिस ऑफ एचाइवी प्रेवेन्षन प्रोग्रामिंग तो प्रिवेंट एचाइवी ट्रॅन्समिशन ड्यूरिंग कमर्षियल सेक्स इन डेवेलपिंग कंट्रीज़.** <http://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/115solution.pdf>

सम्बंधित कार्य इसके अवैध व्यापार का ही परिणाम नहीं होता है ऐसे भी उदाहरण है जहां महिलाएं स्वेच्छा से यौन व्यापार में आई है। पलेर्मो प्रोटोकाल और राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत व्यावसायिक यौन शोषण कराने की अपराधी ही दण्डनीय है। इस प्रकार यौन सम्बंधित कार्य यौन सम्बंधित कार्य की ओर ले जाना दण्डनीय है जबकि यौन सम्बंधित कार्य समान रूप से दण्डनीय नहीं है।

<u>मानव व्यापार बनाम प्रवास</u> [35]

प्रवास का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान से अन्य स्थानों जो जनपद प्रदेश अथवा विभिन्न देश हो सकते है की आरे गमन करना है। यह मौसमी और अस्थायी अथवा स्थायी हो सकता है। प्रवासी अच्छे अवसरों की तलाश में स्वयं भी जा सकता है। इसके विपरीत जब मानव तस्कर अपने शिकार को ले जाते है तो वे छल-कपट, धमकी, सताना, भय दिखाने अथवा हिंसा का उपयोग करते है। ऐसे में उन्हे ले जाने के इरादों एवं परिणाम ऐसे कार्मियों को भी ज्ञात नहीं हाते है जो उन्हे प्रवास पर भेजने में सहायता करते है। प्रायः यह गमन के परिणाम से ही तय हो पाता है कि यह सुरक्षित प्रवास था अथवा मानव व्यापार किया गया। स्वैच्छिक प्रवास को अवैध गमन के रूप में समझने का भ्रम नहीं होना चाहिए।

<u>बंधुआ मजदूर बनाम बाल मजदूर</u>

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम-1976 ('बी.एल.ए.') के अनुसार बंधुआ मजदूरी जबरन मजदूरी का एक प्रकार है जिसमें पीडित से अग्रिम दिये गये धन, अन्य आर्थिक संबंधों अथवा 'रीति रिवाज' अथवा 'सामाजिक अनुग्रह' के बदले में काम कराया जाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के नाबलिकों से बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986 में उल्लिखित कार्य करवाना मना है। बाल मजदूरी विभिन्न रूपों में कराया जाता है और प्रत्येक बाल बंधुओ मजदूरी बाल मजदूरी की परिधि में आता है। जबकि प्रत्येक प्रकार की बाल मजदूरी बंधुआ मजदूरी नहीं होती है। नाबलिकों में बंधुआ मजदूरी हो सकती है किन्तु यह बाल मजदूरी का एक मात्र प्रकार नहीं है।

<u>स्वीकृति का अभिप्राय</u>

जहां तक तस्कर का इरादा शोषण के प्रयोजन से व्यक्तियों को प्राप्त, दुसरे स्थान भेजकर या क्रय-विक्रय किया जाता है वहां पीडित की "स्वीकृति" यौन व्यापार के अपराध हेतु रक्षा का आधार नहीं हो सकती हे। यौन व्यापार में ताकत का खुल्लमखुल्ला प्रयोग करने के अलावा अन्य प्रकार से भी बल प्रयोग हो सकता है। तस्करों द्वारा पीडितों का समर्पण करने

---

[35] दी डिफरेन्स बिट्वीन ट्रॅफिकिंग आंड माइग्रेशन, ट्रॅफिकिंग आंड थे लॉ, 2न्ड एड., सोसियो लीगल इन्फर्मेशन सेंटर, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, प.7.

हेतु झूठे वादे, कर्ज का बंधन, शारीरिक एवं मानसिक दुराचार, बलात्कार, यातना देना, गिरफ्तारी की धमकी अथवा पीडित के परिवार को धमकी सहित कई तरीके अपनाये जाते है।

खासकर दुष्कर्म पीडितों को "इज्जत" का ख्याल उन्हें मदद लेने, अपनी वर्तमान स्थिति को छोडने अथवा अवसर मिलने के बावजूद भाग जाने से रोकता है। धन्धे में फंसा व्यक्ति लोगों के तिरस्कार, समाज तथा स्वयं के परिवार द्वारा सभावित उत्पीडन का भय उन्हे अपनी स्थिति से निकल भागने से रोकता है। अवसर उन्हे हमेशा आर्थिक मजबूरियों तथा जीवन यापन का अन्य साधन सुलभ न होने के कारण वर्तमान स्थिति से निकल भागना सार्थक विकल्प नहीं लगता है। [36]

---

[36] सुप्रा नोट 6

C. आंकड़े

विश्व स्तर पर गुलामी स्थिति के संकेतक[37]

दुनिया भर में 4.58 करोड व्यक्ति आधुनिक गुलामी में जकडे हुए हैं **आधुनिक गुलामी पीडित कुल व्यक्तियों का 58 प्रतिशत पांच देशों में रहते है।** **भारत, चीन, पाकिस्तान, बाग्लादेश, उज्बेकिस्तान** **गुलामी प्रभावित कुल संख्या की दृष्टि से भारत 1.8 करोड प्रभावित व्यक्तियों के साथ शीर्ष स्थान पर है।**

विश्व मजदूरी संगठन (I.L.O) [38] के कतिपय आंकडों एवं तथ्य निम्नवत् दिये जा रहे है:

- **2.1 करोड चिन्हित जबरन मजदूरी पीडित व्यक्तियों [39] में आई.एल.ओ. ने पाया है कि इनमें 1.14 करोड महिलाएं तथा बालिकाएं तथा 95 लाख पुरूष और बालक है।**

---

[37] वैश्विक गुलामी सूचकांक 2016: http://www.globalslaveryindex.org/findings/

[38] *Facts and Figures - Forced Labour, Human Trafficking and Slavery*, I.L.O. Available at: <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>

[39] आईएलओ मजबूर मज़दूरी को संदर्भित करता है "स्थिति जिस में व्यक्तियों को हिंसा या धमकी के उपयोग के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया गया है या सूक्ष्म रूप जैसे ऋण जमा, पहचान पत्र या आव्रजन अधिकारियों के लिए

- 1.87 करोड (90 प्रतिशत) जबरन मजदूरी पीडितों का शोषण निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों अथवा उपक्रमों द्वारा किया जाता है। इनमें से 45 लाख जबरिया यौन शोषण पीडित तथा 1.42 करोड (68 प्रतिशत) आर्थिक कार्यकलापों यथा कृषि, निर्माण कार्य, घरेलू काम या विनिर्माण जैसे आर्थिक कार्यकलापों में जबरिया मजदूरी पीडित है। इसे नीचे दर्शाया गया है :

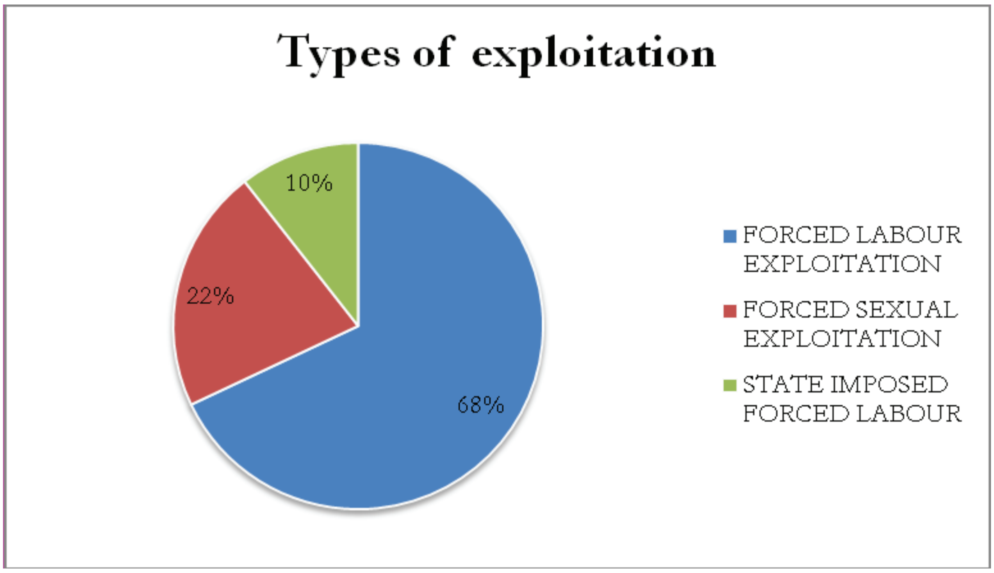

- 55 लाख अर्थात् 26 प्रतिशत पीडित 18वर्ष से कम आयु के है। वयस्कों के सापेक्ष नाबलिकों के अनुपात का वितरण नीचे दर्शाया गया है। निजी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में जबरिया श्रमिकों द्वारा प्रतिवर्ष 15000 करोड डालर का गैर कानूनी लाभ सृजित किया जाता है।

निम्न चित्र जबरन मजदूरी जाल में फंसे पीडितों का क्षेत्रवार वितरण दर्शाते है।[40]

निंदा की धमकियों की अवधारण के रूप मजबूर किया जाता है।"<http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm>

[40] बेगार और व्यापार पर आंकड़े और संकेतक, आईएलओ : <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/statistics/lang--en/index.htm>

यह स्पष्ट है की भारत जबरन मजदूरी पीडितों की भारी संख्या (और प्रतिशत) देखते हुए दुनिया भर में जबरन मजदूरी के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2002 से 2012 की अवधि में 5 से 14 वर्ष आयुवर्ग के 11.8 प्रतिशत नाबालिकबाल मजदूरी कार्यो में लगे हुए थे।[41]

मानव व्यापार की समस्या के विस्तार, खासकर भारत में को देखते हुए निम्न आंकडे दर्शाते है कि भारत में लागू कानूनों के प्रवर्तन की बडी गुंजाइश है। निम्नलिखित आंकडे (भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में संकलित) भारत में मानव व्यापार की व्यापकता की तुलना में अभियोजन एवं सजा की दर प्रदर्शित करते है। [42]

---

[41] स्टॅटिस्टिक्स -चाइल्ड प्रोटेक्षन, यूनिसेफ. उपलब्ध <http://www.unicef.org/infobycountry/india_statistics.html>

[42] केटलॉग ऑफ पर्सन्स अरेस्टेड आंड देयर डिस्पोज़ल बाइ पोलीस आंड कोर्ट अंडर ह्यूमन ट्रॅफिकिंग, उपलब्ध: <https://data.gov.in/catalog/persons-arrested-and-their-disposal-police-and-court-under-human-trafficking#web_catalog_tabs_block_10>

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ष में कुल गिरफ्तार व्यक्ति	अभियोजन विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या	निस्तारित व्यक्तियों की संख्या	दोषी पाये गये व्यक्ति	दोषमुक्त व्यक्ति
बिहार	337	1,333	103	30	73
उत्तर प्रदेश	268	1,191	158	122	36
योग (सम्पूर्ण भारत)	8869	5,3947	5,030	1,688	3,342

D. भारत में मानव-व्यापार

वैश्विक गुलामी सूचकांक आंकडों के अनुसार दुनिया में गुलामी ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है जिसके अनुसार भारत की कुल आबादी का 1.4 प्रतिशत अर्थात् 1,83,54,700 व्यक्ति आधुनिक प्रकार की गुलामी की गिरफ्त में जिनका उपयोग बंधुआ मजदूरी घरेलू नौकर, जबरदस्ती भीख मंगवाना, वाणिज्यिक यौन शोषण, जबरन विवाह और गैर कानूनी सशस्त्र गिरोहों में भर्ती हेतु किया जाता है।[43]

टी.आई.पी रिपोर्ट 2015 में भारत को मानव व्यापार मुख्यतः जबरन मजदूरी (शोषण का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप) एवं वाणिज्यिक यौन शोषण का स्रोत, राह एवं गन्तव्य देश प्रदर्शित किया गया है।

मजदूरी आधारित उद्योगों के विस्तार के कारण भारत के सुविधाहीन सामाजिक वर्ग की इन उद्योगों में बहुतायत है। दलित व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा वंचित वर्गो की महिलाएं एवं लडकियां इस प्रकार के शोषण हेतु सर्वाधिक संवेदनशील होते है।[44]

भारत में यह अनैतिक व्यापार मुख्यतः आन्तरिक है तथा मात्र 10 प्रतिशत मामलें अन्तराष्ट्रीय सीमा से बाहर के होते है। शोषण कार्यो में लगाया जाता है।

---

[43] **कंट्री ब्रीफ- इंडिया, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स**, 2016, **उपलब्ध:** <http://www.globalslaveryindex.org/country/india/>

[44] **कंट्री नरेटिव – इंडिया**, 2015 **टिप रिपोर्ट, फाउंड ओं प.** 184. **उपलब्ध**: <http://www.state.gov/documents/organization/243559.pdf>

E. भारत में बंधुआ मजदूरी

बंधुआ मजदूरी देश के अधिकांश भागों में अनियंत्रित तौर पर व्याप्त है। इसकी परिणति परिवारों के समाज से अलग होने, प्रतिदिन 15 से 18 घण्टे अमानवीय कार्य करने, शारीरिक दुरूप्रयोग एवं यौन शोषण के रूप में होती है। निरन्तर रूप से चलने वाली इस प्रक्रिया के मूल कारण गरीबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा सामाजिक विषमतांए है। बंधुआ मजदूरों में 90 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से होते है। [45]

बंधुओं मजदूर आमतौर पर ईट भट्टों, पत्थर खुदान, खनन, कृषि, निर्माण कार्य, लुग्दी बनाने, कालीन उद्योग, वस्त्र उद्योग, अगरबत्ती बनाना, घरेलू कार्य चारकोल बनाने तथा लकडी चीरने जैसे कार्यो में पाये जाते है।

F. भारत में यौन-व्यापार

यौन व्यापार भारत में एक बडी समस्या है। भारतीय संविधान में मानव दहे व्यापार प्रतिबन्धित है। भारत में इस व्यापार को अपराध घोषित करने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम -1956 (I.T.P.A.) पारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा मानव यौन व्यापार विशेषकर महिलाओं और नाबलिकों के वाणिज्यिक यौन शोषण के विरूद्ध लडाई हेतु प्रत्येक राज्य को विधायी शक्तियां एवं नीतियां प्रदान की गई है।

पलेर्मो प्रोटोकाल में दी गई मानव व्यापार अपराध की परिभाषा जो अन्तराष्ट्रीय रूप से मान्य है के अनुकूल जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट द्वारा दी गयी संस्तुतियां के क्रम में हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) में मानव व्यापार निरोधी प्रावधान लागू किये गये है।

यौन शोषण व्यापार को मजबूर करने वाले तत्व गरीबी संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के कारण महिलाओं और नाबलिकों की दयनीय स्थिति, लिंग भेद तथा वेश्यावृत्ति की मांग (आंतरिक एवं अन्य देशों से) है।

टी.आई.पी. रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में करोडों नाबलिकों एवं महिलाएं यौन व्यापार के शिकार है। यौन शोषण के लिए लाये गये पीडितों में महिलाओं एवं नाबलिकों की बडी संख्या नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश एवं एशिया तथा यूरेशिया से लाये गये स्त्री-पुरूषों की होती है। व्यापार हेतु महिलाओं और नाबलिकों को लाने का प्रमुख स्रोत क्षेत्र पश्चिमी

---

[45] भारत में अनुसूचियों जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच विशेष रूप से बंधुआ मजदूर की घटनाओं गंभीर बनी हुई है। अध्याय 4, जबरदस्ती श्रम, आईएलओ के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर रिपोर्ट देखें। उपलब्ध है:
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf>

बंगाल है। लाई गई महिलाओं और नाबलिकों के प्रमुख गंवत्यों में कलकत्ता, मुबंई, गुजरात तथा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र शामिल है। दलाल ब्याह कराने वालों के रूप मे झूठी शदियां करवाकर तथा छल-कपट एवं बलपूर्वक महिलाओं एवं लडकियों को यौन -व्यापार के ढकेल देते है। कानून-पालन करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा संदिग्ध दलालों एवं वैश्यालय-मालिकों के बचाव में आने के कारण बचाव कार्यो में रूकावट आती है। [46]

भारत में व्यावसायिक यौन व्यापार केवल वैश्यालयों पर ही नहीं होता है। कोठो के अलावा महिलाओं और नाबलिकों को यौन शोषण हेतु निजी ग्राहकों के घरों में भी भेजा जाता है। लडकियों को भी ठेके के आधार पर अंशकालिक कार्य के लिये भेजा जाता है। वैश्यालयों से बाहर व्यावसायिक यौन शोषण होटलों, अतिथि-गृहों, फार्महाउस तथा आवासों पर किया जाता है।[47]

एक पारंपरिक वैश्यालय का ढांचा इस प्रकार होता है (1) एक मालिक- जो वैश्यालय के आय-व्यय की देखरेख करता है, (2) घरवाली- जो वैश्यालय के दैनिक कार्यो का संचालन करती है, (3) लॉजर स्वौच्छिक वेश्याएं जो कोठे पर ग्राहकों के लिए कमरा किराये पर देती है, (4) अधिया- जिनके पास ग्राहक को स्वीकार करने अथवा न करने का अधिकार होता है और अपनी आमदनी का आधा हिस्सा मालिक के साथ बांटती है और (5) नया फंसाया गया शिकार- सबसे निचले पायदान पर होता है और ग्राहको की सेवा के लिए जबरन बाध्य किया जाता है।

G. बिहार में मानव-व्यापार

बिहार में मानव व्यापार की व्यापकता चिंताजनक है। सरकारी सूत्रों के अनुसार बिहार में प्रतिमाह 4000 नाबलिकों की सौदेबाजी होती है। (31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार) [48]

उन्हे जोखिम भरे कारखानों, होटलों और घरेलू नौकरों के रूप में जबरन कार्य करने हेतु दिल्ली, बंगलुरू, मुंबई आदि शहरों में भेज दिया जाता है। बिहार यौन शोषण हेतु नेपाल एवं बंगलादेश से लाई गई महिलाओं और नाबलिकों के लिए रास्ते एवं गन्तव्य केन्द्र के रूप में कार्य करता है। [49]

---

[46] इंफ्रा, सी नोट 51

[47] ट्रॅफिकिंग इन विमन आंड चिल्ड्रेन इन इंडिया; सेन स., नायर, प.म; 2005 न्यू देल्ही

[48] आलोक पांडेय, बिहार में नाबलिकों की व्यापार: विलेजस डेस्पेर ओवर लॉस्ट इनकम। उपलब्ध है: <http://www.ndtv.com/india-news/bihars-sold-children-villages-despair-over-rescue-735884

[49] इंफ्रा टिप्पणी 59

बिहार में व्याप्त गरीबी परिवारों को बंधुआ मजदूर के रूप में शोषण हेतु अथवा अपने नाबलिकों को जबरन श्रमिक के रूप में कार्य के लिए बेचने हेतु मजबूर करती है। [50] अन्य कारको में नाबलिकों में परिवार की सहायता हेतु स्कूल छोडने के कारण शिक्षा एवं साक्षरता की कमी है। इन कमजोरियों को जाति-व्यवस्था, असुरक्षित प्रवास, लडकियों के प्रति भेदभाव, उदासीनता, सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत एवं बाढ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और भी भडका देती है।

A - बंधुआ मजदूर

बिहार में प्रचलित एक अन्य प्रथा जो नेपाल में भी पाई जाती है वह बंधुआ मजदूरी की 'कमैया' प्रथा है। ऋण के रूप में ली गई तुच्छ धनराशि के बदले में ऋणी भूस्वामी की जमीन पर अद्धगुलाम की तरह काम करने एवं रहने हेतु राजी हो जाता है। ब्याज की अत्याधिक दर होने से उसका पूरा परिवार वर्षो और कभी-कभी पीडियों तक गुलाम बनने हेतु बाध्य कर दिया जाता है।[51]

बाढ और सूखे की स्थिति में खेती की पैदावार प्रभावित हो जाती है जिससे बिहार के अन्दर आजीविका के अवसर कम होने से आपात पलायन होने लगता है। जीविका हेतु पलायन करना बिहार में प्रचलित है जिससे गुलामी के चंगुल में फंसने की संभावना बढती है। पुनः बंगलादेश और नेपाल के साथ अन्तराष्ट्रीय व्यापार सुविधा प्राप्त हो जाती है।[52]

बिहारी नाबलिकों एवं बिहार में रहने वाले नाबलिकों का जबरन मजदूरी, जबरन विवाह, भिक्षावृत्ति एवं सरकार से इतर सशस्त्र गिरोहों में भर्ती हेतु शोषण किया जाता है। विभिन्न बचाव अभियानों से खुलासा हुआ है कि बिहारी नाबलिकों को विभिन्न उद्योगों जिनमें जैकेट निर्माण चूडी बनाना, सूती वस्त्रोद्योग खाद्य वस्तु विनिर्माण, अपशिष्ट पुर्नचक्रण सम्मिलित है, में बेगारी हेतु किया जाता है।[53]

पीडित व्यक्ति इन रूपों में भी गुलामी में हो सकता है घरेलू नौकर, निर्यात उद्योग (सिल्क एवं सिल्क साडियां बीडी-सिगरेट, चांदी के आभूषण, कृत्रम एवं मूल्यवान हीरे जवाहरात, जूता एवं खेल सामग्री तथा हस्त निर्मित ऊनी कालीन) तथा सेवाओं जैसे छोटे रेस्टोरेन्ट, ट्रको के

---

[50] दास.एम मित्रा और मिश्रा। एस कुमार, स्टोलन चाइल्डहुड: आ स्टडी ऑफ चाइल्ड लेबर इन थे स्टोलन रीजन ऑफ बिहार, सवे थे चिल्ड्रेन. उपलब्ध है: <http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5464.pdf>

[51] नेपाल में बंधुआ श्रम की कमाया प्रणाली। उपलब्ध है: <http://www.omct.org/files/interdisciplinary-study/ii_b_3_nepal_case_study.pdf> राज्य

[52] अध्ययन 2 - बिहार में समस्या वर्णन और राज्य सरकार की प्रतिक्रियाएं, ग्लोबल गुलामी सूचकांक 2016, वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ 116

[53] ibid

रूकने के स्थान, चाय की दुकान नाबालिकजबरन मजदूर के रूप में वेश्यावृत्ति, भीख मांगने, नशीले पदार्थ की बिक्री और छोटे-मोटे अपराधों में भी पाए जाते है।[54]

बंधुआ मजदूरी बिहार में एक बडी समस्या है और दुर्भाग्यवश उपलब्ध आंकडे इसकी व्यापकता को नहीं दर्शा पाते है। तथापि विश्वस्त स्रोतों से चुनी हुई निम्न सूचनाएं बंधुआ मजदूरी की स्थिति का आभास देती है:-

- वर्ष 2013 के प्रारम्भ में कई कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद एवं नवी करीम क्षेत्र से क्रमशः 27 और 56 नाबलिकों को गुलामी के चंगुल से छुडाया गया। ये सभी पीडित 12 से 16 आयु वर्ग के थे और लगभग सभी बिहार से थे जिनमें 90 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से थे।
- बिहार से प्रतिवर्ष अनुमानतः 4000 नाबालिकलाये जाते है।[55]
- एक वृहद हस्तक्षेप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2015 में बिहार के मधुबनी क्षेत्र से 101 कृषि बंधुआ मजदूरों का मुक्त कराया गया। ये मजदूर प्राचीन 'कामिया' गुलाम मजदूर प्रथा के अन्तर्गत काम करने हेतु बाध्य किये गये थे और पीढियों से इनके परिवार गुलाम बने हुए थे। उन्हे वैधानिक न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती थी किन्तु उनका कठोर मजदूरी के बदले में प्रत्येक (पति तथ पत्नी) को 2 किलोग्राम धान दिया जा रहा था।[56]

B- यौन व्यापार

एशिया फाउण्डेशन द्वारा मानव व्यापार के सम्बन्धित वर्ष 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार महिलाओं एवं लडकियों के यौन व्यापार का स्रोत मार्ग एवं गन्तव्य के रूप में कार्य करता है। बिहार की आन्तरिक सीमा झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तथ अन्तराष्ट्रीय सीमा नेपाल एवं बंगलादेश से मिली हुई है। छोटी लडकियों को सेक्स कार्य हेतु देश के बडे शहरो में भेजने का यह महत्वूपर्ण स्रोत है।[57] बिहार के 37 में 24 जिले

---

[54] सुप्रा नोट 50

[55] पांडेय, आलोक, बिहार में नाबलिकों की व्यापार: गांवों की निराशा खो आय से, एनडीटीवी। उपलब्ध है: <http://www.ndtv.com/india-news/bihars-sold-children-villages-despair-over-rescue-735884>

[56] 101 लोग बिहार में बंधुआ श्रम से बचाया, एनडीटीवी । उपलब्ध है: <http://www.ndtv.com/india-news/101-people-rescued-from-bonded-labour-in-bihar-753084>

[57] सुप्रा नोट 49

व्यावसायिक यौन व्यापार हेतु छोटी लडकियों एवं महिलाओं को उपलब्ध कराने के मामले में खास संवेदनशील है। [58]

वर्ष 2008 में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा यौन व्यापार रोकने के उद्देश्य से 'अस्तित्व बिहार' नाम से एक कार्य योजना प्रारम्भ की गई।[59] सरकार द्वारा इस अनैतिक व्यापार के प्रकोप को रोकने के लिए कई अन्य योजनाएं भी चलाई गई है। इन प्रयासों के बावजूद मानव व्यापार के मामलों में चिंताजनक बढोत्तरी हुई है।

H. उत्तर प्रदेश में मानव-व्यापार

(A) बंधुआ मजदूरी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत आंकडों (2012) के अनुसार भारत के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है[60]। सितम्बर, 2015 में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रगति रिपोर्ट में प्रदेश में अधिक बंधुआ मजदरों ग्रस्त जनपदों में मुजफ्फरगनर, बागपत, सहारनपुर, शामली, सम्भ्ल, बदायू, अमरोहा, अलीगढ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, एटा, शाहजहापुर, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर चन्दौली, वाराणसी तथा ललितपुर को इसके साथ ही देश में बाल मजदूरों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अन्य राज्यों में जहां 2001 की गणना के पश्चात् प्रत्येक अगली गणना में बाल मजदूरों की संख्या में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गणना में इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है और वर्ष 2011 में यह उच्चतम स्तर पर 4.27 के बाल मजदूर अनुपात में 21 लाख के ऊपर (21,70,706) पहुच गई[61]।

बाल मजदूरी प्रथा को उत्तर प्रदेश में 'हरवायी' अथवा 'मंवरी' प्रथा के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। यह प्रथा इस तरह व्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम ही बंधुआ इस प्रथा के चलते रखा गया है बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश/राज्य द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन हेतु कराये गये अध्ययन में पाया गया है कि गरीबों

---

[58] ibid

[59] मानव व्यापार, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार। उपलब्ध है: <http://socialwelfare.icdsbih.gov.in/upload/LatestUpdates/LatestUpdates_135356207344.pdf>

[60] पेरप्पाड़न बी.एस. 'एनएचआरसी बंधुआ मजदूरी पर चिंतित', हिंदू। पर उपलब्ध है: <http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/nhrc-worried-over-bonded-labour/article4043115.ece> यह भी देखें: 'सिंह v. 'U.P बंधुआ श्रम मामलों में सबसे ऊपर: एनएचआरसी' इंडियन एक्सप्रेस। उपलब्ध है: http://archive.indianexpress.com/news/up-tops-in-bonded-labour-cases-nhrc/851083/

[61] बहराइच जिले में बाल श्रम, उत्तर प्रदेश के गुणात्मक अध्ययन। श्रम आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश, सरकार, मई 2015

एवं भूमिहीनों की ऋण ग्रस्तता का मूल कारण धनी भूस्वामियों का अन्य सामाजिक वर्गो का आर्थिक एवं राजनीतिक दबदबा होना है।[62]

अध्ययन में आगे पाया गया है कि गरीब एवं भूमिहीनों द्वारा वैवाहिक एवं ईलाज के खर्चे के लिए भूस्वामियों से कर्जा लिये जाने के पश्चात् ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण बेगारी हेतु मजबूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रायः अल्पसंख्यक एवं पिछडे वर्ग के लोग होते है। उत्तर प्रदेश में ऋण गुलामी कृषि के साथ अनौपचारिक अनियमित क्षेत्रों जैसे पत्थर खुदान, खनन, ईट भट्टा, कालीन बुनाई ताले बनाना जैसे उद्योगों में प्रचालित है[63]। उच्चतम न्यायालय द्वारा *पी.यू.सी.एल. बनाम तमिलनाडु राज्य* मामले में राज्यों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण के निर्देश दिये गये है किन्तु कोर्ट के इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है[64]।

मजदूरी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई पहल:

सतर्कता समितियों का गठन: बंधुआ श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम में जिला तथा परगना स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है। किन्तु प्रदेश के 75 जनपदों के आधे से अधिक में यह समितियां गठित नहीं हुई है। इसी प्रकार परगना स्तर पर 320 के सापेक्ष मात्र 131 परगनों में सतर्कता समितियां गठित हुई है। सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता द्वारा सतर्कता समिति सदस्यों की बंधुआ श्रमिक अधिनियम 1976 के सम्बन्ध मे क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

बंधुआ श्रमिकों हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण एव पुनरीक्षण समिति: बंधुआ एवं बाल मजदूरी रोकथाम एवं पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण समिति गठित की गई है। समिति का एक अध्यक्ष होता है तथा जनवरी और जून 2015 में इसकी दो समीक्षा बैठके हो चुकी है।

---

[62] आर.एस. गौतम और गोपाल अय्यर, शिक्षा और संचार, 2007, नई दिल्ली के लिए केंद्र। उपलब्ध है: <http://www.cec-india.org/cec-library-resource.php?opt=libsearch&id=79>

[63] उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन निर्यात का 85 प्रतिशत से अधिक कारया है और भारत का "कालीन बेल्ट" है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक तथ्यान्वेषण समिति नियुक्त की जिनकी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि छह से नौ वर्ष काम के नाबलिकों कालीन बुनाई पर बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करते है । देखें, करा.सिद्धार्थ, दागी कालीन: गुलामी और बाल श्रम भारत के हाथ में कालीन उद्योग, 2014 में उपलब्ध कराया: <http://fxb.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/5/2014/01/Tainted-Carpets-Released-01-28-14.pdf>

[64] पीयूसीएल v. तमिलनाडु (2013) 1 एससीसी 585. अन्य बंधुआ मजदूर के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय पीयूसीएल वी तमिलनाडु (2004) 12 एससीसी 381; पीयूसीएल वी तमिलनाडु (1994) 5SCC116; बंधुआ मुक्ति मोर्चा vs. भारत (1999) IIILLJ99SC; बंधुआ मुक्ति मोर्चा वी भारत AIR1984SC802; बंधुआ मुक्ति मोर्चा v. UOI AIR 1992 SC 38; संथाल परगना अंत्योदय आश्रम वी बिहार 1987 Supp (1) एससीसी 141; नीरजा चौधरी वी M.P आकाशवाणी 1984 एससी 1099; टी. चककालककाल v. बिहार 1993 Supp (4) एससीसी 211 के राज्य 585 के राज्य शामिल हैं; । के राज्य; यूनियन। । यूनियन; । के संघ; के राज्य। के राज्य। के राज्य

मुक्त एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की आनलाइन निगरानी: मजदूरी विभाग द्वारा मुक्त किये गये एवं पुनर्वासित बंधुओं श्रमिकों की निगरानी हेतु आनलाईन अनुश्रवण व्यवस्था की गयी है।[65]

ईट भट्टा मालिकों हेतु मानक निर्देश बनानाः मजदूरी विभाग द्वारा ईट भट्टों में बंधुआ मजदूरी रोकने हेतु मानक निर्देश बनाये गये है। विभाग द्वारा प्रारूप एवं पंजिकाएं तैयार कर ईट भट्टा मालिक संध को दी गई है। ईट भट्टा मालिकों से इन प्रारूपों एवं पंजिकाओं को भरने की अपेक्षा की गई है। जिनकी समीक्षा मजदूरी विभाग तथा सतर्कता समितियों द्वारा की जायेगी।

सरकारी अधिकारियों हेतु मानक दिशा-निर्देश: मजदूरी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने हेतु सरकारी अधिकारियों के मानक दिशा-निर्देश एवं आचार संहिता बनायी गयी है। विभाग द्वारा जबरन बेगारी संबंधी अन्तराष्ट्रीय गोष्ठियों, संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों, बंधुआ श्रमिक अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं, बंधुआ श्रमिकों की पहचान, कानूनी प्रक्रिया, पुनर्वास, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय सर्वेक्षण प्रारूपों आदि को लेकर एक पुस्तिका तैयार की गई है।

(B) यौन व्यापार

उत्तर प्रदेश में बडे स्तर पर यौन व्यापार होता है। अन्तराष्ट्रीय मजदूरी संगठन (आई.एल.ओ.) के अनुमान के अनुसार भारत के 23 लाख व्यावसायिक यौन कर्मियों में 15 प्रतिशत नाबालिकहै जिनमें अधिकांश लडकिया है। जिनका वेश्यालयों पर मालिश पार्लरों, नाइटक्लबों, सौन्दर्य प्रसाधन गृहों, होटलों, स्वागत सेवा केन्द्रों में शोषण होता है और इनमें कई लडकिया उत्तर प्रदेश से होती है।[66]

इ.सी.पी.ए.टी. इण्टरनेशनल के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई लडकिया विवाह करने पर मजबूर की जाती है। तस्करों द्वारा गरीबी त्रस्त परिवारों से लडकियां खरीदकर विवाह एवं शोषण हेतु ग्राहकों को बेची जाती है[67]।

उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्यों का हिस्सा है जिसे इसके आर्थिक विकास का अभाव और अशिक्षा की उच्च दर के कारण सर्वाधिक पिछडे राज्यों में गिना जाता है। धार्मिक एवं जातिगत अवरोधों के कारण यह ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तस्करों की घुसपैठ और व्यावसायिक यौन

---

[65] UPLABOUR.COM

[66] **भारत में नाबलिकों के यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति के खिलाफ वैश्विक निगरानी रिपोर्ट**

ECPAT **पर उपलब्ध:** <http://www.ecpat.net/sites/default/files/India%201st.pdf>

[67] *Ibid*

शोषण के लिए लडकियों की खरीद फरोख्त के लिए सुगम होता है। मुक्त कराये जाने के बावजूद उपयुक्त पुनर्वास के अभाव में कई लडकियां इस कार्य में वापस लाई जाती है और स्थायी समाधान के अभाव में यह दुश्चक्रः बना रहता है।

मानव व्यापर विरोधी इकाइयों का गठन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मानव व्यापार की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के साथ मनाव व्यापार विरोधी इकाइयां (AHTU) बनाई है। राज्य में कुल 35 AHTU गठित की जा चुकी है।

III

मानक संचालन प्रक्रियाएं

A. मकसद और उद्देश्य

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की योजना गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों, उनके वकीलों, और अन्य चिन्हित हितधारकों की मदद के लिए बनाई है जिससे की बंधुआ मजदूर या यौन के अवैध व्यापार स्थितियों से घिरे लोगों को सुनिस्चित संचालन के ज़रिए छुटकारा दिलाया जा सके। यह मान्यता है कि कई लोग आधुनिक गुलामी की स्थितियों को अन्य प्रकार के माध्यम से छोड़ते हैं। एक व्यापक संसाधन मार्गदर्शक के रूप में, यह उचित प्रक्रियाओं और प्रथाओं को स्पष्ट एवं सूचीबद्ध करता है ताकि बंधुआ मजदूरी और यौन के अवैध व्यापार के खिलाफ प्रतिक्रियाएं मजबूत बने एवं उचित और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। एस.ओ.पी. के उद्देश्य हैं:

- हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान पीड़ित - पीड़ित-केन्द्रित और वेदना से वाकिफ प्रक्रियाओं को अंगीकार करना
- अपराधी की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- विभिन्न हितधारकों (पुलिस, गैर सरकारी संगठन और सरकार) की भागीदारी को बंधुआ मजदूरी और यौन के अवैध व्यापार करने के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के लिए एक तालमेल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- त्वरित और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- पुनरुत्थान के लिए रोकथाम के साथ साथ पुनर्वास, एकीकरण और मदद के कदम उठना।

B. संरचना

एसओपी एक सूची उपलब्ध करती है जो की गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता के लिए भारत में मानव व्यापार के दो सबसे प्रचलित तरीके से लड़ने के लिए अर्थात बंधुआ मजदूर एवं यौन व्यापार, कार्यकलाप हैं जिसमे हर कदम के तहत एक समयसीमा[68] है जो की टिप्पणी अनुभाग के साथ प्रदान की गई है जो आगे विशिष्ट कदम के बारे मे बताती है। इसके अलावा, वहाँ एक ""विचार के लिए बिंदु" अनुभाग है जो कि कई कार्यकलापों पर टिप्पणी के पश्चात है, जो कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है जो की कार्य को क्रियान्वित करने कि दिशा में सुविचारित होंगे । अंत में, कई कार्यकलापों में शामिल है "अधिक जानें और कार्रवाई करे" जो की पाठक का ध्यान संबन्धित अनुभागों, जो की अध्याय

[68] समयसीमा हस्तक्षेप के दौरान जेवीआइ के अनुभव के आधार पर प्रदान किया गया है। यह कोई मानक नहीं है और न ही यह किसी नीति या किसी कानून ऑर निर्धारित है जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये

चतुर्थ (क़ानूनी ढाँचा), अध्याय 5 (चयनित ऐतिहासिक निर्णय), अध्याय 6 (मानव व्यापार सफलता की कहानियां) एवम् परिशिष्ट की तरफ दिलाता है जहां गैर-सरकारी संगठन और अधिवक्ता आगे व्यावहारिक और कानूनी जानकारी पा सकते हैं ।

C. बंधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के लिए एस.ओ.पी.

बधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के लिए विस्तृत एस.ओ.पी. आगे नीचे उल्लेखित की जा रही है। एसओपी तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं:

1. पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया;

2. अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रिया; तथा

3. मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियायें।

1. <u>बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया:-</u>

बंधुआ मजदूर पीड़ितों को बचाने के लिए 10 प्रमुख चरण हैं, जिसमे निम्नलिखित शामिल हैं:

चरण 1.1 बंधुआ मजदूर की पहचान

चरण 1.2 बंधुआ मजदूरी शिकायत प्रस्तुत करना

चरण 1.3 बंधुआ मजदूरी बचाव योजना तैयार करना

चरण 1.4 बंधुआ मजदूरी बचाव की शुरुआत

चरण 1.5 बंधुआ मजदूरी बचाव स्थल सुरक्षित करना

चरण 1.6 बंधुआ मजदूरों को आरोपियों से अलग करना

चरण 1.7 बंधुआ मजदूरी साक्ष्य एकत्रित करना

चरण 1.8 बंधुआ मजदूर बयान रिकॉर्डिंग करना

चरण 1.9 बंधुआ मजदूर को सुरक्षित स्थान पे ले जाना

चरण 1.10 बंधुआ मजदूर मुक्ति प्रमाण पत्र को हासिल करना

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 1.1 बंधुआ मजदूर की पहचान</th></tr>
<tr><th colspan="2">समय-सीमा: बंधुआ मजदूर की पहचान करने की प्रक्रिया में 2 से 8 महीने तक का वक्त लग सकता है</th></tr>
<tr><th>गैर सरकारी संगठन</th><th>अधिवक्ता</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को बंधुआ के रूप में मजदूरी कराये जाने से सम्बंधित तथ्यों को सत्यापित और इकठ्ठा करना चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि जिन तथ्यों को इकट्ठा किया गया है वो बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 और अन्य सुसंगत कानूनों से सम्बंधित तत्वों का समर्थन करते हैं या नहीं।</td></tr>
<tr><th colspan="2">टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन और/या अधिवक्ता निम्नलिखित स्रोतों में से एक से बंधुआ मजदूर की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :

• पीड़ित या पीड़ित के परिवार / समुदाय / मुक्त किये गए पीड़ितों ;

• गैर-सरकारी संगठन / समुदाय के नेताओं ;

• जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत / अन्य विभाग जैसे मजदूरी विभाग;

• मानव व्यापार विरोधी इकाइयों (राज्य और जिला स्तर);

• किसी भी व्यक्ति जिसे कि अपराध का जानकारी हो;

• मुखबिरों।</td><td>अधिवक्ता को पता लगाने चाहिए कि क्या इकट्ठा जानकारी से ऐसे समझौतों के अस्तित्व का पता चलता है जैसे की बंधुआ मजदूरी अधिनियम की प्रकृति धारा 2 (जी) में वर्णित हैं

अधिवक्ता को यह भी पता लगाने चाहिए कि यदि एकत्रित जानकारी से ऐसे विवश परिस्थितियों के प्रकृति का पता चलता जैसे कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम की धारा 2 (जी) में वर्णित है.

अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए की सूचना की रिपोर्ट तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को दे दें.</td></tr>
</table>

विचारणीय बिंदु

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी: यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, कि राजस्व संभागीय अधिकारी (आरडीओ) या उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.)[69] के माध्यम से बंधुआ मजदूरी [70] के मौजूदगी के बाबत जानकारी लें। गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता की मुख्य भूमिका जिला प्रशासन का ध्यान बंधुआ मजदूरी के मौजूदगी की तरफ आकर्षित करने के लिए के लिए है।

क्षेत्र की पहचान: ऐसा क्षेत्र जहां नाबालिक महिलाएं फसाये जा रहे हैं उसकी पहचान करना महत्वपूर्ण है

जानकारी का स्रोत:

बंधुआ मजदूर की घटना के बारे में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को इन साधनों के माध्यम से जानकारी पा सकते हैं:

- ***स्रोत क्षेत्र:*** **पीड़ितों और संभावित शिकार लोगों पर स्रोत क्षेत्रों से खुफिया जानकारी लीजिए. पीड़ितों में शामिल होते हैं कमजोर व्यक्ति, कमजोर समुदाय और कठिन परिस्थितियों आदि के लोग. गैर सरकारी संगठन को सामुदायिक सदस्यों को प्रेरित एवं संवेदनशील करना चाहिए कि वे अनियमित रूप से पीड़ित के आवागमन पे नज़र रखें. उत्तर्जीवी से साक्षात्कार से भी स्रोत क्षेत्रों में खुफिया जानकारी इकट्ठा किया जा सकता है।**
- ***पारगमन बिंदू:*** **पारगमन के दौरान पीड़ितों और अपराधियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर टीम तैनात करें. पारगमन बिंदूओं में शॅमिल हैं बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आव्रजन / सीमाओं पर कस्टम कार्यालय, पर्यटन स्थल**
- ***मांग क्षेत्रों:*** **क्षेत्रों / गतिविधियों पर खुफिया जानकारी लीजिए जहां बंधुआ मजदूरी की मांग अधिक है (जैसे ईंट भट्टों, पत्थर खदानों, कालीन उद्योग, कृषि भूमि, खानों, बिजली संयंत्र, निर्माण स्थलों, चीनी मिलों, चावल मिलों, कारखानों, घरेलू दासता आदि) है।**
- ***शत्रुता:*** **निजी दुश्मनी या एक सुविधा-केन्द्रों के मालिक और मुखबिर के बीच**

---

[69] इसके अलावा ऐसे कर्नाटक में कुछ अधिकार- क्षेत्रों में इन्हे एसडीओ (उप प्रभागीय अधिकारी) या एसी (सहायक आयुक्त) कहा जाता है ।

[70] कृपया बीएलए की धाराएँ स.10 से 12 को देखें जिसके माध्यम से राज्य सरकार डीएम को अधीनस्थ अधिकारियों जैसे की आरडीओ या एसडीएम के बीएलए के प्रावधोंनो को लागू किए जाने के लिए को सशक्त करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं

प्रतिद्वन्दिताबंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए इंगित कर सकती हैं ।

- *मीडिया रिपोर्टें*: मीडिया रिपोर्टों से, अखबारों में विज्ञापन से प्लेसमेंट एजेंसियों, पार्लरों आदि के बारे में खुफिया जानकारी लीजिए
- *डेकॉय ऑपरेशन*: सूचना डेकॉय ऑपरेशन चलाने से प्राप्त किया जा सकता है। एक डेकॉय कार्रवाई होती है जब एक व्यक्ति आड़ में चला जाता है (इस तरह व्यक्ति को एक 'डेकॉय' कहा जाता है) और बंधुआ मजदूरी और जहां यह संचालित किया जा रहा है की घटना के बारे में जानकारी सुरक्षित करने के लिए अपनी आड़ का उपयोग करता है। डेकॉय किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित करने के लिए उपयोगी हो सकता है जो क़ी बचाव ऑपरेशन के लिए मददगार हो, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन के बिना हासिल नहीं जा सकता।
    - किसको एक डेकॉय के रूप में नियोजित किया जा सकता है: पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि, या किसी भी अन्य व्यक्ति को नियोजित किया जा सकता है, जो की एक डेकॉय के रूप में भेजे जाने के लिए तैयार है.
    - कौन एक डेकॉय के वेश में किया जा सकता है : एक डेकॉय बिचौलिया , एक ठेकेदार , एक मजदूरी नियोक्ता, आदि के रूप में वेश धारण कर सकते हैं
    - डेकॉय को हिदायतें: डेकॉय को पीड़ितों की दुर्दशा और इस तरह के आपरेशनों को अंजाम देने में शामिल जोखिम पर अवगत होना चाहिए डेकॉय को व्यापार पीड़ित व्यक्ति के असुरक्षता के बारे में जानकारी दिया जाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए की न ही उसके या उसकी उपस्थिति से पीड़ित को कोई और आघात पहुचे और न ही वो उसकी परिस्थिति का लाभ ले। डेकॉय को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण देना चाहिए की अलग-अलग परिस्थितियों जो उत्पन्न हो सकती हैं, वो उनका कैसे सामना करे.

पीडित प्रलेखन: दुर्व्यवहार की प्रकृति और मजबूर परिस्थितियों को समझने के लिए पीड़ितों के बयान लिया जाना चाहिए की । अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पीड़ितों का बयान दर्ज कर लें । यदि संभव हो तो, पीड़ितों के हस्ताक्षर किए गए हलफनामों जो उनकी स्थिति बयान करता हो। (जहां कभी संभव हो पीड़ित के बयान की ऑडियो या विडियो रिकॉर्डिंग कर लें)

मालिक के बारे में तथ्य की जाँच: मालिक के बारे में तथ्यों की जाँच को सम्मलित करें जिसमे उसके स्वभाव, उसकी पूर्ववृत्त, और स्थानीय प्रशासन के भीतर उसकी पैठ के बारे में जानकारी मिले.

गोपनीयता बनाए रखें: पीड़ितों से संबंधित जानकारी, बचाव साइट जिनको खोजा जाना है, और मालिकों से सम्बंधित जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को आप्रासंगिक व्यक्तियों को आपरेशन के बारे में जानकारी का खुलासा कतई नहीं करना चाहिए।

वैध तरीके से सूचना का एकत्रण: इस प्रक्रिया में शामिल गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी एक वैध तरीके से और पीड़ितों की सुरक्षा को खतरे में डाले बिना इकट्ठा किया जाना है । गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को याद रखना चाहिए कि वे कानून प्रवर्तन अधिकारी नहीं हैं और इसलिए वे किसी संपदा की जाँच करने के लिए, सामान या सबूतों को जब्त करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए या अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को रोकने इसके लिए अधिकारहीन हैं. इस प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने में अधिवक्ता को गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

पीड़ितों के बचाव तैयारी: घटना की जांच के बचाव-पूर्व चरण के दौरान पीड़ितों को बचाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और साथ ही बताना चाहिए की कैसे वे मजिस्ट्रेट के सवालों के जवाब दें.

समय और बचाव की तिथि के संबंध में सूचना के मामले में खुलासा नहीं किया जाना चाहिए अगर इसकी वजह से जानकारी का रिसाव होता हो. बचाव से पूर्व पीड़ितों की तैयारी महत्वपूर्ण है जो एक सफल गवाह गवाही सुनिश्चित करने और पीड़ितों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है तथा पीड़ित को बिना किसी तैयारी के सवालों का जबाब ना देना पड़े.

अगर गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/अधिवक्ता या मुखबिर बंधुआ मजदूरी में फँसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी किसी भी स्रोत से सुरक्षित करता है, तो वो संबंधित अधिकारियों में से किसी एक (डी.एम., एस.डी.एम., ए.एच.टी.यू., एन.एच.आर.सी. या पुलिस) को तुरंत सचेत करे। <u>कृपया अपने दम पर एक बंधुआ मजदूर को बचाने के लिए प्रयास न करें।</u>

एक बचाव के लिए अनुमति एवं डी.एम. / एस.डी.एम. / पुलिस की उपस्थिति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन उनके प्रतिनिधियों की भी आवश्यकता है।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

बंधुआ मजदूरी की परिभाषा और अवधारणा - एक मजदूर बंधुआ है यदि:

a. **अग्रिम राशी सुरक्षित करने के एवज में या एक कस्टम[4]/ सामाजिक दायित्व के कारण, या परिवार से मिले दायित्व जो उसे उत्तराधिकार के कारण या अन्य आर्थिक हालत के माध्यम से या अनुसूचित जाति या समुदाय दायित्व की वजह से मजदूरी कर रहा है (समझौता तत्व);**

तथा

b. **अगर कोई पुरुष या महिला कोई मजदूरी ना प्राप्त कर रहा हो/ न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त कर रहा हो या रोजगार की कोई स्वतंत्रता ना हो या यात्रा करने के लिए कोई स्वतंत्रता ना हो या कोई स्वतंत्रता ना हो जिससे वो अपने स्वयं के माल और सेवाओं को बाजार मूल्य [5] पर बचे सके[71] (मजबूर हालात वाले तत्व).**

बंधुआ मजदूर की परिकल्पना: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंधुआ मजदूर तब माना जा सकता है यदि कोई भी मजबूर परिस्थितियों के तत्त्व किसी भी रूप में वहाँ मौजूद हों क्योंकि तब समझौता तत्व की परिकल्पना हो जाएगी, जब तक उसका सबूत[72] के साथ खंडन ना किया जाय।

शारीरिक शोषण का होना अनिवार्य नही: सुप्रीम कोर्ट ने *लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए पीपुल्स यूनियन बनाम भारत सरकार*[73] के केस में कहा कि जबरन श्रमिक [बंधुआ मजदूर] का मतलब ज़रूरी नही की इसमे शारीरिक बल आवश्यक रूप से शामिल हो.

सतर्कता समितियों की भूमिका: सतर्कता समितियों की कार्य प्रणाली पता करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 14 पढ़ें और कैसे सतर्कता समिति किसी ज़िला / उप खंड की डिवीजन जिलाधिकारी को सलाह दे सकती हैं जिससे की अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाये जा सके.

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका: *नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य*[74] केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब भी बंधुआ मजदूर प्रणाली के प्रसार के बारे में किसी गैर सरकारी

---

[71] बीएलए की धारायें: 2(g) (1), 2(g) (2), 2(g) (3), 2 (g) (4), 2 (g) (5)

[4] बी.एल.ए. की धाराओं 2 (ग) (ई), (2 (ग) (ईई), 2(ग) (ईयी), 2(ग) (ईव), 2 (ग) (व) के तहत

[72] बंधुआ मुक्ति मोर्चा एईआर 1984 एससी 802 पैरा 34

[73]एईआर 1982 एससी 1473 , पैरा 20

[74]एईआर 1984 एससी 1099 निर्णय के प्रस्तर 4 और 6

संगठन द्वारा एक शिकायत डी.एम. करने के लिए प्रदान की जाती है, यह डी.एम. का कर्तव्य है की उस गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को पूछताछ के लिए शामिल करें और जांच की रिपोर्ट का आयोजन गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को प्रदान करे ।

भारत में बंधुआ मजदूरी के बारे में और अधिक जानने के लिए कृपया अध्याय II E को देखें. भारत में बंधुआ मजदूरी पर कानून के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय IV C को देखें.

पीड़ित की तैयारी: जबरन मजदूरी [75] व्यापार के अपराधों की जांच पर यू.एन.ओ.डी.सी. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुबंध 3 को देखें, ये जानने के लिए कि कैसे बचाव के समय में जवाब देने के लिए पीड़ित तैयार किया जाना चाहिए. यह ध्यान रखें कि पीड़ितों के बयान के आधार पर ही मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इसलिए पीड़ित को ये बताना ज़रूरी है की मजदूरी बंधुआ क्या है जिससे जब उनके बयान दर्ज हों, तब बंधुआ मजदूरों के बारे में पुख्ता सबूत नज़र आए. बचाव की तैयारी पीड़ित को बचाने से पूर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ।

दस्तावेजों के नमूने और अभ्यास हेतु मदद सामग्री: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अन्य विवरण के साथ पीड़ितों के नाम और उन्हें भर्ती करने वाली एजेंसियों / अपराधियों के दस्तावेज़ ध्यानपूर्वक तैयार करने चाहिए। दस्तावेजीकरण मौके पर जांच के दौरान बंधुआ मजदूर की पहचान करने में एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करेगा। एक पूर्व बचाव प्रलेखन पत्र की एक प्रति परिशिष्ट 1 में प्रदान की जाती है ।

बाल मजदूरी : अगर बाल श्रमिकों की पहचान हो जाए, तो गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को जिला मजिस्ट्रेट / उप मंडल मजिस्ट्रेट / ज़िला प्रशासन को मजदूरी विभाग के अधिकारियों को बचाव दल में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे के वे बचाव के समय उपस्थित रहें जिससे बाल मजदूरी (निषेध विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रावधानों को लागू कराया जा सके.

[75] सन्द्रभ लें स्क्रीनिंग उपकरण जो जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुबंध 3 के तहत मानव व्यापार के एक संभावित पीड़ित को पहचान में मदद करता है , (2008 प्रकाशन संयुक्त रूप से भारत और बीबीए की सरकार के साथ) जिसका उल्लेख पृष्ठ 43. उपलब्ध पर है @: < https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_-_Investigation_-_Forced_Labour.pdf>

1.2 चरण बंधुआ मजदूरी की शिकायत की प्रस्तुति	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को एकत्रित तथ्यों का उपयोग करके बंधुआ मजदूरी अपराध सम्बंधित शिकायतपत्र जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूरी अपराध सम्बंधित शिकायतपत्र की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की यह बंधुआ मजदूर बचाव कार्य (रेस्क्यू) की शुरुआत के लिए एक प्रेरक कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रही है या नहीं एवं अधिवक्ता को जिलाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी को शिकायतपत्र प्रस्तुत करने में एनजीओ की सहायता भी करनी चाहिए।
टिप्पणी	
एक बार जब गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि उन संस्थान में जहाँ पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा चल रही हो, संकलन एकत्रित कर लें, तब वे अपने अधिवक्ता की मदद से ड्राफ्ट तैयार करें एवं एक शिकायत या एक विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट जिलाधिकारी ("डी.एम.") या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर डी.एम. या अधीनस्थ अधिकारी की अनुपलब्धता हो तो एक शिकायत स्थानीय पुलिस या एंटी मानव व्यापार इकाई को अगर गठित हो, तो की जा सकती है। हालांकि, पुलिस या ए.एच.टी.यू. के पास बंधुआ मजदूर की घटना की जांच के लिए अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, शिकायत या एल.आई.आर यदि पुलिस /	गैर सरकारी संगठन की सहायता के लिए अधिवक्ता को लिखित शिकायत या विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना चाहिए। लिखित शिकायत में ज़रूर दर्शाए की बंधुआ मजदूर और संबंधित आपराधिक कानून के तहत किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले एक प्रयास जिला प्रशासन के समक्ष बंधुआ मजदूरी की शिकायत पेश करने के लिए किया गया है। किसी कारणवश अगर शिकायत जिला प्रशासन के समक्ष नहीं किया जा सकता है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस या ए.एच.टी.यू. के पास दर्ज करायी जाये और उनको तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ए.एच.टी.यू. के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, अधिवक्ता और गैर-सरकारी संगठन उन्हें ज़िला मॅजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करने और उसके द्वारा नामित प्राधिकारी के समक्ष जांच करने और बचाव के लिए समय पर उपस्थित होवे. एक बार शिकायत या एल.आइ.आर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर हो गयी है और अगर डी.एम. यदि स्वयं जांच करने में असमर्थ है तो वो पूछताछ करने के लिए राजस्व विभाग की ओर से एक अधीनस्थ अधिकारी को तैनात करेगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार / उप-रजिस्ट्रार राजस्व विभाग की ओर से अधीनस्थ अधिकारी हो सकता है। यह ध्यान रखें कि बंधुआ मजदूरों के बारे में शिकायत सीधे एन.एच.आर.सी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है।	इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत तैयार करने के लिए अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन की सहायता कर सकते हैं। शिकायत एन.एच.आर.सी के समक्ष भी दायर की जा सकती जिनके पास बंधुआ मजदूरी कानूनों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार है और एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सेवा कर सकते हैं विशेष रूप से जब नौकरशाही या राज्य या जिला स्तर पर भ्रष्टाचार की वजह से बाधाएं उत्पन्न हो रही हों।

बिंदुओं को नोट करें
कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट (एल.आई.आर): कुछ संगठन कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट डी.एम. को एक शिकायत के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। इस तरह के रिपोर्ट में पीड़ित के नाम और अन्य विवरण, परिवार के सदस्यों के नाम, उम्र, जाति जिसके अंतर्गत मजदूर आता है तथा अन्य प्रासंगिक विवरण के साथ कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी को जागरूक करना चाहिए की सूची गोपनीय रखी जाए और ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए की जो रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुआ है उसकी एक रसीद प्रतिलिपि वे प्राप्त करें। रिपोर्ट की गोपनीयता इसलिए सुनिश्चित करनी चाहिए के वास्तविक बचाव हस्तक्षेप प्रक्रिया की भनक मजदूरी साईट मालिकों को ना होने पाए जिससे बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया जाए और अपराधियों को वास्तविक बचाव हस्तक्षेप के दौरान साइट पर गिरफ्तार किया जा

सके। शिकायत / एल.आई.आर पीड़ित के परिवार के नाम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

बंधुआ मजदूरी की शिकायत किसको प्रस्तुत कि जा सकती है?: एक शिकायत या एल.आई.आर डी.एम./ एस.डी.एम./ पुलिस/ ए.एच.टी.यू. या एसएचआरसी/ एन.एच.आर.सी. को प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि कोई भी बचाव कार्य जो की डी.एम./एस.डी.एम. की मौजूदगी के बिना किया हो, व्यर्थ माना जायेगा क्योंकि बी.एल.ए. के तहत केवल डी.एम./एस.डी.एम. को ही जाँच करने और कार्यान्वयन की देख-रेख का अधिकार है। इसलिए यह जरूरी है कि कानून प्रवर्तन एजेन्सी जैसे की पुलिस डी.एम./एस.डी.एम. के साथ बचाव का आयोजन के समय अवश्य समन्वय करें।

मानव व्यापार विरोधी इकाई (ए.एच.टी.यू.): मानव व्यापार के मामलों में बचाव के संचालन के लिए ए.एच.टी.यू. जिम्मेदार हैं। ए.एच.टी.यू. स्थानीय पुलिस की सहायता से ऑपरेशन का नेतृत्व कर सकता है। ए.एच.टी.यू. से तभी संपर्क किया जा सकता है, जब ये राज्य या जिला स्तर पर गठित किया गया हो।

स्थानीय पुलिस: पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी प्रभारी के लिए बंधुआ मजदूरी के बारे में शिकायत मिलने पे आवश्यकतायें किसी भी संज्ञेय अपराध के समान ही हैं। एक बार जब बंधुआ मजदूरी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रभारी के पास मामले की जांच करने की शक्ति है। पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के शिकायत को जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी के आगे प्रस्तुत करना चाहिए।

बाल मजदूरी पर राज्य / जिला टास्क फोर्स: बंधुआ बाल मजदूरी के मामले में, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बाल मजदूरी के लिये गठित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय टास्क फोर्स को सूचित करना चाहिए। यदि टास्क फोर्स का गठन नहीं किया गया है तो गैर सरकारी संगठन जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।

एस.एच.आर.सी / एन.एच.आर.सी.: सुप्रीम कोर्ट ने बी.एल.ए. के कार्यान्वयन की प्रगति कि निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) और राज्य मानवाधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.) को राज्य स्तर पर नियुक्त किया है। एक गैर सरकारी संगठन किसी भी समय एस.एच.आर.सी. या एन.एच.आर.सी. से संपर्क कर सकते हैं यदि जिला स्तर के अन्य अधिकारी शिकायत

पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। एन.एच.आर.सी. के पास बंधुआ मजदूरी कानूनों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार है एवं विशेष रूप से जब नौकरशाही या भ्रष्टाचार की वजह से बाधाएं आ रही हों तो वह साथ काम करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सेवा कर सकते है।

उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय: यदि सभी उल्लेखित प्राधिकारी कार्य करने के में असफल हो, तो गैर सरकारी संगठन एक वकील से संपर्क को संपर्क करना चाहिए और अनुरोध करें कि वह पीड़ित के नाम पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दे।

प्राधिकारियों से संपर्क करने से पूर्व, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह करना चाहिए:

(i) निर्धारित करें की किस विभाग/अधिकारी से संपर्क करें (मामले की तात्कालिकता पर निर्भर करता है, अधिकारियों से उम्मीद की प्रतिक्रिया पर और मामले की गंभीरता को देखते हूए)

(ii) अपॉइंटमेंट लेने के लिए अधिकारी से संपर्क करें : अधिकारियों की बैठक के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं में निपुण होना चाहिए । यदि अधिकारियों को उस बारे में पता नही है तो बंधुआ मजदूरी पर सर्वोच्च न्यायालय की एक कानूनी मार्गदर्शन और निर्णय की नियम पुस्तिका ले जाना उपयोगी है।

अभिस्वीकृति: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जहाँ तक संभव हो, लिखित रूप में जानकारी / शिकायत प्रस्तुत करें और उसी दस्तावेज़ पर लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त करें । यदि घटना की जानकारी लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, तब भी पुलिस अधिकारी को जानकारी मौखिक रूप से दी जा सकती है । अगर जानकारी मौखिक रूप से दिया जाता है तो पुलिस अधिकारी को इसे लिखित में दर्ज करें और इसे मुखबिर द्वारा हस्ताक्षर करवा लें । अधिवक्ता आगे यह भी सुनिश्चित करे कि अधिकारियों ने गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई शिकायत का संज्ञान लिया है और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को बचाव के सभी चरणों में शामिल किया है ।

बंधुआ मजदूर की पहचान करने में गैर सरकारी संगठन की भूमिका: अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जिसमे बंधुआ मजदूरों के पहचान, रिहाई और पुनर्वास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर ज़ोर

दिया गया है.

पीड़ित की अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुति: जब भी संभव हो, अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष पीड़ित को प्रस्तुत करना चाहिए। पीड़ित की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

कौन शिकायत कर सकते हैं: एक बंधुआ मजदूरी के बारे में शिकायत एक गैर सरकारी संगठन, बंधुआ मजदूर, सरकारी अधिकारी या तृतीय पक्ष द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इन्ही में से कोई व्यक्ति जानकारी का स्रोत हो सकता है [76]। पीड़ित या पीड़ित के परिवार का सदस्य भी मुख्य शिकायतकर्ता हो सकता है (ध्यान दें कि शिकायत पत्र बंधुआ मजदूरी के मौजूदगी के बारे में दी गई जानकारी को दर्शाता है और यह सी.आर.पी.सी.की धरा 2(D) के अंतर्गत दिए जाने वाले औचारिक शिकायत पत्र से से अलग है। एफ. आई आर. की पंजीकरण के लिए एक औपचारिक शिकायत जिला प्राधिकरण या पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाया जा सकता है। पीड़ितों को भी शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है। शिकायत शिकायतकर्ता के अलावा अन्य किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो शिकायत में लिखी जानकारी स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता को समझाया जाना चाहिए।

बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कार्यान्वयन प्राधिकरण: बी.एल.ए. के अनुसार बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई को लागू करने के अधिकार डी.एम या डी.एम. द्वारा नामित किसी अधीनस्थ अधिकारी को है[77]।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन है: याद रखें बंधुआ मजदूरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के तहत मौलिक अधिकारों की गारंटी का उल्लंघन करती है[78]।

बंधुआ मजदूरी के लिए प्रासंगिक कानून: बंधुआ मजदूरी के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक कानून हैं:- बी.एल.ए., आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी., साक्ष्य अधिनियम, न्यूनतम

---

[76] खुफिया संग्रह पर दिशा निर्देश के लिए मजबूर श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया की धारा 3.1 के तहत, (2008 प्रकाशन संयुक्त रूप से भारत और बीबीए की सरकार के साथ) , का पेज 13 पर संदर्भ लें

[77] नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआइआर 1984 एससी 1099

मजदूरी अधिनियम, जे.जे. अधिनियम और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (अगर पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और अपराधी नहीं है)। इनके अलावा अन्य दुसरे प्रासंगिक कानून हैं अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूरी अधिनियम, ठेका मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम , भवन निर्माण अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम हैं जिन कानूनों को तथ्यों और किसी मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करके लागू किया जा सकता है। कानूनी प्रावधानों जिनमे हमला, झूठी कारावास, अपहरण, बलात्कार और अन्य प्रावधान जो कि प्रासंगिक हो सकता है जोड़ा जा सकता है ।

बंधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के लिए प्रासंगिक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अध्याय V में पाया जा सकता है।

नमूना दस्तावेजों और अभ्यास मदद: विभिन्न प्रासंगिक दस्तावेजों में शामिल हैं:

1. कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट: एक कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट के प्रारूप परिशिष्ट 6 में पाया जा सकता है इस प्रारूप का इस्तेमाल डी.एम., पुलिस और किसी भी अन्य अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी की शिकायत प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. बंधुआ मजदूरी पहचान फार्म: एक बंधुआ मजदूर की पहचान के प्रारूप परिशिष्ट 7 में पाया जा सकता है।

3. एन.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत: एन.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप इसकी अपने वेबसाइट[79] पर प्रदान की गयी है। एन.एच.आर.सी के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज करें इस बारे में दिशा-निर्देश परिशिष्ट 2 पर उपलब्ध करायें गए हैं. एन.एच.आर.सी के समक्ष शिकायत उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकृत भी किया जा सकता है। साथ ही शिकायतें लिखित रूप में, पोस्ट या फैक्स द्वारा भेजा जा सकता है।

---

4. एस.एच.आर.सी. के समक्ष: एस.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायतें लिखित रूप में, पोस्ट से या फैक्स द्वारा भेजा जा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए दिशा निर्देश के साथ-साथ एस.एच.आर.सी. के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रारूप

---

[79] राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट देखें : **http://nhrc.nic.in/**

परिशिष्ट 3 में प्रदान की गयी है।

5. एन.एच.आर.सी. / एस.एच.आर.सी. के समक्ष शिकायत के लिए प्रारूप: एन.एच.आर.सी. / एस.एच.आर.सी. के लिखित अभ्यावेदन की एक प्रारूप परिशिष्ट 4 में प्रदान की गयी है।

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 1.3 बंधुआ मजदूरी मुक्ति योजना की तैयारी</th></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: बचाव योजना बनाने की प्रक्रिया में 2 दिन लग सकते हैं</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन</td><td>अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को एक बंधुआ मजदूरी मुक्ति योजना की तैयारी करनी चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को कानूनी प्रावधानों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित पूर्वाग्रहों पर गैर सरकारी संगठन को सलाह देते हुए बंधुआ मजदूर बचाव योजना की तैयारी में सहायता करनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>गैर-सरकारी संगठन को दो अलग अलग प्रकार की बैठक करने की योजना बनानी चाहिए:

(i) आंतरिक रणनीति बैठक;

(ii) सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व-बचाव बैठक

(i) आंतरिक रणनीति बैठक: गैर सरकारी संगठन के लिए आवश्यक है कि बचाव अभियान के लिए एक आंतरिक रणनीतिक योजना तैयार करे. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि अग्रिम में ही बचाव अभियान की योजना बनायें और आंतरिक रूप से एक मामले उजागर करने की बैठक आयोजित करें जिसमे</td><td>अधिवक्ता गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के साथ मिलके काम करे जिससे की बंधुआ मजदूरी जांच की योजना ध्यानपूर्वक बनाई जा सके और यह सुनिश्चित करें कि बचाव अभियान योजना कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है।

अधिवक्ता को आवश्यक रूप से निम्नलिखित प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी अधिकारियों को संक्षिप्त में वृतान्त करें:

1. शिकायत की प्राप्ति / कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट प्राप्ति

2. इसको गोपनीय बनाए रखना</td></tr>
</table>

बचाव अभियान के लिए आंतरिक योजना पर चर्चा करें। इस बैठक में गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह ज़रूर निर्धारित करना चाहिए कि कौन से सरकारी अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों को बचाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। योजना में बचाव कार्य के स्थान का विवरण शामिल करना चाहिए जैसे की बचाव स्थल प्रवेश और निकास स्थल, पनाहगाह ठिकाने, बचाव साइट का स्केच नक्शा आदि। बचाव-स्थल की तलाशी के दौरान (विस्तृत सर्वेक्षण) के दौरान उपरोक्त विवरण को ज़रूर ध्यान में रखना और संकलित किया जाना चाहिए। (ii) सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठक: गैर सरकारी संगठन को मामले की शुरुआती बैठक की तारीख से 2-3 दिनों के अंदर, कम से कम दो पूर्व बचाव बैठकों का आयोजन करना चाहिए। सर्वोत्तम तरीका ये होगा की राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों, पुलिस और बचाव दल की टीम कम से कम एक पूर्व -बचाव बैठक में एक साथ उपस्थित हो। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को सरकारी अधिकारी को बचाव से पूर्व शामिल होने वाले अधिकारीयों की एक बचाव बैठक रखने का अनुरोध करना चाहिए और उन सरकारी प्रतिनिधियों को निर्देशित करना चाहिए की वे पूर्व बचाव बैठक के लिए उपस्थित हों। यदि ये लगता है की प्रतिनिधिगण बंधुआ मजदूरी के मुद्दे के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, तो गैर सरकारी संगठन इस अवसर	3. विस्तृत जांच के लिए प्रक्रिया विभिन्न मुद्दों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों को जागरूक करना चाहिए। इस तरह के मुद्दें जिन पे चर्चा होनी है इनमे बंधुआ मजदूर के पहचान की प्रक्रिया एवं बंधुआ मजदूरी से जुड़े हुए मिथक और वास्तविकताएँ को ज़रूर शामिल करें.

का लाभ लेते हुए इस बैठक के दौरान बंधुआ मजदूरी कानूनों और प्रक्रियाओं पर अधिकारियों को शिक्षित करने का अवसर ले लेना चाहिए। एक बार बचाव तिथियों का समय-सारणी सरकारी अधिकारी द्वारा तय कि जा चुका हो तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को एक और आंतरिक पूर्व बचाव बैठक का आयोजन करना चाहिए। कम से कम 2-3 सामरिक बैठकें सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित होनी चाहिए।	

विचारणीय बिंदु

शिकायत: पूर्व बचाव बैठक के दौरान, बंधुआ मजदूरी की घटनाओं पर जिलाधिकारी को या उनके किसी विधिवत अधिकृत अधीनस्थों को एक कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट या लिखित शिकायत दी जा सकती है। शिकायत तैयार करने में अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन की सहायता करनी चाहिए। मुख्य शिकायतकर्ता के रूप में या तो पीड़ित और पीड़ित के परिवार, जिला प्रशासन या पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं जैसा की 1.2 चरण के तहत बताया गया है । यदि शिकायत बाल मजदूरी के खिलाफ है, तो मजदूरी विभाग को मुख्य शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है ।

बचाव की तारीख: बचाव की तारीख का निर्धारण डी.एम. और राजस्व विभाग, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर करते हैं। बचाव की तारीख के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए । यह डी.एम. की जिम्मेदारी है कि बचाव के समय में मजदूरी विभाग को शामिल करे । सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के नज़रिए से ये आदर्श होगा की शिकायत पत्र दाखिल करने के 24 घंटे के भीतर बचाव तारीख निर्धारित किया जाए ।

जोखिम का आकलन: बचाव में शामिल जोखिम को कम करने और रोकने के लिए, गैर सरकारी संस्था को व्यवस्थित जोखिम का मूल्यांकन और इसके तहत योजना बनानी चाहिए. विभिन्न संकेतों को जैसे की खोजबीन की जगह कहाँ स्थित है, तस्कर

का प्रोफाइल और आरोपियों की सामाजिक स्थिति की जाँच की जानी चाहिए जिससे जोखिम का आंकलन हो सके। जोखिम को कम करने के लिए संभव प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में आपात योजना अत्यंत सावधानी के साथ बनाई जानी चाहिए। गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को आरोपियों की चल-अचल संपत्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए । यह अधिकारियों के लिए जब्ती प्रक्रिया के दौरान उपयोगी जानकारी साबित हो सकती है

दल का नेता नियुक्त करें: दल के नेता की नियुक्ति करें जो रणनीति और बचाव के दौरान लिए जाने वाले कदमों को समझाए। दल के नेता को बचाव अभियान में भाग लेने वालों को भूमिका और जिम्मेदारी आवंटित करना चाहिए और वह संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए संपर्क का एक बिंदु होना चाहिए। प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करें जो की, बचाव साइटों के लक्षियत संख्या और पीड़ितों की संभावित संख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक समूह के लिए दल के नेता की नियुक्ति करें । सभी प्रतिभागियों के नाम और संपर्क विवरण, टीम के नेता, भूमिकाओं और प्रत्येक समूह की जिम्मेदारियों को साझा करें।

बंधुआ मजदूरी कानून से परिचित: बचाव में भाग लेने के लिए पहले, बचाव दल के सदस्यों को बंधुआ / बेगार और प्रासंगिक कानूनों पर क़ानूनी स्थिति के बारे में खुद को परिचित कर लेना चाहिए।

टीम की गैर-भागीदारी: किसी भी परिस्थिति में जो टीम पहचान/ सत्यापन/ खुफिया जानकारी जुटाने में जुटी हो उसे बचाव कार्य में शामिल नही किया जाना चाहिए।

बचाव पूर्व जांच सूची:

- **बचाव किट तैयार करें:** किट में शामिल हैं लेखन सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पीने के पानी, नमकीन), प्राथमिक चिकित्सा किट, वाहन, प्रिंटर और कार्टरिड्ज, लैपटॉप और चारजर, संदर्भ सामग्री जैसे की इस तरह के मामले में कानून और अधिकारिक अधिनियम, उन जिलों, गांवों, पुलिस स्टेशनों के नाम जहाँ पीड़ितों का निवास स्थान हो। किट में कपड़े, नहाने -धोने का सामान, खाना, पीने का पानी, कार्य-पुस्तिका, क्रेयोंस रंगीन पेन्सिल्स भी शामिल करें(अगर बचाव गए पीड़ितों में नाबालिकभी हों). यह सब सामान जुटाने के लिए चिन्हित व्यक्ति की नियुक्ति बचाव की तिथि से अग्रिम ही कर लें।

- **आश्रय गृह को सतर्क करें:** बचाव के स्थान पर सरकार संचालित/गैर-सरकारी संगठन संचालित विश्वसनीय आश्रय घरों को संभावित बचाए जाने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, तारीख के बारे में और कब आश्रय घरों के लिए लाया जाने

की संभावना के बारे में सतर्क करें[80]। इस बात को सुनिश्चित करें कि गैर सरकारी संगठन संचालित आश्रय घरों को सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। इसे संपूर्ण गोपनीयता में किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान के बारे में जानकारी रिसाव नहीं हो। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के लिए य यह महत्वपूर्ण है की वे विश्वसनीय आश्रय घरों की पहचान करें और एक डेटाबेस को बनाए रखें। इस तरह के एक सूची गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि आवश्यक रूप से जिला मजिस्ट्रेट/ सी.डब्ल्यू.सी को प्रदान करें और अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों के बचाव के बाद उन्हे विश्वसनीय आश्रय घरों में भेजा जाये। गैर सरकारी संगठन विश्वसनीय आश्रय घरों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करे जिसके लिए जब भी संभव हो आपसी समझ समझौता हस्ताक्षरित करे। इसके अलावा, जहां आश्रय घर उपलब्ध नहीं हैं वहाँ रहने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट को संपर्क करें । अगर तुरंत छुड़ाए गये लोगों के लिए आश्रय घरों की व्यवस्था नही हो पाती है, तो इस बात को ध्यान से सुनिश्चित करना चाहिए कि जिलाधिकारी उनके प्रवास और सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे।

- बचाव टीम की सुरक्षा: सुनिश्चित करें कि जिला मजिस्ट्रेट बचाव अभियान के व्यापकता के आधार पर पुलिसकर्मी को शामिल करे। संवेदनशील या उच्च जोखिम वाले स्थानों के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के साथ अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद रहें। किसी भी परिस्थिति में बचाव संचालन पुलिस संरक्षण के बिना नहीं करना चाहिए। जिला प्रशासन को बचाव के आकर के आधार पे प्रासंगिक संख्या में पुलिस की उपस्थिति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

- स्वैच्छिक निकास: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ये निर्धारित करना ज़रूरी है कि क्या चिन्हित बंधुआ मजदूर कार्यस्थल को छोड़ना चाहते है या नही। अगर मज़दूर छूटना नही चाहते हैं, तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मज़दूरों को कानून के तहत अपने अधिकारों के और हकों के प्रति जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि मजदूर के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि मजदूरों को छुड़ाने के लिए कोई दबाव ना डाला जाए और ना ही कोई झूठी जानकारी दी जाए। जानकारी को शिष्टता,

[80] यह बंधुआ बाल श्रम से संबंधित हस्तक्षेप के लिए लागू है या जहाँ पर नाबालिकउनके माता-पिता के बिना बंधुआ मजदूर सुविधाओं पर कार्यरत हैं.।

संवेदनशीलता और सही तरीके से लिया जाए।

- शिकायतकर्ता की सुरक्षा: बंधुआ मज़दूर शिकायतकर्ताओं के बचाव एवम् सुरक्षा को सुनिश्चित करें।

उपयोगी सवालों से परिचित होना :
बचाव में भाग लेने वाले गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले, पूछे जाने वाले सार्थक सवालों से खुद को परिचित करना चाहिए । सुनिश्चित करें कि आप नाम को सही ढंग से रिकॉर्ड करें और आप पीड़ित की मूल भाषा से परिचित हैं । उदाहरण के लिए, पीड़ित अपने नाम का उच्चारण यदि ' गुड्डू ' करे तो पीड़ित से ये स्पष्ट करें कि किसी पहचान पत्र पर भी यही उसका असली नाम है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुक्ति प्रमाणपत्र में और पहचान पत्र में दर्ज पीड़ितों के नाम एक समान हैं।

अधिवक्ता अधिकारियों को ध्यान दिलाए : बंधुआ मजदूर की पहचान उजागर करने के लिए अधिकारियों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बिंदुओं को अधिवक्ता को प्रदर्शित करना चाहिए[81], जैसे कि:-

- बेगार मजदूरी में जरूरी नही है कि शारीरिक बल का ही प्रयोग हो ।
- बंधुआ मजदूर किसी भी उम्र का हो सकता है ।
- बंधुआ मज़दूरी किसी भी अवधि की हो सकता है।
- बी.एल.ए. कोई भी दस्तावेजी सबूत निर्धारित नहीं करता है ।
- बंधुआ ऋण के किसी भी दावे का खंडन करने के लिए सबूत का भार मालिक पर है [82]।
- मजदूरी विभाग नियोक्ता/मालिक के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं विशेष रूप से बाल मजदूरी के मामले में।

---

[82] जबरिया श्रम के अपराधों की जांच के तहत कौन बंधुआ मजदूरी का पीड़ित है (भारत सरकार और बीबीए की 2008 में संयुक्त रूप से प्रकाशन) , इस बारे में जानकारी के लिए देखें यूएनओडीसी की मानक संचालन प्रक्रिया की अनुभाग 3.1

[82] बीएलए की धारा 10,11,12

गैर सरकारी संगठन की सहायता कर रहा अधिवक्ता गवाह नही बन सकता है: गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता जो विचरण के स्तर पर लोक अभियोजक की सहायता करेंगे, उनको बचाव के समय में गवाह नहीं बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यह सलाह दी गई है कि एक और अधिवक्ता को बचाव के समय पर उपस्थिति होना चाहिए जिससे ये सुनिश्चित हो कि जो अधिवक्ता विचरण में सहायता करेंगे वह गवाह नहीं बने हैं । अधिवक्ता जो विचरण के चरण में सहायता करेगा उसे बचाव में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है।

और जानें और कार्रवाई करें

क्या बिना एस.डी.एम. / डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के पुलिस और एक मानव व्यापार रोधी यूनिट या सी.बी.आई. बचाव कार्य संचालित कर सकती है?

हाँ, पुलिस या ए.एच.टी.यू. बिना एस.डी.एम./डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के एक बचाव संचालित कर सकते हैं। हालांकि, एस.डी.एम./डी.एम. के आदेश ओर मौजूदगी के बिना किया गया कोई भी बचाव बेकार जाएगा क्योंकि केवल डी.एम./एस.डी.एम. (या नामित अधिकारी) को ही बी.एल.ए. के तहत पूछताछ के आचरण या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति है[83]।

बिहार और उत्तर प्रदेश में मजदूरी बंधुआ: बिहार और उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूरी की समस्या के बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय II को देखें।

दस्तावेजों के नमूने और मदद की कार्य प्रणाली : विभिन्न प्रासंगिक दस्तावेज में शामिल हैं:

1. पूर्व बचाव बैठक योजना का प्रपत्र का एक नमूना परिशिष्ट 4 में प्रदान किया गया है जिसमे प्रत्येक सदस्य की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान की गयी है ।

2. बंधुआ मजदूरी की मिथकों और वास्तविकताओं, जो कि सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है पर अधिक जानने के लिए परिशिष्ट 5 को देखें।

3. परिशिष्ट 7 बंधुआ मजदूरी पहचान रूप के लिए एक प्रारूप है, जिसमे बंधुआ मजदूर की स्थितियों की पहचान करने के लिए पूछे जाने वाले उपयोगी सवालों की

[83] चरण 5 की धारा 4.1 के तहत (कदम जो उठाए जा सकते हैं), वही, पृष्ठ 15 पर.

एक सूची शामिल है ।

चरण 1.4 बंधुआ मजदूरी मुक्ति की शुरुआत	
समयसीमा: बचाव जिसमे घटना स्थल पर बैठक के साथ बचाव संचालन शामिल है, में एक दिन का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूर की मुक्ति योजना से सम्बंधित सभी हितधारकों के साथ मुक्ति योजना आरंभ करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर मुक्ति योजना में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सम्बंधित कानून के अनुसार किया जा रहा है।
टिप्पणी	
बचाव के लिए पहले से मुलाकात: बचाव दल के सदस्यों जिसमे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हों, उनको बचाव करने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले एक आम स्थान पर मुलाकात करनी चाहिए। टीम लीडर को रणनीति, बचाव योजना और भूमिकाओं को दोहराना: टीम लीडर को रणनीति समझानी चाहिए जो कि बचाव कार्य और उस दौरान इसके विभिन्न चरणों के लिए अपनाई जाएगी। टीम लीडर को बचाव कार्य में प्रत्येक टीम के सदस्य की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को बतलाना चाहिए और कोई भी संयौन हों तो दूर करना चाहिए। एक निगरानी टीम जिसमे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल हों, को	जैसा की नीचे दिए गए चरणों में वर्णित है, अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यह सुनिश्चित करके कि बचाव अभियान में प्रचलित कानूनों के अनुपालन किया गया है और सफल रहा है।

<table>
<tr><td>तैनात किया जाना चाहिए जो बचाव की जगह के पास एक स्थान पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चेतावनी के बारे में जानकारी प्रदान करे।</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">ध्यान देने के बिंदु</td></tr>
<tr><td colspan="2">जांच की शुरुआत: डी.एम. / एस.डी.एम. बंधुआ मजदूरी की घटना की जांच की शुरुआत बचाव स्थल से ही शुरू करते हैं ।

डी.एम. / एस.डी.एम. ही पहचान करेंगे की कौन बंधुआ मजदूर हैं - यह डी.एम. / एस.डी.एम. ही हैं जो पहचान करेंगे की कौन बंधुआ मजदूरों हैं और किसी भी शिकायत / कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट के आधार पर केवल वही एक जांच का संचालन करने के लिए अधिकृत हैं।

कौन बचाव के लिए जाएगा?: आदर्श रूप में बचाव टीम की संरचना वयस्क बंधुआ मजदूर बचाव के मामले में इस प्रकार होना चाहिए:

• जिला प्रशासन से कम से कम एक अधिकारी (एस.डी.एम. / एस.डी.ओ. , तहसीलदार या किसी अन्य राजस्व अधिकारियों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित किया गया है),

• पुलिस विभाग के अधिकारी और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करता है)।

• बाल मजदूरी बचाव के मामले में, बचाव दल में बाल मजदूरी पर टास्क फोर्स के सदस्य जिसमे कम से कम एक अधिकारी मजदूरी विभाग से, जिला प्रशासन (एस.डी.एम. / एस.डी.ओ., तहसीलदार या किसी अन्य राजस्व अधिकारियों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित हो), पुलिस विभाग से अधिकारी, और गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करता है) को बचाव टीम में शामिल करना चाहिए।

• बचाव दल भी पर्याप्त रूप से (महिला पीड़ित के मामले में) महिला सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।</td></tr>
</table>

पुलिस के लिए जाँच सूची :

-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को जिला अधिकारियों और उनके साथ बचाव अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों के लिए एक जांच सूची प्रदान करनी चाहिए। जांच सूची में प्रत्येक अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को शामिल करना चाहिए।

मीडिया को शामिल करना:

बचाव के सफल समापन के बाद ही मीडिया को शामिल करना चाहिए, क्योंकि सूचना की पूर्व जानकारी देने से सूचना लीक हो सकती है। हालाँकि बंधुआ मजदूरों की रिहाई के संबंध में मीडिया को सम्मिल्लित करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए चाहिए:

- सही तथ्यों को ही बताए। जब भी संख्या को बताना हो तो सूत्र की जानकारी देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दी जाने वाली खबर को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

- एक संगठन मीडिया नीति मसौदा तैयार करे जिसमे उन प्रतिनिधियों के नाम प्रदान करें, जो मीडिया से बात करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि एक अनुभवी व्यक्ति को मीडिया से बात करने के लिए नामित किया जाए।

- जब कभी गलत तरीके से उद्धरण किया जाए तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भूल की सुधार के लिए लिखित रूप से अनुरोध करना चाहिए।

- मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा उपयोगी रहता है।

- बंधुआ मजदूरी पर कहानियों को साझा करने का उद्देश्य हमेशा ही जागरूकता पैदा करना, बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने, जनता की राय को आकार देना और बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। कहानियाँ देते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहानी को कोई राजनीतिक रंग प्राप्त ना हो।

- गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया घरानों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने जिलों में मीडिया की एक आंतरिक डेटाबेस तैयार करना उपयोगी साबित होता है।

- यदि मुक्त किये गए पीड़ितों / पीड़ित असहज महसूस करते हैं और अपनी कहानी को साझा नहीं करना चाहते हैं तो मीडिया को कहानी मत बताइए। सामर्थ्य के अंतर अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए क्योंकि सहमति के विचार का मतलब हो सकता है कि पीड़ित बिना निहितार्थ को समझे और बिना स्थिति से

आश्वस्त हुए शायद सहमति प्रदान कर रहा है। पीड़ितों और उनके परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी का खुलासा न करें (जैसे नाम, फोटो या घर के गांवों के रूप में) जिससे कि पीड़ित खतरे में पड़ जायें।

- गैर सरकारी संगठन को नाबलिकों पर रिपोर्टिंग के मामले में मानक अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के साथ खुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए।

- कभी भी पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों से सहमति प्राप्त किए बिना कोई कहानी साझा ना करें। एक सहमति फार्म को बनायें और उनके हस्ताक्षर या थंबप्रिंट लेने से पहले पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों को पढ़ के समझाएँ।

यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को शामिल करने से कोई बचाव ख़तरे में तो नही पड़ेगा।
- सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों को उनकी कहानियों बताने के लिए कभी विवश या मजबूर नहीं करना चाहिए।
- कहानी को प्रकाशित करने से पूर्व पीड़ित की सहमति ज़रूर लेनी चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाव के दौरान महत्वपूर्ण रणनीतियाँ[84] : बचाव अभियान चलाने की प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित करें कि बचाव दल सामरिक क्षेत्रों को घेर ले, प्रवेश और निकास बिंदुओं को कब्जा कर ले, छुपने के स्थानों की जानकारी ले और सुरक्षित स्थान की पहचान करे जहाँ बचाए हुए लोगों को रखा जा सकता है।

नमूना दस्तावेजों और अभ्यास मदद: बंधुआ मजदूर हस्तक्षेप के बारे में एक अधिवक्ता का बचाव चेकलिस्ट को परिशिष्ट -4 ए में देखा जा सकता है। इस दस्तावेज का उल्लेख अधिवक्ता और गैर-सरकारी संगठन सरकारी अधिकारियों की सहायता करने के लिए बचाव अभियान के पहले, दौरान और बाद में कर सकते हैं।

[84] धारा 4.1 के तहत चरण 2 (कदम जो उठाए जा सके हैं है), यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पृष्ठ 15 पर

विभिन्न एजेंसियों की भूमिका :

प्रशासन (डी.एम. / एस.डी.एम. / तहसीलदार): शिकायत प्राप्त होने पर, डी.एम. / एस.डी.एम. / तहसीलदार एक तत्पर जांच करने के लिए एक टीम का गठन करें जिससे कि बंधुआ मजदूरों की पहचान, बचाव और पुनर्वास कार्य हो। वे स्थानीय पुलिस अधिकार को एक एफ.आई.आर. दर्ज करने और अपराध की जांच करने का भी निर्देश देंगे। डी.एम. / एस.डी.एम. बी.एल.ए. के प्रावधानों के तहत सारांश ट्रायल संचालित करेंगे।

मजदूरी अधिकारी: मजदूरी अधिकारी जाँच के दौरान डी.एम. / एस.डी.एम. / तहसीलदार की सहायता करेंगे और मजदूरों के बयान दर्ज करेंगे जिससे कि विभिन्न मजदूरी कानूनों से संबंधित प्रावधानों जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका मजदूरी अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों कर्मकार अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, समान पारिश्रमिक आदि राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम आदि का भुगतान के उल्लंघन के लिए अभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

पुलिस अधिकारी: संबंधित पुलिस अधिकारी का कार्य जांच अधिकारी की सहायता करना, साथ मौजूद रहना और जांच के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर बनाए रखना है। उनका कार्य मौके पर खोज, जब्ती का संचालन और सबूत इकट्ठा करना है। वे संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और जाँच का कार्य करेंगे।

सतर्कता समिति के सदस्य: सतर्कता समिति के सदस्यों का कार्य जांच अधिकारी की सहायता करना और साथ में मौजूद रहना है।

एन.एच.आर.सी.: एन.एच.आर.सी. के समक्ष घटना स्थल की जाँच, बचाव और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के बारे में शिकायत सीधे दायर की जा सकती है। एन.एच.आर.सी. को ये सुनिश्चित करना है कि स्थानीय प्रशासन विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करें.

चरण 1.5 बंधुआ मजदूरी बचाव साईट सुरक्षित करना	
समयसीमा: बचाव साईट सुरक्षित करने में 1 दिन का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को पुलिस की सहायता करनी चाहिए और यह	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और पुलिस को (यदि आवश्यक हो) बचाव-

सुनिश्चित करना चाहिए की बचाव-स्थल सुरक्षित की गयी है और कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य खोया या छुटा नही है।	**स्थल को सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए ।**
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि पुलिस कर्मियों की मदद से आरोपियों को बचाव की जगह[85] **से इनक्रिमिनेटिंग सबूतों को छुपाने या हटाने में, या पीड़ितों को बचाव की जगह से हटाने, या एक भीड़ को एकत्रित करके सबूत को नष्ट करने की कोशिश करने से आरोपियों को रोक सकता है।** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिसकर्मी तुरंत बचाव साइट[86] की परिधि को कब्ज़े में लें और इसमें किसी तीसरे पक्ष को अंदर आने से सुरक्षित रखें। जानकारी के बाहर जाने से रोकने के लिए, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पुलिस को सलाह देनी चाहिए की ठेकेदारों, पीड़ितों, आदि के मोबाइल फोन को अपने हिरासत में ले लें।	अधिवक्ता को जांच स्थल को सुरक्षित करने के लिए गैर सरकारी संस्थान और पुलिस की सहायता करनी चाहिए। यदि **बचाव** में अधिवक्ता भाग नहीं लेता है तो अधिवक्ता का बचाव अभियान के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सरकारी संस्थान को सलाह देनी **चाहिए।**

[85] धारा 4.1 के तहत चरण 2 (कदम जो उठाए जा सकते हैं), यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं , (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन) , पृष्ठ 15 पर

1.6 चरण आरोपियों को बंधुआ मजदूरों से अलग करना (बचाव वाले दिन)	
समयसीमा: आरोपी से बंधुआ मजदूरों को अलग करने की प्रक्रिया बचाव वाले दिन ही पूरी कर लेनी चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अपराधियों से बंधुआ मज़दूरी के पीड़ितों को अलग करने और उन्हें बचाव-स्थल पर एक खुले क्षेत्र में ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो पुलिस को इस प्रक्रिया में सलाह प्रदान करनी चाहिए। एक निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों को बंधुआ मजदूरों से अलग करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को पुलिस की मदद करके तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी से पीड़ितों का उत्पीड़न और धमकी को रोकने के लिए उन्हे फ़ौरन अलग किया जाए। एक खुले क्षेत्र में पीड़ितों को एकत्रित करें और मजदूरों की संख्या परिवार के अनुसार व्यवयस्थित करें।	अधिवक्ता गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को अवश्य बताएँ कि इस प्रक्रिया के दौरान वे किसी भी व्यक्ति पर हिंसा और बल का प्रयोग ना करें। अधिवक्ता को पीड़ितों और सरकारी टीम को सुरक्षित हटाए जाने में और खुले इलाक़े में सुगम जगह प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

बिंदुओं को नोट करें

पीड़ितों के लिए प्रथम प्रतिक्रिया: पीड़ितों को अलग करते समय और उन्हें एक सुरक्षित ऑनसाइट पर लाते समय यह सुनिश्चित करें कि उन्हे सूचित किया जाए कि यहाँ पर क्या कार्यवाही चल रही है, क्यों पुलिस और अन्य लोगों सुविधा-केंद्र पर आए हैं, और क्यों उन्हे मुक्त कराया जा रहा है। [87]

[87] धारा 4.2 के तहत 2 (कदम जो उठाए जा सकते हैं) , यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रियाओं , (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन) , पृष्ठ 16 पर

पीड़ितों को खुले क्षेत्र में ले जाना: गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को एक खुले क्षेत्र में एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा हो तो उस समय आरोपी उपस्थित ना हों।

1.7 चरण बंधुआ मजदूर के साक्ष्य का एकत्रीकरण (बचाव वाले दिन)
समयसीमा: आदर्शतः बंधुआ मजदूर के बारे में सबूत जुटाने की प्रक्रिया को बचाव के एक ही दिन के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, जो कि मुक्त कराए गये मजदूरों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है ।

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ मजदूरी की मौजूदगी से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य को इकट्ठा करे।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के विषय में सबूतों को कानूनी रूप में संग्रह करने की प्रक्रिया के बारे में सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस पंचनामा/ जब्ती ज्ञापन में सभी उपलब्ध साक्ष्य को शामिल करे।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे संभावित सबूत जिसमे स्वामित्व या किरायेदारी संबंधित दस्तावेज़, खातों, खातों की पुस्तकों, बिजली बिल, टेलीफोन, पानी और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगर निगम के कर प्राप्तियों, यात्रा दस्तावेज और अन्य भौतिक सबूत, लाइसेंस या किसी उपयुक्त अधिकारियों का अनापात्ति प्रमाणपत्र, खतरनाक वस्तुओं, उपकरण, आदि (यदि हो तो) जिनसे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा उपभोग	अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य के संग्रह के संबंध में संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बारे में गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को स्वयं महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल नही करना चाहिए। अधिवक्ता को गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बचाव की प्रक्रिया के दौरान वे किसी भी

किया जाता हो, उसे गवाहों / स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा एकत्रित कर लिया जाए।	व्यक्ति पर शारीरिक बल और हिंसा का उपयोग करने से परहेज करें। अधिवक्ता ये सुनिश्चित करे (यदि बचाव में उपस्थित हो तो) या गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दे कि पुलिस मौके पर गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा / जब्ती ज्ञापन और साइट मानचित्र तैयार करे जो कि गवाहों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किए जाए। जो अधिवक्ता एक गवाह के रूप में शामिल किया जाता है, वह अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व उनके कानूनी सलाहकर के रूप में नहीं कर सकता है।

विचारणीया बिंदु
गवाह: बचाव टीम का साथ देने वाले गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता को खोज और जब्ती के प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र गवाह बनाया जा सकता है। **पूरे बचाव स्थल को खोजें:** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव स्थल की पूरी तरह से जाँच की गयी है और कहीं पीड़ितों को बक्से, आटिक्स, शौचालय, केबिन, बंद कमरे आदि में तो छिपा कर नही रखा गया है। गैर सरकारी संगठन मुक्त किए गये व्यक्तियों की मदद छिपाये गये पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ढूँडने के लिए ले सकते हैं। **पुलिसे और सरकारी अधिकारियों को गवाह बनाना सुनिश्चित करें:** गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बचाव में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को गवाह बनाया जाए। **महत्वपूर्ण सबूत की सूची एकत्र करना:** बचाव अभियान से पहले महत्वपूर्ण सबूत की

सूची से खुद को परिचित करें जिससे कि आपको जानकारी हो की किस तरह के सबूतों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। इस सूची को आप बचाव के समय उपस्थित पुलिस अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं।

पुलिस अधिकारियों को सहायता: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों / अधिवक्ता साक्ष्यों के संग्रह के दौरान पुलिस अधिकारियों की केवल सहायता कर सकते हैं और स्वयं इसे उपार्जित नहीं कर सकते।

और जानें और कार्रवाई करें

महत्वपूर्ण सबूत के संरक्षण: महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे की खाते किताबें, व्यापार रिकॉर्ड और अन्य प्रसंगिक दस्तावेज़ों के संरक्षण में गैर सरकारी संस्थान पुलिस की सहायता कर सकता है। वे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को अध्ययन करके एक नोट बनाने के साथ तस्वीरों भी ले सकते हैं जो कि अपराधियों को प्रासंगिक दस्तावेज को छुपाने और नष्ट करने से रोकने में सहायता कर सकता है यदि पुलिस इस तरह की सामग्री को अग्रिम औपचारिक जांच के दौरान जब्त करने के लिए वापस आना चाहे तो।

क्या साक्ष्य एकत्र किया जा सकता है? क्या सार साक्ष्य एकत्रित करने की जरूरत है और जाँच के दौरान इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए परिशिष्ट 8 को उद्घृत करें। परिशिष्ट का उल्लेख लेने के बाद, एक सामग्री सूची बनाए जो कि बंधुआ मजदूरी के जांच और सुनवाई के दौरान प्रासंगिक होगा।

चरण 1.8 बंधुआ मजदूर के बयान का रेकॉर्डिंग (बचाव वाले दिन)	
समय: बयान दर्ज बचाव के ही दिन पर किया जाना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी के तत्वों की मौजूदगी को निर्धारित करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले प्रारंभिक सवालों पर सलाह देना चाहिए और पीड़ितों को उनके बयान

	की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से पहले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधि **को** यह सुनिश्चित करना चाहिए **की** प्रारंभिक जांच को तत्काल और एक सुरक्षित वातावरण में आयोजित करें। गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को पीड़ितों को अधिकारियों के समक्ष किसी भी भय के बिना बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जांच पीड़ितों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को अधिकारियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। पीड़ितों के बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को एस.डी.एम./मजदूरी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि बयानों से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिले जैसे क़ी: 1. आपकी मजदूरी कितनी हैं? 2. अग्रिम / ऋण के रूप में कितना प्राप्त किया गया है? 3. किस प्रणाली से ऋण को चुकाया जाता था? 4. कितने समय से वे मलिक के यहाँ पर सेवा कर रहा है? 5. क्या उनके साथ दुर्व्यवहार और / या मारपीट की गई?	अधिवक्ता को बचाव दल के अधिकारियों को पीड़ित से पूछे जाने वाले प्रारंभिक सवालों पर सलाह देनी चाहिए जिससे की बंधुआ मजदूर परिस्थितियों के अस्तित्व का निर्धारण किया जा सजके। इसमें शामिल है: • क्या आपने मालिक से कोई अग्रिम लिया है? • क्या आप कहीं और काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्या आप अपनी अग्रिम भुगतान को वापसी के बिना छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं? • आपकी मजदूरी कितनी हैं? • क्या आप के साथ दुर्व्यवहार और / या मारपीट की गई है? अधिवक्ता को पीड़ित को, उनके बयान दर्ज होने से पहले, अनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए चाहिए। अधिवक्ता को तुरंत मजदूरों को सूचित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरी अवैध है और उनके पास दासता से मुक्त होने का कानूनी अधिकार है। अधिवक्ता को मजदूरों को आश्वस्त करना चाहिए कि कानून के तहत उनके मालिक से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

6. आप और कहीं काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? 7. क्या आप अपने अग्रिम भुगतान को अदा किए बिना छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं? पीड़ितों को निर्भीकता और सच्चाई से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकारी अधिकारियों को दुर्व्यव्यहरों के प्रकार के बारे में विशेष रूप से जानकारी दें और यौन शोषण, शारीरिक शोषण, मौखिक दुरुपयोग, अपहरण जैसे अपराधिक कृत्य जो कि बंधुआ मजदूरों की परिस्थितियाँ से जुड़े हुए हैं उनकी पहचान करने में सहायता करें।	अधिवक्ता को अन्य अपराधों जैसे की अपहरण, मारपीट और यौन शोषण, के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे की क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों को अभिमंत्रित किया जा सके जिनका उल्लंघन किया गया है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की जांच का ध्यान क्या निम्नलिखित मौजूद जबरन मजदूरी परिस्थितियों के आधार पर केंद्रित है: • मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी • रोजगार और आवागमन की स्वतंत्रता प्रतिबंधित बाजार मूल्य पर संपत्ति या उत्पाद बेचने का अधिकार पर प्रतिबंध

विचारणीया बिंदु
जांच के चरण: बचाव की परिस्थितियों के आधार पर जाँच निर्धारण किया जाएगा कि या तो: **i. पूरी तरह बचाव की साइट पर हो : इस मामले में, पूछताछ और बयान (चरण 1.8 और 1.10) बचाव के स्थल पर दर्ज होंगे, जिसके बाद मुक्त कराए व्यक्तियों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा (चरण 1.9)** **ii. बचाव और साइट से अलग स्थल पर: इस मामले में, एक प्रारंभिक जांच बचाव के स्थल पर आयोजित किया जाता है जिसमें राजस्व विभाग के एक अधिकारी / तहसीलदार बंधुआ मजदूरों की परिस्थितियों के बारे में सवाल पूछेंगे, और उसके**

उपरांत जाँच स्थल से महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्रित किया जाता हैं. तदोपरान्त बचाए मजदूर (चरण 1.8) को एक सुरक्षित स्थान में स्थानांतरित किया जाता है (चरण 1.9) जहां उनके बयान दर्ज होंगे और मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा (चरण 1.10).

जब एक बचाया गया व्यक्ति 18 साल की उम्र से कम है:

एक बंधुआ मजदूर के केंद्र से बचाए गए नाबलिकों की अनिवार्य उम्र निर्धारण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। हालांकि, इस तरह की सुविधा-केन्द्रों से बचाए गए नाबलिकों को आम तौर पर दो श्रेणियों में बाँटा जाता हा:

i. नाबालिकजिनको उनके माता पिता / अभिभावक के साथ मुक्त कराया हो: अगर नाबालिकको उसकी / उसके परिवार के साथ मुक्त कराया जाता है, तो नाबालिक साथ ही रहेगा और उसके परिवार के साथ ही मुक्त किया जाएगा जाएगा।

ii. माता-पिता / अभिभावक को बिना मुक्त कराया गया बच्चा: उचित रूप से ध्यान रखना चाहिए जब ऐसे नाबालिकको मुक्त कराया जाता है जो कि उस केंद्र में अपने माता पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में काम कर रहा है। ऐसे मामले में, जहां बचाया गया व्यक्ति एक नाबालिक है, जो कि मजदूरी कानूनों के उल्लंघन में ऐसे सुविधा-केंद्र पर अपने माता-पिता या अभिभावक के अनुपस्थिति में कार्य कर रहा है, ऐसे नाबालिकको "नाबालिकजिसे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है" के रूप में धारा 2 (14) (E) जे.जे. अधिनियम में प्रदित विचार किया है और उसे जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए जिससे कि उसकी उम्र निर्धारित हो पाए और नाबालिकको एक सुरक्षात्मक घर में भेजा जाए, जब तक कि उसकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। सी.डब्ल्यू.सी. को सन्दर्भित करने से पहले नाबालिककी चिकित्सा जरूरतों की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए।

बाल कल्याण समिति: बाल कल्याण समिति या "सी.डब्ल्यू.सी" एक वैधानिक निकाय है जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सीडब्ल्यूसी का स्थापित होना आवश्यक है। सीडब्ल्यूसी में एक अध्यक्ष और चार सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनमे से कम से कम एक महिला होनी चाहिए। बाल कल्याण के अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि उन्हे इन मामलों की पूरी जानकारी है। सीडब्ल्यूसी की शक्ति एक

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष है। सीडब्ल्यूसी एक विशेष निकाय है जिसे उन नाबलिकों को जिन्हे देखभाल और संरक्षण की जरूरत है के कल्याण का निर्धारण करने के लिए सृजित किया गया है। कोई भी सीडब्ल्यूसी के समक्ष एक नाबालिकको पेश कर सकता है, जिसे "देखभाल और संरक्षण की जरूरत" है। जे.जे. अधिनियनम 2015 के पारित होने के बाद, सीडब्ल्यूसी ऐसे नाबलिकों जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, के मामलों में निर्णायक प्राधिकरण नही है। जे.जे. अधिनियनम की धारा 27 (10) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण है और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नाबालिकके साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा याचिका दाखिल की जा सकती है, और उस पर वह विचार करके उचित आदेश पारित करेंगे।

मुक्ति पत्र को जारी करना: यदि डी.एम. / एस.डी.एम. को जांच के उपरांत यह पता लगता है कि यह मामला बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, तो वह व्यक्त करेगा कि एक जांच का आयोजन करने के उपरांत व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या में पहचान की गई है कि और उन व्यक्तियों को मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मुक्ति के प्रमाण पत्र व्यक्तियों को उनके बयान के आधार पर दिया जाएगा।

जांच का आयोजन के दौरान निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें:

जांच की प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान किया जाए: गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को रिहा कराए गये लोगों को कुछ खाद्य और पेय पदार्थ तुरंत प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि उनके भूखे होने की संभावना है और जिससे उन्हे गवाही देने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चूँकि बयान लेने में कुछ घंटे का समय लग सकता है इसलिए उन्हे आगे भी पुष्टिकारक पदार्थ दिए जाएँ और सहज बनाएँ रखें, उन्हे आराम का जितना भी मौका संभव हो प्रदान किया जाए।

पीड़िता का साथ गरिमा के साथ व्यवहार करें[88]:

पीड़ित को न्याय की प्रक्रिया को प्राप्त करने का अधिकार है। गैर सरकारी संगठन

[88] पीड़ितों के साथ काम करने पर कदम, यूएनओडीसी मानक संचालन जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर प्रक्रिया, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पृष्ठ 16 को देखें

प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को ये सुनिश्चित करना है की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई पीड़ित के लिए अनुकूल प्रक्रियाओं पर आधारित है या नही। पीड़ित को हमेशा महसूस करवाना चाहिए कि वह एक पीड़ित है और उसका उत्पीड़न नही किया जाना चाहिए। जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में पीड़ित को सूचित रखा जाना चाहिए और उसे हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान मदद और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अप्रसन्न ना हो, यदि पीड़ितों अपमानजनक भाषा का प्रयोग करें चूँकि पीड़ित अभी अभिघात की स्थिति में हैं।

पीड़ित का सर्वोत्तम हित ही सर्वोपरि है : पीड़ितों को उन अपराधों के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर ना करें जिसे वे साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं । पीड़ित को एक प्रशिक्षित काउंसलर के द्वारा परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। पीड़ित को उसकी भाषा में अपने बयान देने में सक्षम करने के लिए अनुवादकों का प्रयोग करें।

गलत जानकारी को दर्ज करने से सावधान रहें: इस बात की संभावना है की पीड़ित जो अभी खतरे का सामना कर रहा है वह इस स्तर पर गलत जानकारी दे दे। गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए हुए बंधुआ मजदूरों के बयान तभी दर्ज किया जाए जबकि पीड़ित बयान देने की स्थिति के लिए सहमत और स्वस्थ चित्त हो। गैर सरकारी संस्थान को पीड़ित को तुरंत बताना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है और किसी भी आशंका / संदेहों का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों का कथन दर्ज करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण: गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को सरकार के अधिकारियों द्वारा बयानों की रिकॉर्डिंग में भाग लेने के लिए अक्सर संपर्क किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जांच में प्रशिक्षित किया गया है। जहाँ भी संभव हो, गैर-सरकारी संगठन के उन प्रतिनिधियों को बचाव के लिए भेजा जाए जो पीड़ित की भाषा से परिचित हैं।

पूछे जा रहे सवाल का अनुश्रवण: अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के दौरान पूछे जाने वालों सवालों पर निगरानी रखनी चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि पूछे जा रहे सवाल निष्पक्ष हैं, सवाल संवेदनशीलता के साथ पूछे जा रहे हैं, जवाब ठीक से दर्ज हो रहे हैं और जांच तुरंत पूरी हो रही है। गैर सरकारी संघठन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन शोषण, उत्पीड़न या नाबलिकों के संबंध में पूछे

जाने वाले प्रश्नों के दौरान विशेष प्रक्रियाओं और विशेष संवेदनशीलता का पालन किया जाए।

जांच मालिकों/आरोपियों को दूर रखकर पूरा किया जाना चाहिए : अधिवक्ता यह सुनिश्चित करना चाहिए की जांच को एक सुरक्षित स्थान पर मालिकों को दूर रखकर पूरी की जा रही है।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाव या छापे के दौरान घटना स्थल पर जांच का उद्देश्य: बंधुआ मुक्ति मोर्चा[89] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकथित किया है कि इस जांच का उद्देश्य बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें अपने कर्ज से मुक्ति दिलाना और उन्हे पुनर्वास के लिए रास्ते पर स्थापित करना है। एक अधिवक्ता को ये सुनिश्चित करना है कि जांच महज एक औपचारिक परीक्षण के रूप में ना आयोजित किया जाए बल्कि बंधुआ मजदूरों की कारगर पहचान की जाए।

प्रमुख जांच रणनीतियाँ जिनके बारे में एक अधिवक्ता को जानकारी होनी चाहिए: सर्वप्रथम, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रत्येक मजदूर से पूछा जाना चाहिए कि i) क्या आपने कोई अग्रिम प्राप्त किया था? ii) क्या आप उस सुविधा-केंद्र को छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे? iii) क्या आप अन्य काम की तलाश करने के लिए स्वतंत्र थे? iv) आपको कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया है?; दूसरे ऐसे सवाल जिसका जवाब असीमित हो वो पूछें (उदाहरण के लिए, आप कैसे इस जगह पर काम करने के लिए आए थे?) तीसरा, ऐसे सवालों को जहाँ तक संभव हो टालने का प्रयास करें जिनका जबाब सीमित हों (जिसका जबाब हाँ या ना हो) जब तक कि कोई विशिष्ट मुद्दे को स्पष्ट ना कर दिया जाए।

जांच को हमेशा कथित अपराधियों या सुविधा-केंद्र के प्रबंधकों की उन्पस्थिति में ही आयोजित किया जाना चाहिए: फिर से ऊपर के मामले में[90], सुप्रीम कोर्ट ने अधिकथित किया है कि जब बंधुआ मजदूरों को किसी जांच में साक्षात्कार किया जा रहा है तो उस समय सुविधा-केंद्र के मालिकों को उपस्थित नही रहना चाहिए। कोर्ट ने और आगे भी अभिकथन किया है कि इस प्रकार के मजदूर को उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए।

[89] एईआर 1984 एससी 802, पैरा 34
[90] एईआर 1984 एससी 802 , पैरा 37

अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया है कि पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निम्न उपायों को रखा जाए :

- पीड़ितों के साथ करुणा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय के तंत्र के उपयोग करने के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)
- पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान समुचित सहायता प्रदान किया जाना चाहिए (सिद्धांत 6 (c))
- ऐसे उपाय आवश्यक रूप से किए जाएँ जिससे पीड़ित को कम से कम असुविधा हो और उनकी निजता को संरक्षित किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उनके साथ-साथ उनके परिवारों और उनकी ओर से गवाहों को भी धमकी और प्रतिशोध से सुरक्षा मिले (सिद्धांत 6 (d))
- पीड़ितों को मुआवजे के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए (सिद्धांत 12 (1))
- पीड़ितों के हित्त के मामलों को निपटने में और आदेशों के निष्पादन में अनावश्यक देरी करने से बचें को पंचाट वाले । (सिद्धांत 6 (a))

अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के घोषणा पत्र के मूल अध्याय को यहाँ से अभिगमन किया जा सकता है।

नमूना दस्तावेज़ और जांच सवालों की सूची के लिए अभ्यास सहायता: बंधुआ मजदूर की पहचान के लिए सवालों की एक सँस्तुत सूची प्रारूप में परिशिष्ट 7 में प्रदान की जाती है ।

चरण 1.9 बंधुआ मजदूरों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना (बचाव वाले दिन)	
समयसीमा : बंधुआ मजदूरों को बचाव करने के दिन / 24 घंटे में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरों को अपना सामान इकट्ठा करने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूरों को अपराधियों के उत्पीड़न एवं खतरों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस थाना में एक आवेदन दाखिल करना चाहिए।

टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूरों को, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद, बचाव साइट जल्द से जल्द हटा दिया जाय। पीड़ितों को इस प्रकार के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाना चाहिए: • कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कार्यालय, • सरकारी स्कूलों, • सामुदायिक भवन, आदि ऐसे घटना में जहां छुड़ाए गये पीड़ितों को किसी अन्य स्थान में नहीं ले जाया जा सकता है जैसे कि जब मजदूर अपने कार्यस्थल छोड़ना नहीं चाहता और एक ही मालिक के पास काम करना चाहता है और या जब मजदूर गांव में ही रह रहे हों (कृषि श्रमिकों के मामले में) तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पीड़ितों की रक्षा के लिए साइट पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों की व्यवस्था हैं।	अगर घटना में बचाए गये पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो अधिवक्ता को एक संरक्षण आदेश को प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कृषि बंधुआ मजदूरी में बचाव के मामले में, मजदूरों को उनके नियोक्ता द्वारा प्रदप्त की गई झोपड़ी या कृषि फार्म में रहते हैं। ऐसे मामलों में, अधिवक्ता को पुलिस से संपर्क करके सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को उसके मालिक (जो कि आसपास ही रहते हैं) के डराने धमकाने और आतंक से रोकने के लिए कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को प्रदान करना चाहिए। अगर मुक्त कराए गये पीड़ित अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में भय व्यक्त करे तो अधिवक्ता को एक उत्पीड़न संरक्षण पत्र को दर्ज करना चाहिए। पीड़ितों की सभी आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए और तुरंत आवश्यक कार्यवही करनी चाहिए।

विचारणीय बिंदु
नाबलिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना: अगर मामले में बंधुआ मजदूर एक नाबालिक है, तो यह सुनिश्चित करें कि नाबालिक अपने माता-पिता से अलग न हो। सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें: बचाव मौके परसभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा को सुनिश्चित करें। जिन मामलों में शिकायत से ये पता चलता है कि आरोपी का हिंसक उत्पीड़न का इतिहास है वहाँ विशेष ध्यान रखना चाहिए।

<table>
<tr><th colspan="2">अधिक जानें और कार्रवाई करें</th></tr>
<tr><td colspan="2">बेदखली के खिलाफ संरक्षण: बंधुआ मजदूरी अधिनियम की धारा 19 मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों को बेदखली करने से सुरक्षा प्रदान करता है।

उत्पीड़न संरक्षण पत्र: मुक्ति के दिन या तो पीड़ित द्वारा या एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, हर पीड़ित के क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस स्टेशन में एक सुरक्षा पत्र या ज्ञापन दायर किया जा सकता है जिससे कि उसकी अपराधियों से निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पत्र का एक नमूना परिशिष्ट 9 में देखा जा सकता है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.10 चरण बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति (1 से 3 दिन)</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन</td><td>अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को एस.डी.एम. या उनके अधीनस्थ नामित अधिकारी को एक आवेदन देते हुए बंधुआ मजदूर के पक्ष में मुक्ति आदेश एवं मुक्ति प्रमाण पत्र को शीघ्र जारी करने का अनुरोध करना चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के साथ एस.डी.एम के कार्यालय जाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ मजदूर के पक्ष में मुक्ति आदेश एवं मुक्ति प्रमाण पत्र कानूनी रूप से तुरंत सभी बंधुआ मजदूरों को जारी हुआ है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :

• एस.डी.एम. को लिखित रूप से एक अनुरोध करे कि रिहाई ऑर्डर पारित कर रिहाई प्रमाण पत्र जारी करें।

• बचाव के तुरंत बाद प्रत्येक बचाए गये बंधुआ मजदूर को उप मंडल मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामित अधिकारी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।

• रिहाई आदेश एस.डी.एम. द्वारा पारित किया जाता है</td><td>अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के रिहाई आदेश और प्रमाण पत्र हासिल करें।

यदि डी.एम. रिहाई प्रमाण पत्र देने और मुक्ति आदेश पारित करने की प्राथना को नही स्वीकारता है, तब अधिवक्ता को आर.टी.आई. आवेदन दायर करके इस तरह के इनकार के कारणों को पूछना चाहिए। अधिवक्ता मसौदा तैयार कर लिखित शिकायत और रिट याचिका भी</td></tr>
</table>

• रिहाई आदेश में प्रत्येक मजदूर व्यक्ति के नाम दर्ज हो और वह यह घोषणा करे कि वे बंधुआ मजदूरी से आधिकारिक तौर पर मुक्त हो गये है। अगर एसडी.एम. अनिच्छुक है तो प्रतिनिधि डी.एम. से आग्रह कर सकते हैं। यदि इससे भी कार्य नहीं होता है तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों से कारण पूछने के लिए एक आरटीआई आवेदन दायर कर सकता है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर ऊपर दिए गये सभी प्रयास विफल रहतें हैं तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करें।	दायर करे और उचित मंचों के समक्ष आवेदन पत्र दर्ज करे। अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सलाह देने और मुक्ति ऑर्डर / प्रमाण पत्र हासिल करने में सहायता करें। रिहाई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के आवेदन के लिए अधिवक्ता को ड्राफ्ट के साथ तैयार रहना चाहिए। रिहाई के प्रमाण पत्र को एक प्रारूप को भी सन्दर्भीत कर लें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक जानकारी हासिल कर ली गई है।

विचारणीय बिंदु

मुक्ति आदेश कब दिए जाते हैं?

जाँच पूरी होते ही यह कदम अपना लिया जाता है। अगर साइट पर जांच पूरी हो गई है, तो मुक्ति आदेश साइट पर ही दिए जाते हैं, लेकिन जब जांचकार्य साइट से बाहर पूरा हो गया है, तो मुक्ति आदेश साइट से बाहर प्रदान किए जाते हैं (अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें चरण 1.8 के तहत विचार करने के लिए मुद्दे)। मुक्ति आदेश जारी ना करने की स्थिति में गैर सरकारी संगठन हस्तक्षेप कर सकते हैं ।

मुक्ति प्रमाण-पत्र कब जानी किये जाने चाहिए?

केंद्रीय प्रायोजित योजना(CSS), 2016 में दिनांक 23.06.2017 को हुए संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया है के मुक्ति प्रमाणपत्र पीड़ित को

बचावकार्य के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए। हलाकि, यह जान लेना आवश्यक है के दिनांक 17.05.2016 को जारी हुए CSS स्कीम के अंतर्गत इस मामले में अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई थी की मुक्त पीड़ितों को मुक्ति प्रमाण-पत्र कब जारी किये जाने चाहिए क्यूंकि CSS, 2016 के अंतर्गत मुक्ति प्रमाण-पत्र के उपलब्ध प्रारूप में कुछ अनुभागों में अभियोजन समाप्ति की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक बताया गया था. परन्तु, श्रम और रोजगार विभाग (MoLE), भारत सरकार ने दिनांक 23.6.2017 को उक्त मुक्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में आवश्यक शंशोधन कर प्रारूप से अनुभाग 16 से 19 तक को संशोधित कर हटाने का निर्णय लिया है जिसमे अभियोजन समाप्ति की तारीख एवं अन्य अव्यवहारिक प्रश्न शामिल थे। अतः 2017 में किये संशोधन के अनुरूप मुक्त हुए पीड़ितों को बचाव कार्य से तुरंत बाद मुक्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य हो गया है।

अंतरराज्यीय मुक्ति प्रमाण पत्र: एक अंतरराज्यीय बचाव में मुक्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। बी.एल. अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यह जिला मजिस्ट्रेट का उत्तरदायित्व है कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर घटित होने वाली बंधुआ मजदूर प्रणाली के अस्तित्व में वह पूछताछ के मकसद से जाँच और कार्रवाई करके ऐसे बेगार की प्रथा को उन्मूलित करे। इसलिए, धारा 12 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट उन प्रवासी मजदूरों को मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं, जो बंधुआ मजदूर उसके अधिकार क्षेत्र की प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत पाया गया हो।

स्वतंत्रता भाषण: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सरकारी अधिकारी एक ऐसा स्वतंत्रता संबंधित भाषण दे जिससे की मुक्त कराए गये व्यक्तियों को बताया जा सके की उनको दासता से मुक्ति दिलाई जा चुकी है, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और इस बात को समझाया जाए कि उन्हे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसे सहेज कर रखना है।

अंतरिम मुआवजा: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्ति ऑर्डर उपयुक्त अधिकारियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रुपए 1000 की अंतरिम राहत सहायता प्रत्येक बंधुआ मजदूरी पीड़ित को जारी करने के लिए निर्देशित करे। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए के नए CSS स्कीम के अंतर्गत रुपये 20,000 की तत्काल सहायता राशी प्रत्येक बंधुआ मजदूरी से छुडाये गए पीड़ित

को जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से डी.एम. द्वारा उपलब्द करायी जाये।

प्रशासन के आगे की ज़िम्मेदारियाँ: गैर सरकारी संगठन / अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन शोषण की जगह से सभी मजदूरों को निकाले, उनकी परिवहन, भोजन, पीने के पानी, ट्रेन / बस किराया, अनुरक्षण करे और बचाए गये लोगों को सुरक्षित रूप से उनके मूल के स्थानों पर भेजने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

मुक्ति प्रमाण पत्र और अंतरिम मुआवजा के प्रावधान को सुनिश्चित करना: *संथाल परगना अंत्योदय आमजदूरी Vs. बिहार राज्य मामले*[91] में सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्त किया है कि मुक्ति प्रमाण पत्र बंधुआ मजदूर को 'उनकी मुक्ति के साथ साथ' ही दे दिया जाना चाहिए। मामला आगे दर्शाता है कि उपयुक्त अधिकारियों को मुक्ति आदेश के द्वारा निर्देशित करना चाहिए कि वे रुपये 1000/- की अंतरिम राहत प्रत्येक बंधुआ मजदूर पीड़ित को प्रदान करे।

नमूना दस्तावेजों और मुक्ति प्रमाण पत्र पर अभ्यास मदद: रिलीज़ प्रमाण पत्र को प्रदान करने के लिए लिखित प्रतिनिधित्व का एक नमूना परिशिष्ट 15 में पाया जा सकता है एक। विज्ञप्ति प्रमाण पत्र का एक नमूना प्रारूप परिशिष्ट 16 में प्रदान किया जाता है।

बंधुआ मजदूर 2016 के पुनर्वास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS, 2016, फाइल संख्या एस- 11012 /01 /2015 - बी एल, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 17 मई 2016 एवं इसमें किये संशोधन जो दिनांक 23 जून, 2017 से लागू हैं को पढ़ें

Know your rights, Bonded Labour, 2010, National Human Rights Commission, Available at: <http://nhrc.nic.in/Documents/Publications/KYR%20Bonded%20Labour%20English.pdf>
As per Office Memorandum dated 17th January 2017, issued by the Ministry of Labour & Employment, Government of India, the compensation to be awarded by the DM under the District Bonded Labour Rehabilitation Fund has been enhanced from Rs. 5,000 to Rs. 20,000.
[91] [1987 (1) SCALE 679]

2. बंधुआ मजदूरी के अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएं:-

बंधुआ मजदूरी के अपराधियों के अभियोग के लिए 15 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 2.1 बंधुआ मजदूरी अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला
चरण 2.2 सभी नामित अपराधियों की गिरफ्तारी
चरण 2.3 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला
चरण 2.4 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध
चरण 2.5 जांच के दौरान बयान दर्ज करना
चरण 2.6 बंधुआ मजदूरी स्थल की बंदी/ सील
चरण 2.7 न्यूनतम मजदूरी की वसूली
चरण 2.8 बंधुआ मजदूरी मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला
चरण 2.9 संक्षिप्त-ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना
चरण 2.10 बंधुआ मजदूरी आरोपों का निर्धारण
चरण 2.11 बंधुआ मजदूरी मुकदमें की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना
चरण 2.12 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना
चरण 2.13 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में निर्णायक-बहस करना
चरण 2.14 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति
चरण 2.15 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील की फाइलिंग

चरण 2.1 बंधुआ मजदूरी अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला	
समयसीमा : एक प्राथमिकी दाखिल करने के 1 से 3 दिनों के बीच का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी अपराध की जानकारी उस पुलिस स्टेशन में दाखिल करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों का बचाव-कार्य किया गया।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दाखिल की गयी जानकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है और सूचीबद्ध सभी प्रासंगिक अपराधों जैसे बी.एल.ए., आई.पी.सी., अनुसूचित जाति/जनजाति पी.ओ.ए.ए. (यदि लागू हो) और किसी भी अन्य कानून के तहत दायर की गयी है।

टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन के समक्ष दायर शिकायत में बंधुआ मजदूर से संबंधित सभी घटनाओं की जानकारी का ब्योरा दिया गया है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता सी.आर.पी.सी. की धारा 154 (1) के तहत एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों की शिकायत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष दर्ज करे। एफ.आई.आर. दर्ज कराने के दौरान अधिवक्ता पुलिस स्टेशन में गैर सरकारी संगठन के साथ उपस्थित होकर पुलिस की सहायता करे। प्राथमिकी में निम्नलिखित जानकारी शामिल कर सकते हैं: • दिनांक और बचाव का स्थान, • बचाए हुए पीड़ितों के नाम, पीड़िता की उम्र, • जगह जहां अपराधों हुआ • मालिक / तस्कर के नाम और पते (अगर पता हों तो) • अपराध का विवरण जो कि घटित हुआ है • बचाव साइट का और माल जब्ती का संक्षिप्त विवरण • बचाव टीम का विवरण जिसने बचाव अभियान चलाया अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ.आई.आर.") पुलिस थाने में अधिकारी प्रभारी द्वारा दर्ज कर

	ली गई है। यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है तो उपाय यह है: 1. यदि जानकारी दर्ज नहीं किया जा रहा है या एक प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को लिखित रूप में संबंधित सी.आर.पी.सी. की धारा 154(3) के अनुसार कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजना चाहिए। 2. जानकारी अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं है, तो अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करनी चाहिए आदेशित करने के लिए कि जानकारी अभिलिखित की जाए और एक जांच शुरू की जाए। अगर जानकारी अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं किया गया है तो अधिवक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी चाहिए। यदि एफ.आई.आर. में दायर अपराधों की प्रमाण तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, तो अधिवक्ता को अतिरिक्त अपराधों को शामिल किए जाने के लिए को एक ऐसा दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए जो कि एक हलफनामा या दूसरे सहायक दस्तावेज़ों से समर्थित हो।

विचारणीय बिंदु
कोई भी एक एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए शिकायत कर सकता हैं: **कोई भी व्यक्ति बंधुआ मजदूर के किसी अपराध के बारे में जानकारी (या शिकायत) करने के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता पीड़ित, परिवार के सदस्य, जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों, मजदूरी विभाग, सतर्कता समिति सदस्य, में से कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ. आइ. आर.") दर्ज करने के उद्देश्य के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है।** **जब बचाए गये व्यक्ति व्यापार किए जाने के वक्त नाबालिक था: जब मुक्त कराया गया व्यक्ति जो अब एक वयस्क है, लेकिन व्यापार किए जाने के समय वह नाबालिक था तो उस स्थिति में नाबलिकों के अवैध व्यापार पर लागू होने वाली कानून संबंधित धाराओं को सम्मालिक्त किये जाने चाहिए। कृपया देखें भारतीय दंड संहिता की धारा 372, 373 और जे.जे.ए. की धारा 23, 24, 25, 26 जो भी लागू हो।** **जांच अधिकारी (आइ.ओ.) का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज किया जाना चाहिए:** **जो आइ.ओ. एफ.आई.आर. को दर्ज करे उसका नाम व पद प्राथमिकी में स्पष्टता से दर्ज किया जाना चाहिए। आइ.ओ. परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए आइ.ओ. का ब्यौरा स्पष्टतापूर्वक प्राथमिकी में लिखा जाना चाहिए।** **सी.आर.पी.सी. धारा 157 के तहत जांच के लिए दबाव डालें: अधिवक्ता को जांच के आगे जारी करने, सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत कार्यवाही करने और एक संज्ञेय अपराध के कमीशन के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर पुलिस जांच के साथ आगे नहीं बढ़ती है, तो जाँच कार्यवाही धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. के तहत शुरू करने के लिए अधिवक्ता को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन फाइल करना चाहिए।** **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जुड़े मामलों में: अगर मामले में अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शामिल है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में एक डी.एस.पी. या उच्च रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।**

अधिक जानें और कार्रवाई करें

एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य कर्तव्य: एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामलों में धारा 154 सी.आर.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करना बाध्य है। एफ.आई.आर. में जानकारी देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर एफ.आई.आर. में होना चाहिए[92]। एफ.आई.आर. से संबंधित निर्णय के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय 5 देखें।

जीरो एफ.आई.आर. : शून्य एफ.आई.आर. किसी भी पुलिस स्टेशन में दायर किया जा सकता है। यहां तक कि अगर कोई किसी पुलिस स्टेशन में चला जाता है जिसका मामले पर क्षेत्राधिकार नहीं है उसे शिकायत को लिख लेना चाहिए और एक "0" नंबर देना है, और उसके बाद संबंधित पुलिस थाने[93] को स्थानांतरित कर देना है। एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, और यह की उचित पुलिस स्टेशन को हस्तांतरण करने की पुलिस की जिम्मेदारी है। एक जीरो एफ.आई.आर. अपराध को दर्ज करने के विलंब को रोकने के लिए उपयोगी है अन्यथा पीड़ित को बुरा असर पढ़ता है और अपराधियों को कानून के चंगुल से बचने के लिए एक अवसर मिल सकता है। यह तब भी ज़रूरी हो सकता है जब पीड़ितों / शिकायतकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन जाने के लिए उपयुक्त स्वस्थ मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं हैं।

दस्तावेजों का प्रारूप और मदद:

बेगार शिकायत: एक बेगार शिकायत को आर.डी.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का एक नमूना प्रारूप देखने के लिए परिशिष्ट 7A का संदर्भ लें।

एफ.आई.आर. दाखिल करने के लिए शिकायत पत्र: शिकायत पत्र पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले एक नमूना प्रारूप के लिए परिशिष्ट 7 बी को देखें।

उपयोग के लिए प्रारूप जब पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करे: प्राथमिकी दर्ज करने के लिए धारा 200 और 156 (3), सी.आर.पी.सी. के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन: धारा 200, सी.आर.पी.सी.के तहत किसी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदनपत्र का मसौदा तैयार करने और धारा 156 (3),

[92] धारा 154 (1) सीआरपीसी

[93] डब्ल्यू..पी (सीआरएल ।) नं 2007 के 1266 , सोनू और अन्य वी । दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार। व एक अन्य 'यदि दर्ज किया गया अपराध पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार के भीतर प्रतिबद्ध नहीं है, तो प्राथमिकी भले ही दर्ज की , मामले को संबंध अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए'।

सी.आर.पी.सी. के तहत किसी एफ.आइ.आर. दर्ज कराने हेतु एस.एच.ओ. को निर्देशित करने के लिए मॅजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने हेतु कृपया परिशिष्ट 22 B का संदर्भ लें। धारा 172(2) सी.आर.पी.सी. के तहत केस डायरी को मंगाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन: केस डायरी जिसे पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सहायता करने के लिए तैयार किया है, को धारा 172 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष मंगाने का आवेदन करने का मसौदा देखने के लिए परिशिष्ट 12 देखें। लेकिन जब एक बार इस आवेदन को किया जाता तो यह आइ.ओ. के उपर एक संयौन उत्पन्न होता है इसलिए इस आवेदन को तभी दायर किया जाना चाहिए जब इसका कोई उचित कारण हो। एफ.आइ.आर.: ये जानने के लिए की एफ.आइ.आर. का प्रारूप कैसा है अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से या जे.वी.आइ. से संपर्क में रहें। जे.वी.आइ के साथ संपर्क करें: किसी प्राथमिकी को दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर हेतु प्रारूप प्राप्त करनेके लिए जे.वी.आइ. से संपर्क करे।

चरण 2.2 सभी नामित अपराधियों की गिरफ्तारी	
समय: आरोपी की गिरफ्तारी बचाव वाले दिन पर, या बचाव के एक सप्ताह के भीतर हो सकती है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को तुरंत पुलिस की मदद उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में करनी चाहिए जिन पर बंधुआ मजदूरी अपराधों का आरोप लगाया गया है।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. के संगत प्रावधानों के तहत आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
टिप्पणी	
डी. एम. / एस. डी.एम. के निर्देशानुसार, गैर-सरकारी संगठन को गिरफ्तारी करवाने	अधिवक्ता को बिना किसी देरी के आरोपियों को गिरफ्तारी करवाने के लिए

में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	पुलिस की सहायता करनी चाहिए। सभी अपराधों या तो गैर - संज्ञेय या संज्ञेय हैं। अपराधों में गिरफ्तारी के लिए, संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना और अगर गैर-संज्ञेय अपराध की स्थिति में एक वारंट की आवश्यकता होती है। बी.एल.अधिनियम[94] के तहत सभी अपराध एवम् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पी.ओ.ए. [95] के तहत सभी बंधुआ मजदूरी से संबंधित अपराध संज्ञेय की परिधि में आते हैं।

और जानें और कार्रवाई करें

जब पुलिस सी.आर.पी.सी. की धारा 157 (1) के तहत किसी जांच की कार्यवाही करे तो अन्वेषण करने हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जिस भी आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत हो तो वह उठा सकती है।

पीड़ित का संरक्षण: पीड़ितों को आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में गैर सरकारी संगठन को शिनाख्त करनी चाहिए। यदि हां, तो अधिवक्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष पीड़ित के संरक्षण के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

आइ.पी.सी. अपराध का संज्ञान: भारतीय दंड संहिता के तहत बंधुआ मजदूरी से संबंधित अपराध संज्ञेय अपराध हैं, क्योंकि जब किसी भी अपराध में कारावास की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध संज्ञेय के श्रेणी में आता है[96]।

[94] बीएलए की धारा 22

[95] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति पीओए अधिनियम, धारा 3 की प्रथम अनुसूची, सीआरपीसी की धारा 2 के साथ पढ़ी जाकर

[96] प्रथम अनुसूची, धारा 2, सीआरपीसी

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 2.3 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला</th></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: अभियोजन को मदद करने के लिए एक वकालतनामा और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर करने के बाद 1 से 7 दिनों का समय लग सकता है।</td></tr>
<tr><th>गैर सरकारी संगठन</th><th>अधिवक्ता</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को औपचारिक रूप से मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को अपने अधिवक्ता से परिचय कराना चाहिए ताकि एक वकील-मुवक्किल संबंध की स्थापना हो।</td><td>अधिवक्ता को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों की सहमति प्राप्त करके उनके कानूनी वकील के रूप में एक वकालतनामा दाखिल करना चाहिए और अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए अदालत के समक्ष सी.आर.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में आवेदन दायर करना चाहिए।</td></tr>
<tr><th colspan="2">टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बचाए गये व्यक्तियों और अधिवक्ता के बीच समन्वय स्थापित करके अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को पीड़ित का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालतनामा की एक प्रति प्राप्त करना चाहिए। वकालतनामा एक दस्तावेज़ है जो एक वकील को उनके मुवक्किल की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है।

अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की मदद करने के लिए एक आवेदन दाखिल करना चाहिए।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>विचारणीय बिंदु</th></tr>
<tr><td>वकालतनामा के बारे में: अधिवक्ता को पीड़ित के प्रतिनिधित्व करने हेतु वकालतनामा की प्रति को प्राप्त करना चाहिए। अगर मामला में पीड़ित एक नाबालिक है तो वकालतनामा पर हस्ताक्षर या तो आश्रय घर का देखभाल करने वाले को, माता-पिता को या अभिभावक को करना चाहिए। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान</td></tr>
</table>

अधिवक्ता को वकालतनामा दाखिल करना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें
कैसे लोक अभियोजक की सहायता करें: लोक अभियोजक की सहायता के बारे में जानने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 301(2) पढ़ें। प्रारूप और अभ्यास मदद: लोक अभियोजक की सहायता का आवेदन का प्रारूप जिसमे एक वकालतनामा के लिए एक प्रारूप भी शामिल है, उसके लिए परिशिष्ट 11 का संदर्भ लें।

चरण 2.4 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध	
समय: आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करने की प्रक्रिया में 1 से 7 दिनों के बीच समय लग ले सकता है जो कि आरोपी की गिरफ्तारी के समय से लेकर और जमानत याचिका दायर करने के समय तक है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी के मामले में अधिवक्ता को जानकारी और सलाह देकर अपराधी की जमानत का विरोध करने में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अपराधियों की ज़मानत से सम्बंधित सभी सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए एवं बहस/लिखित-आवेदन द्वारा अपराधियों की जमानत का विरोध करना चाहिए और जमानत मिलने की स्थिति में कड़ी से कड़ी शर्तें लगाने की अदालत से गुज़ारिश करनी चाहिए।
टिप्पणी	

गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को तुरंत अधिवक्ता को आरोपियों की जमानत के बारे में मिली किसी भी जानकारी को सूचित कर सुनिश्चित करें कि एक जमानत खारिज आवेदन दाखिल किया जाए।	अगर घटना में आरोपी को सिर्फ़ जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि जमानत याचिका और एक गारंटी पत्र के साथ आरोपी ने दो व्यक्तियों की जमानत की प्रतिभूति सौंप दी है। हालांकि ज़मानत और गारंटी अदालत के विवेक के अधीन है, अधिवक्ता न्यायालय से निवेदन कर सकता है कि एक निश्चित राशि /ज़मानत को अधिरोपित किया जाए। यदि आरोपियों को एक या एक से अधिक गैर जमानती अपराधों (यानी, धारा 370 आईपीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम[97] अधिनियम की धारा 3, या अन्य गैर- जमानती अपराधों) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को अपराधी को जमानत दिए जाने का लिखित में विरोध करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

रिमांड सुनवाई में भाग लेना: रिमांड आरोपी व्यक्ति के विचरण की शुरुआत से पहले की हिरासत के संदर्भ में है। इन रिमांड सुनवाई पर कथित अपराधी की हिरासत को निर्धारित किया जाता है और इस स्तर पर सामान्य रूप से जमानत के लिए प्राथना की जाती है। अधिवक्ता प्रत्येक रिमांड सुनवाई में भाग लें और सुनिश्चित करें की जमानत को खारिज किया जाए।

कब कोई जमानत रद्द की जा सकती है? उन मामलों में जहां आरोपी अदालत के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, बचना चाहता है या न्याय की कार्यवाही से बचने

[97] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति पीओए अधिनियम की 3(1) (h) और 3 (1) (x)

के लिए प्रयास करता है, या न्याय की व्यवस्था में बाधा पंहुचाता है (यानी, आरोपी को धमकाता है या गवाह को रिश्वत देता है, सबूत के लापता होने का कारण बनता है, या जांच के साथ हस्तक्षेप करता है), अधिवक्ता आरोपी गिरफ्तारी, गैर-जमानती वारंट जारी करने और जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन ज़रूर दायर करे। इन परिस्थितियों में ऐसे आवेदनो को पेश करने के लिए अधिवक्ता को चौकन्ना रहना चाहिए।

अधिवक्ता के पुलिस अधिकारी और लोक अभियोजक के साथ आपसी संबंध: आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर नवीन समाचार प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाने चाहिए। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब गैर सरकारी संगठन के अधिवक्ता की जानकारी के बिना ही किसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपराधी को जमानत प्रदान कर दी जाती है जिससे अपराधी को फरार होने और विचरण मामले को लंबित करने का मौका मिल जाता है। यदि अधिवक्ता किसी कारणवश किसी जमानत याचिका में सुनवाई से वंचित रह जाता है, तो सामान्यतया पूरा मामला ही गवाँ दिया जाता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पी.पी. की सहायता के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और विचरण में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखें।

उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई की स्थिति की जाँच: अधिवक्ता को दैनिक रूप से उच्च न्यायालय में जमानत याचिका की सूचीबद्ध निगरानी करनी चाहिए। अधिवक्ता को जमानत अदालत में नियमित रूप से जाना और देखना चाहिए क़ि क्या कोई जमानत मामला सुनवाई पर तो नही लगा है।

और जानें और कार्रवाई करें

जमानत रद्द करने पर क़ानूनी स्थिति: *रघुवीर सिंह vs. बिहार राज्य*[98] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के लिए विभिन्न आधारों की बुनियाद रखी जैसे की:

- **जमानत से संबंधित प्रावधान:** धारा 436 से 439 सी.आर.पी.सी. जमानत के

[98] (1984) 4 एससी 481, पैरा 21

लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं और एक अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक इन धाराओं को प्रयोग लाते हुए ये सुनिश्चित करना है कि जमानत रद्द करने के लिए सही मंच (अदालत) को संपर्क किया जाए।

प्रारूप और रिहर्सल मदद :

- जमानत का विरोध करने के लिए आवेदन : परिशिष्ट 13 में एक जमानत के विरोध के लिए एक आवेदन पत्र प्रारूप शामिल है जिसमे जमानत को विरोध करने के आधार दिए गये हैं।
- जमानत पर त्वरित संदर्भ शीट: जमानत का विरोध करने के बारे में अधिक जानने के लिए परिशिष्ट 13A देखें जो जमानत पर एक त्वरित सन्दर्भ शीट है।

2.5 चरण जांच के दौरान बयान दर्ज करना	
समय: जांच के दौरान बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में 1 से 60 दिन का समय लग सकता हैं	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 और 164 के तहत अपना बयान देते वक़्त सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।	अधिवक्ता को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों को धारा 161 और 164 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान की रिकॉर्डिंग अपनी निगरानी में करवानी चाहिए और उनको सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की बयान की रेकॉर्डिंग कानून के अंतर्गत हो रही है।
टिप्पणी	
पीड़ित को पेशेवर परामर्श प्रदान किया गया है और उसकी मनोस्थिति बयान देने के लायक है इस बात को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित	बंधुआ मजदूर और वे लोग जो बंधुआ मजदूरों के मामले के बारे में जानकारी रखते है उनका मौखिक परीलिक्षित करने और उनके बयानों को सी.आर.पी.सी. की

करना चाहिए।	धारा 161 के तहत दर्ज करने के लिए अधिवक्ता को पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बात को अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी वयस्क या पीड़ित नाबलिकों (जो आघात की स्थिति में है) के बयान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित काउंसलर से परामर्श प्रदान करने के बाद ही दर्ज किया जाना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

बयान: फिलहाल कानूनी केसवर्क से संबंधी तीन बयान,161 बयानों, अनुपूरक बयान और 164 बयान हैं। धारा 161 और 164 में दिए गये बयान को सी.आर.पी.सी. वर्णित करता है। इसका उद्देश्य है कि सत्य बयान लिए जाएँ और इनका उद्देश्य यह जानकारी लेना है कि कैसे मुक्त किये गए पीड़ितों को व्यापार करके ठिकाने वाले स्थल पर पहुँचाया गया और साइट की स्थिति क्या थी। पीड़ित का बयान गवाही के लिए परीक्षण के दौरान लिया गया वो आधार है जिससे अपराधी कि जवाबदेही साबित की जा सके। गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता की भूमिका सभी तीनो बयानों में एक सी है जो कि मुक्त किये गए पीड़ितों का समर्थन करना, उसे सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और बयानों प्राप्त करने में पुलिस की सहायता करना है।

धारा 161 बयान: पुलिस बचाव की रात को 161 के बयान ले सकते हैं। अगर 161 बयान गलत है या पीड़ित नए तथ्यों को बताता है, परिवीक्षा अधिकारी के साथ पुलिस एक अतिरिक्त बयान प्राप्त कर सकती है, यानी एक अनुपूरक बयान प्राप्त कर सकते हैं। 164 के बयान का लाभ यह है कि मुक्त किये गए पीड़ितों मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बाशपथ देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता 161 के बयान से अधिक है। सर्वोत्तम तरीका ये है की 161 बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अर्थात बचाव के समय उपस्थित होना चाहिए ताकि पुलिस की सहायता और मुक्त किये गए पीड़ितों के पक्षसमर्थन हो पाए।

164 धारा के तहत बयान: अधिवक्ता के लिए सबसे आदर्श तरीका है कि वह पीड़ित को 164 के बयान के महत्व के बारे में जानकारी दे। अधिवक्ता को 164 बयान

प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पीड़ित को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष सही तरीके से उसका बयान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बिना पर, एक 164 बयान देने के लिए, अधिवक्ता और गैर सरकारी संगठन स्टाफ को पीड़ित की इच्छा और सहयोग को आलंकित करना चाहिए। अगर वह 164 बयान देने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिया, जो कि अदालत में आवेदन करेगी। 164 स्टेटमेंट्स इन-कैमेरा दर्ज किया जा सकता है।

यदि पुलिस धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में आवेदन करने में अनिच्छुक है तो एक अधिवक्ता के साथ यह मुक्त किये गए पीड़ितों खुद कर सकता है। आवेदन को कम से कम एक मुक्त किये गए पीड़ितों के हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ दायर करना चाहिए।

पीड़ित को 164 बयान देने से पूर्व उसकी तैयारी कराना अधिवक्ता के लिए सबसे उत्तम तरीका है। ये सुनिस्चित करें कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान देने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है और एक सच्चा बयान देने के लिए इच्छुक है।

प्रशिक्षित परामर्शदाता: केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित सलाहकारों को पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

बयान पीड़ित की जानकार भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज हैं।

जबरिया / मजबूर बयान: पर्याप्त नियन्त्रण से इस बात को ध्यान से सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को उसकी / उसके बयान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी मौजूद नहीं हैं।

बयान ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित के बयान के रिकार्डिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाए। बयान ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों जैसा की सी.आर.पी.सी. की धारा 160 (1) के तहत प्रदत्त है।

और जानें और कार्रवाई करें
छुड़ाए गये लोगों के बयान दर्ज: छुड़ाए गये लोगों के बयानों को तभी रिकार्ड करें जब वे इसके लिए तैयार हैं और बयान देने के लिए सक्षम हैं। छुड़ाए गये व्यक्ति जब आघात की स्थिति से उबर जाएँ[99] तो वे अतिरिक्त बयान दे सकते हैं और आने वाले बयानों में विरोधाभास को आघात से होने वाले भ्रम की स्थिति के नज़रिए से समझाया जा सकता है। कृपया देखें न्याय के लिए यात्रा, साइको-सोशियल हस्तक्षेप पर एक गाइड, यूएनओडीसी, 2008[100] बचाए गये लोगों के लिए परामर्श और मनोसामाजिक समर्थन।

चरण 2.6 बंधुआ मजदूरी स्थल की बंदी/ सील	
समयसीमा: बंधुआ मजदूर सुविधा-केन्द्रों की सील/बंद करने का कार्य समयन्यता बचाव का ही दिन पर किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए 1 से 3 दिनों के बीच का समाया लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अपने अधिवक्ता को बचाव-स्थल (जिसमें बंधुआ मज़दूरी चल रही थी) को बंद या सील करवाने की याचिका दायर कराने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को जिलाधिकारी और मजदूरी विभाग के समक्ष बचाव-स्थल (जिसमें बंधुआ मज़दूरी चल रही थी) को बंद / सील करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता द्वारा सुविधा-केन्द्रों के सील बंद करने के लिए आवेदन दाखिल किया	अधिवक्ता उन कारखानों / व्यापार / दुकानों और प्रतिष्ठानों पर बंधुआ मजदूर को काम पे लिए जाने के खिलाफ

---

[99] धारा 7.1 , धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत बयान को आलेखन, जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पेज 24 पर

[100] न्याय के लिए यात्रा: मनोदशा -सामाजिक हस्तक्षेप पर मैनुअल , 2008, ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और दक्षिण एशिया के लिए अपराध क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रकाशन ; यहां उपलब्ध है: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf

जाना सुनिश्चित करना चाहिए।	याचिका को जिला मजिस्ट्रेट और मजदूरी विभाग के समक्ष दाखिल करे जिससे की उनको बंद करने और रोजगार का पंजीकरण रद्द करने के आदेश पारित किया जा सके। यह याचिका बचाव के तुरंत बाद दायर की जा सकती है ।

और जानें और कार्रवाई करें
सी.आर.पी.सी. के प्रावधान जो कारखानों की सीलिंग बंद करने में सहायता करता है: धारा 105, सी.आर.पी.सी. में ऐसे विभिन्न प्रावधान दिए गये हैं जिससे कि कारखानों जहाँ पर बंधुआ मज़दूरों को रोज़गार पे लिया जाता है, उनको सील या बंद करके परिसर की जब्ती और कुर्की के मध्यम से, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अन्य प्रासंगिक क़ानून: मजदूरी विभाग ऐसे अवैध रूप से संचालित कारखानों जहाँ पर व्यक्तियों का बंधुआ मजदूर की तरह शोषण हो रहा हो, को बंद करने, और यहां तक कि कारखानों का पंजीकरण अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार के तहत (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 कारखाना अधिनियम 1948, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों के तहत[101] रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।

चरण 2.7 न्यूनतम मजदूरी की वसूली	
समयसीमा: न्यूनतम मजदूरी वापसी क़ि प्रक्रिया में 1 से 90 दिनों के बीच समय सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये बंधुआ मजदूरों और अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए ताकि मजदूरी विभाग में एक आवेदन पत्र डालकर	अधिवक्ता को मजदूरी विभाग के समक्ष बंधुआ मजदूरों की ओर से न्यूनतम मजदूरी की वसूली के लिए एक आवेदन

[101] धारा 6.5 ,यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रियापर जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर बंद या सीलिंग होने वाले कारखाने, (भारत और बीबीए की सरकार के साथ 2008 संयुक्त प्रकाशन), पृष्ठ 222

न्यूनतम मजदूरी की वसूली हो।	फाइल चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को अधिवक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी की वसूली के लिए एक आवेदन दायर करना सुनिश्चित करना चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहाई के आदेश के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की वसूली के लिए एक दावा बनता करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत, दावा याचिका किसी दावा प्राधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है, अर्थात जिला मजदूरी अधिकारी के समक्ष। अधिवक्ता इसे बंधुआ मजदूर की जानिब से रिहाई के आदेश के साथ भी दायर कर सकते हैं। दावे के अलावा याचिका में अधिवक्ता अधिकतम जुर्माना लगाने के लिए भी अनुरोध करेगा।

विचारणीय बिंदु

रिहाई के आदेश में मजदूरी के पिछले वेतन के भुगतान के लिए आदेश हो:

बचाए गये मजदूर के पक्ष में डी.एम. / एस.डी.एम. को रिहाई प्रमाण पत्र (तुरंत बचाव और जांच के पूरा होने पर) के दौरान रिहाई आदेश भी जारी करना चाहिए जिसके द्वारा मजदूरी विभाग पिछले वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

और जानें और कार्रवाई करें

बंधुआ मजदूरी हस्तक्षेप के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमे मजदूरी की बकाया वेतन वसूली शामिल हैम, अध्याय 5 का सन्दर्भ लें।

जिस अवधि के लिए पूर्व वेतन का भुगतान किया जाना है: मुक्त कराया गया व्यक्ति बचाव के 6 महीने के पहले तक के पूर्व वेतन पाने का हकदार है।

न्यूनतम वेतन की दर: किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मजदूरी के दरें कुशल, अर्ध

कुशल अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर आधारित हैं। न्यूनतम मजदूरी की दर प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग है। न्यूनतम मजदूरी दर की जांच करने के लिए, यहाँ देखें।

अधिक पढ़ने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम चौथा अध्याय देखें

.

चरण 2.8 बंधुआ मजदूरी मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला	
समयसीमा: बंधुआ मजदूर आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में 1 से 90 दिनों का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अविलम्ब आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में पुलिस की हर संभव सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप पत्र निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा दायर की गयी है और सभी लागू अपराध एवं सुसंगत धाराएं उसमें शामिल हैं।
टिप्पणी	
ये सुनिश्चित करने के लिए कि आरोप पत्र देरी किए बिना दायर किया गया है गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता से निरंतर जानकारी लेते रहना चाहिए।	अधिवक्ता को जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि घटना की जांच अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने के लिए विफल रहता है, तो अधिवक्ता को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ए.सी.पी.) से तत्काल संपर्क करके आरोपपत्र दाखिल करवाने के लिए आदेश जारी करना चाहिए। यदि आरोप पत्र अभी भी दायर नहीं

	किया गया है, तो अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अनुरोध कर सकते हैं।

विचारणीय बिंदु

चार्जशीट की कॉपी: अधिवक्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्राप्त करना चाहिए। यदि आरोप पत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सभी आरोप शामिल नहीं है तो अधिवक्ता को उचित शुल्क के साथ एक पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए एक आवेदन पत्र पुलिस को देना चाहिए।

आरोप पत्र दाखिल करने के समय में अधिवक्ता की उपस्थिति: अधिवक्ता को आरोप पत्र दाखिल करने के समय मौजूद होना चाहिए।

विरोध याचिका: कानून के उचित धाराओं को शामिल न किए जाने के विरोध में सर्वप्रथम अधिवक्ता न्यायालय में एक विरोध याचिका दायर कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि इस स्तिथि में मजिस्ट्रेट केस का निरीक्षण कर सकता है और अगर ये पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है और ई.ओ. ने अगर ग़लत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो मजिस्ट्रेट केस डायरी के सबूत के आधार पर आरोपियों को बुलाने का कार्य कर सकता है और इस मामले में दर्ज आरोपियों के खिलाफ मामले को राज्य मामले के रूप में आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के पास आरोपियों को बुलाने के लिए केस डायरी में कोई भी पर्याप्त सबूत नही हैं तो अपने स्वयं के विवेक से एक शिकायत के रूप में विरोध याचिका के पंजीकरण के लिए आदेश पारित कर सकता है। लेकिन जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और उसका मत यह है कि पुलिस को और आगे की जांच पड़ताल की आवश्यकता है, तब वह इस मामले में आगे की जांच के लिए पुलिस को निर्देशित कर सकता है; वैकल्पिक में यदि मजिस्ट्रेट किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि केस डायरी में आरोपियों को बुलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं था और शिकायतकर्ता अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाहों की जाँच करने की मंशा रखता है, तो उस मामले में मजिस्ट्रेट विरोध याचिका को एक शिकायत के रूप में ले सकते हैं और उस स्थिति में मामले में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद ही समन आदेश को पारित किया जा सकता है[102]।

[102] औन मोहम्मद नकवी उर्फ सिद्‌डन और एक अन्य बनाम यूपी के राज्य और अन्य; आपराधिक विविध। आवेदन 7259 ऑफ 2005.

और जानें और कार्रवाई करें
परिशिष्ट 20 में प्रदान किए रूपों और स्वरूपों का नमूना देखें जिसमे लिखित प्रस्तुत करने का नमूना शामिल है जो कि आरोप पत्र दाखिल करने के वास्ते उचित निर्देश जारी करने की मांग के लिए है।

चरण 2.9 संक्षिप्त-ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना	
समयसीमा: सारांश ट्रायल के लिए उचित मंच ढूँढना आरोप तय करने के समय से 6 महीने के भीतर किया जा सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामला उचित अदालत के समक्ष प्रतिबद्ध है और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूर पीड़ितों जके लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दिशा निर्देशों का पालन (17 मई, 2016 से लागू एवं 23 जून, 2017 को संशोधित)[103] करता है।
टिप्पणी	
	एक बार जब चार्जशीट दायर की जाती है तो, न्यायाधीश (जो एक मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप - संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है) मामले

[103] बंधुआ मजदूर 2016 के पुनर्वास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना CSS, 2016, फाइल संख्या एस- 11012 /01 /2015 - बी एल, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 17 मई 2016 एवं इसमें किये संशोधन जो दिनांक 23 जून, 2017 से लागू हैं को पढ़ें

	का संज्ञान लेगा और मामले को उचित अदालत के समक्ष प्रतिबद्ध करना होगा। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र अदालत के समक्ष मामले की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही चलाई जाती है। बी.एल. अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (विशेष रूप से धारा 370) के तहत घटित अपराधों के आरोपों को सदैव शामिल किया जाता है। बी.एल. अधिनियम से संबंधित डी.एम. / एस.डी.एम. के समक्ष आरोप सारांश परीक्षण के लिए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास हेतु केंद्रित प्रायोजित योजना (CSS), 2016 के तहत किया जाए।

विचारणीय बिंदु

यदि धारा 370 और अन्य किसी भी लागू अपराध आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं: सी.आर.पी.सी. की धारा 216 न्यायाधीश को आरोपों को बड़ाने की शक्ति देता है। आरोपों को बड़ाने के लिए धारा 216 के तहत एक आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया जा सकता है।

मामले की सुनवाई सत्र अदालत द्वारा: सी.आर.पी.सी. की धारा 209 के अनुसार किसी मामले की सुनवाई सत्र अदालत को प्रतिबद्ध किया जा सकता है जब मामले को इसके द्वारा विशेष रूप से विचारित किया जाता है। जब आरोप पत्र में धारा 370 का उल्लेख किया जाता है, तब मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से किया जाता है।

और जानें और कार्रवाई करें

कानूनों और बंधुआ मजदूरी से संबंधित अपराधों के बारे में अधिक जानने के लिए चतुर्थ अध्याय को देखे।

जिन मामलों में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचरण किया जाना हो, उनके

बारे में जानें के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची का सन्दर्भ करे।	
चरण 2.10 बंधुआ मजदूरी आरोपों का निर्धारण	
समयसीमा: बंधुआ मजदूर आरोप तय अदालत के विवेक पर किया जाता है और इसलिए कोई समय का सुझाव नही दिया जा सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की अदालत द्वारा अपराधियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।	अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप समय पर तय हो और तथ्यों द्वारा समर्थित सभी लागू अपराध आरोपों में शामिल हों।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को आरोप तय करने की तारीख पर उपस्थित होना चाहिए।	अधिवक्ता को आरोप तय करने की तारीख पर अदालत में उपस्थित होना चाहिए। अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आरोपों को परीक्षण के हिस्से के रूप में तैयार किए जाए।
विचारणीय बिंदु	
अदालत की जल्दी तारीख़े और अनुचित देरी को रोकना: सुनिश्चित करें कि कोर्ट इस मामले को स्थगित नहीं करती जा रही है, और अगर यह होता है तो जल्दी-जल्दी तारीखों के लिए प्रयास किया जाए जिससे की आरोप तैयार तय किए जा सके। धारा 309 (1) सी.आर.पी.सी. के तहत, "*हर जांच या परीक्षण में ... कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से आयोजित किया जाएगा ...*" सी.आर.पी.सी. भी कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्थगन की माँग को प्रतिबंधित करती है[104]। **दोषी होने का तर्क:** आरोप तय करने के बाद, सत्र अदालत को आरोपी से पूछना होगा कि क्या वह तय किए गये आरोप के लिए दोष स्वीकार करता है. यदि आरोपी ने दोष स्वीकार किया तो परीक्षण इस तर्क पर खत्म हो जाएगा अन्यथा विचरण आगे	

[104] धारा 309 (1) और 309(2) सीआरपीसी

चलेगा ।

और जानें और कार्रवाई करें
बंधुआ मजदूरी के तहत अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए अध्याय 4 और 5 को देखें। दोषी होने के तर्क के बारे में पढ़ने के लिए, सी.आर.पी.सी. की धारा 229 का उल्लेख करें।

चरण 2.11 बंधुआ मजदूरी मुकदमें की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना	
समयसीमा: सभी बंधुआ मजदूर की सुनवाई के दौरान अभियोजन की सहायता की प्रक्रिया इसके विचरण पर लगे समय पर निर्भर करेगा, जो कि 1 से 10 साल तक हो सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अदालती कार्यवाही के दौरान जब भी बुलाया जाये, बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की अदालत के समक्ष प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अभियोजन-पक्ष के साथ सुनवाई के प्रारंभ होने से पहले मिलना चाहिए जिससे की मामले की रणनीति विकसित हो पाए और अधिवक्ता को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान को उसी प्रतिनिधि को हर सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए भेजना चाहिए जो कि अच्छी तरह से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ हो। इससे गैर सरकारी संगठन को पीड़ितों और उनके परिवारों को मामले की स्थिति के बारे जानकारी देने में मदद मिलेगी।	अधिवक्ता को परीक्षण के हर स्तर पर मौजूद होना चाहिए।

चरण 2.12 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना	
समयसीमा: बंधुआ मजदूर गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करने में 1 महीने का समय लगेगा।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मजदूरी मुक़दमे के अभियोजन-पक्ष के सभी गवाहों को सच्चाई और हिम्मत से गवाही देने की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अभियोजन-पक्ष द्वारा मुख्य-परीक्षा और बचाव पक्ष के वकील द्वारा क्रॉस-परीक्षा के लिए गवाहों को तैयार करने में अभियोजन-पक्ष की सहायता करनी चाहिए।
टिप्पणी	
इस चरण के दौरान लोक अभियोजक को बंधुआ मजदूर की घटनाओं के संबंध में गवाहों से सवाल पूछने का मौका मिलता है। बचाव पक्ष के वकील को इसके बाद गवाह के बयान के प्रति-परीक्षा सवाल करने के लिए अनुमति दी जाती है। गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को बचाए गये बंधुआ मजदूरों को सलाह देनी है कि लोक अभियोजक द्वारा रखा सवालों का जवाब स्पष्ट और विस्तृत रूप से देना चाहिए और और प्रति-परीक्षा पूछताछ के दौरान परेशान नहीं होने देना चाहिए।	अधिवक्ता को बचाए व्यक्तियों को प्रमुख परीक्षण और जिरह में परीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार करना चाहिए। अधिवक्ता को बयान देने वाले व्यक्तियों को उनके गवाही के महत्व को सबूत मे बदलने के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेजी और भौतिक सबूत कोर्ट के रिकार्ड में दर्ज हो।

विचारणीय बिंदु
मॉक ट्रायल: यहाँ पर राय दी जाती है कि सबूतों के चरण शुरू होने से पहले, गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता, मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को एक अदालत के कमरे में ये दिखाने के लिए ले जाएँ कि उन्हे कैसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि मुक्त किये गए पीड़ितों गवाह को परीक्षा की प्रक्रिया को

समझने और उसके भय को दूर करने में मदद करने के लिए एक रिहर्सल परीक्षण का आयोजित किया जाय।

पीड़ित को जागरूक करने के तरीके: मुक्त किये गए पीड़ितों को न्यायालय के समक्ष सहज बनाए रखने के अलावा, गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता पीड़ित के इतिहास के प्रति मजिस्ट्रेट और अदालत के अधिकारियों को संवेदनशील रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

जब मामला नाबलिकों के साथ संबंधित हो तो संवेदनशील उपायों को अपनाया जाना चाहिए[105]:

a. पीड़ित नाबलिकों/ गवाहों को अदालत की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सूचित किया गया हैं;
b. उनके विचारों को सम्मानजनक सुनने की अनुमति ली जाए;
c. उन्हें असुविधा कम से कम हो और उनकी निजता का सम्मान हो;
d. कार्यवाही में देरी को कम किया जाए;
e. पीड़ित नाबालिक से आक्रामक पूछताछ या प्रति-परीक्षा जिरह को टाला जाए और यदि आवश्यक हो तो, न्यायाधीश के माध्यम से किया जाए;
f. कैमरे में परीक्षण के लिए प्रावधान बने हुए हैं;
g. पीड़ित नाबालिक की पहचान की रक्षा हो;
h. पीड़ित नाबालिक को न्यायिक प्रक्रिया और कथित दुर्व्यवहारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के वास्ते तैयार किया जाए अगर कोई अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है तो जल्दबाज़ी ना की जाए;
i. जाँचकर्ता पीड़ित नाबालिक की चिकित्सीय जांच की जरूरत को सुनिश्चित करे और जब विचरण शुरू हो तो यह सुनिश्चित करे कि बार-बार होने वाले पुनर्परीक्षण से बचा जाए;
j. चिकित्सीय जांच जहाँ तक संभव हो माता-पिता / अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति में आयोजित किया जाना चाहिए;
k. अन्य मौजूद गवाहों के साथ निन्दात्मक घटना के फ़ौरन बाद, नाबालिक की गवाही एक सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति के रूप में जल्द से जल्द दर्ज किया जाना चाहिए;
l. जहाँ भी जरूरत हो ऐसे पर्याप्त अनुवाद / व्याख्याएं और अनुवादकों /

---

[105] इन उपायों को नाबलिकों के लिए कोर्ट के द्वारा प्रदान किए गया दिशा निर्देशों के आधार पर .गोवा नाबलिकों के अधिनियम, 2003 के तहत पालन करने के लिए बनाए गये हैं. ये मार्गदर्शक उपाए हैं की कैसे नाबलिकों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए

दुभाषियों सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए जो कि नाबलिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं;

m. एक मानसिक रूप से विकलांग नाबालिक के मामले में, सक्षम सेवा प्रदाता को नाबालिक की ओर से साक्ष्य करना चाहिए;

n. पीड़ित बच्चे/गवाहों की विशेष जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए : -

i) नाबलिकों को अदालत परिवेश के साथ खुद को परिचित करने में सक्षम होना ;

ii) नाबलिकों को अदालत में महत्वपूर्ण व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सूचित करें जैसे की न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील और अभियोजक के रूप में;

iii) सामान्य रूप के नाबलिकों में और विशिष्ट मामलों में अलग-अलग नाबलिकों की विशेष जरूरतों की अदालत को सूचित करें;

iv) नाबलिकों की कार्यवाही में सहज होने के लिए मदद करें ;

v) प्रोत्साहित करें की सवालात लघु और स्पष्ट हों और गवाह नाबालिक को भ्रमित नहीं करें;

vi) आठ साल से कम उम्र के नाबलिकों को एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अग्रणी सवाल के जवाब देने की अनुमति दें ।

मुख्य परीक्षण: मुख्य परीक्षा के दौरान अधिवक्ता पी.पी. की सहायता कर सकते हैं लिखित प्रश्न प्रस्तुत करके जो कि गवाहों से पूछने हैं।

क्रॉस-परिक्षण: प्रति-परीक्षा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष की कहानी में त्रुटि बताना है। एक नकली जिरह रिहर्सल आयोजित किया जाना उचित रहेगा जिससे की गवाह प्रक्रिया से परेशान ना हो और बचाव पक्ष के वकीलों के सवालों का सामना करने के लिए तैयार रहे।

इन- कैमरा कार्यवाही: किसी गवाह का बयान धारा 164 के तहत कैमरे में भयभीत न कर देने वाले माहौल में दर्ज किया जा सकता है । *साक्षी vs. भारत संघ*[106] मामले

[106] (2001) 10 एससीसी 732

का हवाला देते हुए आइ.ओ. द्वारा इस तरह की एक प्रार्थना धारा 327 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत की जा सकती है । *स्टेट ऑफ पंजाब Vs. गुरमीत सिंह* मामले में[107] सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में सुनवाई कैमरे में और जहाँ तक संभव हो महिलाओं के न्यायाधीशों द्वारा संचालित किए जाने चाहिए ।

गवाह: गवाहों में बंधुआ मजदूरी के पीड़ित, आइ.ओ. और वो व्यक्ति जो गवाही में शामिल हैं (जिनमे संभवत बचाव में शामिल गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि)।

अगर गवाह(हों) बात से पलट जाए: सुनवाई के दौरान अगर एक अभियोजन पक्ष के गवाह यदि शत्रुतापूर्ण ढंग से बदल जाता है (चीफ या जिरह के स्तर पर), तो अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोक अभियोजक इस तरह के अभियोजन पक्ष के गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दे और उसका प्रति-परीक्षा संचालित करे।

और जानें और कार्रवाई करें

मुख्य परीक्षा और गवाहों की जिरह के लिए विशिष्ट प्रावधानों के लिए, अधिनियम, 1872 भारतीय साक्ष्य के वर्गों 137-146 (अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ) को पढ़ना सुनिश्चित करें।

शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए रोजाना परीक्षण: सी.आर.पी.सी. की धारा 309 (1) के तहत, "*एक बार गवाहों की परीक्षा शुरू हो गया तो इसको रोजाना जारी रखना है जब तक की सभी गवाहों, जो उपस्थित हैं, की गवाही पूरी ना हो जाए*", और कोई भी स्थगन कारण उल्लेख करने से हो।

एक वकील को सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी परीक्षण के विभिन्न चरणों के प्रति परिचित होना चाहिए।

यह जानने के लिए कि सबूत चरण पे विचरण के दौरान गवाहों को कैसे तैयार किया जाता है जे.वी.आइ. से संपर्क करें।

[107] एईआर 1996 एससी 1393

चरण 2.13 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में निर्णायक-बहस करना	
समय: अंतिम बंधुआ मजदूर तर्क परीक्षण के समापन पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसले से पहले	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक़दमे के अंत में निर्णायक-बहस की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अदालत के समक्ष निर्णायक-बहस प्रस्तुत करना चाहिए (अगर अदालत द्वारा अनुमति हो) और अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने के समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के लिखित बयान बनाने के लिए वकील को जितना संभव हो जानकारी प्रदान करना चाहिए।	अधिवक्ता को प्रदान प्रारूप के आधार पर मसौदा तैयार करना चाहिए और प्रस्तुति दायर करनी चाहिए। अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित रहकर बंधुआ मजदूरी के अस्तित्व पर कोर्ट को मनाने के लिए तर्क बनाने में पी.पी. की सहायता करनी चाहिए। अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क पेश करना चाहिए यदि न्यायालय द्वारा अनुमति दी जाए।

विचारणीय बिंदु
हालांकि कानून में यह अनिवार्य नहीं है, पर यह राय दी जाती है **की** अधिवक्ता अंतिम लिखित दलीलें तैयार करे और प्रस्तुत करे जिससे ये सुनिश्चित हो की न्यायालय को रखे गए तर्क के बारे में अच्छी तरह सूचित किया गया है। यह मुक्त किये गए पीड़ितों के पक्ष में एक निष्पक्ष निर्णय पारित करने के लिए न्यायालय को सहमत करने में मददगार साबित होगा। सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2 के तहत) पीड़ित / शिकायतकर्ता के लिखित तर्क को साक्ष्य पूरे होने के स्तर के बाद भी दर्ज

कर सकते हैं।

लिखित बयान को गवाहों की गवाही के सबूत के साथ पूरा होना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें
लिखित बयान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए प्रारूप देखने के लिए परिशिष्ट 20 का संदर्भ लें।

चरण 2.14 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अंतिम-निर्णय की प्राप्ति	
समय: निर्णय प्राप्त करने के लिए 1 से 15 के बीच दिन लगते हैं।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को न्यायालय से अंतिम-निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम-निर्णय की प्रमाणित प्रतियां के लिए आवेदन पत्र बनाना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को अदालत के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें
अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र से संबंधित अदालत की अपेक्षा के अनुसार अपील की स्वरूपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि निर्णय पारित होने के उपरांत होने वाली अग्रम कार्यवाही के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो जे.वी.आइ को संपर्क करें।

चरण 2.15 बंधुआ मजदूरी मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील की फाइलिंग	
समय: अपील फैसला सुनाए जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अदालत के प्रतिकूल निर्णय के खिलाफ अपील की तैयारी करने में, यदि आवश्यक हो, अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रतिकूल निर्णय पर, यदि आवश्यक हो, अपील या पुनरीक्षण आवेदन दायर करना चाहिए।
टिप्पणी	
यदि गैर सरकारी संगठन के साथ पीड़ित लोग फ़ैसले के खिलाफ अदालत में अपील दाखिल करने के इक्चुक हैं तो वे इस बात के लिए अधिवक्ता से अवश्य संपर्क करे।	अधिवक्ता को आवश्यक अपील और पुननीरीक्षण आवेदन निर्धारित प्रारूप में दी गई समय सीमा के भीतर और जितनी जल्दी संभव हो, दाखिल करनी चाहिए।

विचारणीय बिंदु

एक बार परीक्षण समाप्त होने के बाद अधिवक्ता आरोपी द्वारा दायर की गई अपील को छूटने ना दे और यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक रहे और यदि बचाए गये लोगों की ओर से कोई अपील दायर की जानी है तो वह तय समय सीमा की अवधि के भीतर दायर कर दी जाए।[108]

यदि एक अपील आरोपी की ओर से दायर की जाती है, अधिवक्ता को अपील का विरोध करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि, अगर आरोपी को बरी कर दिया है, तो अधिवक्ता को बरी किए जाने के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण आवेदन उच्च न्यायालय में दायर करना चाहिए।

---

[108] एक निचली अदालत के फैसले के बाद एक अपील दाखिल करने के लिए अनुमति के लिए दिया गया समय

और जानें और कार्रवाई करें
अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र की अपेक्षित कोर्ट के अनुसार अपील या संशोधन के प्रारूप के बारे में पता होना चाहिए। संशोधन आवेदन एक अपील के समान है जो कि सी.आर.पी.सी. की 397 से 401 धाराओं में दिए गये आधारों के तहत दायर किया जा सकता है। अपील या संशोधन दायर करने के लिए या अपील/ संशोधन प्रारूपों देखने के लिए यदि अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है तो जे.वी.आइ. से संपर्क करें।

3. <u>बंधुआ मजदूरी से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएं:-</u>

बंधुआ मजदूरी से बचाए गए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना हेतु 9 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 3.1 चिकित्सा-देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना
चरण 3.2 ज़रूरी एवं मुलभुत सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाए
चरण 3.3 मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता राशी प्रदान की जाए
चरण 3.4 बी.एल.ए. फंड और पुनर्वास फंड मुक्त बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराये जायें
चरण 3.5 बुनियादी सरकारी सुविधाएं और पहचानपत्र हासिल किए जाए
चरण 3.6 मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनके गृह-स्थान पर सुरक्षित भेजना
चरण 3.7 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता
चरण 3.8 स्थानीय बीएलए सतर्कता समिति की हर संभव मदद प्राप्त करना
चरण 3.9 मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

चरण 3.1 चिकित्सा-देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना	
समयसीमा: बचाव करने के 48 घंटे के भीतर चिकित्सा देखभाल प्रदान की जानी चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मज़दूरों को चिकित्सा-जाँच एवं आवश्यक चिकित्सा-देखभाल प्राप्त करवाई जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की मुक्त बंधुआ मज़दूरों को चिकित्सा-देखभाल प्रदान किया जाए जो की तत्काल और गोपनीय हो और विमुक्त मजदूरों के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए दी जा रही हो।

टिप्पणी	
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गये व्यक्तियों को बिना किसी देरी के तत्काल चिकित्सा देखभाल मुहैया कराई जाए **और** गरिमा के	अधिवक्ता को इस प्रक्रिया के दौरान गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की अनुमति दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अधिवक्ता को

साथ व्यवहार किया जाए।	बचाए लोगों को एक चिकित्सा जांच के लिए भेजा जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अधिवक्ता को बचाए गये व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

नाबालिक की चिकित्सा की जरूरत: जहां नाबालिकको एक परिवार के सदस्य या अभिभावक के बिना मुक्त कराया गया है वहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाए कि सी.डब्ल्यू.सी को प्रस्तुत करने से पहले नाबालिककी चिकित्सा संबंधी जरूरतों की तरफ ध्यान दिया जाए।

पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण: पीड़ितों के साथ गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार करें। पीड़ितों को सूचित करें की क्या घटित हो रहा है क्योंकि उनमे से ज़्यादातर को मलिक धमकी देते हैं। बचाव दल को इस तरह की भाषा बाधा, सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों संबंधी सभी चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए।

गोपनीयता: बंधुआ मजदूर की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उनका नाम, फोटोग्राफ और जानकारी का खुलासा ना होने पाए और ना किसी भी प्रिंट और दृश्य मीडिया में प्रकाशित किया जाए। किशोर और नाबालिकको सुरक्षा प्रदान करने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किशोर न्याय (नाबलिकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 21 का संदर्भ लें।

महिला पीड़ित की चिकित्स्य परीक्षा: अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक महिला पीड़ित के मामले में, चिकित्सा जांच, एक महिला चिकित्सक द्वारा और उसकी की देखरेख में आयोजित की जाए जैसा की सी.आर.पी.सी. की धारा 53 (2) के तहत प्रावधानित है एक महिला चिकित्सक के अभाव में, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक महिला पुलिस अधिकारी या गैर सरकारी संगठन से एक महिला प्रतिनिधि चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के दौरान मौजूद है। पीड़ित की सूचित सहमति, चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने से पहले, प्राप्त किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के वकील इस कदम के महत्व के बारे में मुक्त किये गए पीड़ितों को परामश दे सकता है।

चरण 3.2 ज़रूरी एवं मुलभुत सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाए	
समय: लघु अवधि के प्रावधानों को बचाव के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जा सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन उनकी रिहाई पर गैर सरकारी संगठन मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल बुनियादी, अल्पकालिक एवं अनिवार्य सुविधाएं जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय और परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।	
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बचाए गये मज़दूरों की मदद करके ये सुनिश्चित करना है कि बंधुआ मजदूरों को भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय की मदद पहुँचाई जाए और उनको रिहाई के बाद परिवहन प्रदान किया जाए।	

चरण 3.3 मुक्त बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता राशी प्रदान की जाए	
समयसीमा: बचाए गये बंधुआ मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करने की प्रक्रिया में 2 से 3 दिनों लग सकते हैं।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मजदूर को उनका निर्वाहन वित्तीय राहत (भत्ता) उनके मुक्ति प्रमाण-पत्र के साथ ही मिले अथवा विमुक्ति-तिथि से 7 दिनों के अन्दर मिले।	अधिवक्ता को एस.डी.एम. को उन कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना चाहिए जिनके तहत बंधुआ मजदूर को उनके मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ ही निर्वाहन वित्तीय राहत (भत्ता) उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गये बंधुआ मजदूरों को मुक्ति प्रमाण पत्र देते समय निर्वाह भत्ता के रूप में रुपये 1000 प्रदान किए जाए एवं नए CSS स्कीम के अंतर्गत रुपये 20,000 की तत्काल सहायता राशी प्रत्येक बंधुआ मजदूरी से छुडाये गए पीड़ित को जिला बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष से डी.एम. द्वारा उपलब्द करायी जाये। जिसमे कि उनके बचाव के बाद 7 दिन से ज़्यादा का समय ना लगे।	अधिवक्ता को एस.डी.एम. का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की तरफ आकर्षित करना चाहिए जिसमे कि राज्य सरकार का निर्देश दिया है की सभी बचाए गये मज़दूरों को निर्वाह भत्ते के रूप में रुपये 1000/ - तुरंत उनकी रिहाई के बाद प्रदान किए जाएँ। हाल ही में, मजदूरी एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी बचाए गये बंधुआ मजदूरों को निर्वाह भत्ता तुरंत देने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए पुर्नोत्थान योजना - 2016 के तहत, तत्काल देय सहायता राशि रुपए को वृद्धि करके 20,000 कर दिया गया है जो कि 17 मई 2016 से लागू है[109]।

विचारणीय बिंदु

निर्वाह राहत कुल मुआवजे से अलग है: निर्वाह राहत वह राशि है जो कि राज्य सरकार को बचाए गये व्यक्तियों को निर्वाह भत्ता के रूप उनकी रिहाई पर तत्काल प्रदान किया जाता है। यह अन्य अंतरिम क्षतिपूर्ति दी जाने वाली राहतों से और जीवन निर्वाह के लिए प्रावधान से अलग है और जिनका पुनर्वास के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

और जानें और कार्रवाई करें

---

[109] बंधुआ मजदूर 2016 के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की संख्या, फाइल संख्या एस- 11012 /01 /2015 - बी एल, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 17 मई 2016 एवं इसमें किये संशोधन जो दिनांक 23 जून, 2017 से लागू हैं को और अधिक पढ़ें
The original compensation amount of Rs. 5,000 under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016, has been enhanced to Rs. 20,000 vide Office Memorandum dated 17th January 2017 issued by the Ministry of Labour & Employment, Government of India.

मामले में क़ानून की स्थिति: *पीपल'स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज Vs. तमिलनाडु और अन्य राज्य* मामले में[110] सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्त किया है कि जब एक बार बंधुआ मजदूरों की पहचान कर ली गई है और मुक्त करा लिया गया है तो तुरंत उनका बिना विलंब के पुनर्वास किया जाना चाहिए और निर्देशित किया है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत "राज्य सरकार उसका/ उसकी पहचान होने पर एक बंधुआ मजदूर को निर्वाह भत्ता के रूप में तुरंत रुपये 1000 / - प्रदान करेगी।"

रिहाई के प्रमाण पत्र देने के समय में अंतरिम मुआवजा: जब डी.एम. / एस.डी.एम. रिहाई के आदेश और प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उस समय अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तहसीलदार रिहाई के आदेश के साथ रुपये 1000 का अंतरिम मुआवजा मजदूरों को प्रदान करने के लिए निर्देशित करे।

चरण 3.4 बी.एल.ए. फंड और पुनर्वास फंड मुक्त बंधुआ मजदूरों को उपलब्ध कराये जायें	
समय: बी.एल.ए. फंड और पुनर्वास के लिए फंड हासिल करने के लिए प्रक्रिया 3 से 12 महीने के बीच ले सकती है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों की ओर से बीएलए फण्ड की राशी और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध अन्य पुनर्वास कोष जिनमे राशी एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं के लिए एक अवदान-पत्र दाखिल करना चाहिए।	अधिवक्ता को मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए बीएलए फण्ड की राशी और राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध अन्य पुनर्वास कोष जिनमे राशी एवं अन्य सुविधाएं शामिल हैं को प्राप्त करने के लिए सहायात और सलाह देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों के बारे में पता होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य और	अधिवक्ता को आर.टी.आई. आवेदन, लिखित शिकायतें और रिट याचिका तैयार करके उचित मंचों के समक्ष इन दस्तावेजों को दाखिल करना चाहिए। अधिवक्ता को

[110] (2004) 12 SCC 381; [2004] अति. (2) SCR 64; यहाँ के फैसले का लेख पढ़ें

केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से पुनर्वास के लिए राशि बचाए गये बंधुआ मजदूरों तक तुरंत पहुँचे। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को संबंधित जिम्मेदार प्राधिकरण से पुनर्वास अनुदान जारी करने के लिए संपर्क करना चाहिए और सम्मान से उन्हें अनुरोध करना चाहिए। यदि यह काम नहीं करता है, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को डी.एम. से संपर्क कर उसकी / उसके हस्तक्षेप के लिए पूछना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को आर.टी.आई. आवेदन करके स्पष्टीकरण की मांग करनी चाहिए कि क्यों पुनर्वास के लिए राशि जारी नहीं किया जा रहा है यदि यह कदम विफल रहता है तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को एस.एच.आर.सी. या एन.एच.आर.सी. के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यदि कुछ भी नहीं काम करता है तो गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि एक अधिवक्ता से संपर्क करें और उसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने के लिए कहे।	गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सलाह देने में और उन्हें पुनर्वास अनुदान हासिल करने में सहायता करनी चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों की भूमिका को प्रभावी पुनर्वास में स्वीकरें और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करें।

विचारणीय बिंदु
मुआवजा के प्रकार: मुआवजे के तीन स्तर के बारे में जानकारी लें: ○ बंधुआ मजदूरी पुनर्वास फंड: पहले सभी बचाए गये बंधुआ मजदूरों को केन्द्र प्रायोजित योजना मुआवजा 2000 के तहत मुआवजे के हकदार थे। [20,000 रुपये। रुपये 10,000 राज्य सरकार की और से और रुपये 10,000 केन्द्र सरकार की ओर से] लेकिन इस योजना का

2016 में पुर्नोत्थान किया गया है और अब इसे "बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना"[111] कहा जाता है। 2016 योजना के तहत पुनर्वास सहायता में वयस्क पुरुष प्रति लाभार्थी को रुपये 1,00,000 दिया जाता है। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ नाबालिकया संगठित और जबरिया भीख मंगवाने वाले चक्र से बचाए गये और अन्य रूपों में जबरिया बाल मजदूरी के लिए पुनर्वास मुआवज़ा रुपये 2,00,000 है, जिसमें से रुपये 1,25,000 / - एक वार्षिकी योजना में जमा किया जाएगा और शेष राशि ई.सी.एस. के माध्यम से बी.एल. खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। अगर बी.एल. / जबरिया मजदूरी मज़दूर की अत्यंत सोचनीय स्थिति है जैसे की ट्रांस-जेंडर्स, या सी.एस.ई, प्लेसमेंट एजेंसियों, मानव व्यापार से बचाए गये महिलाएँ या बच्चे, विकलांग व्यक्ति जैसी परिस्थितियों में जहां डी.एम. उचित समझे, पुनर्वास पैकेज रुपये 3,00,000/-, जिसमें से रुपये 2,00,000/- एक वार्षिकी योजना में जमा किया जाएगा और 1,00,000/- ई.सी.एस. के माध्यम से बी.एल. खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

- अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष फंड: एक बंधुआ मजदूर जो अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय: का सदस्य है वह राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित मुआवज़ा पाने का हकदार है। यह मुआवजा तीन चरणों में प्राप्त होता है:

- जब एक बार एफ.आई.आर. दर्ज की है: एफ.आई.आर. दर्ज करने पर एस.एच.ओ. बंधुआ संबंधित विभाग (समाज कल्याण विभाग) को मजदूर पीड़ित को अंतरिम मुआवजा जारी करने के लिए के लिए सिफारिशें लिखने के लिए बाध्य है जो कि कुल मुआवजे की 25% है।

- जब आरोप पत्र दाखिल किया गया है- अगले 25% बचाए गये मजदूर को आरोप पत्र दाखिल होने पे दिया जाएगा।

- परीक्षण के समापन पर- आरोपी की सजा पर, बचाए गये मजदूरों को मुआवजे की शेष 50% प्राप्त होंगे। हालांकि यदि मामला बरी हो जाता है तो यह 50% नही दिए जाएँगे।

---

[111] http://labour.gov.in/sites/default/files/OM_CSS_Rehab_BL_2016.pdf

न्यायपालिका द्वारा निर्धारित मुआवजा:

- **धारा 357 सी.आर.पी.सी.: यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो न्यायाधीश आरोपी को बंधुआ मजदूरी के पीड़ितों को मुआवजा देने के बदले सजा को कम कर सकते हैं। यह आवेदन पीड़ित की तरफ़ से अधिवक्ता लगा सकता है।**
- **357A सी.आर.पी.सी. के तहत : इस धारा के तहत, न्यायाधीश को जिला या राज्य एल.एस.ए (विधिक सेवा प्राधिकरणों) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र प्रायोजित पीड़ित मुआवजा योजना की तरह ही अतिरिक्त मुआवजा सिफारिश करने की शक्ति है।**

- **बाल श्रमिकों के लिए मुआवजा: अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूरी विभाग रुपये 20,000 का जुर्माना मालिक से एकत्र करता है और यह एक कोष में जमा करता है जो बाल मजदूरी पुनर्वास सह कल्याण निधि के रूप में जाना जाता है। अधिवक्ता को उन मामलों में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां परिवार के वयस्क सदस्या जिनके नाबालिक किसी कारखाने या एक खदान में या किसी अन्य खतरनाक स्थान में काम कर रहे हैं, उन्हे नाबालिक के एवज में एक नौकरी दी जाए। उन मामलों में जहां वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है उपयुक्त सरकार को हर कार्यरत प्रत्येक नाबालिक के लिए बनाए बाल मजदूरी पुनर्वास सह कल्याण कोष[112] में हर महीने रुपये 25,000 जमा करने होंगे। दिनांक 12 जून 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री ने एक नयी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत 14 साल तक के ऐसे नाबालिकजिन्हें बंधुआ मजदूरी की स्थिति से छुड़ाया गया हो, उन्हें रुपये 20,000 के अनुदान देय है। इस योजना के तहत नाबलिकों को स्थानीय CWC के साथ रजिस्टर किया जायेगा एवं बाल मजदूरी व्यापर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत किया जायेगा।**

---

[112] देखें एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 6 (SCC) 756

और जानें और कार्रवाई करें
पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठन की मौजूदगी पर केस कानून: अधिवक्ता को अधिकारियों का ध्यान *पी. सिवास्वामी Vs. आंध्र राज्य* मामले[113] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ आकर्षित करना चाहिए जहां अदालत ने इस प्रकार कहा है: "जो भी पुनर्वास मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्रदान किया जाता है, उसे सामाजिक कार्रवाई समूह या स्वैच्छिक एजेंसियों के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही प्रदान किया जाना चाहिए जिससे की यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनर्वास के प्रावधान ऐसे मजदूरों के हाथों तक वास्तव में पहुचें"। सी.आर.पी.सी. में मुआवजे पर कानून: पीड़ित मुआवजे के बारे में अधिक जानने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 357 और 357A पढ़ें। प्रावधानों में उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा किए गए संशोधनों को समझने के लिए उन धाराओं को पढ़ें। पीड़ित मुआवजे के लिए प्रारूप: परिशिष्ट 19 धारा 35A (6), सी.आर.पी.सी. के तहत सजा को सुनाने की प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश से पीड़ित मुआवजे के लि एक आवेदन प्रदान किया गया है।

चरण 3.5 बुनियादी सरकारी सुविधाएं और पहचानपत्र हासिल किए जाए	
समयसीमा: बुनियादी सरकारी हकों और पहचान दस्तावेज को हासिल करने की प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है ।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूर को उनकी बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज जैसे की राशन कार्ड,	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनकी बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज जैसे की राशन

[113] 1988 एईआर 1863

मतदाता पहचानपत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। गैर-सरकारी संगठन को सरकारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श और अन्य सुविधायों को मुक्त बंधुआ मजदूरों तक पहुचाने में सहायता करनी चाहिए।	कार्ड, मतदाता पहचानपत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त कराने से सम्बंधित सलाह एवं सहायता देनी चाहिए। अधिवक्ता को गैर-सरकारी संस्थानो और मुक्त बंधुआ मजदूरों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की यदि बुनियादी सरकारी सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं तो उपयुक्त सरकारी मंच पर इसकी शिकायत दर्ज की जाये।
टिप्पणी	
बंधुआ मजदूर पीड़ितों को प्रदान की जानी वाली पुनर्वास धनराशि के साथ साथ निम्नलिखित भी उपलब्ध कराना चाहिए जैसे की: • घर-की जगह का आबंटन • कम लागत में आवास की व्यवस्था • पशुपालन, डायरी, मुर्गीपालन, सूअर पालन, आदि, • मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन आदि, • संग्रह और लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण, • पी.डी.एस के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, और • आधार कार्ड • राशन कार्ड • भूमि पट्टा	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और सरकार के अधिकारीगण से पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित जानकारी जैसे नाम व पते सहित उम्र, और गांव में जहां मजदूर स्थानांतरित होना चाहते है को एकत्रित करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। अधिवक्ता को पीड़ित से उसके राशन कार्ड, भूमि पट्टा, मतदाता पहचान या समुदाय प्रमाण पत्र के बारे में भी पूछताछ करनी चाहिए। सरकार की पुनर्वास योजनाओं को पीड़ित तक पहुँचने के लिए अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि की सहायता करनी चाहिए। अधिवक्ता को मुक्त पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों और उन तक पहुँचने के तरीके के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन हालातों में जब मुक्त कराया गया

• समुदाय प्रमाण पत्र • रोजगार योजना के तहत जॉब कार्ड (मनरेगा) • संबंधित राज्य में प्रचलित मुख्यमंत्री की कुछ कल्याणकारी योजनाओं • रोजगार योजनाएं • चिकित्सा सुविधाएं • सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्य लाभ •बैंक खाते गैर सरकारी संगठन को सुनिश्चित करना चाहिए की बंधुआ मजदूर पीड़ितों को ऊपर उल्लिखित पुनर्वास योजनाओं से संबंधित स्थानीय प्रशासन प्रदान हो और जब भी आवश्यक हो किसी अधिवक्ता की मदद लें। सरकारी संगठन आर्थिक पुनर्वास मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के साथ किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। इस सब में केवल एक बंधुआ मजदूर का ही नही अपितु उसके पूरे परिवार के पुनर्वास को ध्यान देने की जरूरत होती है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि बचाए गये बंधुआ मजदूरों को उनकी रिहाई पर बुनियादी प्रावधानों के प्रावधान जैसे भोजन, अस्थायी आश्रय, और परिवहन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। गैर-सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवाना सुनिश्चित करना चाहिए। गैर-	बंधुआ मजदूर अपने पैतृक गांव में वापसी को चुनता है, अधिवक्ता को सरकार से अनुरोध कर मुक्त बंधुआ मजदूर की उसकी / उसके पैतृक स्थान में सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकारी संगठन को अधिवक्ता से पीड़ितों के लिए उनके हकों तक पहुँचने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करे।	

विचारणीय बिंदु
पर्याप्त आर्थिक पुनर्वास: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गये बंधुआ मजदूरों को आर्थिक पुनर्वास और प्रायोजित योजना के तहत अनुदान लेने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ सरकार और अन्य एजेंसियों के विभिन्न विभाग की ओर से उपलब्ध आर्थिक लाभ पूलन को दिलाने के दृष्टिकोण से भी जोड़ा जाना चाहिए। एक बैंक खाता खोलने के साथ मुक्त व्यक्तियों की सहायता करना: पुनर्वास अनुदान आम तौर पर चेक द्वारा भुगतान किया जाता है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खातों को खोलने के लिए मुक्त बंधुआ मजदूरों की सहायता करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मुक्त बंधुआ मजदूर को प्रोत्साहित करना चाहिए की वे बचत करने की आदत डालें। सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मुक्त कराए बंधुआ मजदूरों की सहायता पुनर्वास अनुदान से ऐसे संपत्ति को प्राप्त करने (जैसे सिलाई मशीन, पशुधन, गाड़ी आदि के रूप में) में मदद करे जो की उसकी / उसके कौशल से जुड़े हों। बहरहाल, यह केवल बंधुआ मजदूर के परामर्श से किया जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है की बंधुआ मजदूरों के साथ परामर्श करके पुनर्वास योजना तैयार की जाए। पुनर्वास योजनाएं: विस्तीर्णता से गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त किये गए पीड़ितों के लिए यह प्रदान की जाए:

योजना	ज़िम्मेदार सरकारी प्राधिकर्ण
रुपए 1,00, 00 से 300,000 तक का पुनर्वास राशि[114]	जिला राजकोष, कलेक्टर, आर.डी.ओ, तहसीलदार और/या कोई अन्य प्राधिकरण जो की धन वितरण के लिए स्थापित किया गया हो।
राशन कार्ड:	स्थानीय तहसील कार्यालय आपूर्ति
समुदा (जाति) प्रमाणपत्र	तहसीलदार या उप-तहसीलदार
भूमि पट्टा	राजस्व निरीक्षक, सर्वेक्षण विभाग और कलेक्टर/आर.डी.ओ/ तहसीलदार
नरेगा के द्वारा रोज़गार	ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्थानीय ग्राम पंचायत या कार्यक्रम के माध्यम से सुलभ अधिकारी या नामित प्राधिकरण
शिक्षा	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग; मजदूरी निरीक्षक (जिम्मेदार है जब बाल मजदूरी शामिल हो)[115]
बंधुआ मजदूर 2016 के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना[116]	जिला प्रशासन

[114] बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 2016 केन्द्रीय क्षेत्र योजना के द्वारा नकदी घटक , श्रम एवं रोजगार, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा 100% समर्थित है और गैर- नकद घटक संबंधित राज्य सरकार द्वारा समर्थित होगा

[115] चाइल्डहुड फाउंडेशन बनाम । भारत संघ और अन्य रिट याचिका (सिविल) 15090 ऑफ 2006 , यहाँ उपलब्ध है:: <http://stophumantrafficking-mha.nic.in/writereaddata/WPC-9767-2009-govt-of-delhi-vs-save-the-childhood-foundation.pdf>, उनकी भूमिका सीएल / बीएल से बचाए गये नाबलिकों के दाखिला के लिए आवश्यक है

[116] बंधुआ मजदूर 2016 के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना की संख्या , फाइल संख्या एस- 11012 /01 /2015 - बी एल , भारत सरकार , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, 17 मई 2016, यहाँ उपलब्ध है: <http://labour.gov.in/sites/default/files/OM_CSS_Rehab_BL_2016.pdf>

और जानें और कार्रवाई करें
मुक्त बंधुआ मजदूरी के पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धन की रिहाई के लिए एन.एच.आर.सी. के दिशा-निर्देशों के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।   सरकार पात्रता नियमावली: बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारी हकों के लिए एक विस्तृत चरण-दर-चरण गाइड- देखें 'गरीबों की हिमायत - बिहार के लिए एक नियमावली, 'और गरीबों की हिमायत - उत्तर प्रदेश के लिए नियमावली', यहाँ उपलब्ध है[117]।   विधिक सेवा प्राधिकरण (एल.एस.ए.): यदि गैर सरकारी संगठन मुक्त किये गए पीड़ितों को उसके सरकार द्वारा प्रदित हकों को हासिल कराने में सहायता करने में असफल रहती है, तो गैर सरकारी संगठन और मुक्त किये गए पीड़ितों स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए यहां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पढ़े।   भूमि पट्टा: पट्टा एक कानूनी दस्तावेज है जो की सरकार जमीन के मालिक के नाम पर जारी करती है। सरकार ने कम आय वाले परिवारों के उपभोग के लिए भूमि का प्रावधान किया है। बंधुआ मजदूर विज्ञप्ति प्रमाणपत्र प्राप्त भूमि पट्टा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। भूमि पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जे.वी.आइ से संपर्क करें।

चरण 3.6 मुक्त बंधुआ मजदूरों को उनके गृह-स्थान पर सुरक्षित भेजना	
समयसीमा: बंधुआ मजदूर की घर वापसी की प्रक्रिया में 2 दिन से 1 सप्ताह का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार/ पैतृक स्थान या वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर पहुचने में सहायता	अधिवक्ता द्वारा गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि पुनर्वास प्रक्रिया क़ानूनी रूप से पूरी की जा रही है या

[117] इम्मानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा विकसित और हाल ही में जेवीआइ द्वारा अद्यतन

करनी चाहिए और नाबालिग मुक्त बंधुआ मज़दूरों के मामले में यह सुनिश्चित करना चाहिए की सी. डब्ल्यू. सी. के निर्देशानुसार गृह-स्थान का सत्यापन कर रिपोर्ट सौप दी गयी है।	नहीं।
टिप्पणी	
बंधुआ बाल मजदूरों और किशोरों बंधुआ मजदूरों के रूप में कार्यरत होने के मामलों में गैर सरकारी संगठन गृह सत्यापन अध्ययन करें और संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। गैर सरकारी संगठन मजिस्ट्रेट / सी.डब्ल्यू.सी को घर सत्यापन अध्ययन को पूरा करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं ।	अधिवक्ता को बाल बंधुआ मजदूरों को सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना और एक उचित संरक्षण घर में रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए । ऐसे घर से बाल बंधुआ मजदूर की रिहाई की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि कोई गृह जांच रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुत नही की जाती। गृह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व अधिवक्ता को मुक्त कराए नाबालिककी रिहाई का विरोध करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु
बाल श्रमिकों की मूल स्थान वापसी में सी.डब्ल्यू.सी की भूमिका: अगर बाल श्रमिकों को उनके माता पिता के बिना बचाया जाता है तो सी.डब्ल्यू.सी की यह भूमिका है कि ऐसे मामलों में उनकी पृष्ठभूमि की बारे में पर्याप्त जांच, घर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उन कदमों को, जिनसे नाबालिकको उसके मूल स्थान प्रत्यावर्तित किया जा सके, उठाने के बारे में निर्धारण करें। सी.डब्ल्यू.सी जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर बचाव की प्रक्रिया निहित है, वह जे.जे. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित आदेश पारित करे जिससे की नाबालिकको उसके मूल स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाली सी.डब्ल्यू.सी को प्रत्यावर्तित किया जा सके। ये सुनिश्चित करें कि नाबालिकको जल्द से जल्द उसके मूल स्थान भेजा जाए। गैर सरकारी संगठन को सी.डब्ल्यू.सी की सहायता करके ये सुनिश्चित करना चाहिए

कि मूल निवास वापसी जल्द से जल्द घटित हो।

नाबलिकों को माँ-बाप के सुपुर्द करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी के आदेश: सी.डब्ल्यू.सी नाबालिकके कल्याण और पीड़ित सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37 के अंतररगत, घर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत सी.डब्ल्यू.सी नाबालिककी मुक्ति उसके माता-पिता या अभिभावक को सौपने का आदेश दे सकता है।

सीमा पार / अंतर-राज्य की व्यापार: सीमा-पार या अंतर-राज्य की व्यापार के मामलों में दोनों देशों के हितधारकों और गैर सरकारी संगठनों को ऐसे प्रभावी उपाय करने चाहिए जिससे कि मुक्त कराए महिलाओं, नाबलिकों या पुरुषों की उनके मूल स्थान पर जल्दी स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो सके।

नेपाल या बांग्लादेश के लिए प्रत्यावर्तन: नेपाल और बांग्लादेश सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम निम्न चरणों में किए जा रहे हैं:

1. पहला कदम नेपाल और बांग्लादेश के महावाणिज्य दूत के पास जाना और मिलना है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को खुद पेश होकर मामले के बारे वाणिज्य के प्रतिनिधियों को सूचित करना चाहिए। वाणिज्य दूतावास के साथ अच्छे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वाणिज्य दूतावास के कुछ नियमों और क़ानून है जिसके द्वारा स्वदेश वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रक्रिया और दस्तावेज जिनके द्वारा प्रत्यावरण होना है उससे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को परिचित बनने की जरूरत है। प्रत्यावरण की प्रक्रिया पूरी करने में शुरूआत से अंत तक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को उपयुक्त भारतीय सरकारी एजेंसी और वाणिज्यक दूतावास के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना चाहिए।
2. बिना माता पिता के बचाए गये बाल श्रमिकों के मामले में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को गृह अध्ययन करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी से अनुरोध करना चाहिए और गृह अध्ययन रिपोर्ट संपन्न होने के बाद, गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यावरण के लिए आदेश पारित करवाना चाहिए।
3. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को घर अध्ययन के संचालन करने वाले गैर सरकारी संगठन के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को विश्वसनीय संगठनो का एक डेटा बेस बनाए रखना चाहिए और सी.डब्ल्यू.सी को सिफारिश करनी चाहिए की घर अध्ययन का संचालन और स्वदेश वापसी में सहायता करने के लिए इन संगठनों से संपर्क करें।

महत्वपूर्ण दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय स्वदेश वापसी के लिए आवश्यक है।

निम्नलिखित दस्तावेज निम्नलिखित एजेंसियों की जरूरत है:

• राष्ट्रीयता सत्यापन - देश जहाँ मूल स्थान है

• प्रत्यावर्तन आदेश और गृह मंत्रालय की सहमति पत्र - गृह मंत्रालय, भारत

• अनापत्ति प्रमाण पत्र - महिला एवं बाल विकास विभाग के (डी.डब्ल्यू.सी.डी) के जिला कार्यालय और राज्य कार्यालय।

• यात्रा दस्तावेज - देश जहाँ मूल स्थान है

• रिहाई के आदेश - सरंक्षण घर

• यात्रा के लिए मंजूरी के बारे में अधिसूचना - विदेश रजिस्ट्री कार्यालय, राज्य सरकार

• भारत छोड़ने के लिए अनुमति - भारत सरकार

किसी मामले यह हो सकता है की मूल स्थान वाले देश में पुनःप्रवेश की अनुमति की आवश्यकता भी मूल स्थान वाले देश को हो। यदि मुक्त किये गए पीड़ितों जिस देश के अंतर्गत आता है और वह देश मुक्त किये गए पीड़ितों को नागरिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस परिस्थिति में भारत सरकार मुक्त किये गए पीड़ितों को प्रत्यावर्तित करने के लिए ज़्यादा कुछ नही कर सकती है। गैर सरकारी संगठन ये सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि मुक्त किये गए पीड़ितों की उत्पत्ति वाला देश उसकी राष्ट्रीयता को पहचान कर मुक्त किये गए पीड़ितों की स्वदेश वापसी की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाए।

गैर सरकारी संगठन को सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के लिए पूछना चाहिए। गैर सरकारी संगठन को मुक्त किये गए पीड़ितों के बारे में आवश्यक जानकारी को सभी संबंधित पक्षों में प्रदान करना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

परिवार पुनर्वास रिपोर्ट प्रारूप: परिवार पुनर्वास रिपोर्ट का प्रारूप का नमूना परिशिष्ट 18 में पाया जा सकता है। सी.डब्ल्यू.सी स्पष्ट रूप से गृह जांच का संचालन करने के लिए गैर-सरकारी संगठन के नाम बताए।

चरण 3.7 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता	
समयसीमा: निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग प्रदान करने की प्रक्रिया 1 से 2 महीने के बीच ले सकती है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मज़दूरी गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मज़दूरी से मुक्त लोगों की सहायता उनको निजी क्षेत्र (एनजीओ और व्यापर-क्षेत्र) के साधन और अन्य सुविधायों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, भूमि-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श आदि उपलब्ध कराकर करनी चाहिए।	
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को बंधुआ मज़दूरी से मुक्त कराए लोगों की सहायता उनको निजी क्षेत्र (गैर सरकारी संगठन और व्यवसाय) के साधन और अन्य सुविधाओं से संबंधित संसाधनों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, भूमि अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श को उपलब्ध करवाने में करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को बंधुआ मजदूरों तक निजी सुविधा पहुँचाने के लिए अपनी नेटवर्किंग के द्वारा साथी संगठनों और प्रासंगिक हितधारकों जो विशेष देखभाल प्रदान कर सकती है उन से वैकल्पिक आजीविका और अंतरिम आश्रय के लिए, प्रलेखन प्राप्त करने में सहायता, शिक्षा प्रदान, स्वास्थ्य प्रदान	

और मुक्त कराए व्यक्ति को परामर्श देने में और उनके अधिकार दिलाने में मदद लेनी चाहिए।	
चरण 3.8 स्थानीय बीएलए सतर्कता समिति की हर संभव मदद प्राप्त करना	
समय: स्थानीय बी.एल.ए. सतर्कता समितियों को संलग्न करने का कार्य 1 से 2 महीने का समय ले सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त बंधुआ मजदूर के गृह-जिला में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता समिति गठित हो एवं इन समितिओं की मदद से यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की मुक्त मज़दूरों के पुनर्वास और सुरक्षा से सम्बंधित कार्य सुचारू रूप से चलते रहे।	अधिवक्ता को बंधुआ मजदूर सतर्कता समिति का गठन न होने की स्थिति में जिला प्रशासन के समक्ष याचिका दायर करने में गैर सरकारी संगठन की सहायता करनी चाहिए।
टिप्पणी	
बी.एल.ए. की धारा 13 के अनुसरण में, प्रत्येक राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है की वे सतर्कता समितियों का गठन करें और राज्य के हर जिले में वे प्रभावी ढंग से संचालन करें। सतर्कता समितियों का गठन बंधुआ मजदूरी पीड़ितों के समग्र पुनर्वास के प्रयोजन के लिए किया जाता है और ये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। गैर सरकारी संगठन को जिलों और उप प्रभागों में जहां सतर्कता समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया है वहाँ सतर्कता	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक जिले में एक सतर्कता समिति बी.एल.ए. के प्रावधान के अनुसार गठित की गई है।

समिति के पुनर्गठन के लिए जिला प्रशासन से वकालत करनी चाहिए और उनको बंधुआ मजदूर की व्यापकता पर सर्वेक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित के साथ गरिमा और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए ना की अपराधियों के रूप में।	

विचारणीय बिंदु

गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को अनुरक्षण सेवाएं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है की अनुरक्षण सेवाओं को दो साल के लिए प्रदान किया जाए जो की आवश्यकता के आधार पर और आगे बढ़ाया जा सके। यह उम्मीद की जाती है कि एक तरफ सतर्कता समिति बी.एल. अधिनियम की धारा 14 के तहत मुक्त बंधुआ मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास को उपलब्ध कर वाएँगे, वहीं गैर सरकारी संगठन मुआवजे के संबंध में सतर्कता समिति और जिला प्रशासन के साथ अनुसरण करेंगे। गैर सरकारी संगठन पर्याप्त पुनर्वास समर्थन सुनिश्चित करने में जिला प्रशासन एवं सतर्कता समितियों की सहायता कर सकती है।

और जानें और कार्रवाई करें

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानने के लिए अध्याय IV का संदर्भ लें।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर अध्याय 6 का संदर्भ लें।

उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में विभिन्न चरणों सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में उठाए जा रहे कदमों के बारे में अध्याय I में पढ़े.

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 3.9 मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना</th></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: 2 साल तक का समय लग सकता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की मुक्त कराए लोग स्थायी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं।</td></tr>
<tr><th>गैर सरकारी संगठन</th><th>अधिवक्ता</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को मुक्त बंधुआ मजदूरों की स्थायी स्वतंत्रता और निरंतर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए बचाव से कम से कम 24 महीने तक मुक्त बंधुआ मजदूर के साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए।</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="2">टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को मजदूरों के मुक्त होने के बाद परिवार / पैतृक स्थान के लिए वापस बहाल करने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। बाल मजदूर के मामले में मुक्ति से पहले बाल कल्याण समिति के आदेश की मांग करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन को आवश्यकता अनुसार जो भी ज़रूरी हो समय पर अनुसरण करना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन परिवार का आकलन करे, व्यक्तिगत उपचार योजना का संचालन का मसौदा तैयार करें, और जिला प्रशासन के साथ नज़दीकी रूप से मिलकर काम करें ये सुनिश्चित करने के लिए कि बचाए गये लोगों तक उनके कल्याण के हक़ पहुचें। मुआवजा पहुचाने के लिए उनके व्यक्तिगत बैंक खाते खोलने में भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि मुआवजे के चेक सरकार द्वारा यहीं जमा किया जाएगा।</td><td>अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सलाह दे कि वे ये सुनिश्चित करें कि मुक्ति प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए ना कि बलपूर्वक।</td></tr>
</table>

विचारणीय बिंदु

पर्याप्त काउंसिलिंग: मुक्त कराए मजदूरों को सलाह परामर्श मिलनी चाहिए और उनको उनके पैतृक गांव में भेजने के लिए मजबूर नही किया जाना चाहिए। एक नाबालिग के मामले में, व्यक्ति के देखभाल की योजना बनाया जाना चाहिए और सी.डब्ल्यू.सी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन भी मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों की देखभाल की योजना को बना सकती है और मजिस्ट्रेट को इसे प्रस्तुत कर सकती है अगर उसे ऐसा करने को कहा जाए। गैरसरकारी संगठन के प्रतिनिधि को मजदूर को वापस उसके परिवार और समुदाय में पुनर्मिलन करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

मुक्ति का लक्ष्य: मुक्ति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि एक मजदूर को ऐसे संवहनीयता की जगह पहुँचे, जहां वह / वह / खुद के लिए प्रदान करने के लिए सक्षम है।

गृह अध्ययन का समापन: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बाल श्रमिकों के मामले में गृह अध्ययन आयोजित करने से पहले सी.डब्ल्यू.सी से अवश्य अनुमति लेनी चाहिए। गृह अध्ययन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी प्रतिनिधि मजदूर के पैतृक स्थान जायें वे ऐसे जानकारी समुदाय के साथ साझा ना करें जिससे की नाबालिकके उपर कोई दोषारोपण हो क्योंकि ऐसा करने से परिवार और समुदाय नाबालिकको वापस घर आगमन का स्वागत नहीं करेंगे। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि फिर से व्यापार के जोखिम का आकलन करे और रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश करे।

योजना: चूँकि मानव व्यापार से पीड़ित लोगों की घर वापसी और पुन: एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया है इसलिए इसकी योजना बनाने के लिए वैयक्तिक पीड़ितों की विशिष्ट छोटी और लंबी अवधि की ज़रूरतें और अभिव्यक्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो भी प्रयास हों वो गैर दंडात्मक हों और जिनका उद्देश्या पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना हो।

और जानें और कार्रवाई करें

बंधुआ मजदूरी उपायों में प्रदान की जानी वाली अनुरक्षण (aftercare) सेवाओं की एक चेकलिस्ट परिशिष्ट 17 में देखी जा सकती है।

D. यौन व्यापार हस्तक्षेप के लिए एस.ओ.पी.

अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेप के लिए एसओपी इस प्रकार हैं:-

यह मानक संचालन प्रक्रिया ("SOP") तीन प्रतिभागों में विभाजित हैं:

(1) यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव के लिए प्रक्रिया;

(2) यौन व्यापार अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएँ; और

(3) यौन व्यापार से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएँ।

1. अवैध यौन व्यापार के पीड़ित लोगों के बचाव के लिए प्रक्रिया:-

पीड़ितों के बचाव में शामिल दस प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:-

चरण 1.1 यौन व्यापार पीड़ितों की पहचान
चरण 1.2 यौन व्यापार शिकायत की प्रस्तुति
चरण 1.3 यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-योजना की तैयारी
चरण 1.4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक का आयोजन
चरण 1.5 यौन व्यापार बचाव-कार्य की शुरुआत
चरण 1.6 यौन व्यापार बचाव-स्थल को सुरक्षित करना
चरण 1.7 आरोपियों को यौन व्यापार पीड़ितों से अलग करना
चरण 1.8 यौन व्यापार अपराध से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण
चरण 1.9 यौन व्यापार पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग
चरण 1.10 मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों का संरक्षण सुनिश्चित करना

चरण 1.1 यौन व्यापार पीड़ितों की पहचान	
समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के पीड़ित लोगों की पहचान की प्रक्रिया में 1 से 7 दिनों के बीच समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार की मौजूदगी के समर्थन में तथ्यों को	अधिवक्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि क्या जिन तथ्यों को इकट्ठा किया गया

सत्यापित और इकठ्ठा करना चाहिए।	है वो अनैतिक व्यापार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और अन्य सुसंगत कानूनों से सम्बंधित तत्वों का समर्थन करते हैं या नहीं।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित स्रोतों में से एक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं : • पीड़ित या पीड़ित के परिवार / समुदाय / उत्तरजीवी; • गैर-सरकारी संगठन / समुदाय के नेताओं ; • सी डब्ल्यू सी • मानव व्यापार विरोधी इकाइयों (राज्य और जिला स्तर); • किसी भी व्यक्ति जिसे कि अपराध का जानकारी हो ; • पीड़ित • मुखबिरों। गैर-सरकारी संगठन, विश्वस्त सूत्रों और पारगमन बिंदुओं से, मांग क्षेत्रों से मिली खुफिया जानकारी के ज़रिए और मीडिया रिपोर्टों माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।	अधिवक्ता निम्नलिखित स्रोतों में से एक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: • पीड़ितों या पीड़ितों परिवार / समुदाय / उत्तरजीवी • गैर-सरकारी संगठन / समुदाय के नेताओं को • मानव व्यापार इकाइयों (राज्य और जिला स्तर) • सी.डब्ल्यू.सी • अपराध का ज्ञान होने के किसी भी व्यक्ति • पीड़ित • मुखबिर अधिवक्ता को जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान डेकॉय ऑपरेशन और गोपनीयता बनाए रखने के बारे में गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए।

विचारणीय बिंदु

यौन व्यापार के अवैध व्यापार का पीड़ित कौन है:

व्यापारिक यौन शोषण के लिए व्यापार के मामले की जांच के प्रयोजन के लिए, एक "पीड़ित" कोई भी हो सकती है जिसको धमकी दे कर, बलपूर्वक या अपहरण करके, धोखाधड़ी और बेईमानी को अपना के, या सत्ता के दुरुपयोग, या डेकॉय के मध्यम से विवश करके वहन किया हो, प्रश्रय दिया गया हो, हस्तांतरित किया गया हो या प्राप्त किया गया हो, यौन शोषण के उद्देश्य से[118]।

आई.टी.पी.ए. के अनुसार, व्यापार का पीड़ित हो सकता है:

a. एक बच्चा: कोई भी व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है

b. एक नाबालिग: कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन 18 साल की उम्र पूरी पूरा नहीं की हो।

c. व्यस्क: जिस किसी ने भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

जानकारी और खुफिया समाचार जुटाने के साधन: निम्नलिखित तरीकों और स्थानों से जिनसे व्यापारिक यौन शोषण की घटनाओं की जानकारी की पहचान की जा सकती है को ऐसे चिन्हित किया जा सकता है -

- **स्रोत क्षेत्र: पीड़ितों और संभावित पीड़ित लोगों पर स्रोत क्षेत्रों से खुफिया जानकारी लीजिए। पीड़ितों में शामिल हैं महिलाओं और बच्चे, जिनको कि यौन प्रकृति के कुकृत्यों के लिए मजबूर किया जाता है। संवेदनशील स्थानों और समुदायों पर कड़ी नजर रखने से व्यापार किए जा रहे असुरक्षित पीड़ितों को रोकने में मदद मिलेगी। गैर सरकारी संगठन को सामुदायिक सदस्यों को प्रेरित एवं संवेदनशील करना चाहिए कि वे आकस्मिक रूप से पीड़ित के आवागमन पे नज़र रखें। बचाए गये व्यक्ति से साक्षात्कार से भी स्रोत क्षेत्रों में खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है।**

- **पारगमन बिंदू: पारगमन के दौरान, पीड़ितों और अपराधियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर टीम तैनात करें। पारगमन बिंदूओं में शॅमिल हैं बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आव्रजन / सीमाओं पर कस्टम कार्यालयों, पर्यटन स्थल**
- **गंतव्य क्षेत्र: ऐसे क्षेत्रों या गतिविधियों जहां पर व्यापारिक यौन शोषण**

118 व्यक्तियों , विशेष रूप से महिलाओं और नाबलिकों की व्यापार को दंडित करने, रोकने , दबाने लिए प्रोटोकॉल , 2000 देखें

संचालित किया जाता है वहाँ से ख़ुफ़िया जानकारी ली जाए जैसे की मसाज पार्लर, वेश्यालयों, यौन पर्यटन संचालक, डांस बार, होटल आदि

- डेकॉय ऑपरेशन: डेकॉय ऑपरेशन चलाने के द्वारा सूचना प्राप्त किया जा सकता है।

सावधानियां जो बरती जानी चाहिए: सूचना प्राप्त करने करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए -

i. **गोपनीयता बनाए रखें:** पीड़ितों से संबंधित जानकारी, बचाव साइट खोजा जा सकता है, और वेश्यालय के मालिक या दलाल गोपनीय रहना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों या अधिवक्ता किसी अन्य व्यक्ति जो पता करने की जरूरत नहीं करने के लिए जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए।

ii. **स्थानीय पुलिस से संपर्क:** क्या आप मानते हैं कि यदि आप किसी को पहचान कर ली है या सेक्स की व्यापार के पीड़ित के बारे में किसी भी स्रोत से जानकारी मिली है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सचेत। बचाव या अपने दम पर पीड़ित में मदद करने का प्रयास न करें। एक गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति को अपने दम पर एक बचाव का संचालन नहीं कर सकते हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता की जरूरत है।

iii. **स्थानीय पुलिस / ए.एच.टी.यू/ सी.बी.आइ. के लिए शिकायत का मसौदा तैयार करना:** किसी लिखित शिकायत या कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट (एल. आइ. आर) का मसौदा तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता की सहायता करें। लिखित शिकायत या कानूनी हस्तक्षेप की रिपोर्ट में उन सभी उल्लंघनो और कानून के सभी धाराओं का उल्लेख हो जिनको लागू किया जा सकता है।

iv. **डेकॉय संचालन:** सूचना को डेकॉय ऑपरेशन चलाने से हासिल किया जा सकता है। एक डेकॉय कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति आड़ में चला जाता है (इस तरह के व्यक्ति को 'डेकॉय' कहा जाता है) और जहाँ भी व्यापारिक यौन व्यापार संचालित किया जा रहा है उस की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आड़ उपयोगी होता है। डेकॉय किसी भी अन्य जानकारी को प्राप्त करने लिए, जो कि बचाव संचालन के लिए मददगार हो, में उपयोगी हो सकता है लेकिन संचालन के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। डेकॉय ऑपरेशन ख़तरनाक हैं और केवल प्रक्षिशित लोगों को ही प्रॉलोभन के लिए तैनात किया जाना चाहिए।

डेकॉय के रूप में किसकी भर्ती की जा सकती है: एक पुलिस अधिकारी, एन.जी.ओ. का कोई प्रतिनिधि या कोई भी दूसरा व्यक्ति जो डेकॉय के रूप में भेजे जाने के लिए राज़ी हो।

- एक डेकॉय क्या वेश धारण कर सकता है: एक डेकॉय एक नकली ग्राहक का वेश धारण कर सकता हैं
- डेकॉय को हिदायतें: डेकॉय को पीड़ितों की दुर्दशा और इस तरह के आपरेशनों को अंजाम देने में शामिल सारे जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। डेकाय को व्यापार पीड़ित व्यक्ति के असुरक्षता के बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न तो उसकी उपस्थिति से पीड़ित को कोई और आघात पहुचे और न ही वो उसकी परिस्थिति का लाभ ले।

एस.टी. हस्तक्षेपों में डेकॉय ग्राहक की भूमिका और महत्व: डेकॉय ग्राहक को फर्जी ग्राहक के रूप में जाना जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लक्षित पीड़ित बचाव अभियान के दौरान वेश्यालय में मौजूद है। डेकॉय के संचालन के कारण महिला का यौन शोषण किए जाने के बारे में पुख्ता सबूत प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में वेश्यालय कीपर / प्रबंधक / मालिक से उल्लेखनीय लेन देन पैसे की वसूली की प्राप्ति, उन्हें अपराध में लिप्त होना दर्शाती है। यहां तक की पीड़ित का अगर विचरण के दौरान पता नही भी लगता तो भी डेकॉय ग्राहक और स्वतंत्र गवाह की गवाही के बिना पर वेश्यालय चलाने के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना जबकि बिना पीड़ित कि उपस्थिति के अन्यथा मुकदमा आगे नहीं बढ़ता।

डेकॉय ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण बातें: निम्नलिखित बातों का ध्यान डेकॉय ग्राहक द्वारा रखा जाना चाहिए।

- डेकॉय ग्राहक एक अच्छी तरह से प्रतिष्ठित किया व्यक्ति हो। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नही होनी चाहिए।
- वह बहुत युवा नहीं होना चाहिए।
- वह प्राथमिक रूप से गैर सरकारी संगठन से होना चाहिए।
- वह सेक्स के अवैध व्यापार या रेड लाइट एरिया की कार्यप्रणाली से परिचित होना चाहिए।
- वेश्यालय के लिए भेजे जाने से पहले उसे विशेष पुलिस अधिकारी को परिचित करवाना चाहिए।
- पूर्व बचाव रिपोर्ट (पंचनामा) के दौरान डेकॉय ग्राहक के विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। उसकी तलाशी ली जानी चाहिए उसके पास समस्त

वस्तुओं को अंकित किया जाना चाहिए।

- डेकॉय ग्राहक को ऑपरेशन के महत्व को समझाया जाना चाहिए। एस.पी.ओ. को उसे जानकारी देनी चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ।
- लेनदेन के लिए चिह्नित पैसे पुलिस द्वारा डेकॉय ग्राहकों को स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में दिया जाता है डेकॉय ग्राहक को चिह्नित पैसे से ही वेश्यालय कीपर / प्रबंधक / मालिक को भुगतान करना चाहिए ।
- वह पीड़ित के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- जैसे ही लेनदेन किया जाता है उसे पुलिस को एक पूर्व निर्धारित कोड में सूचित करना चाहिए।
- जैसे ही पुलिस वेश्यालय की ओर कूच करती है तो उसे ये कोशिश करनी है की वो लड़की को उसके साथ रखने की कोशिश करे और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए अनुमति ना दे।
- अगर उसे महिला को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है (जो की छापे / आगाह किए जाने की वजह से हो सकता है), तो उसे महिला के साथ रहना चाहिए ताकि वह देख सके कि कहाँ लड़की को छिपा रखा है।
- डेकॉय ग्राहक के बयान पुलिस अधिकारी को लिखित में दर्ज करे।
- डेकॉय ग्राहक अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान गवाही दे।

और जानें और कार्रवाई करें

यौन के अवैध व्यापार का पीड़ित (व्यापारिक यौन शोषण के लिए व्यापार) कौन है। आई.टी.पी.ए. की धारा 5 व्यापारिक यौन शोषण के लिए व्यापार के पीड़ित के बारे में जानकारी प्रदान करता है। व्यापार के तत्वों के बारे मे जानने के लिए चतुर्थ अध्याय को देखे।

यौन के अवैध व्यापार के दस्तावेज़ों का प्रलेख: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ध्यान से यौन के अवैध व्यापार के अस्तित्व का प्रलेखन करना चाहिए।

नमूना दस्तावेजों और अभ्यास मदद: यौन व्यापार के आसपास के मिथकों के बारे में जानने के लिए परिशिष्ट 21 को देखे।

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 1.2 यौन व्यापार शिकायत की प्रस्तुति</th></tr>
<tr><td colspan="2">समय: यौन के अवैध व्यापार संबंधी शिकायत को प्रस्तुत करने की प्रकिर्या में 1 से 2 दिनों के बीच समय लग सकता है</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन</td><td>अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को एकत्र तथ्यों का उपयोग करके यौन व्यापार अपराध की शिकायत पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी को करनी चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को यौन व्यापार अपराध की शिकायत की समीक्षा करनी चाहिए और सुनिश्चित करना करना चाहिए की यह यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक प्रेरक कानूनी तर्क प्रस्तुत कर रही है या नहीं एवं अधिवक्ता को पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करने में एनजीओ की सहायता भी करनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को जानकारी की सत्यता सत्यापित करने के लिए मुखबिर के साथ विस्तार से जानकारी पर चर्चा करनी चाहिए।

हालांकि, गैर सरकारी संगठन को हर समय ही उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचना रिपोर्ट करने के लिए कर्तव्यबध रहना चाहिए क्योंक समय ही सार है।

मुखबिर से प्राप्त जानकारी प्रमाणित करने के लिए डेकॉय के संचालन या खोज कारया जा सकता है।</td><td>अधिवक्ता को पता लगाना चाहिए यदि भारतीय दंड संहिता और आई.टी.पी.ए. के रूप में परिभाषित व्यापार के तत्व संतुष्ट हो पा रहे हैं और एक निष्कर्ष पर आना चाहिए की यदि व्यक्ति व्यापार का पीड़ित है की नहीं और क्या पीड़ित के प्रति अन्य अपराध कारक तो नही है। अधिवक्ता को पुलिस स्टेशन पर या जहाँ कहीं भी शिकायत प्रस्तुत किया जा रहा है स्वयं उपस्थित रहना चाहिए। अधिवक्ता को उपस्थित होके यह सुनिश्चित करना है कि कानून के उचित धाराओं को शामिल किए गए हैं और अगर कोई स्पष्टीकरण यदि जरूरी हो तो दिया जाए।</td></tr>
</table>

विचारणीय बिंदु

शिकायतकर्ता कौन है: बचाव करने से पहले, गैर सरकारी संगठन को पीड़ित या पीड़ित के परिवार / अभिभावक के नाम से शिकायत करनी चाहिए। जब परिवार के सदस्य नहीं मिल मिल रहे हों तो, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि को शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

किसको यौन व्यापार शिकायत प्रस्तुत किया जाना चाहिए: आई.टी.पी.ए. अधिनियम के तहत यौन व्यापार शिकायत (या सूचना) को स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी (एस.पी.ओ.) जिसके पास अधिकार क्षेत्र या उन क्षेत्र के भीतर जहाँ कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध घटित हुए हैं या जिला/राज्य ऐ.एच.टी.यू. या सीबीआइ[119], के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। *शिकायत आदर्शत: ऐसे एसपीओ को शिकायत प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो विश्वसनीय और भरोसेमंद हो और जिसको जानकारी लीक करने के किसी भी खतरे के बिना बचाव के लिए ले जाया जा सकता हो।*

सीमा पार पूछताछ करना: सीमा पार से पूछताछ करने के लिए, तीन विशिष्ट माध्यम हैं जो कि जिला पुलिस के पास विदेशों से जानकारी के संग्रह / पुष्टिकरण लेने के लिए उपलब्ध हैं:

a. **भारतीय मिशनों (दूतावासों या उच्चायोगों) को सबंधित देशों में किसी भी प्रकार की साधारण जानकारी लेने के लिए उचित माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।**
b. **प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (एम.ओ.आई.ए), भारत सरकार को भी भारतिया प्रवासियों से संबंधित जानकारी के लिए उचित माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।**
c. **संबंधित देश की इंटरपोल शाखा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) की इंटरपोल विंग, राज्य की इंटरपोल अधिकारी के कार्यालय (आई.एल.ओ.) के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।**
d. **गृह मंत्रालय (भारत सरकार)**

---

119 धारा 15 (1) आईटीपीए, (नोट: गृह मंत्रालय ने एचटी से संबंधित अपराधों का पता लगाने के लिए सभी राज्यों और जिलों भारत भर में एएचटीयूस के गठन कर दिया है सीबीआई को भी यह पता लगाने के लिए एचटी से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सौंपा गया है।)। उसी के बारे में अधिक जानकारी यहां पाया जा सकता है http://timesofindia.indiatimes.com/india/CBI-sets-up-centralized-anti-human-trafficking-unit/articleshow/11369341.cms?referral=PM,http://stophumantrafficking-mha.nic.in/, http://stophumantrafficking-mha.nic.in/writereaddata/NODALOFFICERSason_1_6_2015.pdf, http://stophumantrafficking-mha.nic.in/forms/Sublink1.aspx?lid=256

e. विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) मानक संचालन प्रक्रिया

और जानें और कार्रवाई करें
अपराधों का सारांश: दंडात्मक प्रावधान जिनको कि लागू किया जा सकता है उस पर जानकारी के लिए, चतुर्थ अध्याय में प्रदान अपराधों का सारांश को देखें।
नमूना दस्तावेजों और रिहर्सल सहायता: यदि पुलिस कार्रवाई करने में विफल रहती है तो अधिवक्ता को तुरंत उच्च अधिकारियों से या एक उपयुक्त मंच से संपर्क करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को कानून द्वारा अपेक्षित प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देश देने की पारित करने की मांग करनी चाहिए ।
कैसे आरोपी की उपस्थिति करने के लिए एक आवेदन पत्र का मसौदा तैयार करें और एस.एच.ओ. को प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर करने के लिए अनुरोध करने के लिए परिशिष्ट 22A का संदर्भ लें ।

चरण 1.3 यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-योजना की तैयारी	
समयसीमा: एक बचाव हस्तक्षेप की योजना तैयार करने में 1 दिन का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके एक व्यापक यौन व्यापार बचाव योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें बचाव-स्थल का विस्तृत नक़्शा शामिल होना चाहिए।	अधिवक्ता को बचाव योजना तैयार करने में गैर सरकारी संगठन को सहायता और सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना है कि डेकोय-ग्राहक और आईटीपीए के तहत पंच-गवाह आवश्यक संख्या में उपलब्ध और उपस्थिति हैं।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के लिए आवश्यक है कि बचाव अभियान के लिए एक रणनीतिक योजना योजना तैयार करे। योजना में बचाव साइट की दिशा, भौतिक खाका, प्रवेश और निकास स्थल,	अधिवक्ता गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के साथ मिलके काम करे जिससे की बचाव की योजना ध्यानपूर्वक बनाई जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि बचाव अभियान योजना कानून

पनाहगाह ठिकाने, बचाव साइट के स्केच नक्शा, आदि जैसे विवरण शामिल करने चाहिए। साइट की तलाश के दौरान उपरोक्त विवरण को ज़रूर प्राप्त और संकलित किया जाना चाहिए।	द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है।

विचारणीय बिंदु
जोखिम का आंकलन: बचाव में शामिल जोखिम को कम करने और रोकने के लिए, गैर सरकारी संस्था को व्यवस्थित जोखिम मूल्यांकन और योजना बनानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की ऐसी जगह की स्थिति जहाँ खोज की जानी हो, तस्कर की प्रोफाइल और आरोपियों की सामाजिक स्थिति, का आकलन करके जोखिम के लिए जांच की जानी चाहिए। जोखिम को कम करने के लिए संभव प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में आपात योजना अत्यंत सावधानी के साथ बनाई जानी चाहिए। **बचाव साइट जानकारी की साझेदारी:** बचाव के स्थल का भौतिक नक्शे को जितना ज्यादा गोपनीय हो रखा जाना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जब जानकारी विभिन्न स्रोतों से लीक होने की वजह से पीड़ित लापता हो गये हैं। यह सबसे अच्छा रहेगा की कई हितधारकों के साथ जानकारी साझा करने से बचा जाए।

और जानें और कार्रवाई करें
पूर्व बचाव योजना: पूर्व बचाव की योजना का नमूना जो टीम के सदस्यों की जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को सूचीबद्ध करता है उसके लिए जे वी आई से संपर्क करें। **यौन व्यापार हस्तक्षेप हेतु चेकलिस्ट:** परिशिष्ट 28 में एक सूची प्रदान की गई है जो कि यौन के अवैध व्यापार / सीएसई हस्तक्षेप बचाव अभियान के लिए है।

<table>
<tr><td colspan="2">चरण 1.4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक का आयोजन</td></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: पुलिस के साथ बचाव पूर्व बैठक की आयोजन एक दिन के समय में पूरा किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन</td><td>अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को एक बचाव-पूर्व बैठक का संचालन करना चाहिए जहाँ बचाव योजना में भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार टीम के सदस्यों को आवंटित करना चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को बचाव-पूर्व बैठक के दौरान गैर सरकारी संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों को कानूनी प्रावधानों और बचाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करना चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>दल के नेता की नियुक्ति करें जो रणनीति और बचाव के दौरान लिए जाने वाले कदमों को समझाए । दल के नेता को बचाव अभियान में भाग लेने वालों को भूमिका और जिम्मेदारी आवंटित करना चाहिए और वह संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए संपर्क का एक बिंदु होना चाहिए। प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करें जो की बचाव साइटों के लक्षित संख्या और पीड़ितों की संभावित संख्या पर निर्भर करता है।

प्रत्येक समूह के लिए दल के नेता की नियुक्ति करें। सभी प्रतिभागियों के नाम और संपर्क विवरण, टीम के नेता, प्रत्येक समूह की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साझा करें।

नोट -किसी भी परिस्थिति में जो टीम पहचान / सत्यापन / खुफिया जानकारी जुटाने में जुटी हो उसे शामिल नही किया जाना जाहिए ताकि उनकी पहचान की</td><td>अधिवक्ता को पुलिस को तेजी से कार्य करने के लिए समझाने के लिए पुलिस और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बचाव बैठक में मौजूद होना चाहिए।

इस बैठक के दौरान अधिवक्ता की यौन व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों, यौन व्यापार पर कानूनी प्रावधानों और मिथकों और व्यापार के संबंध में वास्तविकताओं पर गैर सरकारी संगठन और सरकार के प्रतिनिधियों को जागरूक करना चाहिए।

अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. के तहत आवश्यक पंच गवाहों या स्वतंत्र गवाह को एकत्र करने की प्रक्रिया को समझाना चाहिए। अधिवक्ता को पंच गवाहों का चयन के मामले में सावधानी बरतने के लिए पुलिस अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए (सरकार, अर्ध सरकारी अधिकारियों को विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पंच गवाह बनाया जा सकता है</td></tr>
</table>

रक्षा की जा सके और एक प्रभावी बचाव अभियान को सुनिश्चित किया जा सके। यह सलाह दी जाती है की दो पंच गवाहों हों यह सुनिश्चित करने के लिए की एक बचाव के दौरान पर्याप्त सबूत दर्ज किए गये हैं।	जिससे कि सुनवाई के दौरान गवाहों को प्रतिकूल बयान देने से बचा जा सके)। अधिवक्ता को अंत में पुलिस से बचाव अभियान के लिए डेकॉय ग्राहकों को प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए। अगर घटना में पुलिस ऐसा करने के लिए असमर्थ है, तो गैरसरकारी संगठन के परामर्श से अधिवक्ता एक डेकॉय ग्राहक प्रदान कर सकता है। डेकॉय ग्राहकों को स्वतंत्र गवाह / पंच से परिचित करना चाहिए। बचाव के दौरान / वेश्यालय मालिक दलाल को दिए जाने वाली लेनदेन धन को पुलिस को पंच की उपस्थिति में देना चाहिए।

विचारणीय बिंदु
बचाव दल की संरचना: बचाव टीम में नामित विशेष पुलिस अधिकारियों या यौन व्यापार के मामले के पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से एक महिला भी हो को शामिल होना चाहिए चाहिए। बचाव दल में शामिल होना चाहिए: • किसी भी रैंक के दो महिला करंचारियों को। यदि एक महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो गैर सरकारी संगठन और महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कोई भी महिला अधिकारी उपस्थित हो सकती है। यदि कोई महिला कर्मचारियों उपलब्ध नही है, तो किसी चाइल्डलाइन के साथ संपर्क कर उनके किसी कर्मचारी को आने के लिए अनुरोध करें। • कम से कम एक पुलिस अधिकारी जिसके पास कानूनी तौर पर बचाव का संचालन करने के लिए विधिवत अधिकार हो या कोई एसआई के पद से उपर का पुलिस अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट[120] द्वारा बचाव के संचालन के लिए अधिकृत किया

[120] धारा 16 (1) आईटीपीए

हो, को शामिल किया जाए। पुलिस अधिकारी जो की अपराधों की जांच करने के लिए आई.टी.पी.ए. 1956[121] के तहत अधिकृत हैं:

- धारा 13(1), (2) आई.टी.पी.ए. के तहत अधिसूचित पुलिस अधिकारी।
- धारा 13 (3) (a) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों, या
- केंद्रीय मान-व्यापार विरोधी पुलिस अधिकार धारा 13 (4) के तहत ।

दल के नेता की नियुक्ति: दल के नेता की नियुक्ति करें जो रणनीति और बचाव के दौरान लिए जाने वाले कदमों की जानकारी दें। दल के नेता को बचाव अभियान में भाग लेने वालों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारी आवंटित करना चाहिए और वह संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए संपर्क का बिंदु होना चाहिए। प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करें जो कि बचाव साइटों के लक्षित संख्या और पीड़ितों की संभावित संख्या पर निर्भर करेगा। प्रत्येक समूह के लिए दल के नेता की नियुक्ति करें। सभी प्रतिभागियों के नाम और संपर्क विवरण, टीम के नेता, प्रत्येक समूह की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साझा करें। जो टीम पहचान / सत्यापन / खुफिया जानकारी जुटाने में जुटी हो उसे किसी भी परिस्थिति में बचाव में शामिल नही किया जाना जाहिए।

यौन के अवैध व्यापार कानूनों से खुद परिचित होना: बचाव में भाग लेने के लिए पहले, टीम के सदस्यों को यौन के अवैध व्यापार के लिए सभी प्रासंगिक कानूनों के साथ खुद को परिचित कराना चाहिए।

बचाव पूर्व जांच सूची

बचाव किट तैयार करें: किट में शामिल हैं लेखन सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पीने के पानी, नमकीन), प्राथमिक चिकित्सा किट, वाहन, प्रिंटर और कार्टरिड्ज, लैपटॉप और चारजर, संदर्भ सामग्री जैसे की इस तरह के मामले में कानून और अधिकारिक अधिनियम, सूची में जिलों, गांवों, पुलिस स्टेशनों जिनके अधिकार क्षेत्र से पीड़ित संबंध है, कपड़े, प्रसाधन, भोजन, घटना में पीने के पानी, गतिविधि किताबें, क्रेयान्स, रंग पेंसिल (अगर मुक्त कराए पीड़ितों साथ नाबालिकहैं)। बचाव के पहले रसद की व्यवस्था के लिए संपर्क सूत्र की नियुक्ति अग्रिम में ही कर दें।

- *आश्रय गृह को सतर्क करें:* बचाव के स्थान पर विश्वसनीय सरकार संचालित /

[121] व्यापारिक यौन शोषण, 2007 से संबंधित व्यापार के अपराधों की जांच का यूएनओडीसी एसओपी यहाँ पढ़ा जा सकता है:< https://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf>

गैर-सरकारी संगठन आश्रय घरों को संभावित बचाए जाने व्यक्तियों की अनुमानित संख्या, तारीख और कब उनके घर के लिए लाया जाने की संभावना है, इस बारे में सतर्क करें। गैर सरकारी संगठन संचालित आश्रय घरों में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना सुनिश्चित करें। इसे संपूर्ण गोपनीयता में किया जाना चाहिए ताकि बचाव अभियान के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं हो। यह गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों के लिए विश्वसनीय आश्रय घरों की पहचान करना और डेटाबेस को बनाया जाना महत्वपूर्ण है। इस तरह के एक सूची गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट / सी.डब्ल्यू.सी को अवश्य प्रदान करें और अधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों के बचाव के बाद उन्हे विश्वसनीय आश्रय घरों में ही भेजा जाए। गैर सरकारी संगठन को विश्वसनीय आश्रय घरों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करना चाहिए और इसके लिए जब भी संभव हो एक ज्ञापन समझौता हस्ताक्षरित करें। इसके अलावा, जिन स्थानों में आश्रय घरों उपलब्ध नहीं हैं वहाँ रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करें। अगर छुड़ाए गये लोगों के लिए आश्रय घरों की व्यवस्था तुरंत नही हो पाती है, तो ये ध्यान से सुनिश्चित करें कि जिला मजिस्ट्रेट उनके प्रवास और सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करता है

- *बचाव टीम की सुरक्षा:* एस.पी.ओ. अभियान के व्यापकता के आधार पर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को शामिल करे। संवेदनशील या उच्च जोखिम वाले स्थानों के मामले में एस.पी.ओ. के साथ अधिवक्ता को बचाव दल के लिए पर्याप्त पुलिस कर्मियों की मौजूदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बचाव संचालन पुलिस संरक्षण के बिना नही करना चाहिए। एस.पी.ओ. को बचाव की व्यापकता के आधार पर प्रासंगिक संख्या में पुलिस की उपस्थिति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयोगी सवालों से परिचित होना:

- बचाव में भाग लेने वाले गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को बचाव पर जाने से पहले मानक प्रोटोकॉल बचाव के साथ खुद को परिचित कराना चाहिए.

चरण 1.5 यौन व्यापार बचाव-कार्य की शुरुआत	
समय: वास्तविक बचाव 1 दिन में पूरा किया जा सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों की मुक्ति के लिए बचाव-कार्य अन्य हितधारकों के साथ मिलकर आरंभ करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव-कार्य में भाग लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह कानून के अनुसार किया जा रहा है।
टिप्पणी	
बचाव के लिए पहले से आम स्थान पर मिलना और संकेत के लिए इंतजार: ○ बचाव दल के सदस्यों को बचाव प्रक्रिया से पहले एक आम स्थान पर मुलाकात कर डेकॉय या पंच गवाहों के संकेत देने का इंतजार करना चाहिए और बचाव कार्य और उस दौरान इसके विभिन्न चरणों के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति को समझाना चाहिए। बचाव कार्य में प्रत्येक टीम के सदस्य को उसकी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के बारे में बताइए और जो कोई भी संयौन हो उसे दूर करना चाहिए। ○ निगरानी टीम को तैनात: एक निगरानी टीम को बचाव के स्थल के पास एक सामरिक रूप से रणनीतिक स्थान पर तैनात किया जाना चाहिए जो कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चेतावनी के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।	बचाव के दिन, निम्न कार्य करना अधिवक्ता की जिम्मेदारी है: ○ सबूत संग्रहण से संबंधित सलाह: अधिवक्ता को सामग्री सबूत के संग्रह के संबंध में कानूनी प्रक्रिया पर गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गैर सरकारी संस्था के गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को स्वयं सामग्री सबूत एकत्र नही करना चाहिए। ○ बल प्रयोग से परहेज करें: अधिवक्ता को गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बचाव के संचालन के समय वे किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक बल और हिंसा का उपयोग करने से परहेज करें। ○ पुलिस औपचारिकता: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिस औपचारिकताओं को पूरा किया जाए।

○ संकेत प्राप्त होने पर बचाव की साइट में प्रवेश: पूर्वयोजित योजना के अनुसार गैर सरकारी संगठन भागीदार रणनीतिक स्थान पर पहुंचने के बाद बचाव साइट में तुरंत दाखिल हो जहाँ कि पीड़ित को क़ैद रखा है और साइट की पूरी तरह से खोजबीन किया जाना सुनिश्चित करें। पीड़ितों को या तो बक्से में, आटिक्स, शौचालय, केबिन, अलमारी, नकली छत, दीवार पैनलों, बाथरूम आदि किसी चीज़ में छिपा कर रखा जा सकता है। गैर सरकारी संगठन अन्य मुक्त कराए गये लोगों की मदद से छुपाए गये पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के बारे में पता लगा सकते हैं। ○ पुलिस द्वारा अपराध के दृश्य के वीडियो / तस्वीरें को कब्ज़े में लिया जाए: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अपराधियों की और अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी पुलिस द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। गैर सरकारी संगठन मे से कोई भी बिना उचित अनुमति पीड़ितों के या वेश्यालय क्षेत्र में वीडियो या फोटोग्रॅफ्स ना ले ये सुनिश्चित करें।	○ पूर्व जाल पंचनामा: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाली मुद्रा और नोट के मूल्य वर्ग प्रकार के संबंध में जानकारी पूर्व जाल पंचनामा में दर्ज है। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व जाल पंचनामा में दोनों गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अधिवक्ता यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस पंच गवाह और डेकॉय ग्राहकों भूमिकाओं की जिम्मेदारियों के बारे में विवरण दें। ○ अधिवक्ता गवाह है इसलिए वह पीड़ित का विचरण में प्रतिनिधित्व नही कर सकता: जो अधिवक्ता गवाह के रूप में बचाव में भाग लेता है, वह पीड़ित का प्रतिनिधित्व उसके कानूनी सलाहकर के रूप में पूर्व-बचाव या विचरण प्रक्रिया के दौरान नहीं कर सकता है ।

विचारणीय बिंदु

फोन को कब्ज़े में लेना: सूचना के रहस्यो को लीक होने से रोकने के लिए, वास्तविक बचाव अभियान से पहले, ऑपरेशन टीम के सदस्यों, जिसमें सरकारी अधिकारियों भी शामिल हैं, से संबंधित मोबाइल फोन और संचार के किसी भी अन्य उपकरणों को बचाव प्रमुख पुलिस अधिकारी अपने कब्ज़े में ले लें ।

बचाव दल की कानूनी संरचना सुनिश्चित करें: अपने बचाव टीम की संरचना कानून के अनुसार होना सुनिश्चित करें। नामित टीम में कम से कम ऐसा एक पुलिस अधिकारी शामिल हो जो कानूनी तौर पर बचाव का संचालन करने के लिए अधिकृत हो (विशेष पुलिस अधिकारी या "एस. पी.ओ.") या एस.आइ. के पद से उपर कोई पुलिस अधिकारी है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत बचाव के संचालन करने के लिए अधिकार प्रदत्त किया गया हो (कृपया अधिक जानकारी के लिए नोट का 1.4 अंक देखें)। इलाक़े से कम से कम २ पंच सदस्य या स्वतंत्र गवाह होने चाहिए जिनमें से कम से कम एक महिला हो ।

बचाव किट की पुनः जाँच: यह सुनिश्चित करें कि आपने पूरे बचाव उपकरण किट में रख लिया है । (विवरण के लिए देखें नोट करने के बिंदु संख्या 1.5)

सुनिश्चित करें कि आश्रय गृहों को सतर्क कर दिया गया है: सुनिश्चित करें कि विश्वसनीय और लाइसेंस प्राप्त सरकारी / गैर-सरकारी संगठन आश्रय घर अनुमानत बचाए लोगों को लेने के लिए तैयार हैं । (विवरण के लिए देखें नोट करने के बिंदु संख्या 1.5)

बचाव दल की सुरक्षा सुनिश्चित करना: टीम में पर्याप्त पुलिस कर्मियों और विशेष रूप से महिलाओं पुलिस कांस्टेबल (डब्ल्यूपीसी) सहित ले जाने की व्यस्था सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में बचाव आपरेशन को पुलिस संरक्षण के बिना नही किया जा सकता है।

बचाव से पहले एफ.आइ.आर: व्यापारिक यौन शोषण के लिए व्यापार के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी एसओपी[122] के अनुसार, एफ.आइ.आर बचाव-कार्य करने के या तो पहले या बाद में संभव है। कोई बचाव एफ.आइ.आर को दायर करने से पहले क्रियान्वित किया जा सकता है क्योंकि अधिकृत बचाव आई.टी.पी.ए. के धारा 15 और

---

[122] व्यापारिक यौन शोषण, 2007 के लिए व्यापार के अपराधों की जांच पर मानक संचालन प्रक्रियाओं, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का ड्रग्सऔर और अपराध दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक प्रकाशन, यहाँ उपलब्ध है : <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_on_Investigation_of_Crimes_of_Trafficking_for_Commercial.pdf>

16 के तहत किया जा सकता है:

• आई.टी.पी.ए. धारा 15 के तहत: जब केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष पुलिस अधिकारी, या केन्द्रीय व्यापार विरोधी पुलिस अधिकारी, को उचित आधार पर यह विश्वास है कि आई.टी.पी.ए. के तहत अपराध घटित हो रहा है और बिना देरी किए खोज किया जाना चाहिए तो इस स्तर का अधिकारी बिना वारंट के परिसर में प्रवेश और खोज कर सकता है और उसमें पाए गये व्यक्तियों को वहाँ से हटा सकते हैं।

• आई.टी.पी.ए. धारा 16 के तहत: जब एक मजिस्ट्रेट (यानी एक एम.एम., जे.एम.एफ.सी., डी.एम. या एस.डी.एम.) को किसी व्यक्ति के व्यापारिक यौन शोषण होने की जानकारी मिलती है तो वह एस.आई. के रैंक के एक पुलिस अधिकारी या एक एसपीओ या केंद्रीय व्यापार रोधी पीओ (सरकार द्वारा अधिसूचित) को निर्देश दे सकते हैं कि व्यक्ति(यों) को शोषण होने से बचाया जाए। वह पुलिस अधिकारी सभी पीड़ितों को मुक्त करा सकता है सभी संदिग्धों को हिरासत में ले सकता है और उस मॅजिस्ट्रेट के सामने, पेश कर सकता है जिसने आदेश जारी किया है।

ज्यादातर मामलों में, बचाए गये व्यक्तियों के बयान के आधार पर एफ.आइ.आर को दायर किया जाता है।

मुक्त कराए लोगों को स्थानांतरित करते समय आरोपियों की उपस्थित ना हों: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मुक्त कराए लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करते समय ये सुनिश्चित कर लिया जाय कि आरोपी उस समय उपस्थित ना हों।

मीडिया को शामिल करना: बचाव के सफल समापन के बाद ही मीडिया को शामिल करना चाहिए। मीडिया को शामिल करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए चाहिए:

- सही तथ्यों को ही बताए। जब भी संख्या को बताना हो तो सूत्र की जानकारी देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दी जाने वाली खबर को विश्वसनीयता प्रदान करता है ।
- एक संगठन मीडिया नीति मसौदा तैयार करे जिसमे उन प्रतिनिधियों के नाम प्रदान करें, जो मीडिया से बात करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि एक अनुभवी व्यक्ति को मीडिया से बात करने के लिए नामित किया जाए।
- जब कभी गलत तरीके से उद्धृत किया जाए तो गैर सरकारी संगठन के

प्रतिनिधि को भूल सुधार के लिए लिखित रूप से अनुरोध करना चाहिए।

- बचाव अभियान के सफल समापन के बाद मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा उपयोगी रहता है।
- कहानियाँ साझा करने का हमेशा यही उद्देश्य है की यौन व्यापार के बारे जागरूकता पैदा हो, आम जनता को जागरूक बने और यौन के अवैध व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करे। कहानियाँ देते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहानी एक राजनीतिक रंग प्राप्त नहीं करे या पीड़ित की पहचान करने के लिए ध्यान नही खीचे।
- गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया घरानों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह अपने -अपने जिलों में मीडिया की एक आंतरिक डेटाबेस तैयार करना उपयोगी साबित होता है।
- यदि मुक्त किये गए पीड़ितों / पीड़ित असहज महसूस करते हैं और अपनी कहानी को साझा नहीं करना चाहते तो मीडिया को कहानी मत बताइए। सामर्थ्य के अंतर अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहिए क्योंकि सहमति के विचार का मतलब हो सकता है कि पीड़ित बिना निहितार्थ को समझे और बिना स्थिति से आश्वस्त हुए शायद सहमति प्रदान कर दे। पीड़ितों की सुरक्षा और उनके परिवार के सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी का खुलासा न करें (जैसे नाम, फोटो या घर के गांवों के रूप में) जिससे कि पीड़ित खतरे में पड़ जाए।
- गैर सरकारी संगठन को नाबलिकों पर रिपोर्टिंग के मामले में मानक अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों के साथ खुद को परिचित करना होगा और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति विकसित करना होगा।

कभी भी पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों से सहमति प्राप्त किए बिना कोई कहानी साझा ना करें। एक सहमति फार्म को बनायें और उनके हस्ताक्षर या थंबप्रिंट लेने से पहले पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों को पढ़ के समझाएँ। पीड़ित का असली नाम कभी भी ना बताए।

यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि:

- कहीं मीडिया को शामिल करना किसी बचाव को ख़तरे में तो नही डालेगा।
- गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों को उसकी / उसके कहानियों को बिना उसकी पूर्व सूचित सहमति के बताने के

लिए कभी विवश या मजबूर नहीं करना चाहिए।

- सूचना देने के उद्देश्य के लिए एक छदम नाम का इस्तमाल कर सकते हैं।

मुक्त किये गए पीड़ितों को मजबूर ना किया जाए: सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों या अधिवक्ता को पीड़ित / मुक्त किये गए पीड़ितों को उसकी / उसके कहानियों को बताने के लिए कभी विवश या मजबूर नहीं करना चाहिए।

चरण 1.6 यौन व्यापार बचाव-स्थल को सुरक्षित करना	
समयसीमा: रेस्क्यू साइट का को सुरक्षित बचाव वाले दिन ही किया जा सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए की बचाव-स्थल और पीड़ित सुरक्षित हैं।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन और पुलिस को (यदि आवश्यक हो) बचाव-स्थल को सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बचाव की साइट को प्राप्त करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे की महत्वपूर्ण साक्ष्य को खोने से बचाया जा सके।	अधिवक्ता को बचाव दल की साइट हासिल करने में सहायता करनी चाहिए और गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को बचाव का आयोजन के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में सलाह देनी चाहिए ।

चरण 1.7 आरोपियों को यौन व्यापार पीड़ितों से अलग करना	
समयसीमा: पीड़ितों को बचाव के तुरंत बाद आरोपी से अलग किया जाना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अपराधियों से यौन व्यापार पीड़ितों को अलग करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और	अधिवक्ता को एक निष्पक्ष जांच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों से यौन व्यापार पीड़ितों

पीड़ितों की सुरक्षा सुनिस्चित करनी चाहिए।	को अलग के लिए पुलिस को सलाह देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को उत्पीड़न और धमकी को रोकने को लिए तुरंत पीड़ितों को आरोपी से अलग करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित के साथ गरिमा और सहानुभूति के साथ बर्ताव हो ना कि अपराधियों के रूप । गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को महिला पुलिस कांस्टेबल को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे साइट पर संभावित बचाव पीड़ितों के साथ बातचीत करें। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अपने शारीरिक हाव - भाव का पता होना चाहिए और उन्हे किसी भी अनावश्यक संपर्क बनाना चाहिए या वेश्यालय में किसी भी पीड़ितों पर शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें अभद्र और अनुचित भाषा का उपयोग या वेश्यालय में कैदियों को शारीरिक नुकसान नही पहुँचाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के पुरुष सदस्यों महिला पीड़ितों को स्पर्श ना करें।	अधिवक्ता, गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को अवश्य समझाए कि इस प्रक्रिया के दौरान वे किसी भी व्यक्ति पेर बल प्रयोग और हिंसा ना करें । अधिवक्ता को पीड़ित की सुरक्षित अभिरक्षा महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं/सलाहकारों के पास और उसके बाद सरकार की सुरक्षित निगरानी में पहुँचाने में मदद करनी चाहिए।

विचारणीय बिंदु

पीड़िता का गरिमा के साथ व्यवहार करें: पीड़ित गरिमापूर्व व्यवहार के हकदार हैं। गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्‌वारा शुरू की गई कार्रवाई का पीड़ित के लिए अनुकूल प्रक्रियाओं पर आधारित होना सुनिश्चित करना चाहिए। पीड़ित को हमेशा स्मरण करना चाहिए कि वह हालत से ग्रस्त है और उत्पीड़न नही होना चाहिए। पीड़ितों को जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में सूचित रखा जाना चाहिए और हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान उसे मदद और सहायता प्रदान करनी चाहिए।

पीड़ितों के अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से नाराज़ ना हों क्योंकि वे अभी सदमे की स्थिति में हैं।

ये सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया के दौरान डब्ल्यू.पी.सी. और गैर-सरकारी संगठन सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित का अनुरक्षण करें जब तक उन्हें किसी सरकार या निजी लाइसेंसशुदा आश्रय घर में सुरक्षित हिरासत में ना भेजे जाएँ।

बचाव दल में एक पेशेवर परामर्शदाता या एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि सदमे से संबंधित जानकारी के प्रबंधन में प्रशिक्षित हो, शामिल करना चाहिए। यह पीड़ित की आशंका दूर करने में मददगार होगा और समझने में मदद करेगा की कि उन्हे वेश्यालय साइट छोड़ने के लिए की जा रही सहायता खुद उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और बचाव के मकसद से प्रदान की जा रही है।

पीड़ित का सर्वोत्तम हित ही सर्वोपरि है: पीड़ितों को उन अपराधों के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर मत करो जिसे वे साझा करने के लिए तैयार नहीं हैं । पीड़ित को किसी प्रशिक्षित काउंसलर से परामर्श प्रदान करवाना चाहिए । अनुवादकों का उपयोग करें जिससे की पीड़ित अपनी भाषा में बयान देने के लिए सक्षम है।

और जानें और कार्रवाई करें

अपराध और सत्ता के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के घोषणा पत्र में सुझाव दिया गया है। निम्न उपायों से पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है:

पीड़ितों के साथ करुणा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय के तंत्र के लिए उपयोग करने के लिए हकदार हैं (सिद्धांत 4).

न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसे सक्षम बनाना

चाहिए और औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण प्राप्त करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पीड़ितों को समुचित सहायता कानूनी प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया जाना चाहिए (सिद्धांत 6 (c))

ऐसे उपाय आवश्यक रूप से किए जाएँ जिससे पीड़ित को कम से कम असुविधा हो और उनकी निजता को संरक्षित किया जाए और जहाँ तक संभव हो उनके साथ-साथ उनके परिवारों और उनकी ओर से गवाहों को भी धमकी और प्रतिशोध से सुरक्षा मिले (सिद्धांत 6 (d))

पीड़ितों को मुआवजे के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए (सिद्धांत 12 (1))

मामलों को निपटने में और पीड़ितों को पंचाट वाले आदेशों के निष्पादन में अनावश्यक देरी करने से बचें। (सिद्धांत 6 (a))

अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के घोषणा पत्र का मूल पाठ यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है।

चरण 1.8 यौन व्यापार अपराध से सम्बंधित साक्ष्यों का संग्रहण	
समयसीमा: बचाव के स्थल से साक्ष्य एक ही दिन के भीतर ही इकट्ठा किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस यौन व्यापार के अस्तित्व से संबंधित सभी उपलब्ध साक्ष्य इकट्ठा करे।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार के विषय में सबूतों को कानूनी रूप में संग्रह करने की सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्य को जब्त करे।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए सभी संभव सामग्री सबूत (जैसे डायरी और वेश्यालय में रजिस्टरों के खातों, अन्य यौन तस्कर के साथ नेटवर्किंग दिखा रही	अधिवक्ता को सामग्री सबूत के संग्रह के बारे में कानूनी प्रक्रिया पर गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गैर सरकारी संस्थान के प्रतिनिधियों को स्वयं

खातों की किताबें, नकदी, बिजली बिल, टेलीफोन, पानी और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगर निगम के कर प्राप्तियों, यात्रा दस्तावेज, फोटो, एलबम, कंडोम (प्रयुक्त / अप्रयुक्त) और अन्य भौतिक सबूत के रूप में, पुलिस द्वारा दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में[123], एकत्र कर लिए गये है जो कि अदालत में साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण प्रयुक्त होगा। गैर सरकारी संस्थान पुलिस को फॉरेंसिक जांच के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए कह सकता है।	सारा सबूत एकत्र नही करना चाहिए। अधिवक्ता सामग्री साक्ष्य एकत्र करने में पुलिस की सहायता करे और सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक सबूतों को पंचनामा / जब्ती ज्ञापन में शामिल किया गया है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए है कि पुलिस ने एक पंचनामा या जब्ती ज्ञापन और एक साइट मानचित्र मौके पर गवाहों / स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार कर लिया है। इसे दो या दो से अधिक गवाहों, जिनमें से कोई एक खोज वाले इलाके से समबन्धित हो, के द्वारा विधिवत हस्ताक्षर कर लिया जाना चाहिए। अधिवक्ता को गवाहों मे कम से कम एक महिला का शामिल होना सुनिश्चित करना चाहिए। यह ज़रूरी नही क़ि जहां बचाव अभियान आयोजित किया जाए महिला गवाह उसी इलाके से संबंधित हो। अधिवक्ता किसी गैर सरकारी संगठन से महिला गवाह को शामिल करने के बारे में पुलिस को सलाह दे सकता है।

चरण 1.9 यौन व्यापार पीड़ितों के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग	
समयसीमा: आदर्श रूप से पीड़ित के बयान जल्द से जल्द दर्ज किया जाना चाहिए जब वह जाहिरा आघात की स्थिति से उबर जाए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता

[123] धारा 15 (2) आईटीपीए

गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को उनके बयान की रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया से पहले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को बात करने के लिए मजबूर नही किया जाए और पीड़ित को एक प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा परामर्श प्रदान किया जाए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित यदि अन्य भाषा का प्रयोग करती है तो उसके लिए उचित अनुवादकों का इंतजाम किया गया है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को पीड़ितों के साथ अच्छा तालमेल बनाना और विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि किस प्रकार उनकी यौन व्यापार किया जा रही थी, कहाँ उनकी यौन व्यापार हो रही थी और कितने लंबे समय से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था।	अधिवक्ता को पीड़ित का विस्तृत साक्षात्कार लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि जानकारी जैसे कि व्यक्तिगत विवरण, उम्र, पता, परिवार के इतिहास आदि प्राप्त की जा सके। अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षात्कार एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाए या गैर सरकारी संगठन की महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दर्ज हो।

विचारणीय बिंदु
बयान के रिकॉर्डिंग के लिए सामान्य दिशानिर्देश: • मुक्त किये गए पीड़ितों के साथ तालमेल बिठाना- सच्चाई भरे बयानों को प्राप्त करने में मुक्त किये गए पीड़ितों के साथ तालमेल मिलाना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक मुक्त किये गए पीड़ितों के साथ समय बिताना है। बहरहाल, यह हमेशा ही संभव नहीं है, खासकर जब बचाव की

रात को 161 के बयान प्राप्त करने हों। फिर भी, तालमेल बनाने के लिए कुछ सामान्य तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि मुक्त किये गए पीड़ितों को अपनी कहानी साझा करने में आश्वस्त करने के लिए मदद मिलेगी। उसे बयान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें और बताएँ की आख़िर पीड़ित का सच बोलना क्यों ज़रूरी है।

- पुलिस और परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर काम करना: एक सच्चा बयान हासिल करने के लिए गैर सरकारी संगठन के कानूनी स्टाफ को पुलिस और/या परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
- गोपनीयता - बचाए गये व्यक्ति के साथ विश्वास का माहौल का निर्माण करने में गोपनीयता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि, एक अच्छा और सच्चा बयान लेने के खातिर ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि मुक्त कराए गये पीड़ित बात करे और अपनी कहानी को साझा करे। इसके साथ यह भी ज़रूरी है किसी मुक्त कराए पीड़ित को उसकी कहानी साझा करने के लिए कभी भी अनैतिक तरीके से दबाब नही डालना चाहिए।

धारा रिकॉर्डिंग 161 और 164 के बयानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 2.6 चरण का संदर्भ लें।

पीड़ितों की सुरक्षा: सभी बचाव मौके पर, पीड़ितों की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करें।

सतर्क रहो, जब आरोपी द्वारा हिंसक दुरुपयोग का इतिहास है:

ऐसे मामलों में विशेष देखभाल की आवश्यता है जहाँ पर शिकायत से पता चलता है की आरोपी का हिंसक उत्पीड़न का इतिहास रहा है।

नाबालिगों और नाबलिकों के बचाव: यदि मुक्त कराया पीड़ित एक नाबालिग या एक नाबालिक है, तो उसे बाल कल्याण समिति को भेजा जाना होगा।

बाल कल्याण समिति: बाल कल्याण समिति या "सी.डब्ल्यू.सी." एक वैधानिक निकाय है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सी.डब्ल्यू.सी. का स्थापित होना आवश्यक है। सी.डब्ल्यू.सी. में एक अध्यक्ष और चार सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनमे से कम से कम एक महिला को समावेश होनी चाहिए। अध्यक्ष बाल कल्याण से उम्मीद जाती है की उन्हें इन मामलों की पूरी जानकारी है। सी.डब्ल्यू.सी. की शक्ति एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष हैं। सीडब्ल्यूसी एक विशेष निकाय है जिसे उन नाबलिकों को जिन्हे कि देखभाल और

संरक्षण की जरूरत है के कल्याण का निर्धारण करने के लिए सृजित किया गया है। कोई भी सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष एक नाबालिकको पेश कर सकता है, जिसे की "देखभाल और संरक्षण की जरूरत" है।

सी.डब्ल्यू.सी और नए जेजेए 2015: नई जेजेए 2015 सी.डब्ल्यू.सी के कामकाज करने के तरीके में कुछ परिवर्तन करता है:

• जे.जे. अधिनियनम 2015 के पारित होने के बाद, सी.डब्ल्यू.सी ऐसे नाबलिकों जिनको देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, के मामलों में अंतिम प्राधिकरण नही है। जे.जे. अधिनियनम की धारा 27 (10) में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण है और नाबालिकके साथ जुड़े कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दाखिल करे, जो की उस पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

- सभी नाबलिकों की सामाजिक जांच की जानी है और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए: जेजेए 2015 की धारा 36 के तहत, सी.डब्ल्यू.सी उन सभी बच्चें जिनको की सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, उनकी जाँच पड़ताल करवाएगी। इस धारा के तहत, तुरंत सामाजिक जांच एक सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।
- 4 महीने के भीतर अंतिम आदेश: सामाजिक जांच रिपोर्ट 15 दिनों में सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि सी.डब्ल्यू.सी. नाबालिकके समक्ष पहली बार प्रस्तुतिकरण के समय से 4 महीने के भीतर एक अंतिम आदेश पारित कर सके।

बचाव के बाद, गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि नाबालिगों और नाबलिकों को सी.डब्ल्यू.सी. के सामने पेश कर किया जाए जिससे की उनके बयान दर्ज हों और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया जाए।

और जानें और कार्रवाई करें

कैसे संवेदनशीलता और सटीकता के साथ एक मुक्त किये गए पीड़ितों का बयान दर्ज करें इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए जे.वी.आइ से संपर्क करें।

चरण 1.10 मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों का संरक्षण सुनिश्चित करना	
समयसीमा: जितना संभव हो, पीड़ितों को बचाव के दिन से ही हिफ़ाज़ती हिरासत सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को मुक्त व्यक्तियों के साथ मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी के लिए जाना चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस को सलाह देनी चाहिए।
टिप्पणी	
चरण 2.2 कदम के बाद, मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी. को मुक्त कराए व्यक्तियों के लिए घर का निर्धारण करना चाहिए जहाँ उन्हे किसी निश्चित अवधि के लिए रखा जा सके। बचाए गये पीड़ित(तों) को ऐसे हिफ़ाजती / नाबलिकों के घर को सौंपा जाना चाहिए जो कि या तो किसी गैर सरकारी संगठन या सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हों। मुक्त किये गए पीड़ितों को हिफ़ाजती अभिरक्षा में उनके प्रवास के बारे में अनुरक्षण कर्मचारियों के द्वारा सलाह मशवरा दिया जाए और बताया जाए कि यहाँ उन्हे उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए एक अस्थायी आधार पर रखा गया है। जब भी बचाए पीड़ित अपने सुरक्षा के स्थान से आवागमन करे, उस दौरान गैर सरकारी संगठन को उसका साथ देना होगा।	अधिवक्ता को वैश्यालय को बंद कराना और चाबी को पुलिस की हिरासत में सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करना चाहिए जिससे की परिसर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बचाए गये व्यक्तियों का पुलिस मार्गरक्षण करें। मामले में मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी अगर कार्यालय में है और आवश्यक दस्तावेजों (जैसे चोट रिपोर्ट, अग्रेषण रिपोर्ट) को तैयार करना है तो बचाए गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी के पास ले जाने के लिए मार्गरक्षण किया जाए। यदि बचाव की घटना सूर्यास्त के बाद आयोजित किया जाती है और मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, तो बचाए गये व्यक्ति को एक आश्रय घर या बालगृह को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बचाए व्यक्ति को रात भर पुलिस स्टेशन में नही रखा

	जाना चाहिए। **अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि एफ.आई.आर. तुरंत दर्ज की जाए और मुक्त किये गए पीड़ितों को एफ.आई.आर. की एक प्रति प्राप्त हो।**

2. <u>यौन व्यापार अपराधियों के अभियोग के लिए प्रक्रियाएं:-</u>

यौन व्यापार के अपराधियों के अभियोग के लिए 16 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 2.1 यौन व्यापार अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला
चरण 2.2 पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी
चरण 2.3 अभियुक्त यौन व्यापार अपराधियों की गिरफ्तारी
चरण 2.4 अभियोजन-पक्ष की सहायता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला
चरण 2.5 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध
चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना
चरण 2.7 अपराधियों को निकालना और वैश्यालय को बंद/सील करवाना
चरण 2.8 यौन व्यापार पीड़ित की तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन
चरण 2.9 यौन व्यापार मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला
चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना
चरण 2.11 यौन व्यापार के आरोपों का निर्धारण
चरण 2.12 यौन व्यापार मुक़दमे की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना
चरण 2.13 यौन व्यापार मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना
चरण 2.14 यौन व्यापार का अपराध साबित करने के लिए निर्णायक-बहस करना
चरण 2.15 यौन व्यापार मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति
चरण 2.16 यौन व्यापर मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील आदि की फाइलिंग

चरण 2.1 यौन व्यापार अपराध के सम्बन्ध में एफ.आई.आर का दाखिला	
समयसीमा: यदि एफ.आई.आर. बचाव के बाद दर्ज की जा रही हो, तो आदर्श रूप से इसे बचाव करने के 48 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार अपराध की एफ.आई.आर. उस पुलिस स्टेशन में दाखिल करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में यौन व्यापार की घटना घटी है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफ.आई.आर. सूचीबद्ध सभी प्रासंगिक अपराधों जैसे आई.टी.पी.ए., आई.पी.सी. और किसी भी अन्य कानून के तहत दायर की गयी है।
टिप्पणी	

गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस स्टेशन के समक्ष दायर की गई है और इसमे सभी प्रासंगिक अपराधों को शामिल किया गया **है**। याद रखें कि जब संयौन हो कि अगर मुक्त किये गए पीड़ितों एक नाबालिग है उसके साथ इक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए । यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में असफल हो या मना करे तो गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता की मदद लेनी चाहिए ।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता सी.आर.पी.सी. की धारा 154 (1) के तहत एक या एक से अधिक संज्ञेय अपराधों की शिकायत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष करे. यौन-व्यापार संबंधित अपराधों के संबंध में एफ.आई.आर. के पंजीकरण के लिए शिकायत या जानकारी कोई भी दायर कर सकता है। अधिवक्ता सरकारी अधिकारियों, पीड़ित को, पीड़िता के परिवार, या किसी अन्य उपस्थित को एफ.आइ.आर दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है । प्राथमिकी में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल की जानी चाहिए: • दिनांक और बचाव का स्थान • बचाव का समय, • पुलिस स्टेशन से घटना स्थल की दूरी • बचाए गये पीड़ितों के नाम, पीड़ित की उम्र, • जगह जहां अपराध घटित हुआ • वैश्यालय मालिक / तस्कर का नाम और पता (यदि ज्ञात हो) • घटित हुए अपराधों का विवरण • बचाव स्थल और जब्त सामग्री का का संक्षिप्त विवरण • बचाव टीम का विवरण जिसने

	अभियान चलाया अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई जानकारी सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफ.आई.आर.") के रूप में पुलिस थाने में अधिकारी प्रभारी द्वारा दर्ज की गई है। यदि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है तो उस स्थिति में उठाए जाने वाले कदम: यदि जानकारी अंकित नहीं की जा रही है या प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 154 (3) के अनुसार कार्यवाही करने के लिए लिखित रूप में, संबंधित पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना भेजनी चाहिए। यदि सूचना अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं हो रही हो, तो अधिवक्ता को धारा 156 (3) सी. आर. पी. सी. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष ये आदेशित करने के लिए आवेदन करना चाहिए कि जानकारी अभिलिखित की जाए और जांच शुरू की जाए। अगर जानकारी अभी भी एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं की गयी है तो अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए। यदि एफ.आई.आर. में अपराधों की

	पहचान तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है, तो अधिवक्ता को अतिरिक्त अपराधों के शामिल किए जाने के लिए हलफनामा या दूसरे सहायक दस्तावेज़ों से समर्थित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

ध्यान देने योग्य बिंदु:

प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई भी शिकायत प्रस्तुत कर सकता हैं: कोई भी व्यक्ति यौन-व्यापार के अपराध के बारे में जानकारी (या शिकायत) प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, पीड़ित के माता पिता / रिश्तेदार, पीड़ित को मूलत: संरषण देने वाला, और कोई भी व्यकित जिसे उस अपराध की जानकारी हो और पीड़ित स्वयं हो सकता है।

जब बचाया गया व्यक्ति जो अब तो वयस्क है, लेकिन व्यापार किए जाने के समाय नाबालिक था तो उस स्थिति में कानून के उन वर्गों की धाराओं को लगाना जाना चाहिए जो कि नाबलिकों के अवैध व्यापार के लिए लागू होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 372, 373 देखें।

जांच अधिकारी (आइ.ओ.) का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज किया जाना चाहिए: आइ.ओ. का नाम पद के साथ-साथ एफ.आई.आर. में स्पष्टता से दर्ज किया जाना चाहिए। आइ.ओ. परीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए आइ.ओ. का ब्यौरा स्पष्ट रूप से उलेखित होना चाहिए।

सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत जांच के लिए दबाव दालें: अधिवक्ता को पुलिस जांच को आगे जारी रखने हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके। अगर पुलिस जांच के साथ आगे नहीं बढ़ती है, तो अधिवक्ता को जाँच कार्यवाही सी.आर.पी.सी. की धारा 156 (3) तहत शुरू करने के आदेश देने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत जुड़े आपराधिक मामलों में: अगर मामले में अपराध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शामिल है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में डीएसपी या उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाए।

अधिक जानें और कार्रवाई करें

एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य कर्तव्य: एक पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीआरपी की धारा 154 के तहत बाध्य है। जानकारी देने वाले व्यक्ति को भी एफ.आई.आर. में हस्ताक्षर करने होते हैं [124]।

एफ.आई.आर. से संबंधित निर्णयों के बारे में अधिक जानने के लिए, अध्याय 5 देखें

नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक सहायता:

- अतिरिक्त संदर्भों के साथ प्रासंगिक प्रकाशनों के लिए परिशिष्ट 33 का संदर्भ लें।
- सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के तहत जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) के तहत आवेदन के लिए परिशिष्ट 22A का संदर्भ लें।

जब पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने से मना करे तो ऐसी स्थिति में उपयोग के लिए प्रारूप: एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 200 और 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन: ये जानने के लिए कैसे सी.आर.पी.सी. की धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए आवेदन पत्र का मसौदा तैयार किया जाता है और साथ ही कैसे धारा 156 (3), सी.आर.पी.सी. के तहत मॅजिस्ट्रेट के समक्ष एफआइआर दर्ज कराने हेतु एसएचओ को निर्देशित करने के लिए आवेदन करना है परिशिष्ट 22A का संदर्भ लें।

सी.आर.पी.सी. की धारा 172(2) के तहत केस डायरी को मंगाने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन: केस डायरी, जिसे पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सहायता करने के लिए तैयार किया है, धारा 172 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसेमंगाने का आवेदन का मसौदा देखने के लिए परिशिष्ट 25 को देखें ।

एफ.आई.आर.: **यह देखने के लिए कि एफ.आइ.आर. कैसे दिखती है, अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और जे.वी.आइ के साथ संपर्क में रहें। किसी प्राथमिकी को दर्ज करने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करने के लिए आवेदन का मसौदा प्राप्त करने हेतु जे.वी.आइ. से संपर्क करें।**

[124] धारा 154 (1) सीआरपीसी

<table>
<tr><td colspan="2">चरण 2.2 पीड़ितों की मजिस्ट्रेट/सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेशी</td></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: जितना जल्दी संभव हो, बचाए गये व्यक्ति को मजिस्ट्रेट / सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष बचाव अभियान पूरा होने के 24 घंटे के भीतर प्रकट करना चाहिए</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन</td><td>अधिवक्ता</td></tr>
<tr><td>गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बचाए गये वयस्कों को मजिस्ट्रेट के समक्ष जबकि बचाय गये नाबालिगों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाए।</td><td>अधिवक्ता को अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए की संयौन होने पर पीड़ितों को नाबालिग मानना चाहिए।</td></tr>
<tr><td colspan="2">टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ितों के साथ ही उपस्थित रहना और सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों के साथ अत्यंत संवेदनशीलता और गरिमापूर्ण तरीके व्यवहार किया जाए.

बचाए गये पीड़ितों की चिकित्सीय जांच के लिए गैर सरकारी संगठन के देखरेख कार्यकर्ताओं को महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ अवश्य मौजूद रहना है और उसके बाद फिर जिन आश्रय ग्रहों में उन्हे रखा जाना है वहाँ सुरक्षित पहुचना सुनिशित करना चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को नाबालिक का सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए । अगर पीड़िता की उम्र का पता लगायाजाना संभव नहीं हो तो अधिवक्ता को ये निर्णय लेने के लिए पुलिस की सहायता करनी कि क्या पीड़ित को सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश किया जाए या नही. संयौन की स्थिति होने पीड़ित के साथ एक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पीड़िता के बयान केस डायरी में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए । अधिवक्ता पुलिस को ऐसा करने के लिए सलाह दे सकता है।

अधिवक्ता को वयस्क उत्तरज़ीवी का आई.टी.पी.ए. विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना और महिला चिकित्सक द्वारा एकचिकित्सा परीक्षा तुरंत आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करना</td></tr>
</table>

	चाहिए। विशेष अदालत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशगी चिकित्सा परीक्षा और सरकारी या निजी लाइसेंसशुदा आश्रय घर में मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों की अस्थायी निवास की व्यस्था के लिए आदेश पारित सुनिश्चित करने के लिए होती है।

विचारणीय बिंदु
यदि बचाव कार्य रात्रि में आयोजित किया जाता है: यदि बचाव रात्रि में किया जाता है तो, रात्रि ड्यूटी मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। यह जानना उचित होगा कि कौन रात्रि ड्यूटी मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट को संपर्क करने की क्या प्रक्रिया है। संरक्षण आवेदन का विरोध: अधिवक्ता को नाबालिगों के रिश्तेदारों या माता-पिता द्वारा उन मामलों में दायर किए गये संरक्षण आवेदन का विरोध करना चाहिएजब भी या तो घर में हिंसा होने का अंदेशा हो या जब एक गृह सत्यापन रिपोर्ट लंबित हो। बचाव दल के संबंध में सुरक्षा के उपाय: किसी भी परिस्थिति में बचाव दल को पुलिस स्टेशन में हिरासत में ना रखा जाए या आगे आने वाले जोखिमो का सामना करने केलिए उनकी उपेक्षा ना की जाए. जब बचाया गया पीड़ित एक नाबालिग की तरह प्रतीत हो: बचाए पीड़िता की उम्र के बारे में अनिश्चितता होने के मामले में बचाए व्यक्ति को बाल कल्याण समिति को भेजा जाना चाहिए। जे.जेअधिनियनम की धारा 94 के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी अपने समक्ष प्रस्तुत कराए व्यक्ति के बाह्याकृति के के आधार पर, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत (सबूत देने के प्रयोजन के अतिरिक्त) अगर महसूस करे कि यह व्यक्ति नाबालिक है तो सी.डब्ल्यू.सी इस धारणा को अंकित करेगी और नाबालिककी संभावित उम्र को इंगित करते हुए बिना आगे उम्र के पुष्टि का इंतजार किए बिना धारा 36 (देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले नाबालिककी जांच) के तहत जांच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सी.डब्ल्यू.सी को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गये व्यक्ति की उम्र के बारे में यदि कोई संयौन है, तो वह व्यक्ति की उम्र का

निर्धारण करने के लिए साक्ष्य की मांग करेगा; जिनमे होना चाहिए:-

- किसी स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, या मेट्रिक्युलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड से समकक्ष प्रमाण, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में
- किसी नगर निगम या नगर निगम के प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- केवल (i) और (ii) के ना होने आयु का निर्धारण सी.डब्ल्यू.सी के आदेश पर आयोजित अस्थियन हड्डी परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम उम्र निर्धारण चिकित्सा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि यह इस तरह के आदेश पारित करने के 15 दिन के अंदर पूरा हो गया है।

मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष प्रस्तुति और अपराधी की गिरफ्तारी: चरण 2.2 और 2.3 दोनों कदम एक साथ उठाए जा सकते हैं, और कुछ मामलों में (उदाहरण के लिए, जब बचाव रात में किया जाता है) 2.3 कदम कदम 2.2 से पूर्व लिया जाएगा. यहाँ गैर सरकारी संगठन के व्यक्तियों के लिए आदर्श स्थिति ये है कि वे इस तरह से टीम को विभाजित करें कि एक टीम गिरफ्तारीकी साइट पर मौजूद रहे और और अन्य मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष मौजूद रहे।

और जानें और कार्रवाई करें

देखभाल और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चा: एक बचाए गये नाबालिकको देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले नाबालिकके रूप में विचरण किया जाएगा और जिले की कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा. सी.डब्ल्यू.सी के पास नाबालिग की उम्र निर्धारण करने का अधिकार है। और अधिक जानकारी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारायें 2(14), 31, 36 और 94 पढ़ें। सी.डब्ल्यू.सी. उसके समक्ष लाए गये नाबालिककी उम्र का निर्धारण धारा 94 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार करेगा।

गृह-जाँच रिपोर्ट: नाबालिकको सुरक्षित अभिरक्षा देने के लिए निर्णय से पूर्व सी.डब्ल्यू.सी. गृह-जाँच रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश देगा और प्राप्त रिपोर्ट की स्वयं जाँच करेगा। ग्रह जाँच रिपोर्ट का प्रासूप संलानक 29 में दिया गया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 33 के अनुसार सी. डब्ल्यू. सी. द्वारा ग्रह जाँच के लिए दिए गये आदेश में जाँच करने वाले गैर सरकारी संगठन के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना होता है।

नाबालिकके माता पिता की अभिरक्षा में देने के लिए सी.डब्ल्यू.सी के आदेश: सी.डब्ल्यू.सी. नाबालिकके कल्याण और पीड़ित को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37 के तहत सी.डब्ल्यू.सी बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत नाबालिक की इच्छा यदि वह पर्याप्त रूप से परिपक्व है पर विचार करते हुए उसके माता पिता या अभिभावक की अभिरक्षा में नाबालिक को सौपने का आदेश दे सकता है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिक को उसके माता-पिता/अभिभावक को सौंप दिया जाना उचित है या नहीं, यदि उन्हे आशंका है कि सरंक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति नाबालिक को दोबारा से यौन-व्यापार में धकेल सकता है, ऐसी परिस्थिति में नाबालिक की रिहाई का विरोध अवश्य करना चाहिए।

किसी संदिग्ध तस्कर को किसी नाबालिकया नाबालिग की रिहाई दिए जाने का कैसे विरोध करें इस बारे में जे.वी.आई अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है

चरण 2.3 अभियुक्त यौन व्यापार अपराधियों की गिरफ्तारी	
समयसीमा: कथित आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत किया जाना चाहिए, या बचाव के 7 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को तुरंत पुलिस की मदद उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में करनी चाहिए जिन पर यौन व्यापार अपराधों का आरोप है।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. के संगत प्रावधानों के तहत आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की सहायता करनी चाहिए और जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को अगर मुक्त किये गए पीड़ितों को आरोपियों के बारे में कोई जानकारी है तो उस जानकारी को तुरंत पुलिस और अधिवक्ता को सूचित किया	अधिवक्ता को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गिरफ्तारियां और आगे की जांच को कानून के अनुसार की गयी है।

जाना चाहिए।	अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. की धारा 157 के अनुसार जांच को आगे बढ़ाने के लिए और एक संज्ञेय अपराध करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिवक्ता को आई.ओ. को सलाह देनी चाहिए की आरोपी को तुरंत बिना किसी देरी के गिरफ्तार करे।

विचारणीय बिंदु

एक दोषी महिला की गिरफ्तारी के मामले में: अधिवकता को पुलिस सलाह को सलाह देनी चाहिए की वे धारा 46 (4) सी.आर.पी.सी.में निर्धारित प्रक्रियाओं की पालन करने करें जिसमे कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी नें क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो, किसी भी महिला को, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नही किया जाना चाहिए। एक दोषी महिला की तलाशी केवल डब्ल्यू.पी.सी. द्वारा की जानी चाहिए।

संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध: सभी अपराध या तो गैर संज्ञेय या संज्ञेय हैं। यदि कोई अपराध संज्ञेय के श्रेणी में है, तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं और गैर- संज्ञेय अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है. सी.आर.पी.सी. की पहली अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण उनकी संज्ञेयता के आधार पर किया गया है ।

और जानें और कार्रवाई करें

गिरफ्तारी करने के लिए आधार: सी.आर.पी.सी. की धारा 41 के तहत एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है अगर वहां पर निम्नलिखित में से कोई भी आधारभूत उद्देश्य उपलब्ध हों[125] :

[125] रतनलाल व धीरजलाल, दंड प्रक्रिया संहिता ; 19 एड; मनोहर, वी आर; प . 103

1. गिरफ्तार व्यक्ति को आगे किसी अपराध से रोकने के लिए.; या

2. अपराध की उचित जांच के प्रयोजन के लिए ; या

3. गिरफ्तार व्यक्ति को सबूतों को लापता करने से रोकने या सबूत के साथ छेड़छाड़ के कारण ; या

4. गिरफ्तार व्यक्ति को या एक गवाह के लिए किसी भी तरह का लालच, धमकी या वादे देने से रोकने के लिए जिसका उद्देश्य गवाह को डेकॉय देने से या पुलिस अधिकारी को अपना बयान देने या अदालत के समक्ष गवाही देने से रोकने के के प्रयोजनों के लिए किया गया हो; या

5. गिरफ्तार व्यक्ति की उपस्थिति अदालत के सामने सुनिश्चित करने के लिए जब भी अदालत की कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो ।

"हिरासत" और "गिरफ्तारी" शब्द का मतलब एक नही है। कानूनी भाषा में, एक दंडनीय अपराध के संबंध में किसी गिरफ्तारी का मतलब है किसी प्राधिकारी, जो क़ानूनन सक्षम है, द्वाराकिसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को पकड़ना या किसी आपराधिक आरोप का उत्तर देने के लिए व्यक्तिको हिरासत में लेना है या जिससे किसी अपराध को घटित होने से रोकना है।

चरण 2.4 अभियोजन-पक्ष की सहयता हेतु वकालतनामा और आवेदन का दाखिला	
समयसीमा: अभियोजन की सहायता करने के लिए वकालतनामा और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर करने की तारीख से 1 से 7 दिनों के बीच का समय लग सकता है	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर-सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए यौन व्यापार पीड़ित अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करें और अधिवक्ता से मुलाकात के समय महिला सलाहकार या महिला कानूनी संरक्षक पीड़ित के साथ मौजूद हों।	अधिवक्ता को यौन व्यापार के पीड़ित की सहमति प्राप्त कर उनके कानूनी वकील के रूप में एक वकालतनामा दाखिल करना चाहिए और अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए दफ़ा 301(2) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत एक आवेदन दायर करनी चाहिए।

टिप्पणी	
पीड़ित यदि नाबालिक हो तो आश्रय घर की देखभाल करने वाले को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए और गैर-सरकारी संगठनको इस प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	मुक्त किये गए पीड़ितों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता को वकालतनामा की एक प्रति जल्द से जल्द प्राप्त कर लेनी चाहिए जैसे ही पीड़ित सुरक्षात्मक निगरानी में व्यस्थित हो गयी हो। एक पीड़ित नाबालिकके मामले में, आश्रय घर की देखभाल करने वाले को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए । वकालतनामा वह दस्तावेज़ है जो किसी अधिवक्ता के लिए उसके क्लाइंट की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार देता है। अधिवक्ता को वकालतनामा को प्राप्त करने के फ़ौरन उपरांत सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2) के तहत मुकदमा चलाने की सहायता के लिए उसे एक शपथ पत्र के साथ-साथ न्यायालय के समक्ष दाखिल करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु
एक वकील मजिस्ट्रेट के समक्ष बचाए गए लोगों की ओर से निम्नलिखित आवेदन कर सकते हैं: • बचाई गयी पीड़िता की चिकित्सीय जांच के लिए: बचाई गयी पीड़िता की उम्र और यौन शोषण का पता लगाने के लिए अधिवक्ता को उचित आवेदन पत्र आई.टी.पी.ए. की धाराओं 15 (5-A) के तहत दाखिल कर उसकी चिकित्सीय जांच के आदेश हेतु समुचित आवेदन दाखिल करना चाहिए। • ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित एक सुरक्षित स्थान में रखा गया है गृह जांच रिपोर्ट (एच.आई.आर.) प्रस्तुत की जाती है: अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 17 के अंतर्गत समुचित आवेदन करना चाहिए जिसमे बचाए गये पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करने के लिए एक

एच.आई.आर. को दाखिल करवाना और संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने हेतु आदेशों की माँग करनी चाहिए।

- ये सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है: अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 19 के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित आवेदनों को दाखिल करना चाहिए जिसमे अस्थायी रूप से संरक्षण ग्रह में रखने या देखभाल और संरक्षण आदि प्रदान करने वाले आदेश पारित करने की माँग की जाए।

और जानें और कार्रवाई करें

नमूना दस्तावेजों और रिहर्सल सहयता: अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए आवेदन करने के एक प्रारूप देखने के लिए परिशिष्ट 24 का संदर्भ लें। परिशिष्ट में वकालतनामा के लिए भी प्रारूप शामिल है।

नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक सहायता: निम्नलिखित दस्तावेजों में प्रासंगिक प्रारूपों निहित हैं:

• अदालत से अनुरोध के लिए कि वे अभिरक्षा आवेदन को सी.डब्ल्यू.सी. को सन्दर्भित कर दें से संबंधित प्रारूप परिशिष्ट 27 में देखा जा सकता है।

• एचआइआर के लिए प्रारूप परिशिष्ट 29 में देखा जा सकता है।

धारा 15 (5-A), 17 और आई.टी.पी.ए. के 19 के तहत आवेदन पत्र के प्रारूप के लिए जे.वी.आइ से संपर्क करें।

चरण 2.5 अपराधियों की जमानत याचिका का विरोध	
समयसीमा: आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए आवेदन जमानत याचिका दर्ज करने के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए.	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता को आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना को तुरंत और सक्रिय होकर	अधिवक्ता को अपराधियों की ज़मानत से सम्बंधित सभी सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए एवं बहस/लिखित-आवेदन द्वारा अपराधियों की जमानत का विरोध करना

पहुचाना चाहिए।	चाहिए और जमानत मिलने की स्थिति में कड़ी से कड़ी शर्तें लगाने की अदालत से गुज़ारिश करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को जब भी आरोपियों की जमानत याचिका के बारे में कोई जानकारी हो तो वे तुरंत अधिवक्ता को सूचित करें। गैर सरकारी संगठन द्वारा अभियोजन की मदद के उदेश्य से अधिवक्ता को विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा और शपथ पत्र (आवेदन) अभियोजन की मदद के उद्देश्य के लिए, सभी आवश्यक समर्थन अधिवक्ता को प्रदान करना चाहिए, अगर ऐसा पहले से ही नहीं किया गया हो।	उस मामले में जब आरोपियों को एक या एक से अधिक गैर जमानती अपराधों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो अधिवक्ता के द्वारा अपराधी को जमानत देने का लिखित रूप में विरोध करना चाहिए। अधिवक्ता प्रत्येक रिमांड सुनवाई में भाग ले और जमानत नामंज़ूर हो जाना सुनिश्चित करे. अगर किन्ही हालातों में आरोपी को जमानत दी जाता है, अधिवक्ता ऐसी परिस्थितियों के घटित होने के बारे में जागरूक रहे जिनसे कि उचित मंच के समक्ष जमानत के निरस्तीकरण मंजूर कराया जा सके। मामलों में जहां पर आरोपी अदालत में पेश होने में विफल रहता है, या बचना चाहता है या न्याय की कार्यवाही से बचने के लिए प्रयास करता है, या न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में बाधा पंहुचाता है (यानी, आरोपी को धमकाता है या गवाह को रिश्वत देता है, सबूत के लापता होने का कारण बनता है, या जांच के साथ हस्तक्षेप करता है), तो अधिवक्ता को एक आवेदन गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के

	लिए और जमानत रद्द करने के लिए अवश्य दायर करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु
रिमांड सुनवाई में भाग लें: रिमांड आरोपी व्यक्ति के ट्रायल से पहले पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत के संदर्भ में है इन रिमांड सुनवाइयों पर कथित अपराधी की हिरासत का निर्धारण किया जाता है और इस स्तर पर सामान्य रूप से जमानत दिए जाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अधिवक्ता प्रत्येक रिमांड सुनवाई में भाग लें और सुनिश्चित करें की जमानत को अस्वीकार किया जाए।   **जमानत कब रद्द की जा सकती है?** उन मामलों में जहां पर आरोपी अदालत में पेश होने में विफल रहता है, या बचना चाहता है या न्याय की कार्यवाही से बचने के लिएप्रयास करता है, या न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने में बाधा पंहुचाता है (अर्थात, आरोपी गवाहों को धमकाता है या रिश्वत देता है, सबूत के लापता होने का कारण बनता है, या जांच के साथ हस्तक्षेप करता है), तो अधिवक्ता को गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए और जमानत रद्द करने के लिए अवश्य अर्जी दाखिल करना चाहिए।   अधिवक्ता को इन हालातों का आंकलन कर ऐसे आवेदनों को पेश करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। **अधिवक्ता के पुलिस अधिकारी और लोक अभियोजक के साथ आपसी संबंध:** आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर नवीन समाचार प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता को उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाने चाहिए। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों और सरकारी वकील के साथ करीबी संबंध बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब गैर सरकारी संगठन के अधिवक्ता की जानकारी के बिना ही किसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अपराधी को जमानत प्रदान कर दी जाती है जिससे अपराधी को फरार होने और विचाराधीन मामले को लंबित करने का मौका मिल जाता है। यदि अधिवक्ता किसी कारणवश किसी जमानत याचिका में सुनवाई से वंचित रह जाता है, तो सामान्यतया पूरा मामला ही गवाँ दिया जाता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पी.पी. की सहायता के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और विचाराधीन मामले में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखें।   **उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई की स्थिति की जाँच:** अधिवक्ता को दैनिक रूप से उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध जमानत याचिका की निगरानी करनी चाहिए।

अधिवक्ता को जमानत अदालत में नियमित रूप से जाकर देखना चाहिए क़ि क्या कोई जमानत मामला सुनवाई पर तो नही लगा है।

और जानें और कार्रवाई करें

जमानत का विरोध करने के लिए आवेदन के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 26 देखें।

जमानत स्वीकारने का विरोध: जमानत विरोधी संदर्भ पत्र के लिए परिशिष्ट 13A को देखें। यह परिशिष्ट विभिन्न अदालतों में जमानत के विरोध के संबंध में क्या कहा गया संबंधी जानकारी प्रदान करता है।

जमानत रद्द करना: जमानत रद्द करने के लिए दिए गये आधार उधारण स्वरूप हैं और व्यापक नहीं हैं[126]। आम तौर पर अन्य बातों के साथ इन आधारों में शामिल हैं[127]:

(1) हस्तक्षेप या न्यायकरण की प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करना अथवा हस्तक्षेप का प्रयास करने में निम्न आधार हो सकते हैं, जिसमे कि ये शामिल है:

- a. जांच की कार्यवाही के दौरान हस्तक्षेप
- b. सबूत या गवाह के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास
- c. गवाहों को धमकाना, भयाभीत करना या उन्हे भ्रष्ट बनाना, और इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होना जो कि एक सुचारू जांच को प्रभावित करती है

(2) न्ययिका प्रक्रिया से बचने का प्रयास करता है, जिसमे निम्नलिखित शामिल हैं:

- a) देश छोड़ देता है या देश से भागने का प्रयास करता है
- b) भूमिगत हो जाता है या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध हो जाता है
- c) जमानतियों की पहुंच से परे चला जाता है।

---

[126] असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एआइआर 1993 एस सी 1

[127] महंत चांदनाथ योगी बनाम हरियाणा राज्य 2003 (1) एस सी सी 326; दौलतराम बनाम हरियाणा राज्य 1995 (1) एस सी सी 349; असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य एआइआर 1993 एस सी 1; *रघुवीर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य* 1987 एआइआर 149, 1986 एससीआर (3) 802; सुदीप्तो सरकार और वी आर मनोहर , सरकार आपराधिक प्रक्रिया के कानून पर , खंड 2, (9 वीं संस्करण 2007 , पुनर्मुद्रण 2009), लेक्सएस नेक्सएस बटरवर्थ्स वाधवा नागपुर , पेज 1891

(3) स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर अपराधी उन्ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होता है। इसलिए, प्रदान की गई जमानत को बाद में गुणदोष के आधार पर रद्द किया जा सकता हैं अगर ऊपर दी गयी आकस्मिक परिस्थितियाँ मौजूद हों।	
चरण 2.6 जांच के दौरान बयान दर्ज करना	
समयसीमा: जांच के दौरान बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में 1 और 60 दिनों के बीच ले सकता है	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को पीड़ितों के बयान दर्ज होते समय उनकी सहायता करनी चाहिए और पीड़ितों को बेहतर से बेहतर काउंसलिंग प्रदान कर सहयोग देना चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस को धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग में सलाह देनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए की पीड़ितों के बयान मॅजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत रेकॉर्ड किया गया है।
टिपण्णी	
गैर सरकार संगठन के प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहकर सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को ग़लत बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है।	अधिवक्ता को इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों की जाँच आरोपियों और अन्य गवाहों से अलग रहकर चलना सुनिश्चित करना चाहिए। उन लोगों को जिन्हे मामले के बारे में जानकारी है उन्हे मौखिक परीक्षित करने और उनके बयानों को सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के तहत दर्ज करने हेतु अधिवक्ता को पुलिस को प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट के समक्ष

	सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान तभी दर्ज किया जाना चाहिए जब उसे पर्याप्त सलाह मशवरा प्राप्त हो और पीड़ित इसके लिए तैयार और सक्षम हों। पीड़ित का धारा 164 के बयान आदर्श रूप से तभी लिया जाना चाहिए जब उसे पर्याप्त परामर्श प्रदान किया गया हो और अधिवक्ता आश्वस्त हो कि पीड़िता का बयान ट्रायल के पक्ष में ही जाएगा।

विचारणीय बिंदु

बयान: कानूनी केसवर्क से संबंधित तीन बयान, 161 के बयान, अनुपूरक बयान और 164 के बयान हैं। धारा 161 और 164 में दिए गये बयान को दंड प्रक्रिया संहिता वर्णित करता है। इसका उद्देश्य है कि सत्य बयान लिए जाएँ और इनका प्रायोजन ये जानकारी लेना है कि कैसे मुक्त किये गए पीड़ितों को व्यापार करके ठिकाने वाले स्थल पर पहुँचाया गया और साइट की स्थिति क्या थी। पीड़ित का बयान ही गवाही के लिए परीक्षण के दौरान लिया गया बयान अपराधी कि जवाबदेही साबित करने का आधार हो सकता है। गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता की भूमिका कमोवश सभी तीनो बयानों में एक सी है जो कि मुक्त किये गए पीड़ितों का समर्थन करना, उसे सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना और और बयान प्राप्त करने में पुलिस अधीक्षक/परिवीक्षा अधिकारी की सहायता करना है।

धारा 161 के तहत बयान: पुलिस बचाव की रात को 161 के बयान ले सकती है। अगर 161 बयान गलत है या पीड़ित नए तथ्यों को बताता है तो, परिवीक्षा अधिकारी के साथ पुलिस एक अतिरिक्त बयान प्राप्त कर सकती है, यानी एक अनुपूरक बयान प्राप्त कर सकते हैं। 164 के बयान का लाभ यह है कि मुक्त किये गए पीड़ितों मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान बाशपथ देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता 161 के बयान से अधिक है। मुक्त किये गए पीड़ितों मॅजिस्ट्रेट के समक्ष अकेले में बयान देगा और मॅजिस्ट्रेट ट्रायल आरंभ होने तक इसे सील बंद रखेगा। 161 बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान उपस्थित होना अर्थात बचाव के समय अर्थात छापा मारने वाली रात उपस्थित होना सर्वोत्तम तरीका है जो कि पुलिस की सहायता और मुक्त किये गए पीड़ितों के पक्षसमर्थन के लिए है।

धारा 164 के तहत बयान: अधिवक्ता के लिए सबसे उत्तम तरीका है वो पीड़ित को

164 के बयान के महत्व के बारे में जानकारी दे। अधिवक्ता को 164 बयान प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पीड़ित को सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, पीड़ित को मजिस्ट्रेट के समक्ष ठीक से बयान देने के लिए तैयार करनी चाहिए। इस के आधार पर, 164 बयान देने के लिए, अधिवक्ता और गैर सरकारी संगठन स्टाफ को पीड़ित की इच्छा और सहयोग का आकलन करना चाहिए। अगर वह 164 बयान देने के लिए तैयार है, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो की अदालत में आवेदन कर देगी. 164 बयान इन-कैमेरा दर्ज किया जा सकता है।

इन- कैमरा कार्यवाही: एक गवाह का बयान धारा 164 के तहत ऐसे माहौल में जिसमें किसी प्रकार का भय नही हो, एकांत में दर्ज किया जा सकता है। इस तरह की एक प्रार्थना धारा 327 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत और *साक्षी Vs. बनाम भारत संघ*[128] मामले का हवाला देते हुए ई.ओ. द्वारा की जा सकती है। *स्टेट ऑफ पंजाब vs. गुरमीत सिंह*[129] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में मामलों की सुनवाई एकांत में और जहाँ तक संभव हो महिलाओं के न्यायाधीशों द्वारा संचालित की जानी चाहिए।

यदि पुलिस धारा 164 के अंतर्गत ब्यान दर्ज करने हेतु आवेदन नही करती है:

यदि पुलिस धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में आवेदन करने में अनिच्छुक है तो एक अधिवक्ता के साथ मुक्त किये गए पीड़ितों खुद कर सकता है। आवेदन को कम से कम एक मुक्त किये गए पीड़ितों के हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ दायर करना चाहिए।

ब्यान तैयार रखें: पीड़ित तो 164 बयान देने से पूर्व उसकी तैयारी कराना अधिवक्ता के लिए सबसे उत्तम तरीका है। ये सुनिस्चित करें कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान देने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है और एक सच्चा बयान देने के लिए इच्छुक है।

बचाव की रात / दिन पर दिया गया गलत बयान: बचाए गये पीड़ित ने यदि बचाव के समय में एक गलत बयान दिया है या में बाद में अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करता है तो कानूनी और गैर-सरकारी संगठन स्टाफ को मुक्त कराए पीड़ित को एक अनुपूरक बयान देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

[128] (2001)10 **एससीसी** 732

[129] **एआइआर 1996 एससी 1393**

अनुपूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष दर्ज हों: अनुपूरक बयान पुलिस को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष दर्ज करना चाहिए।यदि पुलिस अनुपूरक बयान लेने से मना करे तो प्रोबेशन अधिकारी इसे अंकित कर सकता है और इसे पुलिस को दे सकता है गैरसरकारी संगठन के कानूनी स्टाफ इस कार्य के लिए परिवीक्षा अधिकारी की सहायता कर सकते हैं आदर्श तरीका यह है की कि जिस तारीख पर परिवीक्षा अधिकारी ने बयान दर्ज किए हैं उसी तिथि पर परिवीक्षा अधिकारी बयान पर हस्ताक्षर कर दे।

प्रशिक्षित परामर्शदाता: केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित सलाहकारों को पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए। किसी प्रशिक्षित काउंसलर के अभाव में, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे अभिघात के लक्षणों को संभालने का अनुभव है भी एक उपयुक्त विकल्प होगा। हालांकि गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रयास होना चाहिए कि मुक्त किये गए पीड़ितों को उसके इलाज की योजना के रूप में व्यावसायिक परामर्श प्राप्त हो।

बयानों पीड़ित की जानकार भाषा में दर्ज किया जाना है: गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज हैं।

जबरिया / मजबूर बयान: यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि पीड़ितों को उसकी / उसके बयान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी मौजूद नहीं हैं।

बयान ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़िता के बयान के रिकार्डिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाए। बयानों ऐसे जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हों जैसा कि सी.आर.पी.सी. की धारा 160 (1) के तहत प्रदत्त है।

धारा 164 के बयानों को पर्याप्त परामर्श के बाद दिया जाए: धारा 164 के तहत बयान तभी दर्ज किया जाना चाहिए अगर अधिवक्ता को तसल्ली है कि बचाए गये व्यक्ति को पर्याप्त रूप सेपरामर्श दिया गया है और मुक्त किये गए पीड़ितों मुकदमे में एक सटीक बयान उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

और जानें और कार्रवाई करें

छुड़ाए गये लोगों के बयान दर्ज: छुड़ाए गये लोगों के बयानों को तब रिकार्ड करें जब वे तैयार हों और बयान देने के लिए सक्षम हों। छुड़ाए गये व्यक्ति अतिरिक्त बयानों दे सकते हैं जब वे आघात की स्थिति से उबर जाएँ और भविष्य के बयानों में विरोधाभास आघात की स्थिति का हवाला देकर समझाया जा सकता है[130]।   बचाए गये लोगों के लिए परामर्श और मनोसमाजिक समर्थन हेतु कृपया देखें "न्याय के लिए यात्रा"[131], साइकोसोशियल हस्तक्षेप पर एक गाइड, यूएनओडीसी, 2008.

चरण 2.7 अपराधियों को निकालना और वैश्यालय को बंद/सील करवाना	
समयसीमा: जितना जल्दी संभव हो सके अपराधियों को बेदखल करे और उसी दिन वेश्यालय बंद कर दे, लेकिन एक वैश्यालय की सीलिंग में 60 दिन तक का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता को वेश्यालय को बंद, सील या निष्कासन करवाने की याचिका सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर स्थानांतरित कराने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मजिस्ट्रेट को वेश्यालय बंद/सील करने के लिए याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को वैश्यालय[132] से पीड़ितों को सुरक्षित हटाना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की	अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. के तहत मजिस्ट्रेट से एक बेदखली आदेश लेना चाहिए। आई.टी.पी.ए. की धारा 18 (1) के तहत बेदखली सज़ा होने से पहले और

---

[130] धारा 7.1, धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत वक्तव्य को आलेखन, जबरिया श्रम के अपराधों की जांच पर यूएनओडीसी मानक संचालन प्रक्रिया (भारत और बीबीए की सरकार के साथ संयुक्त रूप से 2008 प्रकाशन), पेज 24 पर

[131] न्याय के लिए यात्रा: मनोदशा -सामाजिक हस्तक्षेप पर मैनुअल , 2008, ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और दक्षिण एशिया के लिए अपराध क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रकाशन ; यहां उपलब्ध है: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf>

[132] आईटीपीए की धारा 15 (4) के तहत, यहपुलिस के लिए अनिवार्य है वेश्यालय में पाए गये सभी सभी व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से हटा

सहायता करनी चाहिए।	प्राथमिकी दर्ज किए बिना भी संभव है। अधिवक्ता को आई.टी.पी.ए. की धारा 7 (2) के तहत एक आवेदन पत्र एक होटल या एक दुकान / प्रतिष्ठान के लाइसेंस के निलंबन के लिए दायर करना चाहिए अगर यह यौन-व्यापार और व्यक्तियों की व्यवसायिक यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि अपराध में कोई नाबालिकया नाबालिग प्रतिबद्ध हो तो इस तरह के मामले में आई.टी.पी.ए. की धारा 7(2) के तहत होटल या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द करने के लिए एक आवेदन लाया जा सकता है यदि यह यौन-व्यापार और व्यवसायिक यॉन शोषण हेतु उपयोग में लाया जा रहा है. यदि अपराध नाबलिकों या नाबालिक के विरुद्ध हो रहा है तो होटल या अन्या प्रतिष्ठानों का लाइसेन्स रद्द करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

चरण 2.8 यौन व्यापार पीड़ित की तरफ से मुआवजे के लिए आवेदन	
समयसीमा: यौन-व्यापार के पीड़ित के लिए मुआवजे के लिए दायर करने में 1 से 3 महीने का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को धारा 357 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए आवेदन करने में अधिवक्ता की सहयता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अदालत के समक्ष पीड़ितों की ओर से धारा 357 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत मुआवज़े के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए।

पीड़ित को मुआवजे के लिए अर्ज़ी दाखिल करने के लिए गैर सरकारी संगठन के के प्रतिनिधियों को अधिवक्ता के साथ संपर्क करते रहना चाहिए और जब भी पीड़ितों को उचित मंचों के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाए उनका साथ देना चाहिए।	अधिवक्ता को उचित मंच के सम्मुख पीड़िता की ओर से मुआवजा आवेदन दायर करना चाहिए। परीक्षण के हिस्से के रूप में, पीड़ित मुआवजे के हकदार है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षण के दौरान, मुआवजा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं और सी.आर.पी. सी. की के धारा 357A, के तहत न्यायालय से आदेश दिया जाना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

बचाए गये पीड़ितों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानने के लिए अध्याय 5 का संदर्भ लें।

मुआवजा जो कि यौन व्यापार के पीड़ित को न्यायपालिका द्वारा दिया जा सकती है: सी.आर.पी.सी. की निम्नलिखित प्रावधानों के तहत न्यायाधीश यौन-व्यापार के पीड़ित के लिए मुआवजे के आदेश कर सकते हैं। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

- धारा 357 सी.आर.पी.सी.: आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश यौन-व्यापार के पीड़ितों को मुआवजा के देने के एवज में आरोपी की सजा को कमकर सकते हैं इस आवेदन को अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम पर दर्ज किए जाना चाहिए।
- 357A सी.आर.पी.सी. के तहत: इस धारा के तहत, न्यायाधीश को जिला या राज्य एल.एस.ए. (विधिक सेवा प्राधिकरणों) की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र प्रायोजित पीड़ित मुआवजा योजना की भाँति ही अतिरिक्त मुआवजा मिलने का अधिकार है।

357 और 357A के तहत मुआवजे पर अदालती फैसले: सुप्रीम कोर्ट द्वारा *अंकुश शिवाजी गायकवाड़ vs. महाराष्ट्र राज्य*[133] के मामले में बताया गया है, कि "सी.आर.पी.सी. में 2008 में लाया गया संशोधन आपराधिक मुकदमे, विशेष रूप यौन

[133] अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 770

अपराधों से संबंधित परीक्षणों, में पीड़ितों के अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है हालांकि 2008 के संशोधन में धारा 357 में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पर धारा 357A को आरंभ किया गया है जिसके तहत इस तरह के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने के लिए न्यायालय को राज्य को निर्देशित देने करने के लिए सशक्त किया गया है जहां पर धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजा का अधिनिर्णय इस तरह के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, या जहां मामले बरी किए जाने या निर्वहन में समाप्त होता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है।" इस प्रावधान के तहत, भले ही आरोपी को परीक्षित नही किया गया हो परंतु पीड़ित को पुनर्वासित करने की जरूरत है, पीड़ित द्वारा खुद को राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसे नुकसान भरपाई को दिलाने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

नमूना दस्तावेज और व्यवहारिक साहायता: पीड़ितों के लिए मुआवजे के लिए आवेदन के लिए एक प्रारूप परिशिष्ट 30 में दिया गया है।

चरण 2.9 यौन व्यापार मुक़दमे में आरोपपत्र का दाखिला	
समयसीमा: प्राथमिकी के दायर करने के 90 दिनों के भीतर पुलिस को आरोपपत्र दर्ज करना चाहिए	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को आरोप पत्र दाखिले के सम्बन्ध में अधिवक्ता के साथ निरंतर पड़ताल करते रहना चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस और अभियोक्ता के साथ काम करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस द्वारा दायर की गयी है।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को आरोप पत्र दाखिल करने के संबंध में अधिवक्ता से जानकारी लेती रहनी चाहिए आरोप पत्र बिना देरी के दाखिलकराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए और आरोप पत्र को शीघ्र दाखिल करने के लिए जहाँ कहीं भी पुलिस अधिकारियों को आवश्यकता हो आवेदन करने में सहायता की करनी	अधिवक्ता को यह जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि घटना के जांच अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने के लिए विफल रहता है, तो

चाहिए।	अधिवक्ता को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए आदेशित करने के लिए तत्काल संपर्क करना चाहिए। यदि आरोप पत्र अभी भी दायर नहीं है, तो अधिवक्ता न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं। अधिवक्ता को आरोप पत्र की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोप पत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सभी आरोप शामिल नहीं है तो उचित समय पर अधिवक्ता को उक्त आरोपों को शामिल करने के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करना चाहिए। विरोध याचिका को मजिस्ट्रेट के समक्ष उन विधि समबन्धी धाराओं को शामिल करने के लिए दायर किया जा सकता है जिनको छोड़ दिया गया था।
विचारणीय बिंदु	

चार्जशीट की कॉपी: अधिवक्ता को आरोप पत्र की एक प्रति प्राप्त करना चाहिए। यदि आरोप पत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सभी आरोप शामिल नहीं है तो अधिवक्ता को उचित आरोपों के साथ एक पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए एक आवेदन पत्र पुलिस को देना चाहिए।

आरोप पत्र दाखिल करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति: आरोप पत्र दाखिल करने के समय अधिवक्ता मौजूद होना चाहिए।

और जानें और कार्रवाई करें

नमूना दस्तावेजों और व्यावहारिक सहायता: चार्जशीट दाखिल करवाने के लिए लिखित प्रस्तुतियाँ पर एक प्रारूप के लिए परिशिष्ट 23 का संदर्भ लें।

चरण 2.10 ट्रायल के लिए उचित मंच सुनिश्चित करना	
समयसीमा: परीक्षण सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। परीक्षण शुरू करने के लिए समय अदालत के विवेकपर निर्भर है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
	आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक़दमे की सुनवाई उचित अदालत के समक्ष हो रही है।
विवरण	
	आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद, न्यायाधीश (जो सम्भवतः एक मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप - संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है) मामले का संज्ञान लेगा और मामले को उचित कोर्ट के समक्ष प्रतिबद्ध किया जाएगा। अधिवक्ता यह सुनिश्चित करे कि मामले को सत्र अदालत के समक्ष दायर करने की प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही चलाई जा रही है। जिन अपराधों को शामिल होना चाहिए उनमे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के तहत अपराध, भारतीय दंड संहिता (विशेष रूप से धारा 370) और नाबलिकों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, (अगर बचाए गये पीड़ितों मे नाबालिग हों) सम्मिलित है। अगर आरोप पत्र में धारा 370 का उल्लेख किया है, तो न्यायाधीश मामले को सत्र अदालत के

	समक्ष प्रतिबद्ध करेगा.
विचारणीय बिंदु	

यदि आरोप पत्र में धारा 370 या कोई अन्य लागू अपराध दर्ज नहीं हैं: सी.आर.पी.सी. की धारा 216 न्यायाधीश आरोपों को जोड़ने का अधिकार देता है। आरोपों को सम्मिलित करने के लिए धारा 216 के तहत एक आवेदन अदालत में दिया जा सकता है। यदि धारा 370 और अन्य किसी भी लागू अपराधों के आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं: सी.आर.पी.सी. की धारा 216 न्यायाधीश आरोपों को जोड़ने की शक्ति देता है। धारा 216 के तहत किसी आवेदन में अदालत में लगाए गये आरोपों में वृद्धि की जा सकती है। सत्र अदालत के समक्ष मामले की प्रतिबद्धता: की धारा 209 के अनुसार सी.आर.पी.सी. का कोई मामला सत्र अदालत के लिए प्रतिबद्ध किया जा सकता है जब मामले में विशेष रूप से इसी द्वारा विचारण किया जाना हो जब आरोप पत्र में धारा 370 का उल्लेख किया गया हो तब मामला सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचरण किया जाना है।

और जानें और कार्रवाई करें
यौन व्यापार पर अपराधों के लिए क़ानून: यौन के अवैध व्यापार से संबंधित कानून और अपराधों के बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय 4 देखें। विशेष अपराधों के लिए उचित मंच: किस तरह के मामलों को किस अदालता ने विचरण करना हैं यह जानने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची (सी.आर.पी.सी.) को देखें।

चरण 2.11 यौन व्यापार के आरोपों का निर्धारण	
समयसीमा: आदर्श रूप में, आरोप पत्र दाखिल करने से तीन महीने के भीतर न्यायालय द्वारा आरोपों को तय किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता

गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की अदालत द्वारा अपराधियों पर आरोप तुरंत तय किए जाए।	अधिवक्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप समय पर तय हो और सभी लागू अपराध आरोपों में शामिल हों।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को आरोप तय करने की तारीख पर उपस्थित होना चाहिए और अधिवक्ता के साथ मिलकर अदालत की प्रक्रिया जितनी जल्दी संभव हो आगे बढ़ाना सुनिश्चित करना चाहिए।	अधिवक्ता को आरोप तय करने की तारीख पर अदालत में उपस्थित होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ज़रूरी आरोपों को सम्मिलित कर लिया गया है। अधिवक्ता को सत्कर्तापूर्वक सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि अदालत की प्रक्रिया बिना किसी देरी के आगे बढ़े।

विचारणीय बिंदु
अदालत से जल्दी तारीख़े लेना और अनुचित देरी को रोकना: सुनिश्चित करें कि कोर्ट मामले को स्थगित नहीं करती जा रही है, और अगर यह होता है तो जल्दी जल्दी तारीखों के लिए ज़ोर लगाया जाए जिससे की आरोप तैयार तय किए जा सके. धारा 309 (1) सी.आर.पी.सी. के तहत, "हर जांच या परीक्षण में ... कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी..." सी.आर.पी.सी. भी कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्थगन का माँग को प्रतिबंधित करती है[134]। दोषी की दलील: आरोप तय करने के बाद, सत्र अदालत को आरोपी से पूछना होगा कि क्या वह तय किए गये आरोप के लिए दोष स्वीकार करता है. यदि आरोपी ने दोष स्वीकार किया तो परीक्षण इस बिंदु पर खत्म हो जाएगा अन्यथा विचरण आगे चलेगा।

[134] **सीआरपीसी धारा** 309 (1) **और** 309 (2)

और जानें और कार्रवाई करें
यौन-व्यापार अपराधों के बारे में: यौन-व्यापार अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए अध्याय 4 और 5 को देखे। एक सत्र अदालत में ट्रायल में दोषी होने की दलील बनाने के बारे में पढ़ने के लिए, सी.आर.पी.सी. की धारा 229 का सन्दर्भ देखे।

चरण 2.12 यौन व्यापार मुक़दमे की सुनवाई में अभियोजन-पक्ष की सहायता करना	
समयसीमा: यह सहायता को मामले की पूरी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
एक बार ट्रायल शुरू होने पर, गैर सरकारी संगठन से एक प्रतिनिधि को सभी आवश्यक सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होना चाहिए।	अधिवक्ता को सुनवाई की हर तारीख पर अदालत में अभियोजन-पक्ष की सहायता के लिए उपस्थित होना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को ऐसे प्रतिनिधि जो की मामले के तथ्यों और ताजा अपडेट के बारे में जानकार हो, भेजना चाहिए। यह अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की अदालत द्वारा पूछे गये प्रश्नो विशेष रूप से मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों के साक्ष्य के संबंध में देने में मदद कर सकता है।	अधिवक्ता को परीक्षण के हर स्तर पर उपस्थित होना चाहिए और जितना संभव हो हर सुनवाई से पहले लोक अभियोजक से मुलाकात करनी चाहिए. धारा 301 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत एक अधिवक्ता को अभियोंजन की सहायता करने की अनुमति है.
चरण 2.13 यौन व्यापार मुकदमें में गवाहों को गवाही देने के लिए तैयार करना	
समयसीमा: यौन व्यापार के मुक्त किये गए पीड़ितों को तैयारी में 1 महीने का समय लग सकता है।	

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
परीक्षण शुरू होने पर गैर सरकारी संगठन को गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को मुख्य परीक्षा और क्रॉस परीक्षा के लिए गवाहों को सच्चाई, हिम्मत और स्पष्टता के साथ गवाही देने की तैयारी करने में अभियोजन-पक्ष की सहायता करनी चाहिए।
टिप्पणी	
एफ.आई.आर. दायर करने के समय साक्षय बनाए गये गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि को दर्ज ब्यान के अनुसार अदालत के समक्ष अवश्य गवाही देनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को अदालत में पीड़ितों के साथ रहेगा। प्रतिनिधि को बाहरी पीड़ितों को गवाह के रूप में गवाही देने के लिए अदालत में सुरक्षित रूप से लाया जाना सुनिश्चित करना होगा. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को गवाहों का आरोपियों द्वारा प्रभावित ना होने देना सुनिश्चित करना है। गैर-सरकारी संगठन के प्रशिक्षित और योग्य सलाहकारों द्वारा को मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को प्रमुख परीक्षण और जिरह के लिए तैयार करना चाहिए ताकि चल रही कार्यवाही के तनाव के बावजूद वे आघात सहने के बावजूद भी निर्भीकता और सटीकता से गवाही, विशेष रूप से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पूछे गये सवालो का जबाब दे सकें। एक बार जब गवाही हो जाने के बाद गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों को मुक्त किये गए पीड़ितों और उसके	अधिवक्ता को मुख्य परीक्षण और जिरह की प्रक्रिया के लिए मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ काम करना चाहिए। आदर्श रूप से यह तैयारी एक ऐसे जगह पर की जानी चाहिए जो मुक्त किये गए पीड़ितों के लिए सुविधाजनक हो। अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों गवाही को सबूत बनाने में के लिए उनके बयान के महत्व स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए और इस मामले के बारे में नवीनतम प्रगति से अवगत रखने चाहिए। अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाही की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। जहाँ भी लागू हो, अधिवक्ता को फास्ट ट्रैक अदालत में मामले का संचालन करने के लिए आवेदन दाखिल करना चाहिए। अगर पीड़ित अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित के सबूत

परिवार (यदि उपस्थित हो) को उस बारे में जानकारी देनी चाहिए।	रिकॉर्डिंग के अवसर तलाशने चाहिए । अधिवक्ता सबूत (क्रॉस और मुख्य परीक्षण) के संबंध में अदालत की सारी कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। एक ही अधिवक्ता जिसने पीड़ित को तैयार किया है को अदालत में उसके साथ करना चाहिए। यह निरंतरता को बनाए रखता है और बचाए गये पीड़ित का विश्वास बनाने में मदद करता है ।

विचारणीय बिंदु

अभ्यास परीक्षण और अदालत यात्रा: मुक्त किये गए पीड़ितों को सहज बनाने की दिशा में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठन और अधिवक्ता को मुक्त किये गए पीड़ितों को अदालत कक्ष में पहले ले जाना चाहिए जिससे जब उनको गवाही देने के लिए जाना है तो उनको यह महसूस नही हो कि वे पहली बार किसी अदालत कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं यह तनाव को कम करने में मदद करता है । दूसरे, किसी सुविधाजनक स्थान में एक रिहर्सल परीक्षण को आयोजित किया जाना चाहिए की मुक्त किये गए पीड़ित बेहतर ढंग से आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो सके।

जब मामला नाबलिकों से संबंधित हो तो संवेदनशील उपायों को अपनाया जाना चाहिए[135]:

a. पीड़ित नाबालिक/गवाहों अदालत की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में पूरी जानकारी रहे;
b. उनके विचारों को सुने जाने की अनुमति दी जाए और सम्मान दिया जाए
c. उन्हें असुविधा कम से कम है और उनकी निजता को सम्मान दिया जाता है;
d. कार्यवाही में देरी को कम किया जाए;
e. पीड़ित नाबालिक से आक्रामक पूछताछ या प्रति-परीक्षा जिरह को टाला जाए और यदि आवश्यक हो तो, न्यायाधीश के माध्यम से ही किया जाए

---

[135] इन उपायों को नाबलिकों के लिए कोर्ट के द्वारा प्रदान किए गया दिशा निर्देशों के आधार पर .गोवा नाबलिकों के अधिनियम, 2003 के तहत पालन करने के लिए बनाए गये हैं. ये मार्गदर्शक उपाए हैं की नाबलिकों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना

f. कैमरे में परीक्षण के लिए प्रावधान बने हुए हैं;

g. पीड़ित नाबालिक की पहचान सुरक्षित रहे;

h. पीड़ित नाबालिक को न्यायिक प्रक्रिया और कथित दुर्व्यवहारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार किया जाए और जल्दबाज़ी ना की जाए अगर एक नाबालिक अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है तो जल्दबाज़ी ना की जाए;

i. जाँचकर्ता पीड़ित नाबालिक की चिकित्सीय जांच की जरूरत को सुनिश्चित करता है और जब जांच हो जाती है तो यह सुनिश्चित करता है कि बारंबार परीक्षा देने से बचा जाए;

j. चिकित्सीय जाँच जहाँ तक संभव हो माता-पिता / अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति में आयोजित की जानी चाहिए;

k. अन्य गवाहों के साथ गाली-गालोज की घटना के बाद नाबालिक की गवाही एक सामाजिक कार्यकर्ता / परामर्शदाता की उपस्थिति के रूप में जितनी जल्दी संभव हो दर्ज की जानी चाहिए;

l. जहाँ जरूरत हो पर्याप्त अनुवाद / व्याख्याएं और अनुवादकों / दुभाषियों जो नाबलिकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो की व्यवस्था की जानी चाहिए;

m. एक मानसिक रूप से विकलांग नाबालिक के मामले में, सक्षम सेवा प्रदाता को नाबालिक की ओर से साक्ष्या करना चाहिए;

n. पीड़ित बच्चे/गवाहों की विशेष जरूरतों/गवाहों को पूरा किया जाना चाहिए।

इनमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए : -

i. नाबलिकों के अदालत परिवेश के साथ खुद को परिचित करने के लिए सहायात करें;

ii. नाबलिकों को अदालत में महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे की न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील और अभियोजक के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में सूचित करें;

iii. सामान्य रूप के नाबलिकों में और विशिष्ट मामलों में अलग-अलग नाबलिकों की विशेष जरूरतों की अदालत को सूचित करें;

iv. कार्यवाही के दोरान सहज होने के लिए नाबलिकों की मदद करें;

v. गवाह के रूप में नाबालिकभ्रमित ना हों इसके लिए उनसे छोटे-छोटे सवाल पूछने को बड़वा दिया जाए;

vi. आठ साल से कम उम्र के नाबलिकों को मुख्य सवालों का जवाब देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से जवाब देने की अनुमति दें;

मुख्य परीक्षण: मुख्य परीक्षण के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने के लिए, लिखित प्रश्न देकर, पी.पी. की सहायता कर सकते हैं।

प्रति- परीक्षण: प्रति- परीक्षण का उद्देश्य अभियोजन पक्ष की कहानी में खामियों निकालना है। अच्छा ये रहेगा कि एक रिहर्सल नकली जिरह का आयोजन किया जाए जिससे की गवाह असली प्रक्रिया से परेशान ना हो और और बचाव पक्ष के वकीलों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहे।

गवाह: गवाहों में छुड़ाए गये उत्तरजीवी, पंच गवाह, डेकॉय ग्राहक, जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य गवाह शामिल हैं।

और जानें और कार्रवाई करें

दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम vs. भारत संघ मामले में[136] माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

" पीड़ितों के वकील की भूमिका केवल उसे कार्यवाही के तौर तरीके के बारे में बताना, मामले के लिए तैयार करना, पुलिस थाने और अदालत में सहायता करना ही नही, अपितु उसका मार्गदर्शन करने हेतु है कि कैसे वह दूसरे संस्थानो से अलग तरह की सहायता उदाहरण के लिए दिमागी परामर्श या चिकित्सा सहायता कर सकती है, बताना भी है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मदद निरंतरता में हासिल की जाए जिससे कि वही व्यक्ति जिसने पुलिस थाने में शिकायतकर्ता के हित देखा था वह उसके मामले का अंत तक प्रतिनिधित्व करता रहे“।

मुख्य परीक्षण और गवाहों की जिरह के लिए विशिष्ट प्रावधानों के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारायें 137-146 (अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के साथ) को पढ़ने के लिए सुनिश्चित करें।

शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए गवाहों का रोजाना परीक्षण: सी.आर.पी.सी. की धारा 309 (1) के तहत, "एक बार गवाहों की परीक्षण शुरू हो जाने पर इसको रोजाना जारी रखना है जब तक की सभी उपस्थित गवाहों हैं की गवाही पूरी हो ना जाए", और कोई भी स्थगन बिना लिखित कारण के ना हो।

एक अधिवक्ता को सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत परीक्षण के विभिन्न चरणों से परिचित होना चाहिए।

---

[136] 1995 एससीसी (1) 14

किसी विचरण के दौरान यौन उत्पीड़न की व्यापार से संबंधित तमाम प्रश्नो को अभ्यास के तौर पे पूछने के लिए जे.वी.आइ. से संपर्क करें।

चरण 2.14 यौन व्यापार का अपराध साबित करने के लिए निर्णायक-बहस करना	
समयसीमा: अंतिम बहस का मसौदा तैयार करना वकील पर निर्भर हैं लेकिन उसे परीक्षण के समापन और अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को परीक्षण के अंत में निर्णायक बहस की तैयारी में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को लिखित/मौखिक निर्णायक बहस अभियोजन-पक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए (या सीधे अदालत में यदि अभियोजन-पक्ष सहयोग ना करे)। अधिवक्ता को अगर अदालत द्वारा अनुमति हो तो अंतिम मौखिक बहस भी करनी चाहिए।
टिप्पणी	
अधिवक्ता द्वारा लिखित बयान तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा जितना संभव हो जानकारी प्रदान करना चाहिए।	अधिवक्ता मसौदा तैयार कर और उचित प्रारूप में लिखित रूप में (चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम), न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होकर अंतिम मौखिक तर्क बनाने में पी.पी. की सहायता करनी चाहिए जिससे की पूरे अभियोजन पक्ष के मामले की सच्चाई पर कोर्ट को राज़ी किया जा सके।

विचारणीय बिंदु
क़ानूनी स्थिति और उचित निष्कर्षण के साथ अनुपूरक लिखित प्रस्तुतियाँ: अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए लिखित प्रस्तुतियों को पर्याप्त क़ानूनी

स्थिति और गवाह के सबूत के प्रासंगिक निष्कर्षों के साथ पूरक होना चाहिए।

सी.आर.पी.सी. की धारा 301 (2) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता के लिखित तर्क को साक्ष्य पूरे होने के बाद भी दर्ज किया जा सकता हैं (न्यायालय की अनुमति के साथ)

और जानें और कार्रवाई करें
लिखित बयान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के प्रारूप देखने के लिए परिशिष्ट 20 का संदर्भ लें।

चरण 2.15 यौन व्यापार मुकदमें में अदालती फैसले की प्राप्ति	
समयसीमा: फैसले के अधिकारिक प्रति प्राप्त करने में 15 दिन का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को अदालत से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां के लिए आवेदन पत्र बनाना चाहिए।
टिप्पणी	
फैसला सुनाए जाने के बाद गैर सरकारी संगठन को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना चाहिए।

अधिक जानने और कार्यवाही करें
अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र का कोर्ट की अपेक्षा के अनुसार अपील की स्वरूपों के बारे में पता होना चाहिए। यदि निर्णय दिए जाने के बाद और जानकारी की आवश्यकता हो तो जे.वी.आइ से

संपर्क करें।	
चरण 2.16 यौन व्यापार मुकदमें में अदालती फैसले के खिलाफ अपील आदि की फाइलिंग	
समय: निर्णय पारित होने के 60 दिन के अंदर अपील को दर्ज किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**
गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता को अपील की तैयारी करने में (यदि आवश्यक हो) सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रतिकूल निर्णय पर (यदि आवश्यक हो) अपील दायर करना चाहिए।
टिप्पणी	
यदि पीड़ितों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील दर्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिवक्ता से संपर्क करें.	अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर जल्द से जल्द निर्धारित प्रारूप में अपील या पुनर्विचार याचिका दायर कर देना चाहिए।

विचारणीय बिंदु

एक बार परीक्षण समाप्त हो गया तो, अधिवक्ता इस बारे में सुनिश्चित करने के लिए जागरूक रहे की आरोपी द्वारा दायर की गई अपील छूटने ना पाए और यदि बचाए गये लोगों की की ओर से कोई अपील दायर की जानी है तो उसे तय समय सीमा के भीतर दायर किया जाए[137].

यदि अपील आरोपी की ओर से दायर की जाती है तो, अधिवक्ता को अपील का विरोध करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि, अगर आरोपी को बरी कर दिया है तो अधिवक्ता बरी किए जाने के खिलाफ अपील या पुनरीक्षण **याचिका** उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है ।

[137] एक निचली अदालत के फैसले के बाद एक अपील दाखिल करने के लिए अनुमति के लिए दिया गया समय

और जानें और कार्रवाई करें

अधिवक्ता को अधिकार क्षेत्र की अपेक्षित कोर्ट के अनुसार अपील या **पुनर्विचार याचिका** के प्रारूप के बारे में पता होना चाहिए।

पुनर्विचार याचिका सी.आर.पी.सी. की धारा 397 से 401 में दिए गये आधारों के तहत दायर किया जा सकता है।

यदि आगे की जाने वाली कार्याही के लिए जैसे कि यदि एक अपील या संशोधन दायर करने करने के लिए या अपील/संशोधन प्रारूपों देखने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है तो जे वी आइ से संपर्क करें।

3. <u>यौन व्यापार से विमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रक्रियाएं:-</u>

यौन व्यापार से बचाए गए व्यक्तियों की पुनर्स्थापना हेतु 9 प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

चरण 3.1 चिकित्सा देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना
चरण 3.2 यौन व्यापार पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना
चरण 3.3 परामर्श सेवाओं सुविधा सुनिश्चित करना
चरण 3.4 घर सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति
चरण 3.5 यौन व्यापार पीड़ितों के लिए सभी मुआवजों को उपलब्ध करने में सहायता देना
चरण 3.6 यौन व्यापार पीड़ितों को वापिस उनके गृह-स्थान पहुचना अथवा पुनर्वास करना
चरण 3.7 यौन व्यापार पीड़ितों को बुनियादी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करना
चरण 3.8 निजी-क्षेत्र द्‌वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता
चरण 3.9 यौन व्यापार पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

चरण 3.1 चिकित्सा देखभाल की तत्काल पहुँच सुनिश्चित करना	
समयसीमा: बुनियादी चिकित्सा देखभाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ तक पहुँच हस्तक्षेप के 24 घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए, जबकि हड्डी का अस्थिकरण परीक्षण बचाव के 1 हफ्ते के भीतर किया जाना चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन व्यापार पीड़ितों को चिकित्सा-जाँच एवं आवश्यक चिकित्सा-देखभाल प्राप्त करवाई जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए की मुक्त यौन व्यापार पीड़ितों को चिकित्सा-देखभाल प्रदान किया जाए जो की तत्काल और गोपनीय हो और विमुक्त यौन व्यापार पीड़ितों के अधिकारों का पूरा सम्मान करते हुए दी जा रही हो।
विवरण	
गैर सरकारी संगठन को मजिस्ट्रेट को निम्न कार्य करने के लिए अनुरोध करना चाहिए: • उम्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा, एचआईवी परीक्षण और एसटीआई	अधिवक्ता को एक महिला पीड़ित के मामले में, चिकित्सा जांच, एक महिला चिकित्सक द्‌वारा और उसकी की देखरेख में आयोजित करवाना सुनिश्चित करना चाहिए जैसा की सी.आर.पी.सी. की धारा

परीक्षण (पूर्व परीक्षण और पोस्ट-टेस्ट परामर्श के साथ मुक्त किये गए पीड़ितों की सूचित सहमति के साथ) अस्पताल में किए जाने के आदेश, यौन शोषण परीक्षण करने के लिए प्रशासन को आदेश जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुरोध करें। • अनुरक्षण स्टाफ को मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों के चिकित्सा जांच में साथ रहने की अनुमति दें। • पुलिस की मदद से और गैर सरकारी संगठन के कर्मचारियों के साथ सभी बचाए गये लोगों की संपत्ति वापसी का आदेश करें। गैर-सरकारी संगठन को मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को जितना अच्छा अनुरक्षण गृह संभव हो उसमें स्थापित करने के लिए सुझाव देने चाहिए.	53 (2) के तहत प्रावधानित है अधिवक्ता को मजिस्ट्रेट से गैर सरकारी संगठन को बचाए जीवित लोगों के आश्रय की पूछताछ का संचालन करने के लिए एक आदेश पारित करने का अनुरोध करना चाहिए।

विचारणीय बिंदु
बचाव की प्रक्रिया और पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट से एक आदेश प्राप्ति के उपरांत चिकित्सीया परिक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। गैर सरकारी संगठन और अनुरक्षण कर्मचरीगण डब्ल्यू.सी.पी. के साथ चिकित्सा परीक्षणों के लिए पीड़ितों के साथ रहेंगे और उनको सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आश्रय घर ले जाने के लिए मार्गरक्षण करेंगे। चिकित्सा परीक्षा आयोजित करने से पहले पीड़ित की सूचित सहमति प्राप्त करनी चाहिए। एक महिला चिकित्सक के अभाव में क्या करें: एक महिला चिकित्सक के अभाव में, अधिवक्ता को किसी महिला पुलिस अधिकारी या गैर सरकारी संगठन के महिला प्रतिनिधि को चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के दौरान मौजूदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। अधिवक्ता यह सुनिश्चित करे कि बचाया गया व्यक्ति के साथ गरिमा के

साथ व्यवहार किया जाता है।

उम्र सत्यापन परीक्षण: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उम्र सत्यापन परीक्षण को उचित रूप से और वैज्ञानिक रूप से आयोजित कराया जा रहा है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 की धारा 15 (5 A) के तहत उम्र सत्यापन परीक्षण ये निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि क्या बचाया गया व्यक्ति एक बालिग, नाबालिग या एक नाबालिक है यदि मुक्त किये गए पीड़ितों की सत्यापित उम्र 17-18 या कम है, तो मजिस्ट्रेट / लोक अभियोजक को ये याद दिलाना है कि मजिस्ट्रेट का मुक्त किये गए पीड़ितों पर कोई अधिकार क्षेत्र नही है और मुक्त किये गए पीड़ितों को बाल कल्याण समिति को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जे.जे अधिनियनम की धारा 94 के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी अपने समक्ष प्रस्तुत कराए व्यक्ति के बाहयाकृति के आधार पर, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत (सबूत देने के उद्देश्य के लिए अन्य के अतिरिक्त) अगर महसूस करे कि यह व्यक्ति नाबालिक है तो सी.डब्ल्यू.सी इस अवलोकन को अंकित करेगी और नाबालिककी संभावित उम्र को इंगित करते हुए बिना आगे उम्र के पुष्टि का इंतजार किए बिना धारा 36 (देखभाल और संरक्षण की जरूरत में नाबालिकपर जांच) के तहत जांच के साथ आगे बढ़ा बढ़ सकते हैं सी.डब्ल्यू.सी को इसके समक्ष प्रस्तुत किए गये व्यक्ति की उम्र के बारे में यदि कोई संयौन है, तो वह व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करने के लिए निम्न में किसी साक्ष्य की मांग करेगा।

- किसी स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तिथि, या मेट्रिक्युलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड से समकक्ष प्रमाण, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में;
- किसी निगम या नगर निगम के प्राधिकारी या एक पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
- केवल (i) और (ii) के ना होने आयु का निर्धारण सी.डब्ल्यू.सी के आदेश पर आयोजित अस्थियन हड्डी परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा उम्र निर्धारण परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है बशर्ते कि यह इस तरह के एक आदेश पारित करने के 15 दिन के अंदर पूरा कर लिया गया हो।

जे.जे.ए. की धारा 94 में आगे कहा गया है कि सी.डब्ल्यू.सी द्वारा दर्ज की गई उम्र ही नाबालिककी असली उम्र होने के लिए समझा जाएगा। मजिस्ट्रेट से अनुरोध करें किस बाल कल्याण समिति को निर्दिष्ट करना है। अगर गैर-सरकारी संगठन पहले से जानता है कि मुक्त किये गए पीड़ितों एक नाबालिग है, तो अधिवक्ता को सूचित करें ताकि वे रिमांड सुनवाई में उपस्थित ह कर पक्ष प्रस्तुत कर सकें।

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 3.2 यौन व्यापार पीड़ितों को संरक्षण प्रदान करना</th></tr>
<tr><td colspan="2">समयसीमा: आदर्श रूप में, मुक्त किये गए पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के भीतर रखा जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><th>गैर सरकारी संगठन</th><th>अधिवक्ता</th></tr>
<tr><td>गैर-सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त किए गये यौन व्यापार पीड़ितों को सुरक्षित रूप से एक आश्रय घर में रखा गया है।</td><td>अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों से पहले, पीडितों और गैर सरकारी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह और सहायता देनी चाहिए कि मुक्त किए गये यौन व्यापार पीड़ित सुरक्षित रूप से एक आश्रय घर को सौंपें जा रहे हैं।</td></tr>
<tr><th colspan="2">परीक्षण</th></tr>
<tr><td>बचाए गये पीड़ित को या तो गैर सरकारी संगठन या सरकार द्वारा प्रबंधित नाबालिगों के लिए आश्रय घर को सौंप दिया जाना चाहिए। पीड़ित को हिफ़ाजती अभिरक्षा के दौरान उसके प्रवास के बारे में अनुरक्षण कर्मचारियों के द्वारा देखभाल कांरचारियों द्वारा सलाह मशवरा दिया जाए कि यहाँ उन्हे उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए एक अस्थायी आधार पर रखा गया है ।

अनुरक्षण कर्मचारियों को मुक्त किये गए पीड़ितों के मजिस्ट्रेट या सी.डब्ल्यू.सी से मुलाकात करने के लिए गृह से निकलते समय साथ साथ रहना होगा ।</td><td>अधिवक्ता को सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ितों को सुरक्षित रूप से एक आश्रय घर में रखा जाता है।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिकको सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पेश किया गया है । अगर पीड़िता की उम्र का पता लगाया जाना संभव नहीं है, तो अधिवक्ता को पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि निर्णय लेने के लिए क्या सी.डब्ल्यू.सी के समक्ष पीड़ित को पेश करें या नही. जब भी संयौन की स्थिति हो, पीड़ित के साथ एक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क पीड़ितों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है</td></tr>
</table>

विचारणीय बिंदु

जब ये अनिश्चित हो कि बचाया व्यक्ति एक नाबालिग है: जब भी संदेह हो, पीड़ित के साथ एक नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक चिकित्सा परीक्षा जिसे कि हड्डी अस्थियन परीक्षण के रूप में जाना जाता है के आधार पर पीड़ित के बारे चिकित्सक निर्धारित करेगा कि वह वयस्क है या अवयस्क। उम्र का निर्धारण करने के लिए नाबालिक को सी.डब्ल्यू.सी को सन्दर्भित करें। सी.डब्ल्यू.सी द्वारा आयु निर्धारण पर दिशा निर्देशों के लिए जेजेए 2015 के तहत धारा 94 का संदर्भ लें।

सामान्य दिशा - निर्देश:

- **मजिस्ट्रेट के साथ साथ पेशेवर संबंध बनाना मुक्त किये गए पीड़ितों के साथ तालमेल बनाने में और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष सच्चाई व्यक्त करने में सशक्त करने के लिए मदद करता है.**
- **अनुरक्षण कर्मचरीगण को भी सभी मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों के लिए ग्रह पूछताछ का संचालन करने की अनुमति के लिए अनुमति लेनी चाहिए।**
- **मुक्त किये गए पीड़ितों का सशक्तिकरण: मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया कोई भी फ़ैसला मुक्त किये गए पीड़ितों और उसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि मुक्त किये गए पीड़ितों मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी इच्छा को व्यक्त करता है यह अनुरक्षण स्टाफ की भूमिका है कि वह मुक्त किये गए पीड़ितों को रिमांड प्रक्रिया के बारे में अवगत करायें और उसे मनोसामाजिक परामर्श प्रदान कराए जिससे कि वह अपना एक सूचित मत बना सके और मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्त कर सके।**
- **समयसीमा को बनाए रखना: विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मजिस्ट्रेट मुक्त किये गए पीड़ितों को 3 सप्ताह से अधिक अधिक बंद नहीं रख सकते है, इसलिए, मजिस्ट्रेट को बचाव के 3 सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय ले लेना होता है[138]।**

---

[138] अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम , 1956 की धारा 17 (3)

<table>
<tr><th colspan="2">चरण 3.3 परामर्श सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करना</th></tr>
<tr><th colspan="2">समयसीमा - परामर्श सेवा 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए</th></tr>
<tr><th>गैर सरकारी संगठन</th><th>अधिवक्ता</th></tr>
<tr><td>गैर सरकारी संगठन को घाव भरने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य महिला सलाहकार यौन व्यापार के पीड़ितों को प्रदान करना चाहिए।</td><td>अधिवक्ता को परामर्श और अन्य उपलब्ध देख-रेख की सेवाओं के बारे में यौन व्यापार पीड़ितों और गैर सरकारी संगठन को सलाह देनी चाहिए।</td></tr>
<tr><th colspan="2">टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>एक बार मुक्त किये गए पीड़ितों को संरक्षण ग्रह में भर्ती कराया जाता है तो अनुरक्षण टीम को प्रवेश के वरीयतः 24-48 घंटे के भीतर पीड़ित से मुलाकात करनी चाहिए। सलाहकारों की अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने से पहले संरक्षण ग्रह से औपचारिक अनुमति होनी चाहिए। सलाहकारों को किसी भी आपात स्थिति की आवश्यकता का सामना होने पर तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। पुरुष सलाहकारों को सख्ती से परामर्श सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

सलाहकार द्वारा प्रत्येक मुक्त किये गए पीड़ितों के लिए वैयक्तिक परामर्श की योजना विकसित करनी होगा।

सलाहकार और सामाजिक कार्यकर्ता / मामले के प्रबंधकों को अनुरक्षण गृहों में नियमित रूप से मुक्त किये गए पीड़ितों को परामर्श और मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए जाना चाहिए।

मामले के प्रबंधकों को प्रत्येक मुक्त किये गए पीड़ितों के लिए उपचार और मुक्ति</td><td>अधिवक्ता को सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करना चाहिए पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय ग्रह में रखा गया है।

अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के प्रबंधकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक व्यक्ति मुक्त किये गए पीड़ितों के लिए इलाज की योजना विकसित करने के लिए निकट सहयोग में काम करना चाहिए। इस तरह की इलाज की योजनाओं को मजिस्ट्रेट के साथ साझा किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हे इसे अनुमोदित करने के आदेश जारी करने हेतु सहायता मिले।

गैर सरकारी संगठन को बचाए गये पीड़ित की प्रगति के बारे में अदालत को नियमित रूप से अवगत करने के लिए सूचना प्रदान करनी होगी।</td></tr>
</table>

समर्थन योजनाओं को विकसित कर उन्हें आश्रय घर के कर्मचारियों के साथ साझा करना है। मामले के प्रबंधकों को शिक्षा, व्यावसायिक और परामर्षी संगठनों के साथ उनके संबंधों का इस्तेमाल कर पीड़ित को इन सेवाओं का उपयोग करके उन्हे मुख्यधारा के साथ जोड़ने या उनके पैतृक राज्यों में वापसी के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए करना है। मामले के प्रबंधकों को मुक्त किये गए पीड़ितों के गृह राज्यों में गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना होगा ताकि वे भी अपने-अपने आश्रय घरों में उनका निरंतर अनुरक्षण करते रहे।	
चरण 3.4 घर सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति	
समयसीमा : गृह-सत्यापन रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को परिवार और यौन व्यापार के पीड़ितों की सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में विवरण की पुष्टि करने के बाद घर सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सीडब्ल्यूसी / मजिस्ट्रेट से घर सत्यापन रिपोर्ट के आदेश का अनुरोध करना चाहिए और सत्यापन रिपोर्ट की प्रस्तुति से पहले संरक्षण में रह रहे यौन व्यापर पीड़ितों को किसी भी व्यक्ति को सौपे जाने का विरोध करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को चाहिए, एक बचाए गये व्यक्ति के सुरक्षात्मक हिरासत में दाखिले के 48 घंटे के भीतर, एक टीम	अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से धारा 31 और जे.जे.एक्ट के 36 के तहत एक सामाजिक जांच आयोजित करने का

मुक्त किये गए पीड़ितों के साथ मिलने के लिए भेजे और तथ्यों की जानकारी ले जिससे कि उन्हे एक सामाजिक जांच रिपोर्ट को बनाने में मदद मिलेगी। गृह सत्यापन रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। i. पारिवारिक विवरण ii. कितने समय से पीड़ित लापता हुआ है iii. पीड़ित के साथ अंतिम संपर्क iv. यौन तस्कर का विवरण अगर परिवार को पता हो v. पीड़ित का पता लगाने के लिए परिवार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी / लापता व्यक्तियों की जानकारी के लिए स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट vi. अगर पीड़ित को परिवार को बहाल किया तो उसकी देखभाल और सुरक्षा के लिए परिवार उपयुक्त है/ अनुपयुक्त है के संबंध में की गयी संस्तुति vii. यह स्थापित करने के लिए कि जिस परिवार का पता लगाया गया है वो ही पीड़ित के जैविक माता पिता है संबंधी अभिलोकित साक्षय एकत्र करना होता है। घर सत्यापन बचाव के समय के 72 घंटे के भीतर शुरू किया जाना चाहिए और घर सत्यापन रिपोर्ट बचाव की तिथि से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को अवश्य	अनुरोध किया जाना चाहिए। अधिवक्ता होम सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले किसी को भी (माता-पिता और रिश्तेदारों सहित) बचाए गये व्यक्ति को रिहाई कर सौंपने का विरोध करना चाहिए ।

प्रस्तुत करनी है। **पीड़ित जिसे यौन-व्यापार से बचाया गया है, उससे जुड़े विवरण या तथ्यों के बारे में जानकारी परिवार को नहीं देनी जाहिए इससे जुड़े लांछन की वजह से।** **गैर सरकारी संगठन अनुरक्षण स्टाफ की भूमिका गृह जांच करना, सिफारिशों को लिखना और मजिस्ट्रेट और/या कार्यसमिति, जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट पेश करने के है। ऐसा करने के लिए, अनुरक्षण कर्मचारी को सभी संबंधित पक्षों के साथ काम करना जैसे की के उत्तरजीवी, मुक्त किये गए पीड़ितों के परिवार और परिवीक्षा अधिकारी। अनुरक्षण स्टाफ को घर सत्यापन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक साथी संगठन के साथ समन्वय भी स्थापित करना पड़ सकता है।**	

विचारणीय बिंदु
गैर सरकारी संगठन मजिस्ट्रेट से गृह अध्ययन के संचालन के लिए अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं: जब मजिस्ट्रेट एक गृह जाँच रिपोर्ट को पेश करने का आदेश करें, गैर सरकारी संगठन मजिस्ट्रेट से मुक्त किये गए पीड़ितों के गृह अध्ययन के संचालन के लिए अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन को मुक्त किये गए पीड़ितों के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि के विषय में विवरण की पुष्टि करने के बाद एक अच्छी तरह से अभिलेखित गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। **गृह सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा: गृह जांच रिपोर्ट बचाव आपरेशन के 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए[139]। जब तक मुक्त किये गए पीड़ितों वयसक नही है और मुक्ति सहायता के लिए आश्रयघर नही चुनता है, ऐसे**

[139] अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम , 1956 की धारा 17 (3)

मामलों में मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठन को ज़्यादा समय की अनुमति दे सकता है। यदि फिर भी, पीड़ित एक नाबालिग है, तो सामाजिक जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी ज़रूरी है, और सी.डब्ल्यू.सी में नाबालिक के पहली बार की प्रस्तुति के 4 महीने के भीतर अंतिम आदेश पारित करना अपेक्षित है। अधिक जानकारी के लिए जे.जे. अधिनियनम 2015 की धारा 36 का संदर्भ लें।

गृह सत्यापन रिपोर्ट / सामाजिक जांच रिपोर्ट का लक्ष्य: एक घर सत्यापन रिपोर्ट / सामाजिक जांच रिपोर्ट का लक्ष्य मुक्त किये गए पीड़ितों के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सिफारिशों लिखना है कि क्या वे अपनी बेटी या बेटे की देखभाल करने के लिए फिट हैं। रिपोर्ट परिवार की इच्छा और मुक्त किये गए पीड़ितों की इच्छा को प्रस्तुत करती है। इस के आधार पर, गैर सरकारी संगठन रिहाई या सुरक्षात्मक हिरासत के लिए संस्तुति मजिस्ट्रेट और / या सी.डब्ल्यू.सी को प्रस्तुत करता है।

रिपोर्ट में संस्तुति का आधार: यह सबसे अच्छा तरीका है की देखभाल की संस्तुति निम्न आधार पर की जाए: (1) मुक्त किये गए पीड़ितों की सूचित इच्छा (2) परिवार की इच्छा, (3) परिवार के यौन-व्यापार में शामिल होने और घर का माहौल के बारे में गैर सरकारी संगठन का पेशेवर आकलन, और (4) और परिवीक्षा अधिकारी का सुझाया गया सबसे अच्छा मुक्ति के विकल्प।

सामान्य सिफारिशें:

- अगर परिवार उनकी बेटी / पत्नी को स्वीकार करने को तैयार है और घर सत्यापन रिपोर्ट ने इस बारे में सिफारिश की है, तो हमें कुछ भी समय किसी अन्य अनुरक्षण घर में बिताने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए।
- सामान्यतया, अनुरक्षण को मजिस्ट्रेट/या सी.डब्ल्यू.सी को सलाह देनी चाहिए की वे उत्तरजीवी को अपने नाबलिकों के साथ पुनर्मिलन कराएँ, चाहे उन्हे मुक्त किया जाता है या सुरक्षात्मक हिरासत में भेजा जाता है।
- यह तथ्य कि मुक्त किये गए पीड़ितों को अपने परिवार की सहायता करने के लिए काम करना है, यह सुरक्षात्मक हिरासत के लिए सिफारिश करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।
- घर सत्यापन रिपोर्ट में परिवार की वित्तीय स्थिति, या परिवार में तनाव (अर्थात् मादक द्रव्यों के सेवन) के आधार पर सुरक्षात्मक हिरासत की सिफारिश नहीं करना चाहिए। अगर परिवार मुक्त किये गए पीड़ितों को स्वीकार करने को तैयार है और वह घर वापसी करना चाहती है तो मजिस्ट्रेट

का इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

रिहाई के लिए सिफारिशों का निम्न आधार होना चाहिए:

मुक्त किये गए पीड़ितों की अपने परिवार / पति के पास लौटने या अलग रहने के लिए खुद की स्वतंत्र मर्जी

परिवार उनकी बेटी / पत्नी को वापस घर स्वीकार करने को तैयार है ।

मुक्त किये गए पीड़ितों फिर अपने नाबलिकों के साथ रह सकती हैं।

परिवार / पति यौन अवैध व्यापार में शामिल नहीं हुआ है या वेश्यावृत्ति में मुक्त किये गए पीड़ितों की भागीदारी से उन्होने लाभ नही प्राप्त किया।

परिवार/पति द्वारा उनकी बेटी/पत्नी की रक्षा और देखभाल करने की क्षमता।

और जानें और कार्रवाई करें
कैसे एक गृह सत्यापन अध्ययन का संचालन और रिपोर्ट प्रस्तुत करें: गृह जांच रिपोर्ट के नमूने के लिए परिशिष्ट 29 का संदर्भ लें।

चरण 3.5 यौन व्यापार पीड़ितों के लिए सभी मुआवजों को उपलब्ध कराने में सहायता देना	
समयसीमा: मुक्त किये गए पीड़ितों को मुआवजा हासिल करने में 1 से 3 महीने के बीच का समय लग सकता है।	
गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संस्थानो को मुआवजा आवेदन पत्र दाखिल करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए और पीड़ितों के साथ हर उचित मंचों के समक्ष पेश होने के समय मौजूद रहना चाहिए।	अधिवक्ता को यौन व्यापर से मुक्त पीड़ितों की ओर से मुआवजे का आवेदन उचित मंच के सामने दायर करना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को	अधिवक्ता को राज्य और केंद्र सरकार

सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजा जितनी जल्दी हो प्रदान किया जाना चाहिए और किसी आवेदन को बनाने लिए सभी जानकारियाँ अधिवक्ता को उपलब्ध कराने चाहिए।	के स्तर पर पीड़ित मुआवजा कानूनों से परिचित होना चाहिए। अधिवक्ता को इस तरह के आवेदन पत्र तैयार करना और मुआवजे जितनी जल्दी संभव हो प्राप्त करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

अधिक जाने और कार्यवाही करें

मुक्त कराए पीड़ितों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानने के लिए अध्याय 6 का संदर्भ लें।

यौन -व्यापार के पीड़ित लोगों के मुआवजे के संबंध में महत्वपूर्ण कानून मामले: *बुधादेव कर्मस्कार Vs. पश्चिम बंगाल राज्य पुनर्वास*[140] के संबंध में मुक्त कराए यौनकर्मियों के मुआवजे के बारे में एतिहसिक फ़ैसले लिए गये हैं। फ़ैसले के विषय वस्तु को यहाँ पढ़ा जा सकता है।

पीड़ित मुआवजा योजना: कई ऐसी योजनायें हैं जिन के तहत यौन-व्यापार के पीड़ित लोग मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- उज्जवला: उज्जवला यौन-व्यापार रोकने के लिए और बचाव, पुनर्वास और व्यापारिक यौन शोषण की व्यापार के पीड़ित लोगों के पुन: एकीकरण करने के लिए बनाई गई एक व्यापक योजना है। यह 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया और कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित की गयी। प्रयास है कि "यह पीड़ितों के लिए दोनों तत्काल और लंबे समय तक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है जो कि आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, कानूनी सहायता और मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित चिकित्सा उपचार जैसे बुनियादी सुविधाएं/ज़रूरत को पूरा करने के माध्यम से दी जाती है" इस योजना में पीड़ितों को उनके परिवारों के साथ बहाल करने के दौरान, रास्ते में आने वाले यात्रा खर्च की लागत को पीड़ितों को दी जाती है साथ ही प्रत्येक पीड़ित को "सीड मनी" के रूप में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2013 में, उज्जवाला योजना के तहत 116 नई परियोजनाओं पर विचार किया गया और 63 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस अवधि के दौरान रुपए 14.97 करोड़ की राशि को जारी किया गया था। जिन राज्यों

[140] सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपील संख्या 2010 का 135 , [2011] 10 एससीआर 577

हेतु उज्जवाला योजना मंजूर की गई है उसके बारे में अधिक पता करने के लिए इस वेबसाइट देखें:
http://stophumantrafficking-mha.nic.in/writereaddata/Ujjawala-comp-details_31_3_14.pdf

- स्वाधार गृह: यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान महिला के एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू की गई। स्वाधार गृह योजना का तात्पर्य है "बेघर महिलाओं और लड़कियों जिन्हे परिवार में कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार या जिनको वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा है और जो नैतिक रूप से खतरे में हैं उनके लिए अस्थायी आवास, रखरखाव और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए है।" स्वाधार गृह योजना के लाभार्थियों में यौन-व्यापार में शामिल या वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भगाई महिलाओं/लड़कियाँ जहाँ वे शोषण और नुकसान का सामना करती हैं, शामिल हैं।

नालसा द्वारा व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए संचालित राष्ट्रीय मुआवजा योजना: इस योजना के बारे में जानकारी नालसा की अपनी वेबसाइट पर पाया जा सकता है: *http://nalsa.gov.in/Schemes/Scheme_in_English.pdf*.

बंधुआ मजदूरी पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना (CSS) 2016[141]: इस स्कीम के अनुच्छेद 5 (iv) के तहत इस योजना, में जहाँ सामाजिक रूप से वंचित और अभावों के कष्ट से जुड़े अत्यंत सोचनीय स्थिति वाले जबरिया मजदूरी मज़दूर हैं जैसे कि ट्रांस-जेंडर्स, या सीएसई, प्लेसमेंट एजेंसियों, व्यापार से बचाई गयी महिलाएँ या बच्चे, अलग तरह के विकलांग व्यक्तियों या ऐसी परिस्थितियों पर जहाँ भी जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, पुनर्वास सहायता 3 लाख, जिनमें से कम से कम 2 - 2 लाख प्रत्येक लाभार्थी के नाम पर एक वार्षिकी योजना में जमा किया जाएगा और 1 लाख ईसीएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

चरण 3.6 यौन व्यापार पीड़ितों को वापिस उनके गृह-स्थान पहुचना अथवा पुनर्वास करना

समयसीमा: यौन-व्यापार के मुक्त किये गए पीड़ितों को वापस भेजने या पुनर्वास की प्रक्रिया में 6 महीने से 1 साल के बीच का समय लग सकता है।

141 योजना यहाँ उपलब्ध: http://labour.gov.in/sites/default/files/OM_CSS_Rehab_BL_2016.pdf

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार पीड़ितों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार / पैतृक स्थान या वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर पहुचाने या फिर पुनर्वास में सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा पीड़ितों को सुरक्षित रूप से अपने परिवार / पैतृक स्थान या वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर पहुचाने या फिर पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु सलाह देनी चाहिए ।
विवरण	
यौन-व्यापार और आगे शोषण को रोकने के लिए, बिना सामाजिक स्वीकृति और परिवार का समर्थन सुनिश्चित किए बिना बचाए पीड़ित कोपरिवार को वापस नही भेजा जाना चाहिए। अगर परिवार पीड़ित को देखभाल और संरक्षण प्रदान करने के लिए असमर्थ है तो सी.डब्ल्यू.सी/न्यायिक मजिस्ट्रेट पीड़ित का पुनर्वास शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में आगे भी संरक्षण ग्रह में रहने का आदेश दे सकता है। गैर सरकारी संगठन अनुरक्षण घर को सभी आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करने और सरकार पर प्रक्रिया पर आगे की कार्यवाहीकरने के दबाव बना कर प्रशासनिक प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।	अधिवक्ता को धारा 31 और 38, जे जे एक्ट के तहत, पूर्ण गृह वापसी और पीड़ित के एकीकरण के लिए सभी आवश्यक आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए।
विचारणीय बिंदु	
सीमा पार/अंतर-राज्यीय यौन की व्यापार: सीमा-पार या अंतर-राज्यीय यौन-व्यापार के मामलों में दोनों देशों के हितधारकों और गैर सरकारी संगठनों को ऐसे प्रभावी उपाय करने चाहिए जिससे कि मुक्त कराई गयीं महिलाओं, नाबलिकों या पुरुषों की उनके मूल स्थान पर जल्दी स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो सके।	

नेपाल या बांग्लादेश के लिए प्रत्यावर्तन: नेपाल और बांग्लादेश सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम निम्न चरणों में किए जाते हैं:

1. पहला कदम नेपाल और बांग्लादेश के महावाणिज्य दूत के पास जाकर मिलना है। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को खुद पेश होकर मामले के बारे वाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधियों को सूचित करना चाहिए। वाणिज्य दूतावास के साथ अच्छे संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वाणिज्य दूतावास के कुछ नियम और क़ानून है जिसके द्वारा स्वदेश वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रक्रिया और दस्तावेजों जिनके द्वारा प्रत्यावरण होना है उससे गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को परिचित होने की जरूरत है प्रत्यावरण कीप्रक्रिया पूरी करने में शुरूआत से अंत तक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को उपयुक्त भारतीय सरकारी एजेंसी और वाणिज्यक दूतावास के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

2. **गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को गृह अध्ययन के लिए आदेश करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी से अनुरोध करना चाहिए और गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने के बाद, के मामले में, गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर** प्रत्यावर्तन **के लिए आदेश पारित करना चाहिए।**

3. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों को **गृह** अध्ययन के संचालन करने वाले गैर सरकारी संगठन के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को विश्वसनीय संगठनो का एक डेटा बेस बनाए रखना चाहिए और सी.डब्ल्यू.सी को सिफारिश करनी चाहिए की यह **गृह** अध्ययन का संचालन करने और स्वदेश वापसी में सहायता करने के लिए इन संगठनों से संपर्क करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय स्वदेश वापसी के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:

निम्नलिखित एजेंसियों से निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है:

• राष्ट्रीयता सत्यापन - देश जहाँ मूल स्थान है

• प्रत्यावर्तन आदेश और गृह मंत्रालय की सहमति पत्र - गृह मंत्रालय, भारत सरकार

• अनापत्ति प्रमाण पत्र - महिला एवं बाल विकास विभाग (डी डब्ल्यू सी डी) के जिला

कार्यालय और राज्य कार्यालय।

• यात्रा दस्तावेज - देश जहाँ मूल स्थान है

• रिहाई के आदेश - सरंक्षण गृह

• यात्रा के लिए मंजूरी के बारे में अधिसूचना - विदेश रजिस्ट्री कार्यालय, राज्य सरकार

भारत छोड़ने के लिए अनुमति - भारत सरकार

जैसी भी स्थिति हो उसके अनुसार मूल स्थान वाले देश में पुनःप्रवेश की अनुमति की आवश्यकता भी मूल स्थान वाले देश से अपेक्षित हो। यदि मुक्त किये गए पीड़ितों जिस देश के अंतर्गत आता है और वह मुक्त किये गए पीड़ितों को अपने देश का नागरिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरह के मामले में भारत सरकार मुक्त किये गए पीड़ितों को प्रत्यावर्तित करने के लिए ज़्यादा कुछ नही कर सकती है गैर सरकारी संगठन को ये सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि मुक्त किये गए पीड़ितों की उत्पत्ति वाला देश उसकी राष्ट्रीयता को पहचान कर मुक्त किये गए पीड़ितों की स्वदेश वापसी की अनुमति देने के लिए सहमत हो जाए।

गैर सरकारी संगठन द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के लिए पूछना चाहिए। गैर सरकारी संगठन को मुक्त किये गए पीड़ितों के बारे में आवश्यक जानकारी सभी संबंधित पक्षों को दी जानी चाहिए।

चरण 3.7 यौन व्यापार पीड़ितों को बुनियादी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करना

समय: सरकार हकों को उपभोग की सुविधा हासिल करने की प्रक्रिया में 12 महीने का समय लग सकता है

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर-सरकारी संगठन को सरकारी सुविधाएं जिसमे CSS योजना 2016 के अंतर्गत वैश्यालय से छुड़ाई गयी महिलाओं को Rs. 3,00,000/- की धनराशी के अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श, और अन्य संबंधित	अधिवक्ता को गैर-सरकारी संस्थानो और पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए की यदि बुनियादी सरकारी सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हैं तो उपयुक्त सरकारी

पुनर्वास योजनाओं को यौन व्यापार के पीड़ितों तक पहुचाने में सहायता करनी चाहिए।	मंच पर इसकी शिकायत दर्ज की जाये।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन मुक्त किये गए पीड़ितों को सरकार हकों को दिलाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गैर सरकारी संगठन को अधिवक्ता से अनुरोध करना चाहिए की पीड़ितों को सरकारी हकों को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें।	अधिवक्ता को मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जिससे की उन्हें उनके अधिकारों और उन तक पहुँचने के तरीके के बारे में जानकारी बनाया जा सके।

अधिक सीखें और कार्यवाही करें

सरकार पात्रता नियमावली: बिहार और उत्तर प्रदेश द्वारा सरकारी हकों तक पहुँचने के लिए एक विस्तृत चरण-दर-चरण गाइड के लिए - देखें 'गरीबों की हिमायत - बिहार के लिए एक नियमावली, 'और गरीबों की हिमायत - उत्तर प्रदेश के लिए नियमावली' एम्मॅन्यूयल हॉस्पिटल असोसियेशन की वेबसाइट: *https://www.eha-health.org/downloads/category/9-advocacy-manuals*[142] पर देखें

विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए): यदि गैर सरकारी संगठन सरकारी हकों को हासिल करने के साथ मुक्त किये गए पीड़ितों की सहायता करने में असफल रहती है, तो गैर सरकारी संगठन और स्थानीय मुक्त किये गए पीड़ितों विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए यहां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 देखें: http://nalsa.gov.in/actrules.html.

चरण 3.8 निजी-क्षेत्र द्वारा उपलब्ध सुविधायों की प्राप्ति हेतु सहायता

समयसीमा: निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया प्रदत्त करने में 3 महीने से 12 महीनों के लिए का समय लग सकता है

[142] इम्मानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा विकसित और हाल ही में जेवीआइ द्वारा अद्यतन

गैर सरकारी संगठन	अधिवक्ता
गैर सरकारी संगठन को यौन व्यापार से मुक्त पीड़ितों की सहायता उनको निजी क्षेत्र (एनजीओ और व्यापर-क्षेत्र) के साधन और अन्य सुविधायों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, भूमि-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य-देखभाल, परामर्श आदि उपलब्ध कराकर करनी चाहिए।	
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि **यौन-व्यापार के मुक्त किये गए पीड़ितों की** पहुँच निजी सुविधाओं तक पहुँचाने के लिए अपनी नेटवर्किंग के द्वाराविशेष देखभाल प्रदान कर सकने वाले साथी संगठनों और प्रासंगिक हितधारकों से वैकल्पिक आजीविका के रूप में और अंतरिम आश्रय के रूप में, प्रलेखन प्राप्त करने मेंसहायता करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने में, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मुक्त कराए व्यकित को परामर्श देने में और उनके अधिकार दिलाने में मदद कर सके हैं।	
चरण 3.9 यौन व्यापार पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना	
समयसीमा: इस बात सुनिश्चित करने के लिए 2 साल तक का समय लग सकता है मुक्त कराए लोग स्थायी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं.	
गैर सरकारी संगठन	**अधिवक्ता**

गैर सरकारी संगठन को मुक्त किए गये यौन व्यापार के पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता और निरंतर पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए बचाव से कम से कम 24 महीने तक मुक्त बंधुआ मजदूर के साथ एक रिश्ता बनाए रखना चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों को समुदाय में रहने के अधिकारों के बारे में सलाह प्रदान करने के लिए सुलभ रहना चाहिए।
टिप्पणी	
गैर सरकारी संगठन को प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने में सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जिससे उन्हें फिर से यौन -व्यापार में फँसने से रोका जा सके और जीवित बचे लोगों को पुन: एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके। गैर सरकारी संगठन को समय -समय पर जो भी आवश्यक हो अवगत करते रहना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन परिवार का आकलन करे, व्यक्तिगत उपचार योजना का संचालन का मसौदा तैयार करने, और जिला प्रशासन के साथ नज़दीकी रूप से मिलकर काम करके ये सुनिश्चित करें कि बचाए गये लोगों तक उनके कल्याण के लाभ और मुआवजा की पहुँच हो गई है। बचाए गये लोगों को उनके व्यक्तिगत बैंक खाते खोलने में भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि मुआवजे के चेक सरकार द्वारा इन्ही खातों में जमा कराए जाएँगे।	मुक्त किये गए पीड़ितों लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में और ये में सुनिश्चित करने के लिए वे फिर से व्यापार नहीं के चंगुल में ना फँसे, अधिवक्ता को ऐसी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए सहायता करनी चाहिए।

IV

कानूनी संरचना

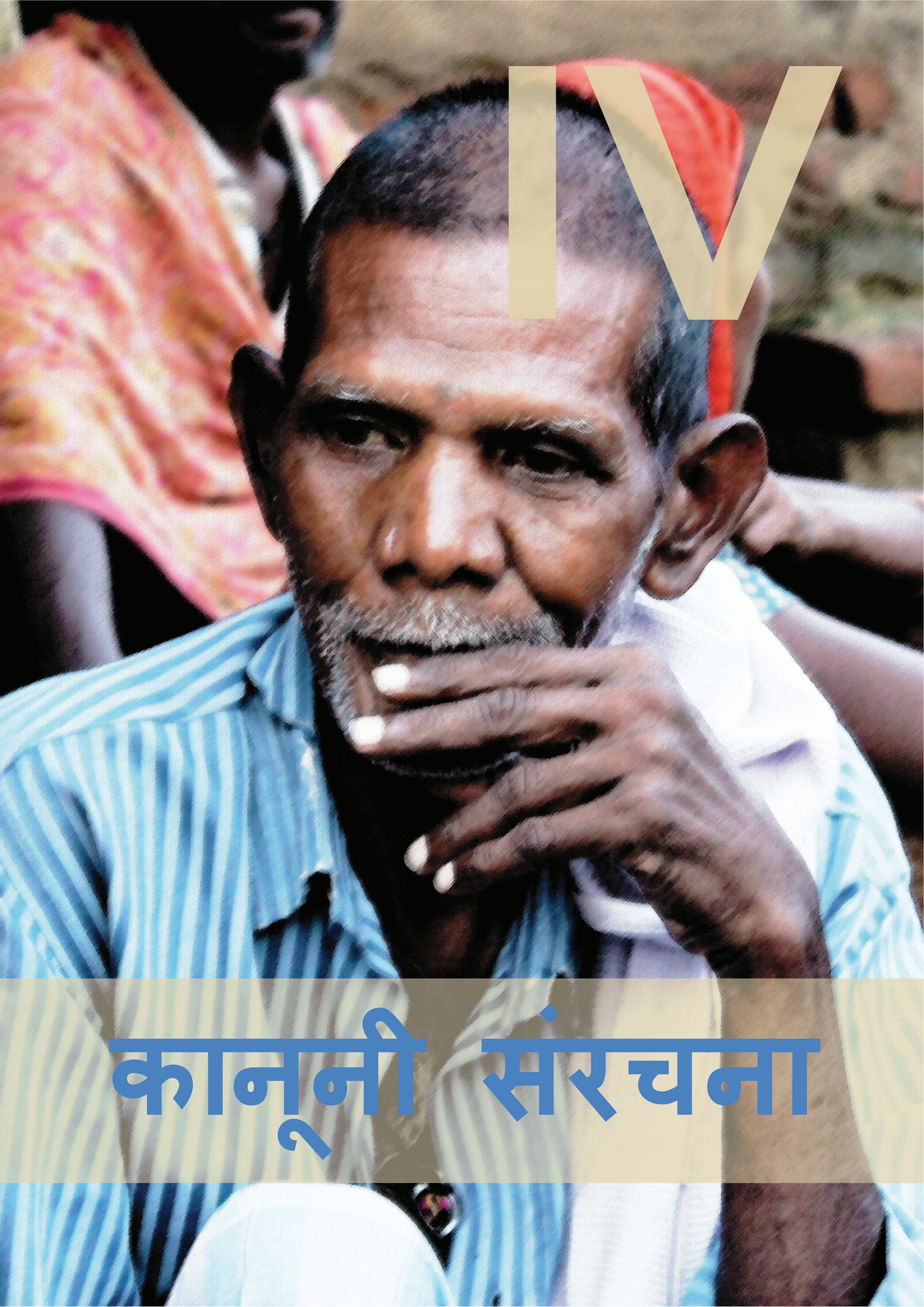

मानव व्यापार में जायज एवं नाजायज के निर्धारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून मौजूद है। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं नियम तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक कि संधि एवं समझौंता को अंगीकार न किया गया हो तथापि राष्ट्रीय नीति एवं विधान बनाने में इनकी प्रभावी भूमिका होती है। मानव व्यापार को प्रभावित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नियम एवं करार तथा राष्ट्रीय कानून नीचे दिये गये है।

A. मानव व्यापार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नियम एवं मान्यताएं

संयुक्त राष्ट्र "U.N." भारत सहित 193 देशों का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं नियमों का मुख्य स्रोत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अपनाई गयी लेख-पत्र एवं अन्य उपाय है।

आधुनिक गुलामी की रोकथाम के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक सशक्त माध्यम है जो समस्या के प्रभावी समाधान हेतु कानून बनाने के लिए सरकारों को एक प्रारूप उपलब्ध कराता है। तथापि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल कानून अपनाना संबंधित देश ("राज्य पक्ष") द्वारा इसे हस्ताक्षरित तथा अंगीकार करने पर निर्भर करता है। आधुनिक दासता के विरूद्ध संघर्ष हेतु कानूनी संरचनाओं के अंग के रूप में कई प्रासंगिक करार एवं उपाय मौजूद है।

इन उपायों में सबसे सुसंगत उपाय प्रकोष्ठ-1 में दर्शाये गये है। (इन उपायों की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया परिशिष्ट-34 देखें)।

प्रकोष्ठ-1: आधुनिक दासता के निवारण हेतु आधारिक अन्तर्राष्ट्रीय करार एवं अन्य संसाधन

- मानव अधिकारों हेतु सार्वभौमिक घोषणा पत्र, अनुच्छेद-4,
- नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंध, अनुच्छेद-6
- व्यापारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधए अनुच्छेद. 6ए 7 और 12
- मानव व्यापार, विशेषकर महिलाओं एवं नाबलिकों में, को रोकने, कुचलने एवं दण्डित करने विषयक संयुक्त राष्ट्र की आचार संहिता,
- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति विषयक संधि,
- मानव व्यापार एवं वेश्यावृत्ति हेतु अन्य का शोषण रोकने विषयक संधि,

- नाबलिकों के अधिकार विषयक संधि,
- बाल मजदूरी के निकृष्टतम रूप विषयक संधि, जबरन मजदूरी उन्मूलन विषयक संधि।

सुसंगत स्रोतों (अतिरिक्त स्रोत परिशिष्ट-34 में देखे जा सकते है) को नीचे प्रकोष्ठ-2 में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रकोष्ठ-2: आधुनिक दासता के निवारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना के अन्य स्रोत

- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन का रोजगार हेतु न्यूनतम आयु संबंधित करार (संधि संख्या-138)
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन का रोजगार हेतु पलायन विषयक संधि-पत्र (संधि संख्या-97)
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन का अपमानजनक परिस्थितियों में पलायन एवं प्रवासी श्रमिकों को अवसरों एवं व्यवहार को बढावा देने विषयक संधि पत्र (संधि संख्या-143)
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन का निजी रोजगार ऐजन्सियों विषयक करार (संधि संख्या-181)
- अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरी संगठन का उद्योग एवं वाणिज्य में श्रमिक निरीक्षण संबधी (संधि संख्या-81)
- वर्ष 1926 का दासत्व संबंधी संधिपत्र एवं उसमें सुधार विषयक प्रोटोकाल
- दासत्व उन्मूलन, दास व्यापार एवं दासत्व की भांति के कार्य के उन्मूलन हेतु करार
- प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करार (अनुच्छेद-8, 11, 16, 17 तथा 39)
- शरणार्थियों की दशा एवं शरणार्थियों की स्थिति संबंधी प्रोटोकाल विषयक करार
- यातना एवं अन्य नृशंस, अमानवीय अथवा अपमान-जनक व्यवहार अथवा दण्ड के खिलाफ विषयक करार
- घरेलू कामगारों हेतु सम्मानजनक कार्य विषयक करार

B. क्षेत्रीय नियम एवं करार

भारत क्षेत्रीय संगठनों में भी साझीदार है। क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संगठन (सार्क) इनमें एक है। सार्क के सदस्य देश-अफगनिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव,नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका

मानव व्यापार के सन्दर्भ में 'सार्क' देशों के मध्य करार निम्न प्रकोष्ठ में दिये गये हैः-

क्षेत्रीय करार	
वेश्यावृत्ति हेतु महिलाओं एवं नाबलिकों की व्यापार के विरूद्ध संघर्ष एवं रोकथाम हेतु 'सार्क' अनुबंध है।	अनुच्छेद-3 इस करार से संबंधित साझीदार सरकारें मानव व्यापार की गम्भीरता का संज्ञान लेते हुए ऐसे प्रभावी उपाय सुनिश्चित करेंगी जिसमें किसी भी तरह की मानव व्यापार को अपने दंड संहिता के अंतर्गत सुसंगत सजा के साथ के दण्डनीय अपराध बनायेंगें।

C. राष्ट्रीय कानून

भारतीय संविधान मानव व्यापार की इजाजत नहीं देता है। इसके साथ ही दासत्व के आधुनिक स्वरूप के विभिन्न पहलुओं यथा-बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, किशोर न्याय एवं संरक्षण, बाल-विवाह, यौन व्यापार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसे अधिकार विहीन समूहों से संबंधित अनेकों कानून मौजूद है।

भारत का संविधान, 1950

भारतीय संविधान सरकार, न्यायालयों एवं देश के कानून के क्रियान्वयन हेतु आधारभूत न्यायिक संरचना प्रदान करता है। संविधान में निहित अधिकार मूलभूत एवं देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। संविधान के भाग-III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं भाग-IV में उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तों में मानव व्यापार से संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया गया है।

भारतीय संविधान में मानव व्यापार से संबंधित प्राविधान नीचे दिये गये है :-

धारा	प्रावधान
अनुच्छेद 23(E)	मानव यौन व्यापार एवं जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करते हुए व्यवस्थाएं की गई है। यह कानून के अनुसार दण्डनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 24	14 साल से कम उम्र के नाबलिकों को कारखानों, खनन एवं अन्य जोखिम भरे कार्यो में लगाना प्रतिबंधित किया गया है।
अनुच्छेद 39 (E)	यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरूपयोग न हो और न किसी को उसकी उम्र अथवा आर्थिक मजबूरी से प्रतिकूल कार्य हेतु बाध्य किया जाय।
अनुच्छेद 39 (F)	बचपन एवं युवावस्था को शोषण से बचाया जाय।
अनुच्छेद 42	सरकार कार्य हेतु उपयुक्त एवं मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध करायें।
अनुच्छेद 51 (C)	अन्तर्राष्ट्रीय कानून में दिये गये दायित्वों को वैधानिक अनिवार्यता देती है। यह विशेषकर तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिये न्यायालय में आता है।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 ("आईपीसी")

भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय दण्ड विधान का एक हिस्सा है। भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों का उपयोग यौन तस्करां एवं शोषणकर्ताओं के अभियोजन हेतु किया जायेगा। भारतीय दण्ड संहिता की संगत धाराओं की जानकारी होना महत्वपूर्ण है ताकि आप पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना दर्ज होने के प्रारम्भिक स्तर पर ही सही धाराओं का उपयोग कर सकें।

अपराध कानून संशोधन अधिनियम, 2013 में महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के सम्बन्ध में कई नये अपराध शामिल किये गये है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-370 के बदले धारा-370 तथा 370 ए जोडी गई है जो शोषण के लिए मानव व्यापार से संबंध रखती है। मानव व्यापार की परिभाषा मोटे तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रोटोकाल का प्रतिदर्श है सिवाय इसके कि इसमें जबरन मजदूरी एवं सेवाओं को नहीं रखा गया है।

प्रकोष्ठ-2 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 के अनुसार मानव व्यापार की परिभाषा

(1) जो कोई भी शोषण के प्रयोजन से किसी व्यक्ति को धमकाकर, बल प्रयोग अथवा अन्य तरीको से यातना के द्वारा अपहरण, धोखधडी, अधिकारों का दुरूप्रयोग कर अथवा किसी की लाचारी की स्थिति का लाभ उठाकर उस व्यक्ति की भर्ती, निर्वासन, हस्तान्तरण अथवा किसी व्यक्ति को प्राप्त कर उसके एवज में भुगतान अथवा अन्य लाभ ले देकर शोषण हेतु किसी अन्य के नियन्त्रण में सौंपा गया हो, वह मानव व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण-1 :- "शोषण" की अभिव्यक्ति में शारीरिक शोषण, अथवा किसी भी प्रकार का यौन शोषण, गुलामी अथवा गुलामी के समान आचरण, ताबेदारी अथवा जबरदस्ती अंग निकालना शामिल होगा।

स्पष्टीकरण-2 :- अवैध व्यापार अपराध के निर्धारण में पीडित की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है।

मानव व्यापार की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर धारा 370 का प्रयोग किया जा सकता है। 'शोषण' का तात्पर्य काफी विस्तृत है और इसे कई मामलों में लागू किया जा सकता है। स्पष्टीकरण-2 के अनुसार आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें पीडित की सहमति थी अथवा नहीं थी। धारा 370 के अन्तर्गत निर्धारित दण्ड अपराध की प्रकृति तथा पीडित के आयु के अनुसार भिन्न हो सकती है। इन मामलों में अधिक दण्ड का प्रावधान है : (1) नाबलिकों की व्यापार (18 वर्ष से कम आयु के), (2) बार-बार अपराध

करने वाले अथवा एक ही समय पर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ अपराध करने वाले, तथा (3) ऐसे लोक सेवक-पुलिस कर्मियों सहित, जो यौन व्यापार में शामिल हो। तथापि यह ध्यान रखें कि धारा 370 A केवल उन व्यापार पीडितों पर लागू होती है जिनका यौन शोषण किया गया हो।

धारा	प्रावधान
336 A	अवयस्क लडकियों को हासिल करना
336 B	21 वर्ष से कम आयु की लडकियों को यौन शोषण हेतु आयातित करना
367	अपहरण करना/भगाना
371	गुलामी धन्धे में अभ्यस्त
372	वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु नाबलिकों की बिक्री
373	वेश्यावृत्ति हेतु नाबलिकों की खरीद
374	किसी व्यक्ति को मजदूरी हेतु बाध्य करना
339 & 341	अनधिकृत रूप से रोकना/एकान्त में रखना
376	यौन संबंधी हमला
319 & 338	आहत करना
349 & 356	आपराधिक जबरदस्ती/हमला
415 & 218	धोखाधडी

अनैतिक यौन व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956

अनैतिक यौन व्यापार (निरोधक) अधिनियम विशेषकर यौन प्रयोजन हेतु यौन -व्यापार, को आपराधिक तौर पर लेता है। यह केवल यौन शोषण के प्रयोजन से की जा रही व्यापार से संबंध रखता है न कि घरेलू कार्य, बंधुआ मजदूरी, बाल-मजदूरी , अंग निकालने आदि के प्रयोजन से संबधित यौन -व्यापार से । यह अधिनियम पैसे के लिए सेक्स के लेन-देन को आपराधिक नहीं बनाता है। तथापि किसी अधिसूचित क्षेत्र और अधिनियम में उल्लेखित सार्वजनिक स्थलों में 200 मीटर के अन्दर वेश्यावृत्ति वर्जित है तथा इस प्रकार की सेवा देने

अथवा लेने वाले, दोनो के लिये दण्डनीय है। अधिनियम के अनुसार वैश्यालय चलाना, दलाली करना, वेश्यावृत्ति की आय से गुजारा करना आदि आपराधिक कार्य है।

प्रकोष्ठ-3 :- अनैतिक यौन व्यापार (निरोधक) अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषा

"वेश्यावृत्ति" का तात्पर्य व्यावसायिक प्रयोजन या धन या किसी अन्य उद्देश्य से यौन शोषण अथवा किसी व्यक्ति का दुरूपयोग करने से है। "वैश्यालय" में भवन, कक्ष, वाहन, स्थान या इनका कोई भाग जिसका उपयोग दूसरे व्यक्ति को सुविधा देने हेतु यौन शोषण या दुराचार के लिये किया जाय, सम्मिलित है।

उक्त अधिनियम का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

धारा	प्राविधान
धारा 3	वैश्यालय का प्रबधन या रख-रखाव या उसमें सहायता करना
धारा 3 (2)	जानबूझकर अपने परिसर में वैश्यालय के रूप में प्रयोग की अनुमति देना
धारा 4(1)	वेश्यावृत्ति की आय से जीविका चलाना
धारा 5	किसी व्यक्ति को उसकी सहमति अथवा सहमति के बगैर वेश्यावृत्ति में लगाना या इसके लिए उकसाना
धारा 6(i)	किसी को जबरदस्ती वैश्यालय में रखना
धारा (7) (1) and 7(1-A)	सार्वजनिक स्थलों पर वेश्यावृत्ति चलाना
धारा 8	फुसलाना या आमंत्रित करना
धारा 9	गिरफ्त में आये व्यक्ति को फुसलाना
धारा 15	विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना वारण्ट के जांच कार्य

धारा 16	मजिस्ट्रेट के निर्देश पर बचाव कार्य
धारा 17	छुडाये गये पीडित के संबंध में मजिस्ट्रेटी जांच के दौरान अंतरिम संरक्षण विषयक नियम
धारा 18(1)	वैश्यालय बंद करना और इसके संचालकों को बेदखल करना
धारा 19	न्यायालय द्वारा देखभाल एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान

यौन अपराधों से नाबलिकों की सुरक्षा ("पोक्सो") अधिनियम, 2012

इस अधिनियम के अन्तर्गत नाबलिकों के विरूद्ध यौन अतिक्रमणों को अपराध माना गया है और इस प्रकार के अतिक्रमणों की जांच और अभियोजन की विशेष प्रक्रिया बनाई गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जिसमें लडके शामिल है को नाबालिक माना गया है। यह अधिनियम विशेष अदालतों के गठन की संस्तुति भी करता है।

पोक्सो अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत जुर्म • यौन हमला बिना किसी भेदन के बच्चां का यौन उत्पीडन • उत्तेजनात्मक यौन हमला किसी ऐसे व्यक्ति, जो जिम्मेदार पद पर हो अथवा विश्वास योग्य पद पर हो, द्वारा नाबलिकों का यौन उत्पीडन, अपराध की पुनरावृत्ति, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हथियारों का प्रयोग कर अथवा शारीरिक रूप से नाबलिकों को आघात देना। • भेदन युक्त यौन हमला नाबलिकों का यौन भेदन। • उन्माद में भेदन युक्त यौन हमला किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जिम्मेदार पद पर हो अथवा विश्वास करने योग्य पद पर हो, द्वारा नाबलिकों का भेदनयुक्त यौन उत्पीडन, अपराध की पुनरावृत्ति, एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हथियारों के बल पर अथवा नाबलिकों को शारीरिक रूप से आघात देना। • यौन उत्पीडन नाबलिकों का जुबानी यौन उत्पीडन, नाबलिकों को अश्लील कामुक तस्वीरें अथवा कामुकता भडकाने के उद्देश्य से शरीर का भाग दिखाना, अथवा बच्चो का पीछा करना,

- किसी भी प्रकार के मीडिया में अपने अश्लीलता के आनन्द के लिए नाबलिकों के अश्लील दृश्य उपयोग में लाना
- बाल अश्लील का संग्रहण करना
- उपरोक्त किसी भी प्रकार के दुष्कर्म हेतु बहकाना/प्रयास करना।

धारा 19 के अन्तर्गत एक्ट में वर्णित अपराध की सूचना किसी भी पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर पुलिस इकाई में दर्ज कराई जा सकती है। और उन्हे रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे की भीतर इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को देनी चाहिए। धारा 20 में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि नाबलिकों के साथ दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर मीडिया कर्मी, होटल, लॉज, फोटो स्टूडियों, अस्पताल अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करेंगें।

ऐसा न करना दण्डनीय होगा। एक्ट में नाबलिकों को स्वयं का कानूनी परामर्शदाता चुनने का विकल्प भी दिया गया है।

उपरिलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कुछ संगत प्रावधान निम्न तालिका में दिये गये हैः-

- जब तक विशेष न्यायालय से अनुमति न मिली होए मीडिया संबंधित पीडित बच्चो की निजता एवं पहचान के विवरण को सुरक्षित रखेगा।
- नाबालिकका बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं रहेगा तथा बयान नाबालिकके घर पर अथवा ऐसे स्थान पर लिया जायेगा जहां नाबालिक सहज महसूस करे। नाबालिकको रात्रि के समय पुलिस स्टेशन में नही रोका जा सकता है।
- विशेष न्यायालय में मामला आने के बाद एक साल के अन्तर्गत इसका निस्तारण हो जाना चाहिए।
- अभियोजन के दौरान जिरह में नाबालिकसे आक्रामक सवाल नहीं किये जायेंगे तथा बीच में विराम दिया जाना चाहिए और बार-बार न्यायालय में नहीं बुलाया जाना चाहिए। मामले की जिरह बन्द कमरे में हो अर्थात् ऐसी बहस के दौरान न्यायालय में जनता न रहे।
- विशेष न्यायालय अंतरिम मुआवजें का आदेश कर सकती है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट 1976

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 का आधार लेकर संविधान में व्यक्त संरक्षण के अनुपालन हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट 1976 (बी.एल.ए.) पारित किया गया। बंधुआ मजदूरी एक प्रकार की जबरन मजदूरी है जो या तो पीडित द्वारा लिए गये अग्रिम धन के बदले या अन्य आर्थिक कारणों या किसी 'रिवाज' या 'सामाजिक आभार' के कारण होती है। भारत में बंधुआ मजदूरी को कभी-कभी 'ऋण बंधुआ' के दूसरे नाम से भी जाना जाता है।

प्रकोष्ठ-4 :- बंधुआ मजदूर की परिभाषा

बी.एल.ए. में बंधुआ मजदूरी के दो अवयव चिन्हित है :-

- श्रमिक द्वारा समझौता किया गया है अथवा समझौता किया मान लिया गया।
- जबरन मजदूरी और आंशिक तौर पर जबरन मजदूरी में धकेला गया। प्रथम अवयव परिकल्पित हो सकता है किन्तु बंधुआ मजदूरी का अनिवार्य अवयव 'जबरन मजदूरी' है।

बंधुआ मजदूर में क्या निहित है?

समझौता

- किसी ऋण अग्रिम के कारण या
- रिवाज अथवा सामाजिक बंधन के कारण या
- रिश्तेदार के ऋण को चुकाने के लिए या
- कोई आर्थिक लाभ

बाध्यकारी परिस्थितियाँ

- रोजगार की सीमित छूट और/या
- आवागमन की सीमित छूट
- न्यूनतम मजदूरी

→ **बंधुआ मजदूर**

यद्यपि बी.एल.ए. की धारा 2 की भाषा के अनुसार 'बंधुआ मजदूर' कहलाने के लिए रोजगार देने वाले मालिक एवं पीडित श्रमिक के मध्य "समझौता" होना आवश्यक है किन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में इस संकीर्ण व्याख्या को अस्वीकार किया है। इसके स्थान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा एक्ट के मूल आशय के आधार पर बंधुआ मजदूर की व्यापक व्याख्या दी गई है। निर्णयों की इस श्रृंखला में दो नई मान्यताएं जोड कर "समझौता" दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जैसा कि आगे उद्घृत किया गया है कथित निर्णयों में किसी भी प्रकार की जबरन मजदूरी को बंधुआ मजदूरी माने जाने की व्यवस्था दी गई है।

1. "बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारतीय संघ"1984 (3) SCC 161

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि "इस प्रथा में ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा साल दर साल ऋण देने वाले व्यक्ति को सेवाएं अनुबन्धित होती रहती है जब तक कि ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं होता है जो बंधुआ मजदूर के जीवन काल में संभव नहीं हो पाता है। यह हमारे द्वारा बनाये गई समानाधिकारयुक्त सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है................"

यह स्पष्ट किया गया है कि:-

"*यह स्पष्ट है बंधुआ मजदूरी जबरन मजदूरी का ही रूप है और बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) एक्ट 1976 इस स्वतः सिद्ध कथन का संज्ञान लेते हुए प्रत्येक जिलाधिकारी और उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का दायित्व निर्धारित करता है कि वे अपने क्षेत्र में जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी या अन्य किसी प्रकार की जबरन मजदूरी प्रचलन में नहीं है.......................... बी.एल.ए. का मुख्य जोर किसी भी प्रकार की जबरन मजदूरी की निरन्तरता के विरूद्ध है।*"

2. पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रैटिक राइट्स बनाम भारतीय संघ, 1982 ए.आई.आर. (एस.सी) 1473

इस प्रकरण में जो "एशियाड वर्कर्स" नाम से भी जाना जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 23 की संकीर्ण व्यवस्था जिसमें जबरन मजदूरी का अर्थ केवल ऐसे श्रमिकों से है जिन्हें कार्य के बदले कोई मजदूरी नहीं दी जा रही हो, को अस्वीकार किया गया। इसके स्थान पर न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गई हि "जबरन मजदूरी" में वे भी सम्मिलित होगें जो आंशिक मजदूरी पा रहे हो चाहें वे स्वेच्छा से इस रोजगार में आये हो अथवा इसमें कार्यरत हो।

पुनः न्यायालय द्वारा जबरन मजदूरी की इस अवधारणा को भी निरस्त किया गया है कि जबरन मजदूरी के लिए भौतिक जबरदस्ती अथवा यातना का होना जरूरी है। न्यायालय हेतु जस्टिस भगवती द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट किया गया कि संदर्भित "जबरदस्ती" किसी भी स्रोत अर्थात् मुख्य आरोपी के नियंत्रण के बाहर "किस" भी स्रोत से हो सकती है।

''किसी व्यक्ति को अपनी सेवाएं दूसरे व्यक्ति को देने हेतु बाध्य करने के लिए यह शारीरिक बल प्रयोग या कानूनी प्रावधानों जैसे कि सेवाएं न देने पर कैद या आर्थिक दण्ड का भय दिखाकर अथवा भूख, गरीबी, बेसहारा होने सी मजबूरी हो सकती है। कोई भी ऐसा कारक जो किसी व्यक्ति के आने के लिए कार्य चयन के विकल्पों से वंचित करता हो और उसे एक विशेष दिशा में कार्य हेतु बाध्य करता हो को 'जबरदस्ती' माना जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति अपना मजदूरी अथवा सेवाएं इस 'बल' के प्रभाव से देता हो तो उसे 'जबरन मजदूरी' समझा जायेगा।";

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि -

"किसी सेवा का अनुबंध प्रत्यक्षतः स्वैच्छिक दिख सकता है जबकि वास्तविकता में यह विवशता होती है क्यों कि अनुबंध के समय कर्मचारी अपनी आर्थिक विवशता को कारण विकल्पहीनता की स्थिति में भूखा रहने या ताकतवर नियोक्ता की शोषण युक्त शर्तो के आगे समर्पण कर देता है।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे व्यवस्था दी गई है कि -

''अतएव हमारा मत है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर अपनी सेवायें अथवा मजदूरी उपलब्ध कराता हो तो अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से 'जबरन मजदूरी' की परिधि में आता है। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को अमल में लाने के लिए न्यायालय में आने का अधिकारी होगा।'

3. "नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य"1984 ए आई आर (एस.सी) 1099

"उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था दी गई कि जब कभी यह पाया जाय कि कोई कामगार बिना किसी आय अथवा नाममात्र की आय पर कार्य करने हेतु बाध्य किया गया हो तो उसे बंधुआ मजदूर के रूप में माना जायेगा'

इन निर्णयों तथा अन्य ऐतिहासिक निर्णयों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु अध्याय 6 देखें।

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) एक्ट के अन्तर्गत आपराधिक कृत्य

इस एक्ट के अन्तर्गत मुजरिम को निम्न कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:-

1. पीडितों से बंधुआ ऋण का भुगतान करना,
2. पीडित को बंधुआ मजदूरी प्रथा के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य करना,
3. बंधुआ मजदूरी प्रथा के अनुसार अग्रिम ऋण देना,
4. बंधुआ मजदूरी प्रथा को लागू करना,
5. छुडाये गये पीडित की परिसम्पत्ति को वापस न करना,
6. उपरोक्त किसी अपराध के लिए उकसाना,
7. कम्पनियों द्वारा जुर्म

बंधुआ मज़ूदरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट के अन्य सुसंगत प्रावधान
धारा-4 के अनुसार इस विधान को एक्ट का स्वरूप दिये जाने के उपरान्त प्रत्येक बंधुआ मजदूर स्वतन्त्र समझा जायेगा और किसी को मजदूरी हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा
पुनःश्च धारा 5 के अन्तर्गत कोई रिवाज, परम्परा या अनुबंध जिसके कारण किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूर के रूप में जबरदस्ती कार्य लिया जा रहा हो निष्प्रभावी होगा अर्थात् विधि मान्य नहीं होगा
अध्याय-III के धारा 6 के अन्तर्गत बंधुआ ऋण भुगतान की देनदारी स्वतः समाप्त हो जायेगी। एक्ट से पूर्व ऋण भुगतान वसूली के संबंध में किये गये आदेशों की तुष्टि मानी जायेगी। जिस व्यक्ति की सम्पत्ति जबरदस्ती ली गई हो वह उस व्यक्ति को वापस की जायेगी।
धारा 7 के अन्तर्गत बंधुआ श्रमिक की परिसम्पत्ति किसी देनदारी, गहन, बंधक या किस्ती भार से मुक्त मानी जायेगी

राज्य सरकार और जिला प्रशासन की भूमिका

बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) एक्ट इसके प्राविधानों को लागू कराने के राज्य सरकारों को कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अधिकार देने हेतु अधिकृत करता है। जिला मजिस्ट्रेट विभिन्न

कर्तव्यों को अपने अधीनस्थों में प्रतिनिधानित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिला प्रशासन को बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध सक्रियता से लडने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

"हम यह जानने में असमर्थ है कि जिला प्रशासन बंधुआ मजदूरी की मौजूदगी स्वीकार करने में क्यो संकोच करता है क्योकि कलंक बंधुआ मजदूरी की उपस्थिति नहीं है बल्कि इसे समाप्त करने के लिए प्रशासन द्वारा उनकी पहचान, छुडाना और स्थायी तौर पर पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफल होना कलंक है।"

सतर्कता समितियां

बंधुआ मजदूरी सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के प्रयासों को गति देने हेतु तथा इच्छाशक्ति उत्पन्न करने के लिए संसद द्वारा जबरन/गुलामी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रत्येक जनपद में सम्बंधित व्यक्तियों की समितियां (सतर्कता समिति के नाम से प्रचालित) गठित करने की आवश्यकता होती है। भारत में जबरन मजदूरी में बंधुआ मजदूरी शामिल है किन्तु व्यावसायिक यौन शोषण (जिसे भिन्न तरीके से किया जाता है) सम्मिलित नहीं है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारियों एवं उपजिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इन सतर्कता समितियों द्वारा जनपद स्तर पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन हेतु आधारभूत रूप रेखा तैयार करनी होती है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) रूल्स ('बीएलए रूल्स') में यह व्यवस्थित है कि बंधुआ श्रमिकों की पहचान, मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के साथ-साथ दोषियों को सजा दिलाना सुनिश्चित कराने में सतर्कता समितियों की केन्द्रीय भूमिका होगी।

बी.एल.ए. के धारा 13 में राज्य सरकारों को सतर्कता समितियां निम्न प्रकार से गठित करने का अधिकार दिया गया है:

- जिलाधिकारी,
- दो सामाजिक कार्यकर्ता,
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के तीन प्रतिनिधि
- वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि, तथा
- ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी एवं गैर-सरकारी ऐजेंसियों के प्रतिनिधि के रूप में अधिकतम तीन व्यक्ति।

बंधुआ मजदूरी एक्ट क धारा-14 में सतर्कता समितियां निम्न प्रकार से विहित 6 विशिष्ट कार्य:-

1. बी.एल.ए. के संचालन के संबंध में जिलाधिकारी को परामर्श देना,
2. बंधुआ श्रमिक संबंधी दोषियों का पता लगाना,
3. दोषियों को सजा दिलाने का अनुश्रवण करना,
4. अवमुक्त बंधुआ श्रमिको की न्यायालय म बचाव करना,
5. पर्याप्त ऋण की व्यवस्था कराना,
6. आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास उपलब्ध कराना।

बाल मजदूरी (निरोधक एवं विनियमन) एक्ट, 1986:

इस एक्ट के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के नाबलिकों का कुछ व्यवसायों और कार्यों में लगाना प्रतिबन्धित है। वर्ष 2006 में एक्ट में संशोधन कर घरेलू कार्य एवं सडक किनारे के ढाबों को भी प्रतिबन्धित उद्योगों में शामिल किया गया है।

इस एक्ट के भाग- II के अनुसार भाग-A में सूचीबद्ध व्यवसायों में नाबलिकों को काम पर लगाने से प्रतिबन्धित करता है। इन व्यवसायों में रेलवे के खान-पान प्रतिष्ठान, रेल पटरी अथवा इसके आस-पास कहीं भी, प्लास्टिक कारखाने, गाडी-गैराज, पटाखा निर्माण उद्योग, हथकरधा, उद्योग, खदान आदि शामिल है। नाबलिकों को घरेलू नौकर, ढाबा, रेस्टोरेण्ट, होटलों, चाय की दुकानों में भी काम पर लगाना वर्जित है।

यह एक्ट अनुसूची के भाग-B में सूचीबद्ध कार्य, जहां किसी प्रकार का प्रसंस्करण कार्य हो रहा हो में भी नाबलिकों से कार्य लेने को निषिद्ध करता है। इसमें बीड़ी बनाना, कालीन बनाना, चमड़ा शोधन, साबुन निर्माण, ईट-भट्टे, खपरैल निर्माण, भवन एवं संबधित निर्माण कार्य सम्मिलित है।

एक्ट के भाग III में उन स्थितियों को रेखाकित किया है जिनमें नाबालिकअनुमोदित व्यवसायों में कार्य कर सकते है:

- किसी अधिष्ठान या अधिष्ठान वर्ग में कार्य के घण्टे निर्धारित होंगे कोई नाबालिक उस स्थान पर निर्धारित घण्टों से अधिक कार्य नहीं करेगा,
- नाबालिकएक समय पर लगातार तीन घण्टे से अधिक कार्य नहीं करेंगे और तीन घण्टे

के पश्चात् एक घण्टे की छुट्टी अवश्य दी जाय,

- नाबलिकों को मध्यान्तर अवकाश के घण्टे जोडते हुए छः घण्टे से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी और सायं 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे के मध्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी,
- किसी भी नाबालिकको किसी भी दिन एक स्थान पर समयोपरान्त (ओवरटाइम) कार्य करने की अनुमति नहीं होगी,
- नाबलिकों को प्रत्येक सप्ताह एक दिन का अवकाश मिलेगा,
- प्रत्येक नियोक्ता द्वारा अपने अधिष्ठान में कार्यरत नाबलिकों की सूचना निरीक्षक को दिया जाना अपेक्षित है तथा अपने अधिष्ठान में कार्यरत सभी नाबलिकों से संबंधित सूचना पंजिका पर निरीक्षण हेतु रखनी होगी

धारा 10 के अनुसार किसी भी नाबालिककी आयु के संबंध में विवाद की स्थिति में नियत चिकित्सा अधिकारी द्वारा आयु निर्धारित की जायेगी

उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1996 में आदेश दिया गया की सभी पीडित बाल श्रमिकों को उनके नियोक्ता द्वारा रू0 20,000 की क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

2012 संशोधन बिल (अभी कानून के रूप में लागू नहीं है)

- बिल में 14 वर्ष से कम आयु के नाबलिकों को, सिवाय इसके कि जहां नाबालिक स्कूल समय के उपरान्त परिवार की सहायता करता हो, अन्य सभी प्रकार के व्यवसायों में काम पर लगाना प्रतिबन्धित करने का प्राविधान है।
- बिल के अनुसार व्यक्तियों की श्रेणी में “किशोर“ नाम की नई श्रेणी जोडी जायेगी। किशोर का तात्पर्य 14 से 18 आयु वर्ग के व्यक्ति से होगा। बिल में किशोरों को जोखिम युक्त व्यवसायों (खदान, ज्वलनशील, पदार्थ और खतरनाक प्रक्रियायुक्त) में रोजगार देना प्रतिबन्धित है।
- केन्द्र सरकार बिल में शामिल खतरायुक्त व्यवसायों की सूची बढा या घटा सकती है। इसकी प्रक्रिया बिल में दी गई है।
- नाबलिकों को काम पर लगाने का दण्ड 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा रू0 20,000 से रू0 50,000 तक अर्थदण्ड अथवा दोनो तक बढाया जायेगा।

- किशोर को जोखिम भरे काम पर लगाने का दण्ड 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद अथवा रू0 20,000 से रू0 50,000 तक अर्थदण्ड अथवा दोनों होगा।
- यह बिल सरकार को ऐसे स्थलों की नियमित जांच का अधिकार देगा जहां नाबलिकों और किशारों को काम पर लगाना वर्जित है।

यह बिल अभी पारित होना बाकी है।

किशोर न्याय (नाबलिकों की देखभाल एवं संरक्षण) एक्ट 2015:

किशोर न्याय (नाबलिकों की देखभाल एवं संरक्षण) एक्ट 2015 द्वारा किशोर न्याय (नाबलिकों की देखभाल एवं संरक्षण) एक्ट, 2000 का स्थान लिया गया है। नया एक्ट 16 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को गम्भीर अपराधों के लिए मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों द्वारा यह तय करने के उपरान्त कि उनका वयस्कों की भांति दोष परीक्षण किया जा सकता है अथवा नहीं, ट्रायल किये जाने की इजाजत देता है। यह एक्ट किशोरों की देखभाल एवं संरक्षण के साथ-साथ कानून के उल्लंघनकर्ता किशोरों से संबंधित है। कोई भी 18 से कम आयु का नाबालिक 'किशोर' की परिभाषा में आता है। यौन व्यापार के संदर्भ में 'किशोर न्याय अधिनियम' के निम्न अंश महत्वपूर्ण है :

धारा 2(14) नाबालिकके रूप में देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चेः

1. जो घर अथवा स्थायी निवास और आजीविका के स्पष्ट साधन विहीन हो, या
2. जो प्रचलित मजदूरी कानूनों के विरूद्ध कुछ समय से कार्य कर रहा हो अथवा भीख मांग रहा हो या सडकों पर रह रहा हो, या
3. जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा हो (चाहे वह उसका अभिभावक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिकको (a) जख्मी, शोषित, अपमानित अथवा उपेक्षित किया गया हो या वर्तमान में बच्चो की सुरक्षा हेतु लागू मजदूरी कानूनों का उल्लंघन किया गया हो, या (b) मारने की धमकी, जख्मी, शोषण या दुर्व्यवहार कर उपेक्षित किया हो और धमकी को पूरा करने की पर्याप्त सम्भावना हो, या (c) संबंधित नाबालिकसे पहले किसी नाबालिकया नाबलिकों को मार दिया हो, दुर्व्यवहार किया हो, उपेक्षित किया हो या शोषण किया हो और प्रश्नगत नाबालिकको उक्त व्यक्ति द्वारा मारे जाने, दुर्व्यवहार होने , शोषण होने या उपेक्षित होने के तर्कसंगत कारण हो, या
4. जो मानसिक रोगी हो यह मानसिक या शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो या असाध्य

अथवा मरणान्तक रोग से ग्रस्त हो तथा उसकी देख रेख करने वाला कोई न हो और यदि बोर्ड अथवा समिति द्वारा यह समझा जाय कि उसके माता-पिता या अभिभावक उसकी देखभाल करने के योग्य नहीं है, या

5. जिसके माता पिता या अभिभावक हों किन्तु समिति बोर्ड द्वारा उसकी सुरक्षा एवं लालन पालन के अयोग्य अथव अक्षम पाया जाय, या

6. जिसके माता पिता न हो और कोई उसकी देखभाल के लिये तैयार नहीं हो अथवा जिसके माता पिता ने उसे लावारिस या असहाय छोड दिया हो, या

7. जो नाबालिक खो गया हो या भागा हुआ हो या निर्धारित तरीके से सम्यक पूछताछ के बाद भी उसके माता-पिता का पता न चल सके, या

8. जिसे यौन दुष्कर्म या अनैतिक कार्यो के लिए अपमानित किया गया होए यातना दी गई हो अथवा शोषित किया गया हो/किया जा रहा हो या ऐसा होने की सम्भावना हो, या

9. जो नशीली दवाओं के धन्धे या यौन व्यापार में घकेले जाने के लिए संवेदनशील हो और उन्हे इस में लगाये जाने की सम्भावना हो

धारा 2(14)(VIII) में नशीली दवाओं एवं यौन व्यापार में संलिप्त अथवा इस कार्य में धकेले जाने की संभावना वाले नाबलिकों की सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था दी गई है। यह एक्ट राज्य सरकार या स्वैच्छिक या सरकारी संगठनों द्वारा विशेष गृह बनाने की इजाजत देता है। इन विशेष गृहों के संचालन के संबंध में एक्ट की धारा 48 में जानकारी दी गई है।

धारा 75 के अन्तर्गत किसी के द्वारा भी नाबलिकों के प्रति अत्याचार को अपराध घोषित किया गया है।

धारा 76 में किसी किशोर को भिक्षावृत्ति में लगाना अपराध है।

धारा 77 के अन्तर्गत किसी नाबालिकको नशीली दवाएं या नशीले पदार्थ देने को अपराध माना गया है।

धारा 79 के अन्तर्गत किसी नाबालिकको काम पर लगाना और उसे गुलामी में रखना अपराध है।

धारा 27 के अन्तर्गत जरूरतमन्द नाबलिकों की देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाल कल्याण समितियां (सी0डब्ल्यू0सी0) बनाने का विधान है।

धारा 29 के अनुसार सी0डब्ल्यू0सी0 को नाबलिकों की देखभाल, सुरक्षा, इलाज, विकास एवं

पुनर्वास के साथ-साथ उनकी मूलभूत जरूरतों एवं मानव अधिकारों के संबंध में अंतिम प्राधिकार प्राप्त होगा।

धारा 10 के अनुसार जैसे ही कोई नाबालिक कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करता हुआ पुलिस द्वारा पकडा जाये उसे 'विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई' के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए जो नाबालिकके पकडे जाने के 24 घण्टे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

धारा 2(24) में बाल संरक्षण संस्थान को बाल गृहों, मुक्त शरणालय, सुधार गृह, विशिष्ट गृह, सुरक्षा के स्थान, विशेष गोद लेने वाली एजेंसियां जो नाबलिकों की देखभाल एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक्ट में दी गई सुविधाओं से युक्त हो के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल गृहों की स्थापना एवं संचालन की विधियां एक्ट की धारा 50 में दी गई है।

धारा 39 एवं 40 में नाबलिकों को पुनर्स्थापन हेतु माता-पिता अंगीकृत माता-पिता, पालक माता-पिता, उपयुक्त संस्थाओं, आश्रय गृहों को दिये जाने के संबंध में व्यवस्था दी गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 :

यह एक्ट गैर अनुसूचित जातियों/जनजाति के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के प्रति अत्याचार को अपराध की श्रेणी में लाता है। इसके द्वारा सभी राज्यों से अपेक्षित है कि प्रत्येक जनपद में वर्तमान सत्र न्यायालयों में से एक को विशेष न्यायालय के रूप में ऐसे मामलों के निस्तारण हेतु नामित करें और ऐसे प्रावधान बनाये जिनके द्वारा राज्य जातिगत हिंसा के आधार पर संबंधित क्षेत्रों को उच्च संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर सकें, इन इलाकों में सरकार स्थिति का अनुश्रवण करने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशिक्षित अधिकारी नियुक्त कर सकती है। यौन व्यापार व्यापार के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अधिक संवेदनशील होते है। इस प्रकार IPC ITPA तथा BL एक्ट के प्रावधानों के अतिरिक्त इस एक्ट के प्रावधान उपयोग में लाये जा सकते है।

इस एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न तालिका में दिये गये है:-

धारा 3 में "अत्याचारों" से संबंधित एक्टों का विवरण दिया गया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना सम्मिलित है।

धारा 3(1)(h) में बताया गया है कि अनु0 जाति/जनजाति के सदस्य को जबरदस्ती किसी कार्य के लिए बाध्य करना या बंधुआ करना अत्याचार है जिसके लिए अर्थदण्ड के साथ

न्यूनतम 6 माह से लेकर 5 वर्ष की सजा हो सकती हे।

धारा 3(w)(i) तथा (ii) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला को कामुकता के इरादे से छूना, इशारे करना या छींटा कशी करना दण्डनीय बनाया गया है।

धारा 5 में व्यवस्था है कि एक्ट के अन्तर्गत दुबारा अपराध करने वालों को न्यूनतम एक वर्ष जेल की सजा जिसे उस अपराध के अन्तर्गत निर्धारित सजा के अनुसार बढाई जा सकती है।

धारा 14 में राज्यों को इजाजत दी गई है कि वे सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जनपद में एक सत्र न्यायालय को इस एक्ट के अन्तर्गत आये वादां के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय गठित किया जा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम:

इस एक्ट का उद्देश्य कतिपय रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारण माकूल सरकारों (केन्द्र या राज्य) द्वारा किया जाना है। प्रत्येक नियोक्ता को अधिसूचना में अनुसूचित रोजगारों में लगे कामगारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम मजदूरी भुगतान नहीं करेगा। न्यूनतम मजदूरी दर प्रत्येक छः माह में संशोधित की जाती है तथा विभिन्न राज्यों के लिये भिन्न होती है।

धारा	विवरण	सक्षम अधिकारी	वदी	टिप्पणी
धारा 20(2) वाद	सीमा-न्यूनतम मजदूरी देयता की तिथि से 6 माह के अन्तर्गत	ए0एल0सी0/ डी0एल0सी0	कोई कर्मचारी या उसका अधिवक्ता कोई निरीक्षक या उप धारा (1) के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी की अनुमति से कार्य प्रभारित व्यक्ति	धारा 20 (3)(i) ऐसे प्रकरण में जहां मुआवजा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के रूप में देय धनराशि वास्तविक रूप में दी गई धनराशि से अधिक हो के अवशेष के साथ मुआवजे के रूप में प्राधिकारी जो उचित समझे, किन्तु या अवशेष राशि के दस गुना से अधिक न हो
धारा 22	सजा-कैद जिसे	ए0एल0सी0/	&	यह बताता है कि इस

खास जुर्मो के लिए दण्ड	6 माह तक बढाया जा सकता है या जुर्माना जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है।	डी0एल0सी0 या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट		धारा के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये कोई जुर्माना लगाने के लिए न्यायालय आरोपी के विरूद्ध पूर्व में धारा 20 के अन्तर्गत लगाई गई मुआवजे की धनराशि को संज्ञान में रखेगे।
धारा 22-बी अपराध का संज्ञान	धारा 22-बी (a) जब तक कि आरोप के संबंध में तथ्यों सहित धारा 20 के अंतर्गत पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में स्वीकृत और संबंधित सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत द्वारा शिकायत दर्ज करने की स्वीकृति न दी गई हो।	ए0एल0सी0/ डी0एल0सी0 या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट	&	कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। (a) जब तक धारा 20 के अनुच्छेद (b) के अन्तर्गत इस अनुच्छेद के अन्तर्गत स्वीकृति मिलने के एक माह के अन्तर्गत न की गई हो, (ब) धारा 22-A के अन्तर्गत यदि शिकायत कथित अपराध घटित होने की तिथि से 6 माह के अन्तर्गत की गई हो।

न्यूनतम मजदूरी से संबंधित अद्यतन आनलाइन सूचना http:/www.paycheck.in/main/salary/minimumwages पर देखी जा सकती है।

कारखाना अधिनियम 1948:

कारखाना अधिनियम भारतीय मजदूरी कानून का एक भाग है। मजदूरी कानून का तात्पर्य उस कान ून से है जिससे श्रमिक-नियोक्ता के संबंध शासित होते है। मजदूरी कानून के पीछे मूल दर्शन "सुरक्षा" का है। इस प्रकार मजदूरी कानून से बचने का विकल्प अनुमन्य नहीं है।

अधिनियम की व्यवहार्यता

कोई ऐसा परिसर जो विद्युत चालित एवं जिसमें 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो या बिना विद्युत संचालित परिसर जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति विगत 12 महीनों में किसी भी दिन कार्यरत रहे हो तथा जिनके द्वारा विनिर्माण कार्य किया गया है।

इस एक्ट में सभी कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के नाबलिकों से काम लेने की आज्ञा नहीं देता है। 14 से 18 वर्ष के नाबलिकों को "किशोर" परिभाषित किया गया है तथा अधिकृत डाक्टर से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही रोजगार में लिया जा सकता है। किशोरों से रात की पारी में कार्य लेने की मनाही है तथा प्रतिदिन केवल 4.5 घण्टे कार्य लेने की अनुमति है। एक्ट में कई सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी उपाय दिये गये है। जिनका अनुश्रवण किया जाना है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्ते) एक्ट 1979:

यह एक्ट अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के रोजगार परिस्थितियों एवं मजदूर अधिकारों के साथ-साथ उनके लिए रोजगार का विनिमयन करता है।

अन्तर्राज्यीय प्रवास कामगारः परिभाषा

"अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार" का तात्पर्य किसी उस व्यक्ति से है :-

- **किसी एक राज्य में भर्ती किया गया हो अथवा ठेकेदार के माध्यम से लाया गया हो,**
- **किसी अन्य राज्य में स्थित प्रतिष्ठान में सहमति अथवा रोजगार व्यवस्था के अन्तर्गत, लाया गया हो।**
- **क्या नये आस्थान में नियोक्ता की जानकारी अथवा गैर जानकारी में है?**

व्यवहार्यता

- प्रत्येक वह प्रतिष्ठान जहां कम से कम 5 अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार रोजगार पर हो अथवा विगत वर्ष में रहे हो,
- प्रत्येक वह ठेकेदार जो कम से कम 5 अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियुक्त किये हो अथवा विगत वर्ष में नियुक्त रहे हों।

अधिकारों के सम्बन्ध में प्रवासी मजदूर निम्न के अधिकारी है -

- स्थानीय कामगारों के समान अथवा उससे बेहतर या एक्ट में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, इनमें जो भी अधिक हो,
- अपने गृह राज्य से विस्थापन के लिए भत्ता (धारा-14),
- अपने गृह राज्य आने जाने के लिए भत्ता एवं उक्त अवधि में मजदूरी का भुगतान (धारा-15),
- नियमित मजदूरी भुगतान,
- बिना लौंगिक भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन, किसी घटना से संबंधित रिपोर्ट घटना के 3 माह के अन्दर संबंधित अधिकारी के समक्ष अवश्य दर्ज हो जानी चाहिए। एक्ट के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों को पंजीकृत एवं ठेकेदारों को लाइसेंसशुदा होना चाहिए। नियुक्त प्रवासी कामगार के विवरण, रोज़गार की प्रकृति एवं मजदूरी दरों के अंकन के लिए पंजिका होनी चाहिए।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट ऐसे मजदूरों को उन परिस्थितियों से बचाव के लिए जो अन्यथा उन्हें बंधुआ मजदूरी की ओर ढकेल सकती है, सामाजिक कार्यकताओं को कारगर अस्त्र प्रदान करता है। इन्हें पंजीकृत कराना एक लाभकर एवं संस्तुत प्रक्रिया है।

मानव अंगों का प्रत्यारोपण एक्ट, 1994:

मानव अंगों को निकालने, संग्रह करने और उन्हे ईलाज के लिए उपयोग करने तथा मानव अंगों का व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग तथा इस प्रकार के अन्य मामलों के नियमन के लिये मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994 पारित किया गया।

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) एक्ट 2011 अंगों की अदला-बदली की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त संशोधित दाताओं के श्रेणी में विस्तार करने के लिए दादा-दादी, नाना-नानी तथा नाती-पोतो को सूची में शामिल करने के लिए संशोधित कानून में नियम सूचीबद्ध किये गये है जबकि इस क्षेत्र में व्यावसयिक प्रयोजन के विरूद्ध कठोर प्रावधान किये गये है।

महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान:-

धारा 2 (o) में 'स्वास्थ्य लाभ प्रयोजन' को किसी बीमारी के नियमित उपचार या किसी विशेष प्रणाली या प्रक्रिया के अनुसार स्वास्थ्य में सुधार के उपायों के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 2 (p) में 'प्रत्यारोपण' को किसी जीवित अथवा मृत व्यक्ति के अंगों को स्वास्थ्य लाभ के प्रयोजन से अन्य जीवित में लगाये जाने के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 9 में मानव अंग निकालने और मानव अंग और टिश्यू या दोनों के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित सूची दी गई है।

धारा 11 में स्वास्थ्य लाभ प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन से मानव अंग निकालना प्रतिबन्धित है।

धारा 18 में उल्लेखित है कि अस्पताल में कोई व्यक्ति प्रत्यारोपण के लिए बिना प्राधिकार के अंग निकालता अथवा सहायता करता है वह कैद जिसे दस वर्ष की अवधि तक बढाया जा सकता है और जुर्माना जो 20 लाख रूपये तक बढाया जा सकता है, दण्डनीय होगा।

धारा 19 में मानव अंगो के व्यावसायिक उपयोग करने हेतु दण्ड का प्रावधान है जिसके अनुसार "कोई भी व्यक्ति जो"-

(a) मानव अंगों की आपूर्ति अथवा इसके प्रस्ताव के संबंध कोई भुगतान लेता है अथवा देता है,

(b) ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है जो भुगतान के आधार पर अंग देने का इच्छुक हो,

(c) भुगतान के आधार पर मानव अंग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हो,

(d) किसी भी मानव अंग की आपूर्ति करने, आपूर्ति के लिए भुगतान करने की व्यवस्था से संबधित कार्यवाही या मोलभाव करता हो,

(e) ऐसे व्यक्तियों के संगठन जो अनैतिक अंग प्रत्यारोपण कार्य से संबंधित हो, के प्रबन्धन या नियंत्रण में भाग लेता हो,

(f) ऐसे व्यक्ति जो मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित सामग्री छपाने, वितरण करने और उसका प्रचार करता हो वह कम से कम पांच वर्ष की कैद जिसे 10 वर्ष तक बढाया जा सकता है तथा न्यूनतम 20 लाख रूपये जिसे एक करोड रूपये तक बढाया जा सकता है, अर्थदण्ड का भागी होगा। न्यायालय विशेष एवं पर्याप्त कारण जिसे निर्णय में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा के आधार पर 2 वर्ष से कम की कैद और दस हजार रूपये से कम का अर्थदण्ड दे सकता है।

धारा 19-A में मानव टिश्यू के अनैतिक लेन देन के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है।

D. अपराधों का सारांश

आधुनिक गुलामी से संबंधित अपराध एवं दण्ड का सारांश

अपराध	एक्ट एवं धारा	दण्ड	संज्ञान योग्य/ जमानत योग्य/ न्यायालय
भिक्षावृति हेतु अपहरण अथवा अपंग करना	भारतीय दण्ड संहिता धारा-363 A	आजीवन कारावास और जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
अल्पवयस्क बालिकाओं को पकडना	भारतीय दण्ड संहिता धारा-366 A	दस वर्ष की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
21 वर्ष से कम आयु की लडकियों का विदेशों से आयात करना	भारतीय दण्ड संहिता धारा-366 B	10 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
मानव व्यापार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (2)	7 से 10 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती

एक से अधिक व्यक्तियों का व्यापार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (3)	10 वर्ष से आजीवन कारावास तक एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
अल्प वयस्क का व्यापार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (4)	10 वर्ष से आजीवन कारावास तक एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
एक से अधिक अल्प वयस्कों का व्यापार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (5)	14 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
एक से अधिक बार अल्प वयस्कों का व्यापार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (6)	आजीवन कारावास अर्थात् संबंधित दोषी के अवशेष जीवन पर्यन्त कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
जब कोई जन सेवक या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के यौन व्यापार में संलिप्त हो	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370 (7)	आजीवन कारावास अर्थात् संबंधित दोषी के अवशेष जीवन पर्यन्त कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
अपहृत अल्प वयस्क का यौन शोषण	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370-A (1)	5-7 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
अपहृत व्यक्ति (गैर अल्प वयस्क) का यौन शोषण	भारतीय दण्ड संहिता धारा-370-A (2)	3.5 वर्ष की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य, गैर जमानती
गुलामी व्यवसाय में अभ्यस्त	भारतीय दण्ड संहिता धारा-371	आजीवन अथवा 10 वर्ष से अनधिक अवधि की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती असमाधेय एवं परीक्षण योग्य
किसी अल्प वयस्क को वेश्यावृत्ति हेतु	भारतीय दण्ड संहिता धारा-372	दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर

बेचना			जमानती असमाधेय
किसी अल्प वयस्क को वेश्यावृत्ति हेतु खरीदना	भारतीय दण्ड संहिता धारा-373	दस वर्ष तक की कैद और जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती असमाधेय
गैर कानूनी जबरन मजदूरी	भारतीय दण्ड संहिता धारा-374	एक वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती असमाधेय
बलात्कार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-375 एवं 376	7 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
उन्मादपूर्ण बलात्कार	भारतीय दण्ड संहिता धारा-375	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट द्वारा संज्ञान योग्य, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
चलाने /परिसर को वैश्यालय चलाने के उपयोग की अनुमति देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-3	2 से 3 वर्ष की कैद एवं जुर्माना दुबारा पकडे जाने पर 3 से 7 वर्ष की कैद एवे 2 लाख रूपये तक जुर्माना	संज्ञान योग्य/गैर जमानती (धारा-3(2) को छोडकर) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा
वेश्यावृत्ति से प्राप्त आय से गुजारा करना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-4	2 वर्ष तक की कैद एवं रू0 1000 तक जुर्माना	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
अल्प वयस्क से वेश्यावृत्ति द्वारा प्राप्त आय से गुजारा करना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-4	7 से 10 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति को	अनैतिक यौन	3 से 7 वर्ष तक की	संज्ञान योग्य/गैर

वेश्यावृत्ति में लाना वेश्यावृत्ति हेतु उकसाना	व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-5	कैद एवं जुर्माना	जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत वेश्यावृत्ति में लाना या इस हेतु उकसाना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-5	14 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी अल्पवयस्क को पकड कर वेश्यावृत्ति में लगाना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-5	7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति का यौन व्यापार (भर्ती, बदली, रोकना या प्राप्त करना)	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-5 B	न्यूनतम 7 की कैद एव दोबारा अपराध करने पर उम्र कैद	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
यौन शोषण के प्रयोजन से वैश्यालय में लाया गया यौन व्यापार पीडित व्यक्ति	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-5 सी	3 माह तक की कैद या 20 हजार तक का जुर्माना या दोनो दुबारा पकडे जाने पर 6 माह तक कैद या रू0 50 हजार तक जुर्माना	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति की उसकी इच्छा से या इच्छा के विरूद्ध ऐसे स्थान पर रोकना जहां वेश्यावृत्ति चल रही हो	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-6	7 से 10 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी सार्वजनिक	अनैतिक यौन	3 माह तक की कैद	संज्ञान योग्य/गैर

स्थल की परिधि में वेश्यावृत्ति	व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-7		जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
किसी भूस्वामी अथवा किसी सार्वजनिक स्थल के रखवाले द्वारा अपने परिसर का वैश्यालय रूप में या वेश्यावृत्ति चलाने के लिए अनुमति देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-7(2)	3 माह तक की कैद और जुर्माना तथा दुबारा अपराध करने पर 6 माह तक की कैद, होटल का लाइसेंस स्थागित किया जा सकता है	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
कब्जे में आये व्यक्ति को प्रलोभन देना	अनैतिक यौन व्यापार निरोधक एक्ट 1965 धारा-9	7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
नाबालिक पर भेदनयुक्त यौन हमला	यौन अपराधों से नाबलिकों की सुरक्षा एक्ट 2012 "पोक्सो" धारा-4	7 वर्ष से आजीवन कारावास तक तथा जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिक पर उन्मादपूर्ण भेदनयुक्त यौन हमला	पोक्सो धारा-6	10 साल से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिक पर यौन हमला	पोक्सो धारा-8	3 से 5 वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
नाबालिक पर उन्मादपूर्ण यौन	पोक्सो धारा-10	5 से 7 वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण

हमला			योग्य
नाबालिक का यौन उत्पीडन	पोक्सो धारा-12	तीन वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
अश्लील चित्रण हेतु नाबालिक का उपयोग	पोक्सो धारा-14	पांच वर्ष तकए दुबारा पकडे जाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की कैद	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञान योग्य/गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी हेतु मजबूर करना	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट धारा-16	3 वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
किसी रिवाज, समझौते, परम्परा आदि को थोपना जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करनी पडे	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट धारा-18	3 वर्ष तक कैद एवं जर्माना। जुर्माना की राशि से पीडित को भुगतान किया जायेगा	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
अवमुक्त पीडित की परिसम्पति वापस न लौटाना बंधुआ	बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) एक्ट धारा-19	एक वर्ष तक की कैद एवं जुर्माना	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
14 वर्ष से कम आयु	बाल मजदूर	3 माह से एक वर्ष	संज्ञान योग्य,

के बच्चो को प्रतिबन्धित कार्यो या प्रक्रियाओं में काम पर लगाना	(प्रतिबन्ध एवं विनियमन) एक्ट 1986 धारा-14	तक की कैद और/या रू0 10000 से रू0 20000 तक जुर्माना दुबारा अपराध पर 6 माह से 2 वर्ष तक कैद की सजा	जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
बल मजदूर (प्रतिबन्ध एवं विनियमन) एक्ट के अनुसार सूचित करने, पंजिका का रख-रखाव अथवा अन्य किसी शर्त का अनुपालन करने में असफलता	बाल मजदूर (प्रतिबन्ध एवं विनियमन) एक्ट 1986 धारा-14(3)	एक माह की कैद और/या रू0 10000 तक का जुर्माना	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
निर्दयता/नाबलिकों को बेसहारा छोडना	किशोर न्याय एक्ट धारा-75	3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनो	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
किसी नाबालिकको भीख मांगने पर लगाना	किशोर न्याय एक्ट धारा-76	5 वर्ष तक की कैद और जुर्माना	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
नाबालिकको नशीली शराब, नशीली दवाएं या नशीले पदार्थ देना	किशोर न्याय एक्ट धारा-77	7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना	संज्ञान योग्य, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
किशोर या बाल	किशोर न्याय एक्ट	3 वर्ष तक की कैद	संज्ञान योग्य,

कामगार का शोषण करना	धारा-26	और जुर्माना	जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्तर पर परीक्षण योग्य
समुचित प्राधिकार के बगैर मानव अंग निकालना	मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994	5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना प्रथम दोष पर संबंधित डाक्टर का नाम स्टेट मेडिकल काउंसिल की पंजी से 2 वर्ष के लिए निरस्त किया जायेगा और पुनरावृत्ति होने पर हमेशा के लिए निरस्त किया जायेगा	असंज्ञेय, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
अंगो को व्यावसायिक रूप में उपयोग	मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994	2 वर्ष से 7 वर्ष तक कैद एवं रू0 10000 से रू0 20000 तक का जुर्माना	असंज्ञेय, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन	मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट 1994	3 वर्ष तक की कैद या रू0 5000 जुर्माने के साथ	असंज्ञेय, जमानत योग्य एवं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण योग्य
अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को जबरन मजदूरी हेतु बाध्य करना	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 धारा-3 (1) (h)	6 माह से 5 वर्ष तक कैद एवं जुर्माना	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञेय, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य
अनुसूचित जाति/जनजाति की	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	6 माह से 5 वर्ष तक	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञेय, गैर जमानती

महिला को कामुकता के इरादे से छूना, इशारे करना या छींटा कशी करना	(अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 धारा-3 (w) (i) & (ii)	कैद एवं जुर्माना	एवं परीक्षण योग्य
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रति अपराध	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989 धारा-7	अभियोजन के दौरान अपराध कर्ता की चल एवं अचल सम्पति सम्बद्ध की जा सकती है। ऐसी परिसम्पत्ति जिसका उपयोग अपराध हेतु किया गया हो सरकार के पक्ष में जब्त की जा सकती है।	सेशन कोर्ट स्तर पर संज्ञेय, गैर जमानती एवं परीक्षण योग्य

V

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के एतिहासिक फैसले

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु अपने अधिकर क्षेत्र का इस्तेमाल लरते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय जारी किए हैं जो की मानव व्यापार से संबंधित मुद्दों से सामना करने के लिए सरकार की सहयता करते हैं। इस खंड में वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भारत में मानव व्यापार और बंधुआ मज़दूरी के लिए प्रासंगिक अदालती निर्णयों का एक सारांश प्रदान किया गया है।

नीचे प्रस्तुत मानव व्यापार से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों पर अदालती निर्णयों का संकलन *'पुटिंग जस्टीस फर्स्ट: लीगल स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग इन इंडिया*[193]' से लिया गया है। दोनों उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के मामलों को संदर्भित किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय केवल प्रासंगिक राज्य पर बाध्य है, हालांकि यदि समान मुद्दा दूसरे राज्य में उठता है तो यह निर्णया प्रेरक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत में सभी राज्यों पर बाध्य है।

जनहित याचिका का प्रयोग - भारत के संविधान का अनुच्छेद 32
सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश, आदेश या रिट के माध्यम से मौलिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सशक्त है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत न्यायालय प्रवर्तनीय बाध्यकारी आदेश अपना सकते है, जो की बाध्यकारी निर्णय गठित करता है। (*गौरव जैन Vs. यूनियन ऑफ इंडिया* AIR 1997 SC 3021) अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं हैं। कोई भी उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित द्वारा अधिकृत व्यक्ति न्यायलय में कार्यवाही कर सकता है। याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से निपटने के लिए अदालत किसी भी विधि को विकसित कर सकता है जिसमे आयुक्तों की नियुक्ति करना शामिल है। (*बंधुआ मुक्ति मोर्चा Vs. यूनियन ऑफ इंडिया* (UOI) एंड अदर्स AIR 1984 SC 802)

यौन व्यापार और आपराधिक न्याय के व्यापक प्रावधान
अभियुक्त करने का कर्तव्य: क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों का कर्तव्य है की संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालों की जांच की जाए और उनको अभियुक्त किया जाए। (*पी. एन. स्वामी Vs. स्टेशन हाउस ऑफिसर* 1998 (1) ALD 755) विशेष पुलिस अधिकारी बचाव में होना चाहिए: एक व्यक्ति का बचाव एक विशेष पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी के द्वारा होना चाहिए। (*पुष्पा Vs. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और अन्य* 2004 Cri LJ 4540, 2004)

यौन व्यापार और आपराधिक न्याय के व्यापक प्रावधान

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आइ.आर.): मौखिक परीक्षण साक्ष्य की पुष्टि के प्रयोजन के लिए एफ.आइ.आर. सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि एफ.आइ.आर. संदिग्ध है, तो पूरे अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसका सत्यापन करता है उसको एफ.आइ.आर. के विषय का पता होना चाहिए। (*मोहम्मद अली अल गितर Vs. स्टेट ऑफ उ.प्र. 2014 (1) ए सी आर 279)*। एफ.आइ.आर. में एक एक छोटी सी गलती जैसे ग़लत पता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है खासकर जब बाद में सुधारा जा सके *(आशा तमंग Vs. स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल 2012 (1) सी एच एन 465)*। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में एफ.आइ.आर. कोई भी व्यक्ति कर सकता है *(श्रीमती लता Vs. स्टेट ऑफ उ.प्र. और अन्य 2011 (2) ए सी आर 1435,2011)*

जमानत के विषय में उपधारणा: *गुड़िया , स्वयं सेवी संस्थान Vs. स्टेट ऑफ उ.प्र.* (2009 (10) स्केल 516) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उच्च न्यायालय को अपराध की गंभीरता को देखते हुए (नाबालिग लड़कियों की यौन व्यापार) अपराधियों को जमानत नही देनी चाहिए थी। वर्ष 2008 में *शेख ज़फ़र शेख अहमद Vs. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य* (2008 Cr. L. J. 2413) के मामले में महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आई.टी.पी.ए. के तहत मामलें बहुत गंभीर होते हैं तथा ऐसी स्थिति में जमानत नहीं देनी चाहिए जब तक की असाधारण परिस्थितियाँ या तथ्य ना हों। अपराध की गंभीरता के अलावा आरोपी के धन, प्रभाव और जांच को प्रभावित करने और गवाहों को भयभीत करने की क्षमता पर जमानत देते समय विचार करना चाहिए। *(सौदा बीवी Vs. एस.आई, पुलिस, पल्लिककल पुलिस स्टेशन और अन्य* 2012 (1) क्राइम्स 574)।

त्वरित सुनवाई का अधिकार, खासकर अदालती सुनवाई से पूर्व हिरासत में होने की स्थिति में: जब किसी व्यक्ति को अदालती सुनवाई से पूर्व हिरासत में लिया जाता है, उसको एक त्वरित सुनवाई का अधिकार है। (*राजदेव कुमार मथुरा यादव पप्पू* Vs. *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र*)।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग: यदि गवाहों के लिए, विशेष परिस्थितियों में, अंतरराज्यीय यात्रा करना असुविधाजनक हो, तो बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रेकॉर्ड किए जा सकते हैं *(कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन* Vs. *स्टेट* (Crl. M. 1467/04 in Crl. W. 532/1992; ऑर्डर:*27.02.2004)*. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते समय, न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र Vs. डॉ.प्रफुल बी. देसाई, (2003) 4 स्क 601* में निर्धारित किये गए सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए।

यौन व्यापार और आपराधिक न्याय के व्यापक प्रावधान

पीड़ित की प्रतिकूल गवाही - पहले के बयानों पर निर्भरता : एक गवाह का प्रतिकूल बयान पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और इस तरह के गवाह की पूर्व में दी गयी गवाही अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी गवाह के गैर-परीक्षा के कारण आरोपी का पूर्वाग्रह नहीं उत्पन्न होता है, या जब वहाँ अन्य स्वीकार्य सबूत संबंधित दस्तावेज या गवाही उपलब्ध हैं, अभियोजन पक्ष का मामला प्रभावित नहीं होगा। (*आशा तमांग Vs. पश्चिम बंगाल राज्य* 2012 (1) सी एच एन 465)

बाल वैश्यावृत्ति और व्यापार: सलाहकार समितियों की स्थापना: सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के उपाय सुझाने के लिए सलाहकार समितियों की स्थापना करनी चाहिए और देखभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। सरकार को पुनर्वास घरों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित एवं योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, मनोचिकित्सकों और डॉक्टरों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। (विशाल जीत *Vs.* भारत संघ और अन्य ए.आई.आर. 1990 एससी)

पुनर्वास गृह में महिलाओं और लड़कियों को भेजना : आई.टी.पी.ए. के प्रावधान जो मजिस्ट्रेट को बचाई गयीं महिलाओं को पुनर्वास गृहों में रखने का आदेश पारित करने की लिए सशक्त करते हैं, असंवैधानिक नहीं हैं। हालांकि, सरकार के कल्याण गृहों को पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए और गैर सरकारी संगठनों को कल्याण गृहों की स्थापना करने का लाइसेंस देना चाहिए। *(पी.एन. स्वामी Vs. स्टेशन हाउस ऑफिसर* 1998 (1) ए.एल.डी 755)। बाद में 2011 मामले में *बुद्धदेव कर्मस्कार Vs. पश्चिम बंगाल राज्य* में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौनकर्मियों को बचाव के बाद इन गृहों में रहने को मजबूर करना वयस्क महिलाओं को कैदियों का रूप देने जैसा है। इसके अलावा यह देखा गया है कि अस्थायी या लंबी अवधि की हिरासत गृह एक दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं, बल्कि उनके हुनर को निखारना और सशक्तिकरण करने की जरूरत है। कोर्ट ने आदेश दिया: [या तो कुछ जोड़ सकते हैं या यह अंतिम वाक्य को हटा सकते हो]

- राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विशेषज्ञ पैनलों के माध्यम से) को यौनकर्मियों का सर्वेक्षण करना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए की किसको रोजगार के एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए सहायता चाहिए।
- गैर सरकारी संगठनों या अधिकारियों को ऐसी स्थिति में जहां एक परिवार एक महिला को यौन व्यापार करने में मजबूर करता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष या सचिव को रिपोर्ट करना चाहिए।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को गैर सरकारी संगठनों, राज्य के अधिकारियों, यौनकर्मियों और यौन व्यापार के पीड़ितों को कानूनी सहायता और सभी सामान्य सहायता हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना चाहिए।

यौन व्यापार और आपराधिक न्याय के व्यापक प्रावधान

• यौनकर्मियों के लिए रोजगार और पुनर्वास के वैकल्पिक रूपों को आयोजित किया जाना चाहिए।

• यौन व्यापार के शिकार लोगों को पुनर्वास के लिए, यदि संभव हो तो, अपने गृह राज्य वापस लाना चाहिए। (*सवेरा, श्रीमती तारा केरकर और अन्य Vs. गोवा राज्य और अन्य* रिट याचिका संख्या 365/1997 सिविल आवेदन 206/97 के साथ)

वेश्यालय से बेदखली या बंद करवाना: यदि यौन व्यापार किसी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के भीतर हो रहा हो तो एक आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता के बिना बंद किया जा सकता है। हालांकि कब्जेदार को बेदख़ल करने के लिए सज़ा देने की आवश्यकता है। (*चितन जे वासवानी और अन्य Vs. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य* (1975))। कब्जेदार के मालिक होने की जरूरत नहीं है, वह एक किरायदार भी हो सकता है। अगर मजिस्ट्रेट निर्णय करें कि परिसर मालिक को गतिविधियों का ज्ञान नहीं था, तो परिसर उसे लौटा दिया जाएगा (*धनसिंघ गोपाल चौहान Vs. महाराष्ट्र राज्य* 2005 (3) MhLJ 500); हालांकि, कोर्ट संपत्ति को 'संलग्न' करने का आदेश भी कर सकता है ताकि अगर मालिक को संपत्ति फिर से किराये पर देना के लिए अदालत की मंजूरी लेनी पड़ेगी। (*स्टेट Vs. कल्पना रंगनाथ गलफडे*)

बाल मजदूरी और बाल व्यापार

एम.सी.मेहता Vs. तमिलनाडु राज्य 1996 6 (एससीसी) 756: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले 14 साल से कम उम्र के सभी नाबलिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण के संचालन के लिए निर्देश दिए। सरकारों को निर्देशित किया गया की ऐसे नाबलिकों की पहचान कर के उनको काम से हटाया जाए और सुनिश्चित किया जाए की वे शिक्षा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सुझाव दिया कि बाल मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन करने वाला नियोक्ता जुर्माना-राशी का भुगतान करे जो की एक पुनर्वास कोष में रखा जाएगा।

कोर्ट ने एक अधिवक्ता समिति को बाल मजदूरी से निपटने के लिए सुझाव के साथ व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। सुझाव शामिल (संपूर्ण नहीं):

• नियोक्ता को नाबलिकों को एक दिन में छह घंटे से अधिक काम नहीं करने देना चाहिए।

• टुकड़ा-दर मजदूरी समाप्त कर दिया जाना चाहिए और भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए। मजदूरी नाबलिकों के द्वारा किया गया काम के अनुरूप होना चाहिए।

• नाबलिकों के लिए कार्यस्थल आने-जाने के लिए परिवहन, एक बुनियादी आहार, मनोरंजन के लिए सुविधा, समाजीकरण और शिक्षा और बीमा योजना।

• एक कल्याण कोष और समिति का निर्माण किया जाना चाहिए, जो की सुप्रीम कोर्ट को या उच्च न्यायालय को जवाबयौन हो। प्रत्येक नियोक्ता और राज्यों को रु. 2 प्रति माह प्रति कार्यकर्ता कोष में जमा करना चाहिए।

• एक राष्ट्रीय आयोग नाबलिकों के कल्याण के लिए स्थापित की जानी चाहिए जो की सुप्रीम कोर्ट को जवाबयौन हो और एक चरणबद्ध तरीके से बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए योजना तैयार करे।

कर्नाटक में बाल मजदूरी और मजदूरी: *श्री रामा बाबू Vs. चीफ सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर और अन्य* (आदेश, निर्णय नहीं) 1998 (1) KarLJ 191

• नाबलिकों और वयस्कों के लिए समान वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाना चाहये।

• 10 वर्ष की आयु से कम उम्र के नाबलिकों को रोजगार से पूर्ण प्रतिबंध किया जाना चाहिए।

• सरकार को बाल कल्याण के संबंध में एक अलग स्वतंत्र विभाग बनाना चाहिए।

• सरकार को 14 साल तक की उम्र के नाबलिकों के जन्म और प्रगति का एक रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। नाबलिकों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए कि क्या नाबालिकस्कूल जा रहे हैं या काम करने में है और अगर ऐसा है तो कहाँ।

• सरकार को सड़क पे रहने वाले नाबलिकों के लिए जीतने संभव हो सके उतने देखभाल गृहों की स्थापना करनी चाहिए।

• सरकार को मजदूरी कानून सख्ती से लागू करना चाहिए। चिकित्सा जांच होनी चाहिए और कारखाना या कार्यस्थल अनुकूल और स्वच्छ होना चाहिए। उन स्थानों पर जहां नाबालिकबड़ी संख्या में नियोजित हैं, सरकार को सुप्रीम कोर्ट (एम सी मेहता मामले) के निर्देश के अनुसार एक स्कूल की स्थापना का प्रयास करना चाहिए।

• सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की नाबलिकों को वयस्कों के समान लाभ प्राप्त हो रहे हैं।

• सरकार को असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे बाल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कोष की स्थापना करनी चाहिए।

सरकार को नियोक्ताओं द्वारा कानून के उल्लंघन का रिकार्ड बनाए रखने चाहिए और लाइसेंस और अन्य लाभ देते समय उसको ध्यान में रखना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में बाल मजदूरी : उत्तर प्रदेश में 2008 के *विष्णु दयाल शर्मा* मामले में यह आयोजन किया है कि:

बाल मजदूरी और बाल व्यापार

• अभियोजन के मामलों में शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो तीन महीने के भीतर।

• यूनिसेफ और गैर-सरकारी संगठनों को लापता होने के कारणों को निर्धारण करने के लिए मुक्त किए गये नाबलिकों पर एक सर्वेक्षण का संचालन करना चाहिए। सभी मुक्त किए गए नाबलिकों को सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश किया जाना है।

अगली अदालत की तारीख इन विषयों पर जानकारी प्रदान किया जाना चाहिए:

• प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों की स्थापना होनी चाहिए।

• प्रयास करना चाहिए की सभी उपलब्ध शेष बाल श्रमिकों का सरकारी योजनाओं और स्कूल में नामांकन हो। बाल श्रमिक के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के गठन के बाद ऋण उपलब्ध कराने पर विचार करें।

• प्रारंभिक रूप में, स्कूली नाबलिकों और स्कूल से बाहर नाबालिकऔर उनके नामांकन की पहचान और जाँच करने के लिए एक वेबसाइट की स्थापना करनी चाहिए। एक 'डाटा बैंक' योजना का क्रियान्वयन करना चहिए नाबलिकों की प्रगती की जाँच करने के लिए की क्यों नाबालिकस्कूल छोड़ सकते हैं।

लापता नाबलिकों और माता पिता के लिए कानूनी सहायता के उपलब्ध होने के बारे में जानकारी प्रदान की जानी है।

बाल कल्याण समिति - महाराष्ट्र मामला: मजिस्ट्रेट को सबसे पहले चुने गये व्यक्ति की उम्र की पहचान करनी चाहिए और यदि वह किशोर अवस्था का है तो बाल कल्याण समिति में उन्हे भेजना चाहिए। सी.डब्ल्यू.सी. का नाबलिकों की देखभाल, संरक्षण और वापसी के मामले पर आख़िरी निर्णय होगा और यह आकलन करना भी की यदि माता-पिता/ अभिभावक नाबालिककी हिरासत लेने के लिए उचित हैं। कोई अधिवक्ता एक नाबालिककी ओर से सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश नही हो सकता है, केवल माता पिता खुद से या अभिभावकों के माध्यम से पेश हो सकते हैं। (*प्रेरणा Vs. महाराष्ट्र राज्य और अन्य* 2003)

बाल मजदूरी मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए और व्यवसायों को बंद कर दिया जाना चाहिए जब तक पिछली मजदूरी का पूरा भुगतान नही होता है -

दिल्ली का मामला: *सेव द चाइल्डहुड फाउंडेशन Vs. यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स* के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि प्रत्येक बाल मजदूरी के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए और कारोबार को सील (लाइसेंस रद्द / निलंबन) करना चाहिए जब तक पूरी पिछली मजदूरी या अदालत जुर्माना, जैसे लागू हो, का भुगतान नही होता है। इसके लिए दोषसिद्धि की आवश्यकता नही है।

बाल मजदूरी और बाल व्यापार

प्लेसमेंट एजेन्सीयां- बाल व्यापार और मजदूरी : वर्ष 2012 में *बचपन बचाओ और अन्य Vs. यूनियन ऑफ इंडिया* के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबलिकों के अवैध व्यापार और मजदूरी के संबंध में अनेक निर्देश दिए हैं विशेष रूप से प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के सन्दर्भ में जो की नाबलिकों और वयस्कों को कार्यस्थलों में रखता है:

• मजदूरी विभाग को सभी प्लेसमेंट एजेन्सी जो रोजगार के लिए दिल्ली में लोगों को तैनात करते हैं उनको रजिस्टर करना चाहिए।

• सी.डब्ल्यू.सी. को एक रिपोर्ट के द्वारा घरेलू कामगार नाबलिकों की शिकायतों के समाधान हेतु कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सी.डब्ल्यू.सी. सेवाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी ऑनलाइन डाल दिया जाना चाहिए।

• एकल प्रवर्तन एजेंसी की स्थापना होनी चाहिए ताकि विभ्रान्ति कम हो और सुलभता में सुधार हो।

• गैर सरकारी संगठनों और पुलिस को सॉलिसिटर जनरल द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट "इंडियन चाइल्ड: इंडियास एटर्नल होप एंड फ्यूचर" में दिए गये दिशा-निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए।

• ग्राम न्यायालय और पंचायतों को जिन नाबलिकों को सुरक्षा की जरूरत है उनकी पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक जिला परिषद में एक संपर्क बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए।

• एकीकृत बाल संरक्षण योजना लागू किया जाना चाहिए।

लापता बच्चें

2013 में *बचपन बचाओ आंदोलन Vs. यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य* के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है: -

• सभी लापता नाबलिकों के मामलों में, अपहरण या व्यापार के अपराध का अनुमान किया जाएगा जब तक कि जांच से अन्यथा सिद्ध नही होता। इसलिए, सभी मामलें एक संज्ञेय अपराध के रूप में पंजीकृत किए जाएँगे और जांच की जाएगी। जहां पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गयी है और नाबालिकअभी भी लापता है, वहाँ एक महीने के भीतर दर्ज कराई जानी चाहिए।

• एक लापता नाबालिक वह है जो "उम्र में अठारह साल से कम का होता है जिसकी स्थिति का उसके माता-पिता, कानूनी संरक्षक और किसी भी अन्य व्यक्ति, जो कानूनी तौर पर नाबालिककी हिरासत के साथ सौंपा जा सकता है, को नहीं है, जो भी परिस्थिति या लापता होने के कारण हों। वो नाबालिक लापता और किशोरे न्याय अधिनियम के बाद के हिस्से के

लापता बच्चें
अर्थ के भीतर देखभाल और संरक्षण की जरूरत में माना जाएगा, जब तक वो मिले ना और/या उसका/उसकी सुरक्षा/भलाई सुनिश्चित नही होती है। " • यदि एक लापता नाबालिक एफ.आई.आर. दर्ज होने के चार महीने के बाद भी बरामद नहीं होता है तो, इस मामले की गहन जांच के लिए मानव व्यापार यूनिट को भेजा जाए। ए.एच.टी.यू. विधिक सेवा प्राधिकरणों को जांच के बारे में अद्यतन रखने के लिए हर तीन महीने के बाद स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा। • नाबलिकों के बारे में सभी शिकायतों (गैर संज्ञेय अपराधों के लिए), की जांच मजिस्ट्रेट से रेफर करने के बाद की जानी है। • हर बरामद किए नाबालिककी फोटोग्राफ व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाए। . एक मानक संचालन प्रक्रिया लापता नाबलिकों के मामलों को संभालने के लिए विकसित किया जाना चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में एक प्रोटोकॉल लापता नाबलिकों के मामलों की जाँच के लिए उच्च न्यायालयों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ, स्थानीय पुलिस द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देशित दिया: • प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण अधिकारी को बाल न्याय अधिनियम के तहत तैनात होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, एक विशेष बाल अधिकारी को पुलिस थाने में पारी(शिफ्ट) में ड्यूटी पर तैनात किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस ऑर्डर में दिए गए निर्देश विधिवत लागू हों। लापता नाबलिकों की शिकायतों के प्रबंधन की जाँच करने के लिए एक पारा-लीगल स्वयंसेवक विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस थानों में तैनात किया जाना चाहिए। • एक कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम, नाबालिकके संरक्षण और बाल पुलिस इकाइयों के बीच एक नेटवर्क बनाने के लिए लापता नाबलिकों को प्रत्यावर्तित करने के लिए बनाया जाना चाहिए। पाए गये नाबालिकजिन के पास रहने की कोई जगह नहीं है, उनके लिए तीन महीने के भीतर ग्रह की स्थापना करनी चाहिए।

बंधुआ मज़दूरी
बंधुआ मज़दूरी का अर्थ और उपाय के लिए कौन आवेदनकर्ता कर सकते हैं *पीपल यूनियन फॉर डेमॉक्रेटिक राइट्स Vs. यूनियन ऑफ इंडिया* (1982) 3 एस. सी.सी. 235 • अनुच्छेद 23 के तहत न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाना 'बेगरी' में शामिल है। 'फोर्स' के लिए शारीरिक बल होने की जरूरत नहीं है और गरीबी और वित्तीय स्थिति भी मजबूरी के कारण हो सकते है (2002 के *राजपति देवी Vs. बिहार राज्य* के मामले में भी

कहा गया है 2002(2) PLJR 203)।

• बंधुआ बाल मजदूरी अनुच्छेद 24 (बाल मजदूरी), अनुच्छेद 14 (समान वेतन), अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) का उलंघन माना जा सकता है, *मेनका गांधी Vs. भारत संघ* के मामले में मानव गरिमा और स्वतंत्रता की हानि के बारे में विस्तृत व्याख्या के मद्देनज़र जब बाल मजदूर को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है) और अनुच्छेद 23 (बेगार) का भी उल्लंघन माना जा सकता हैं।

• निर्माण एक खतरनाक उद्योग है और इसलिए 14 वर्ष से कम उम्र के नाबालिक संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकते।

• एक गैर सरकारी संगठन या जनता के सदस्य पीड़ितों की ओर से एक कानूनी उपाय के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसा माना जायेगा कि वहाँ अग्रिम के लिए एक समझौते किया गया है: *बंधुआ मुक्ति मोर्चा Vs. भारत संघ (UoI) और अन्य* AIR 1984 SC 802 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब भी एक मजदूर बेगार प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है, कोर्ट यह अनुमान करता है की मजदूर को यह काम अग्रिम या अन्य आर्थिक प्रतिफल के कारण करने को विवश किया गया है। इसलिए यह एक बंधुआ मजदूर है और वह अधिनियम के प्रावधानों के लाभ के हकदार हैं। इस धारणा को संतोषजनक कारण से निश्चित रूप से ग़लत साबित किया जा सकता है।

शिव एंटरटेनमेंट उद्योग Vs. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य 2011 (3) ADJ 189 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तथ्य के बावजूद की वहाँ किसी प्रकार के अग्रिम या समझौते का कोई सबूत नहीं है, आजीविका परिणामों या रोजगार का चुनाव करने में कोई स्वतंत्रता का ना होना बंधुआ मजदूरी माना जाएगा। बंधुआ मजदूर मानव अधिकारों के रूप में धारा 2 (d) और (f) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का उल्लंघन है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अनुसार पूछताछ, जांच और कार्रवाई किया जा सकता है।

जब गैर सरकारी संगठनों ने बंधुआ मजदूरों की पहचान की है तो उनको बचाव कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए: *नीरजा चौधरी Vs. म.प्र. राज्य* AIR 1984 SCC 1099।
जब भी एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि मजदूरी बंधुआ की शिनाख्त करता है, राज्य सरकार को तत्काल मजदूरों की शिनाख्त और छुड़ाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को बचाव कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को साथ में ले जाना

बंधुआ मज़दूरी
चाहिए और रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध करनी चाहिए। बंधुआ मजदूर पुनर्वास की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी विशेष रूप से प्रशिक्षित और अवगत होने चाहिए। जो अधिकारी बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास की रक्षा के कार्य करते हैं उनकी गतिविधियों पर लगातार जांच होनी चाहिए।

बंधुआ मजदूर सम्बंधित कार्रवाई में सुधार के निर्देश व एन.एच.आर.सी. की भूमिका:

पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस (पीयूसीएल) Vs. तमिलनाडु और अन्य (*2004*) *12* एससीसी *381* और *पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीस Vs. राज्य तमिलनाडु और अन्य 115 (2013)* सी.एल.टी. *535* (एस.सी.)

एन.एच.आर.सी. को सुप्रीम कोर्ट (*1997* का आदेश) ने आदेश दिया है बी.एल.ए. के प्रावधानों के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए। *2013* के सुप्रीम कोर्ट के दिशा:

• सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश *6* महीने के भीतर सतर्कता समितियों का गठन करेंगे।

• सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था करेगा या इस भूमिका के लिए दो गैर सरकारी संगठनों की पहचान करेगा। पीड़ित बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए योजनाएं *6* महीने के भीतर तैयार होनी चाहिए।

• बंधुआ मजदूर सर्वेक्षण जिला स्तरीय सतर्कता समितियों और उप संभागीय सतर्कता समितियों द्वारा हर तीन साल में आयोजित की जानी चाहिए और एन.एच.आर.सी. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निष्कर्ष को एक उपलब्ध ऑनलाइन डेटाबेस में जुटाए जाना चाहिए।

• सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को बंधुआ मजदूर की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए और बाल घरेलू श्रमिकों की पहचान करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे शिक्षा प्राप्त करें।

• रिपोर्ट जिसमे कोई बंधुआ मजदूर नही हो उसके सर्वेक्षण में एक दोषपूर्ण कार्यप्रणाली हो सकती है। एन.एच.आर.सी. के दिशानिर्देश बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए, स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ पालन किया जाना है। कदम उठाए जाने चाहिए पुनर्वास पैकेज को 20,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाने के लिए।

•जिला मजिस्ट्रेट को प्रभावी ढंग से कार्य करने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, बाल मजदूरी

बंधुआ मजदूर सम्बंधित कार्रवाई में सुधार के निर्देश व एन.एच.आर.सी. की भूमिका:

(निषेध एवं विनियमन) अधिनियम को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों का प्रयोग- उत्तर प्रदेश: *सग़ीर एवं अन्य* Vs. *यू.पी. राज्य* 2012 (91) ALR 59 में उच्च न्यायालय का निर्देश:-

- सतर्कता समिति अक्सर असफल होती हैं, इसलिए कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पैरालीगल इस समस्या से निपटने के लिए एक बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए की उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बंधुआ मजदूर के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कानूनी सहायता क्लीनिक की स्थापना एक ईमानदार प्रयास से करनी चाहिए और कानूनी सहायता क्लीनिक में पैरालीगल और वकील प्रदान करने चाहिए।
- राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग बंधुआ मजदूरों के लिए दिशाएं जारी कर सकते हैं।
- वरिष्ठ पुलिस और मजदूरी अधिकारियों को बंधुआ मजदूर की शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित, और जिला और उप-प्रभागीय विधिक सेवा प्राधिकरणों (एल.एस.ए.) को सूचित करना चाहिए।
- एल.एस.ए. शिकायतकर्ताओं की जांच करेगा और बंधुआ मजदूरों की शिकायतों की सत्यता की जांच और बंधुआ मजदूर शिकायतकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

मदन में, जिला न्यायाधीश को यह निर्धारित करने के लिए की क्या पीड़ित बंधुआ मजदूर हैं और क्या राहत के वे हकदार हैं के लिए तुरंत स्थानीय एल.एस.ए. द्वारा जांच के लिए निर्देशित किया गया था।

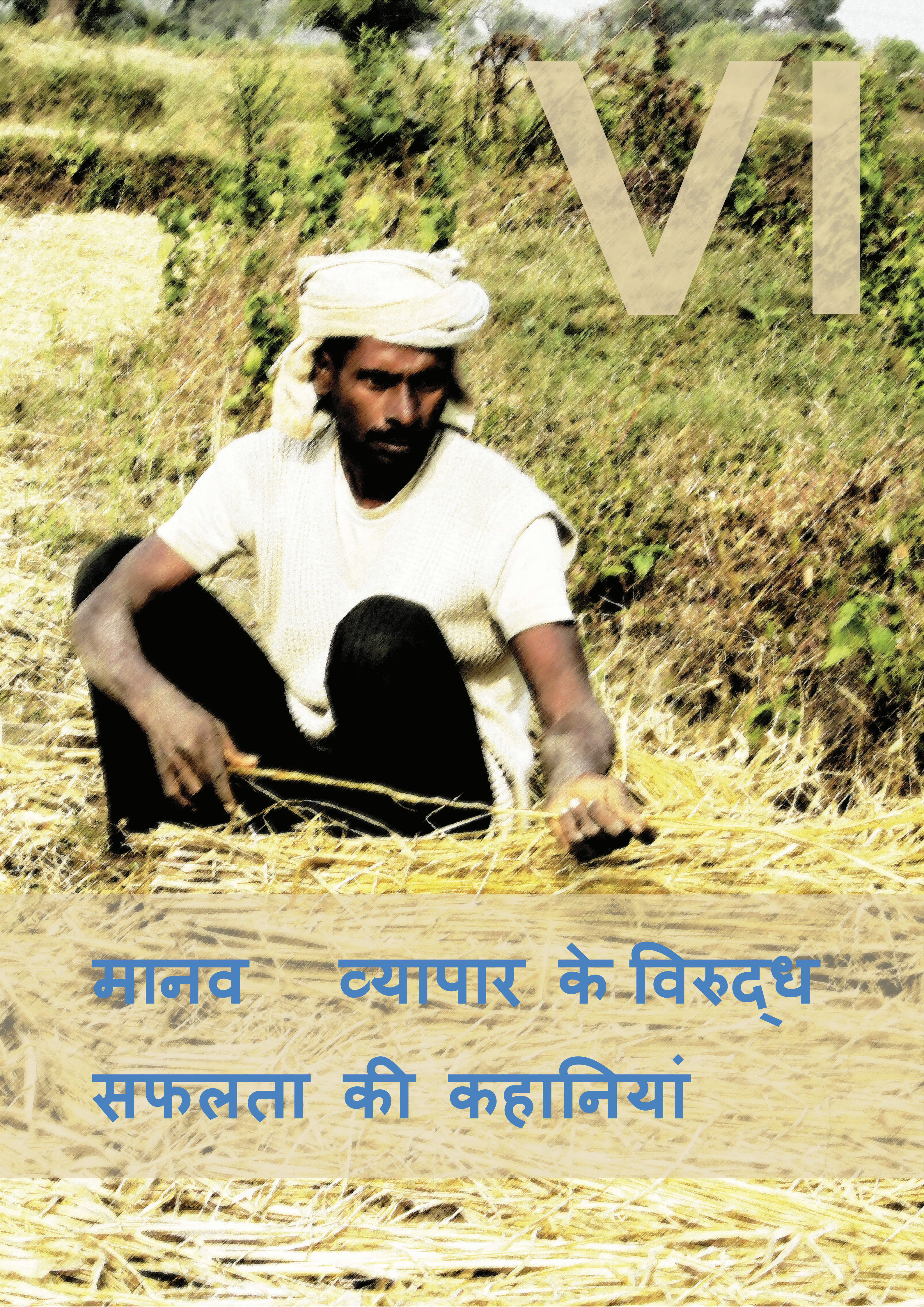

VI

मानव व्यापार के विरुद्ध सफलता की कहानियां

विभिन्न ए.एच.टी. संगठनों द्वारा क्षेत्र में किए गए वर्तमान समय में दासप्रथा की कहानियाँ नीच दिए गए हैं[143]:

दमन से मुक्ति तक: 76 बंधुआ मज़दूरों को बिहार में एक ईंट भट्ठा से आजादी मिली

19 जून 2015 को महादलित समुदाय (सबसे हाशिए पर) के 76 वयस्क बंधुआ मजदूर जो की धोखे और गुलामी में फ़सें थे, उनको मुक्त कर दिया गया था जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ईंट भट्ठा को घेर लिया। पीड़ितों ने बताया की कैसे व्यवस्थित हिंसा और अवपीड़न ने उनकी बुनियादी मानवता को उनसे छीन लिया।

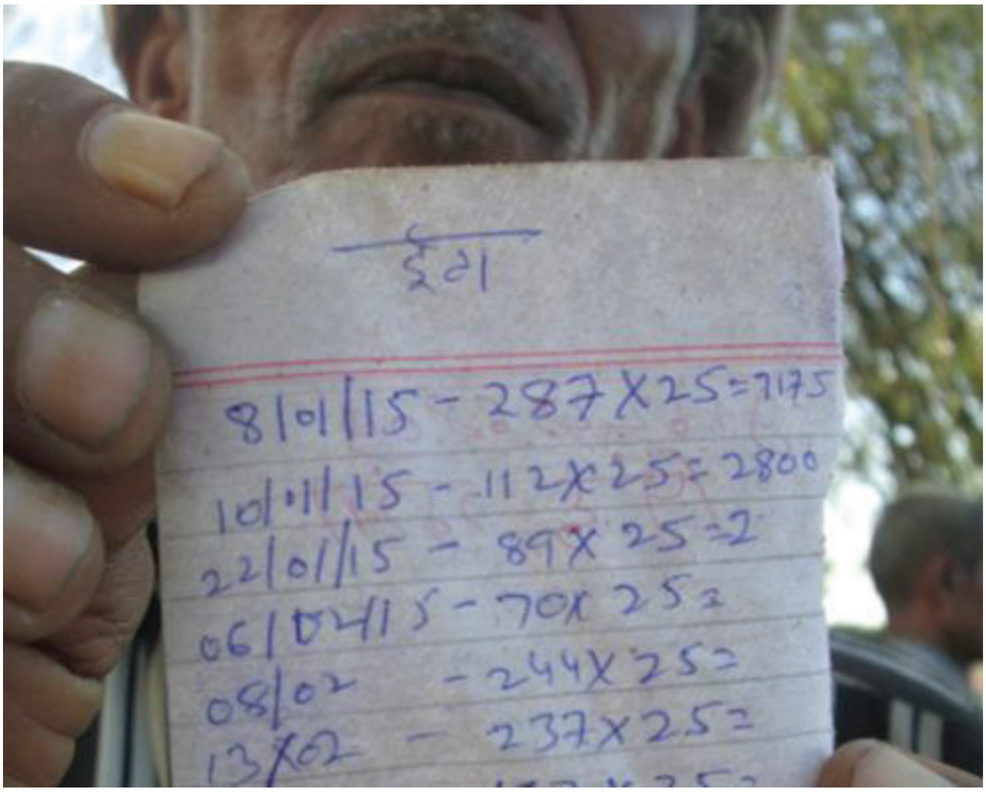

जांच टीम को दिए गये मजदूरों के बयान से पता चला की कैसे मालिक निरक्षर मजदूरों के कर्ज में हेरफेर करते थे, अत्यधिक ब्याज लगाते थे और मजदूरी के रिकॉर्ड ग़लत बनाते थे। कई हफ्तों पहले, ईंट भट्ठा मालिक ने बिना बकाया राशि का समाशोधन किए जबरदस्ती मजदूरों को उनकी झोंपड़ी से बेदखल किया। श्री. धीरेंद्र झा, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, नवादा

---

[143] यह सुनिश्चित किया गया है की इन कहानियों में शामिल फोटो और पहचान पीड़ितों को जोखिम में नहीं डालेगा, और उनकी सूचित सहमति के साथ यह लिया गया है।

जिला, मजदूरी प्रवर्तन अधिकारी, सर्किल अधिकारी और अन्य अधिकारी ने जे.वी.आई. के समर्थन के साथ बचाव अभियान का नेतृत्व किया।

"उनको लगता था कि कोई भी उनके लिए नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि यह मजदूर आशा और निराशा में इंतजार कर रहे थें। आज, वे खुश हैं और बिहार सरकार और मानवता पर उनको विश्वास है।"- प्रेम कुमार, राज्य प्रबंधक - जे.वी.आई. परियोजना, बिहार।

यह मजदूर विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में 12 घंटे से अधिक 500 रुपये (यूएस $7.87) की न्यूनतम मजदूरी से भी कम मज़दूरी में काम करते थें और 1500 ईंट एक दिन में बनाते थें। ठेकेदार (ठेकेदार / एजेंट) ईंट भट्ठा मालिक द्वारा कार्यरत हैं, पिछले सभी आश्वासनों की अवहेलना करके केवल 100 रुपये (यूएस $ 1.57) प्रति दिन की खुरकी (भोजन भत्ता) वितरित करते थें। यह वित्तीय सहायता नाबालिग नाबलिकों सहित पूरे परिवार के लिए होती थी।

"ईंट भट्ठा के खुले मैदान चिलचिलाती गर्मी के साथ, पूरे परिवार की कमर तोड़ परिमजदूरी के साथ जिसमें छोटे नाबालिकभी शामिल होते थे, यह दर्शाता है कि कैसे गुलामी और उत्पीड़न अभी भी मौजूद है। उनके हाथों हर दिन के बाद ईंट बनाने से खुरदरे हो जाते थे और उनकी आत्मा जीवन के लिए जल जाती थी।"- सामाजिक कार्यकर्ता।

मजदूरों ने टीम को बताया कि कैसे उनको अक्सर 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और अधिक ईंट बनाने के लिए दबाव डाला जाता था। अचानक बारिश के कारण नष्ट हुई कच्ची ईंटों की संख्या मजदूर की ओर से नुकसान माना जाता था। उन सब को फिर से ताजा ईंटों का सेट बनाना पड़ता था।

“पीड़ित मजदूरों के साथ बात करके हम को यह समझ में आया कि उनके जीवन पर उनका स्वयं कोई अधिकार नहीं है। ईंट भट्ठा मालिक के द्वारा दासता और धोखे नियमित है। मेरी

एक मजदूर से उसकी झोंपड़ी के बाहर मुलाकात हुई, जो दोनो तरफ से खुली थी, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था। जिस प्रकार से मजदूरों को बंदी बनाकर रखा गया था अत्यंत निष्ठुर है।"- राजन शाह, जे.वी.आई. परियोजना, बिहार।

पीड़ित मजदूर बचाव दल को अपनी दुख और आजादी की कहानियों बताने के लिए आभारी थे। धीरे-धीर जैसे शाम होती गयी, टीम ने मज़दूरों को 'आज़ादी का भाषण' दिया जो अपनी नयी पाई गयी स्वतंत्रता के लिए आभार के आँसू के साथ ध्यान से सुन रहे थे।

एनएचआरसी ने कामिया प्रणाली के खिलाफ विरोध किया: बिहार में *160* बंधुआ मज़दूरों का बचाव हुआ

"*हम ने आजादी के* 67 *वर्ष पूरे किए हैं । हालांकि, यह मज़दूर कई पीढ़ियों से इस झूठ विश्वास में थे की जीवन जीने का यही एक तरीका है। वर्तमान पीढ़ी इस दासता बंधन के खिलाफ है। वे बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यह उनकी लड़ाई है।*"
- श्री ए.के पाराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)।

"*मेरे परिवार ने पिछली तीन पीढ़ियों से यह कार्य किया है। लेकिन मैं आजादी चाहते हूँ। हम अपने नाबलिकों के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं।*"

इस साल, वरिष्ठ एनएचआरसी के अधिकारी एक बचाव दल के साथ गया जिले, बिहार में गये। एनएचआरसी के नेतृत्व वाली टीम में गया प्रशासन, पुलिस, मजदूरी विभाग, और जस्टीस वेंचर्स इंटरनेशनल (जे.वी.आई.) परियोजना के प्रतिनिधि शामिल थे।
गंतव्य एक छोटे से गाँव निकटतम सड़क से कुछ दूरी पर था, जिसमें सूचित किया गया था की *160* मजदूर और आश्रित कामिया प्रणाली में फंसे हैं - यह एक कृषि के क्षेत्र में प्रथागत पीढ़ी दर पीढ़ी दासता है। मजदूर और उनके पूर्वज एक ही समूह के परिवारों के लिए पिछले तीन और पांच पीढ़ियों से खेतों में काम कर रहे थे।

एनएचआरसी और जिला प्रशासन ने एक ही दिन में 68 रिलीज प्रमाण पत्र, प्रथागत दायित्व के माध्यम से सभी बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए जारी किए। आरोपियों के खिलाफ बंधुआ मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम, बाल न्याय अधिनियम, और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के अलावा भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफ.आई.आर. दायर किया गया।
हेम राज, निदेशक, उत्तर भारत, जे.वी.आई. परियोजना जो आपरेशन के दौरान उपस्थित थे के अवलोकन के अनुसार, "*बचाव किए गये मजदूर क्षेत्रों में अपनी शारीरिक काम के लिए मुआवजे के रूप में केवल चावल प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, वे निरंतर, मनोवैज्ञानिक मौखिक और शारीरिक शोषण का अनुभव करते थे, और नाबलिकों के लिए भी कोई अपवाद नहीं था। आजादी के लिए उनका रोना सुना जा सकता था। उनके साहस ने इस बचाव अभियान को सफल बनाया है।*"
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सर्किल इंस्पेक्टर, खंड विकास अधिकारी, मजदूरी अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, संबंधित स्टेशनों और अन्य सरकारी अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों के संयुक्त अभियान में भाग लिया।

इस ऐतिहासिक हस्तक्षेप ने बिहार में कामिया व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ने का संकेत दिया है।

बिहार सरकार ने बंधुआ मजदूरी से पीड़ित लोगों को मुआवजा, लाभ और गरिमा प्रदान की

"हम ने जल्द ही एहसास किया कि अधिकारियों के साथ एक आवाज के रूप बात करने से हमें और अधिक लाभ होगा। आज, हमें जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक ख़ाता और राज्य सरकार की ओर से और अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के तहत मुआवजा प्राप्त हुआ। हम एक ही गांव में रह रहे हैं और अब हमारे नाबलिकों को हर दिन स्कूल जाते देखते हैं। हमारा जीवन अब गरिमा और बंधन से मुक्त है।" - बंधुआ मजदूर उत्तरजीवी।

बहु-पीढ़ीगत बंधुआ मज़दूरी से मुक्त 38 परिवारों के लिए मुक्ति यात्रा 22 जनवरी 2015 से जारी है। जिसके बाद मधुबनी जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल (जवी) परियोजना के सक्रिय समर्थन के साथ 7 फरवरी 2015 को 101 पीड़ित लोगों के लिए रिहाई प्रमाण पत्र जारी किए। एक सप्ताह के भीतर 14 फरवरी 2014 को चौंसठ मजदूरों को राज्य मुआवजा राशि जिला प्रशासन से चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ, जबकि शेष सैंतीस के लिए चेक प्रक्रिया जारी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने एक 'आज़ादी भाषण' दिया, बचाए गये बंधुआ मज़दूरों को मुक्त घोषित करते हुए।

"रिलीज प्रमाण पत्र के वितरण के दिन से, अधिकारियों ने हमें चेक सौंपने की कोशिश की लेकिन, हम चेक स्वीकार करने में असमर्थ थे क्यूंकी हमारा बैंक में ख़ाता नहीं था। अब, हमारे पास बैंक पासबुक हैं, जो अधिकारियों ने हमारे सभी विवरण के साथ रातों-रात बनवाया और इसलिए हम चेक स्वीकार करने में सक्षम थे। हम मुआवजा प्राप्त करके बहुत खुश हैं।" - करा सदा ने कहा।

जे. वी. आई. ने पूरे पुनर्वास प्रक्रिया में प्रशासन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ संपर्क बनाए रख कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16 फरवरी 2015 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड जारी किए गए थे, और बासठ बचाए गये पीड़ितों को भी वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया। महिला पीड़ितों के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोमोशनल सोसायटी (ब्रल्प्स) द्वारा दो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।

"मेरा नाबालिकस्कूल जाने के लिए अनुरोध करता था; हालांकि मेरे पास उसको काम पे ले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मेरा दिल, हर दिन खेतों में अपने नाबालिकके साथ जाते हुए, टूटता था। हालांकि, जब कुछ दिन पहले सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की कि हमारे नाबलिकों को गांव के स्कूल में भर्ती कराया गया है, मैं खुशी के आँसू रोया। अब मैं अपने बेटे को स्कूल की तरफ़ भागते हुए जाता देखता हूँ।" - बचाए गये पीड़ितों में से एक ने कहा।

"यह हमारे लिए जी.वी.आई. में एक विशाल सीख रही है। बिहार सरकार और इसके विभिन्न विभागों ने आगे बढ़कर आफ्टर-केयर कार्यक्रम के महत्वपूर्ण फासलों को तय किया। हम कृतज्ञता के साथ एनएचआरसी की गतिशील भूमिका को धन्यवाद करते हैं। 27 फरवरी 2015 को जिलाधिकारी के आदेश पर, पूरा जिला प्रशासन गांव में था, बहाल किए गये पीड़ितों से उनकी अहम जरूरतों और आवश्यकताओं को पूछने के लिए। यह उत्साहजनक है, और हम स्वतंत्रता की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।"
- हेम राज, निदेशक-उत्तर भारत, जी.वी.आई. परियोजना ने कहा।

इस ऐतिहासिक मुक्ति की कहानी जारी है। 16 मार्च 2015 को रुपये 22,500 / - का मुआवजा अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण योजना के तहत प्रत्येक निन्यानबे बहाल किए गये पीड़ितों को वितरित किया गया। यह बहाल किए पीड़ितों को पुनर्निर्माण और उन्हें बंधन में वापस जाने से रोकने में मदद करेगा। जी.वी.आई. बिहार सरकार के विभागों के साथ संलग्न करना और बहाल किए गये पीड़ितों को अन्य योजनाओं और लाभ जैसे आवास, भूमि और आजीविका के अवसर से जोड़ने के लिए प्रयास जारी रखेगा।

गुड़िया द्वारा प्रभावी कानूनी हस्तक्षेप के कारण बंधुआ मज़दूर ईंट भट्ठा से बाहर निकलें।
ज्ञांमति को जमालपुर में पायल मरका ईंट भट्ठा पर काम करने के लिए एक उचित मजदूरी और अनूकूल रहने और काम करने की अवस्था देने का वादा दिया गया था। ज्ञांमति एक अनुसूचित जाति समुदाय से है और उसका एक बड़ा परिवार खराब वित्तीय हालत में है। ज्ञांमति ने ईंट भट्ठा पर काम करने का फैसला किया ताकि वह पर्याप्त पैसा कमा के अपने परिवार के लिए भोजन उपलब्ध करा सके। ईंट भट्ठा पर उसके रोजगार शुरुआत होने के बाद, ज्ञांमति ने रहने और काम करने की अवस्था को दयनीय पाया और उसका अनुभव वादे की तुलना में बहुत अलग था।
एक दिन, उसने अपने बेटे की शादी के खर्च के लिए अपनी बकाया मजदूरी का अनुरोध किया। ईंट भट्ठा ने इस अनुरोध को इनकार किया और ज्ञांमति को कहा कि उसका ख़ाता सीजन के अंत में तय किया जाएगा। ईंट भट्ठा मालिक के साथ इस बातचीत के बाद, *1* अप्रैल *2015* को, ज्ञांमति ने गुड़िया को एक आवेदन दिया पायल मार्का ईंट भट्ठा से *62* बंधुआ मजदूरों की सहायता का अनुरोध करते हुए। एक और बंधुआ मजदूर दिनेश ने ईंट भट्ठा में परिस्थितियों पर ज्ञांमति के वर्णन की पुष्टि की। तथ्यों की पुष्टि करने के बाद, गुड़िया ने यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर और राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, नई दिल्ली को प्रस्तुत की। न तो जिला मजिस्ट्रेट और न ही मजदूरी विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई की। *20* अप्रैल *2015* को, गुड़िया ने फिर से कोशिश की, जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी और आवेदन उपलब्ध कराने में, लेकिन इन व्यक्तियों को इसपर कोई संज्ञान नहीं लिया। गुड़िया ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बंधुआ मजदूरों के बचाव के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट याचिका दायर की, बचाव की जगह के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करते हुए। माननीय उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को आदेश की प्राप्ति से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पालन करने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करने के बाद, एक बचाव दल जिसमे मजदूरी विभाग, पुलिस और सं के सदस्या शामिल थे पायल मार्का ईंट भट्ठा गये। ईंट भट्ठा मालिक और उसके साथियों ने दृढ़ता से श्रमिकों के बचाव का विरोध किया, धमकी और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और यहां तक कि गुड़िया स्टाफ को मारने की धमकी दी। ईंट भट्ठा मालिक के विरोध के बावजूद, पुलिस और मजदूरी विभाग के अधिकारियों ने 11 जून 2015 को 62 बंधुआ मजदूरों को बचाया। बंधुआ मजदूर जिनको ईंट भट्ठा से बहाल किया गया, उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और भोजन और मनोसामाजिक समर्थन प्रदान किया गया।

ईंट भट्ठा मालिकों और उनके साथियों का गुड़िया स्टाफ के सदस्यों के प्रति अनुचित व्यवहार का ब्यौरा का एक आवेदन 13 जून, 2015 को जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ज्ञांमति को प्रस्तुत की गया। दुर्भाग्य से, ईंट भट्ठा मालिक को दंडित करने के लिए आगे कोई

कार्रवाई नही की गयी। गुड़िया ने एक बार फिर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया, जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना करने के लिए क्यूंकी ना ही ठीक से बचाव अभियान की सुविधा प्रदान की गयी और ना ही बंधुआ मजदूरों को रिलीज प्रमाण पत्र और पुनर्वास पैकेज जारी किया गया।

सामूहिक कार्रवाई समुदाय के सदस्यों की भूमि की रक्षा के लिए प्रभावी है।

दशकों से, शंकरगढ़ के अमीर, और उच्च वर्ग के ठेकेदारों ने अपनी भूमि पर काम करने के लिए गरीब और हाशिए व्यक्तियों पर निर्भर किया है।ठेकेदार उनके कार्यकर्ताओं पर दुराचार करने के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई मजदूर किसी भी उच्च वेतन की नौकरी करने के कोशिश करता है तो उसके परिवार को ठेकेदारों द्वारा गांव के बाहर फेंक दिए जाने की धमकी मिलती है। कई बार, यदि मजदूर काम करने से मना करते हैं, या काम नहीं करते हुए पाए जाते हैं तो उनका बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है।

अपने ठेकेदारों के दुरुपयोग को बहुत सहने के बाद, मजदूरों ने इस उम्मीद से कि वे एक साथ काम में दुरुपयोग की अवस्था को दूर कर सकते हैं, एक समूह का गठन किया। एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के माध्यम से, ठेकेदार के बुरे बर्ताव को रोकने के लिए मज़दूरों के समूह से एक दबाव पड़ा। दुर्भाग्य से, जो लोग समूह का हिस्सा नहीं थे उन पर आघात और दुरुपयोगता की पीड़ा जारी थी। ठेकेदार जबरदस्ती आस पास रहने वाले परिवारों की भूमि को लेने के लिए भी जाने जाते थे। इस के जवाब में, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सहयोग किया, और ठेकेदारों को दूसरों की भूमि लेने से रोका।

पिछले तीन दशकों से, छोटेलाल आदिवासी और उनका परिवार गांव के कच्चे घर में रहते हैं। उनके घर के पास दो बिसवा की खुली जमीन थी जो मिट्टी की एक दीवार से घिरी हुई थी। यह भूमि मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठेकेदार, कामता, जो इस भूमि के पास एक बड़े घर का स्वामित्व था, वह यह खुली भूमि लेकर अपने स्वयं के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। वह जमीन का अधिग्रहण करने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार था, और उसने छोटेलाल को कुछ पैसे लेकर भूमि खाली करने को कहा। जब छोटेलाल ने अपनी भूमि देने से इनकार कर दिया तो ठेकेदार ने गलत तरीकों से और जबरदस्ती से उसकी भूमि पर क़ब्ज़ा कर लिया। कामता की वजह से, उसने सिविल न्यायाधीश न्यायालय के सामने एक मामला दायर किया। यह मामला चार साल से अदालत में जारी था और आख़िर में अदालत ने हाशिए समुदाय के पक्ष में मामले को अंतिम रूप दिया।

2014 में, कामता के बेटे ने छोटेलाल की भूमि पर रेत, ईंट और सीमेंट डालना शुरू कर दिया। जब छोटेलाल ने उसका सामना किया तो 20-25 ठेकेदार बंदूक और राइफल के साथ उसके पास आ गये। वे छोटेलाल को धमकी देने लगे कि वे अपनी भूमि को ले जाएँगे, और

जो कोई भी उनके रास्ते आया तो उसको गोली से मार देंगे। छोटेलाल का परिवार इन गंभीर खतरों से डर गया था। उनके खिलाफ खड़े होने की उनके पास हिम्मत नहीं थी। छोटेलाल ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए समुदाय के अन्य लोगों को एक साथ एकत्र किया। उन्होंने डर के कारण यह फैसला किया कि ठेकेदारों से भिड़ने का कोई फ़ायदा नही है क्यूंकी उनको मार डाला जाएग।

छोटेलाल की पत्नी को जब इस मुद्दे के बारे में पता चला तो वह एसएचजी समूह के सदस्यों जो की पीजीएस द्वारा बनाए गये थे, उन में से एक महिला उषा से बात करने लगी। उषा ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और अन्य समूह के सदस्यों के साथ बात की। इन दोनों समूहों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद यह फैसला किया कि वे ठेकेदारों को छोटेलाल की जमीन नही लेने देंगे। महिलायें छोटेलाल के घर गयीं जहां उन्होनें फैसला किया की जितनी भी मुश्किल स्थिति हो, वे दृढ़ता से एक साथ खड़े हो कर ठेकेदारों का सामना करेंगे। एक ही रात में, उन्होनें पुलिस स्टेशन और जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और स्थिति का वर्णन दिया। उस रात दस बजे शंकेरगई से कई पुलिसकर्मी आयें और कामता और उसके बेटे के खिलाफ खड़े हुए। महिलाओं की एकता, और पुलिस की प्रतिक्रिया देखने के बाद, कामता तुरंत पीछे हट गया। उसने उनकी ताकत को समझा और फिर से नहीं धमकाया।

परिशिष्ट (अलग दस्तावेज़ देखें)

ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क एवं जिनेवा ग्लोबल के सहयोग तथा
फ्रीडम फण्ड के समर्थन के सौजन्य से
जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल द्वारा 2017 में प्रकाशित